अयोध्या महायोजना–2031

SUSTAINABLE & SMART CITY

TOURISM DESTINATION

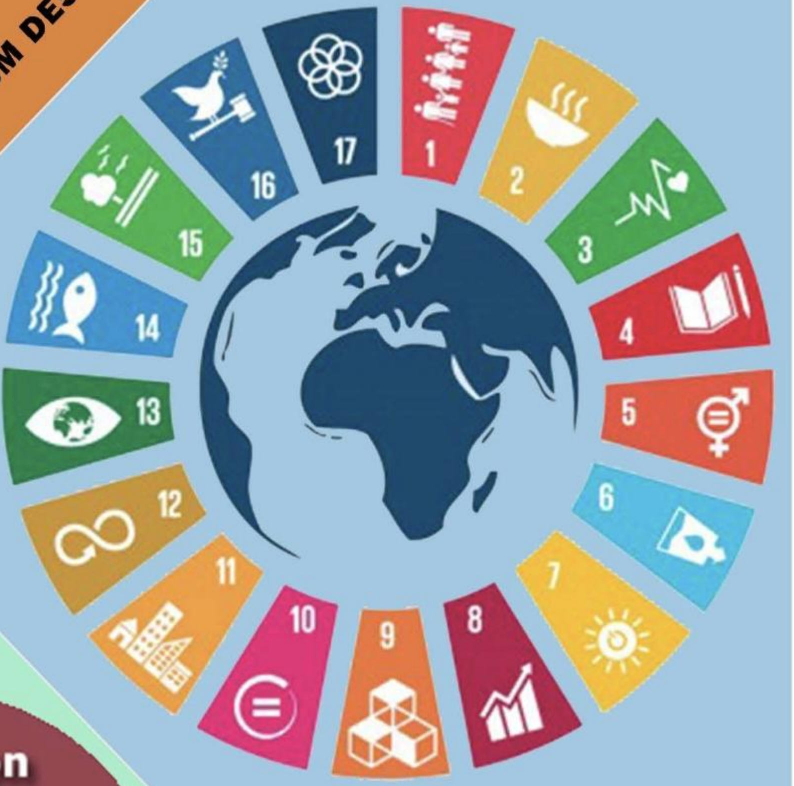

GLOBAL SPIRITUAL CAPITAL

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0

अमृत
Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

Stesalit Systems LIMITED

अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी जी0आई0एस0 आधारित

अयोध्या महायोजना 2031

(उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अधीन निर्मित)

प्रस्तुतकर्ता

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

तैयारकर्ता

स्टेस्लिट सिस्टम लिमिटेड, कोलकाता

नोडल विभाग

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्राक्कथन

अयोध्या, सरयू नदी के तट पर बसी एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है, जिसका धार्मिक पर्यटन हेतु एक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में अयोध्या विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। यह नगर लखनऊ से गोरखपुर को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 27 पर स्थित है।

अयोध्या नगर के सुनियोजित एवं नियन्त्रित विकास हेतु उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2816/37-3-45एन. के.वि./78 लखनऊ, दिनांक 17.12.1979 द्वारा फैजाबाद नगर पालिका परिषद तथा अयोध्या नगर पालिका परिषद का क्षेत्र एवं उसे संलग्न 65 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया, जिसके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रथम महायोजना वर्ष 2001 तक के लिए तैयार की गयी जिसे वर्ष 1984 में लागू किया गया था। वर्ष 1985 में फैजाबाद-अयोध्या को विकास क्षेत्र घोषित करते हुए फैजाबाद-अयोध्या विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। अमृत योजनान्तर्गत अयोध्या विकास क्षेत्र की पुनरीक्षित अयोध्या महायोजना 2031 (भाग-क) कंसलटेंट के माध्यम से तैयार करायी गयी, जिसे वर्ष 2022 में शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, जो वर्तमान में प्रभावी है।

शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 430/आठ-10-20-15 ई/2011 दिनांक 15 दिसंबर 2020 एवं अधिसूचना सं0-710/आठ-10-25-15ई0/2011 दिनांक 29.08.2025 द्वारा अयोध्या विकास क्षेत्र में नगर निगम अयोध्या, नगर पंचायत क्षेत्र भदरसा जिला-अयोध्या, नगर पालिका परिषद क्षेत्र नवाबगंज जिला-गोण्डा तथा 353 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया तथा विस्तारित क्षेत्र की जी0आई0एस0 आधारित महायोजना (भाग-ख) के रूप में तैयार किये जाने हेतु शासन स्तर से निर्देश दिये गये।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 व अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा कंसल्टेंट के माध्यम से विस्तारित क्षेत्र के वर्तमान विकास का सर्वेक्षण एवं विश्लेषण तथा वर्तमान समस्याओं का विस्तृत अध्ययन कर अयोध्या के विस्तारित विकास क्षेत्र की वर्ष 2031 तक की अनुमानित जनसंख्या 14.00 लाख हेतु अयोध्या महायोजना 2031 (भाग-ख) का प्रारूप तैयार किया गया। शासन स्तर पर गठित शासकीय समिति के अनुमोदन उपरान्त अयोध्या महायोजना-2031 (भाग-ख) पर नगर के सम्मानित नागरिकों एवं विभिन्न शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों/अभिकरणों से दिनांक 25.04.2025 से 24.05.2025 तक आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से महायोजना प्रारूप को जनसामान्य हेतु प्रदर्शित किया गया था। निर्धारित अवधि में कुल 783 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त आपत्ति/सुझावों को शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 02.06.2025 से 03.06.2025 तक विधिवत सुनवाई की गयी। सुनवाई के उपरान्त प्राप्त समस्त आपत्ति/सुझावों पर सम्यक विचारोपरान्त की गयी संस्तुतियाँ तथा संस्तुति के अनुसार तैयार की गयी अयोध्या महायोजना-2031 भाग-ख (प्रारूप) को दिनांक 19.06.2025 को आयोजित बोर्ड बैठक में अनुमोदन प्रदान कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। शासन द्वारा गठित शासकीय समिति की दिनांक 15.09.2025 को प्राधिकरण द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। शासकीय समिति द्वारा दिये गये सुझावों को समायोजित कर तथा बोर्ड के निर्णय के क्रम में अयोध्या महायोजना-2031 भाग-क व भाग-ख को संयुक्त कर तैयार की गयी संशोधित महायोजना प्रारूप शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी। दिनांक 28.10.2025 को अयोध्या महायोजना-2031 (प्रारूप) की स्वीकृति हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा महायोजना (प्रारूप) पर कतिपय निर्देश दिये गये। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों पर विचार विमर्श हेतु दिनांक 29.10.2025 को प्रमुख सचिव, आवास की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में दिये गये निर्देश एवं आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के पत्र सं0 1/1183427/2025, 8-3099/416/2025 दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से प्राप्त पत्र के अनुसार महायोजना प्रारूप में संशोधन कर कन्सल्टेन्ट द्वारा तैयार की गयी संशोधित अयोध्या महायोजना-2031 (प्रारूप) को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा अनुमोदित महायोजना को शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

मैं अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड के सभी सदस्यों, विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा स्थानीय जागरूक नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होने इस महायोजना प्रारूप को तैयार करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। अयोध्या महायोजना-2031 (प्रारूप) को तैयार करने में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के अधिकारियों एवं कंसल्टेंट की लगन एवं उनका कठिन परिश्रम प्रशंसनीय है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या महायोजना-2031 (प्रारूप) नगर के भावी नियोजित विकास को उचित दिशा प्रदान करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

(अनुराग जैन)
उपाध्यक्ष
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या।

<u>विषय सूची</u>

अध्याय 1: उद्‌भव एवं विकास 1
1.1 स्थिति....1
1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं क्रमिक विकास....2
1.3 क्षेत्रीय स्थिति एवं संपर्क 3
1.4 भौगोलिक स्थिति 3
1.5 जलवायु 5
1.6 मेला एवं त्योहार 6
1.6.1 राम लीला 6
1.6.2 राम नवमी मेला....6
1.6.3 श्रावण झूला मेला....6
1.6.4 परिक्रमा 7
अध्याय 2: महायोजना की आवश्यकता....8
2.1 विकास क्षेत्र....8
2.2 नगरीय विकास 8
2.2.1 अयोध्या– अम्बेडकर नगर मार्ग....8
2.2.2 अयोध्या–प्रयागराज मार्ग 9
2.2.3 अयोध्या–रायबरेली मार्ग 9
2.2.4 अयोध्या–लखनऊ मार्ग....9
2.3 अयोध्या महायोजना–2001 एवं महायोजना–2031....9
2.4 विस्तारित क्षेत्र की महायोजना तैयार किये जाने की आवश्यक्यता 10
अध्याय 3: वर्तमान अध्ययन....13
3.1 जनसंख्या....13
3.1.1 जनसंख्या घनत्व 18
3.2 लिंगानुपात....18
3.3 साक्षरता दर....19
3.4 कार्यशील जनसंख्या 20
3.4.1 भागीदारी दर 20
3.5 कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण....22
3.6 कार्यशील जनसंख्या का श्रेणीवार विवरण 25
3.6.1 मुख्य कामगार....26
3.6.2 सीमांत कामगार....27
3.7 पारिवारिक संरचना....28

3.7.1 परिचय....28
3.7.2 परिवार एवं आवासीय इकाइयाँ....28
3.7.3 आवास की कमी का आकलन....29
3.8 आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण....33
3.8.1 परिचय....33
3.8.2 श्रमशक्ति....33
3.9 व्यापार एवं वाणिज्य....34
3.9.1 परिचय....34
3.9.2 वाणिज्यिक क्षेत्र एवं व्यापारिक दुकानें....34
3.9.3 ए.पी.एम.सी. बाजार....35
3.9.4 होटल और रेस्टोरेंट....37
3.10 उद्योग....38
3.10.1 निष्कर्ष....39
3.11 भौतिक अवसंरचना....40
3.11.1 जलापूर्ति....40
3.11.2 सीवरेज एवं ड्रेनेज....42
3.11.3 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय....43
3.11.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन....43
3.11.5 विद्युत आपूर्ति....44
3.11.6 यातायात एवं परिवहन....44
3.11.7 सामाजिक आधारभूत संरचना....53
3.11.8 राजकीय/अर्द्ध–राजकीय कार्यालय....53
3.11.9 शैक्षिक सुविधाएँ....54
3.11.10 स्वास्थ्य सुविधाएँ....54
3.11.11 पुलिस सेवा/अग्निशमन सेवा....54
3.11.12 डाक सेवा/दूरसंचार केन्द्र....54
3.11.13 मनोरंजनात्मक सुविधाएँ....54
अध्याय 4: पर्यटन प्रोफाइल....57
4.1 परिचय....57
4.2 उत्तर प्रदेश में पर्यटन....57
4.3 अयोध्या में पर्यटन....59
4.3.1 अयोध्या में पर्यटक आकर्षण....59
4.4 पर्यटन गतिविधियाँ....65

4.5 पर्यटक प्रवाह....66
4.5.1 अयोध्या की फ्लोटिंग आबादी का प्रक्षेपण....66
अध्याय 5: पर्यावरण रूपरेखा....68
5.1 जलीय संरचना....68
5.2 शहर में प्रदूषण स्तर....68
5.2.1 जल प्रदूषण....68
5.2.2 वायु प्रदूषण....69
5.3 ब्लू–ग्रीन अवसंरचना....70
5.4 आपदा प्रबंधन....73
अध्याय 6: प्रभावी अयोध्या महायोजना–2031 भाग–क में किये गये संशोधन....78
अध्याय 7: वर्तमान भू–उपयोग....83
7.1 वर्तमान भू–उपयोग....83
अध्याय 8: नियोजन की समस्याएं....85
8.1 नियोजन सम्बन्धी प्रमुख समस्याएँ....85
अध्याय 9: महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य....86
9.1 विज़न....86
अध्याय 10: आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण....89
10.1 जनसंख्या प्रक्षेपण....89
10.1.1 अयोध्या विस्तारित विकास क्षेत्र का जनसंख्या प्रक्षेपण....89
10.1.2 अयोध्या महायोजना–2031 भाग–(क) का जनसँख्या प्रक्षेपण....93
10.2 जनसंख्या घनत्व....93
10.3 आवासीय प्रक्षेपण....94
10.3.1 अयोध्या महायोजना 2031 भाग (क)....94
10.3.2 अयोध्या महायोजना 2031 भाग (ख)....95
10.3.3 व्यावसायिक प्रक्षेपण....96
10.4 औद्योगिक प्रक्षेपण....97
10.5 सार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रक्षेपण....97
10.6 मनोरंजनात्मक सुविधाओं हेतु प्रक्षेपण....98
10.7 भौतिक अवसंरचना हेतु प्रक्षेपण....99
अध्याय 11: भू–उपयोग प्रस्ताव....100
11.1 नगर के विकास/विस्तार की दिशा....100
11.2 महायोजना भू–उपयोग हेतु नीति निर्धारण....100
11.2.1 निर्मित क्षेत्र....100

11.2.2 प्रस्तावित नगरीकरण योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में दर्ज ग्रामीण आबादी क्षेत्र 101
11.2.3 अविकसित क्षेत्र 101
11.2.4 व्यावसायिक 102
11.2.5 उद्योग 102
11.2.6 सार्वजनिक सुविधाएं 103
11.2.7 यातायात एवं परिवहन 103
11.2.8 मनोरंजन 105
11.2.9 राजमार्गीय सुविधा जोन 107
11.2.10 अन्य भू–उपयोग 107
11.2.11 प्रतिबंधित जोन 108
11.2.12 विविध 108
11.2.13 फसाड संबंधी दिशानिर्देश 110
11.3 शासकीय नीतियों का अनुपालन 114
11.3.1 रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति 114
11.3.2 पर्यटन नीति 115
11.3.3 फिल्म नीति 115
11.3.4 औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 115
11.3.5 आपदा प्रबन्धन नीति 115
11.3.6 आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति, टाउनशिप नीति 2023 115
11.3.7 एक जिला एक उत्पाद योजना 116
11.3.8 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 116
11.3.9 आईटी स्टार्ट–अप नीति 116
11.3.10 सौर ऊर्जा नीति 116
11.3.11 वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी 117
11.3.12 अन्य विषयों पर नीति निर्धारण 117
11.3.13 नदी केन्द्रित विकास 117
11.3.14 हेरिटेज 120
11.3.15 पर्यटक व्याख्या केंद्र (टीआईसी) और कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (CCC) 120
11.3.16 कुंडों, मंदिरों और घाटों की पुनर्स्थापना 123
11.3.17 सौंदर्यीकरण और सुधार 127
11.4 भू–उपयोग प्रस्ताव 130
11.4.1 आवासीय 130

11.4.2 व्यावसायिक 130

11.4.3 औद्योगिक 132

11.4.4 कार्यालय 132

11.4.5 सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएँ 132

11.4.6 यातायात एवं परिवहन 133

11.4.7 मनोरंजन 143

11.4.8 राजमार्गीय सुविधा जोन 143

11.5 इकोनॉमिक लेयर 145

11.6 नियोजन खण्ड 146

11.7 जोनल प्लान तैयार किये जाने की वरीयता का निर्धारण 146

11.8 महायोजना प्रस्तावों के विकास/क्रियान्वयन हेतु वरीयता का निर्धारण 150

अध्याय 12: जोनिंग रेगुलेशन्स 152

12.1 परिचय 152

12.1.1 जोनिंग के उद्देश्य 152

12.1.2 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियां 152

12.1.3 समाघात शुल्क 152

12.2 भू–उपयोग क्रियाओं की परिभाषाएं 153

12.2.1 आवासीय 153

12.2.2 वाणिज्यिक 154

12.2.3 औद्योगिक 155

12.2.4 कार्यालय 156

12.2.5 सामुदायिक सुविधाएं, उपयोग एवं सेवाएं 157

12.2.6 यातायात एवं परिवहन 161

12.2.7 पार्क, खेल के मैदान खुले स्थान, मनोरंजनात्मक 161

12.2.8 कृषि 162

12.3 प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य कियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध 163

12.4 प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की **(Activities)** अनुमन्यता 164

12.5 समाघात शुल्क 173

(कृष्ण मोहन) 30/4/2026
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०

(पी० गुरुप्रसाद) 30.4.26
प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

शासनादेश संख्या-आई/312343/2026-8-3099/416/2025
दिनांक- 30/04/2026 द्वारा स्वीकृत।

चित्रों की सूची

चित्र 1.1 अयोध्या नगर की स्थिति 1

चित्र 2.1 अयोध्या विकास क्षेत्र 9

चित्र 3.1 अयोध्या विकास क्षेत्र की दशकवार जनसंख्या वृद्धि (1991–2011) 14

चित्र 3.2 कार्यबल अयोध्या नगर निगम 21

चित्र 3.3 कार्यबल नवाबगंज नगर पालिका परिषद 22

चित्र 3.4 कार्यबल भदरसा नगर पंचायत 22

चित्र 3.5 मुख्य एवं सीमांत कामगार 24

चित्र 3.6 मुख्य एवं सीमांत कामगारों में पुरुषों व महिलाओं की भागीदारी 24

चित्र 3.7 मुख्य कामगार का श्रेणीवार विवरण 27

चित्र 3.8 खाद्य प्रसंस्करण मंडी 36

चित्र 3.9 नवाबगंज नगर का ओ0डी0 सर्वे 52

चित्र 3.10 नवाबगंज नगर में दो प्रमुख एंट्री–एग्जिट बिंदु 53

चित्र 4.1 श्री राम जन्मभूमि मंदिर 60

चित्र 4.2 दशरथ महल 60

चित्र 4.3 कनक भवन मंदिर 61

चित्र 4.4 मणि पर्वत 62

चित्र 4.5 तुलसी स्मारक भवन 63

चित्र 4.6 तुलसी उद्यान 64

चित्र 4.7 गुप्तार घाट 64

चित्र 5.1 अयोध्या सरयू नदी 68

चित्र 5.2 ब्लू–ग्रीन अवसंरचना के घटक 71

चित्र 10.1 जनसंख्या प्रक्षेपण 92

चित्र 11.1 वर्तमान कुण्डों की स्थानीय स्थिति 124

चित्र 11.2 गिरजा कुण्ड 124

चित्र 11.3 दंत धावन कुण्ड 125

चित्र 11.4 वर्तमान घाट 125

चित्र 11.5 राम की पैड़ी का सौंदर्यीकरण 126

चित्र 11.6 गौप्रतार घाट (गुप्तार घाट) का सौंदर्यीकरण 126
चित्र 11.7 हनुमान गढ़ी का जीर्णोद्धार 127
चित्र 11.8 कनक भवन का जीर्णोद्धार 127
चित्र 11.9 रामघाट हाल्ट 128
चित्र 11.10 सडकों की वर्तमान स्थिति 129
चित्र 11.11 परिक्रमा मार्गों की वर्तमान स्थिति 129
चित्र 11.12 मार्गों का प्रस्तावित क्रॉस सेक्शन 137
चित्र 12.1 अयोध्या विकास प्राधिकारण बोर्ड बैठक 16.01.2025 178

तालिकाओं की सूची

तालिका 1.1 जलवायु 5

तालिका 3.1 अयोध्या के विकास क्षेत्र की जनसंखया जनगणना 2011 के अनुसार 13

तालिका 3.2 नगरीय क्षेत्र की जनसँख्या वृद्धि का विवरण 14

तालिका 3.3 अयोध्या नगर निगम का वार्डवार जनसंख्या वितरण 15

तालिका 3.4 नवाबगंज नगर पालिका परिषद का वार्डवार जनसंख्या वितरण 17

तालिका 3.5 भदरसा नगर पंचायत का वार्डवार जनसंख्या वितरण 18

तालिका 3.6 लिंगानुपात 19

तालिका 3.7 साक्षरता दर 19

तालिका 3.8 कार्यबल भागीदारी 21

तालिका 3.9 कार्यबल श्रेणी 23

तालिका 3.10 मुख्य कामगार का श्रेणीवार विवरण 26

तालिका 3.11 सीमांत कामगार का श्रेणीवार विवरण 28

तालिका 3.12 उपलब्ध आवासीय इकाइयां एवं परिवारों का आकार वर्ष 2011 29

तालिका 3.13 स्थिति के आधार पर मकान (जनगणना, 2011) 30

तालिका 3.14 स्थिति के आधार पर अयोध्या नगरीय क्षेत्र में भीड़भाड़ कारक ;ब्वदहमेजपवद बिजवतद्ध की गणना 31

तालिका 3.15 स्थिति के आधार पर भदरसा नगरीय क्षेत्र में भीड़भाड़ कारक (Congestion factor) की गणना 31

तालिका 3.16 स्थिति के आधार पर नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में भीड़भाड़ कारक (Congestion factor) की गणना 32

तालिका 3.17 जनगणना 2011 के आधार पर आवास की अनुमानित कमी 33

तालिका 3.18 श्रमशक्ति का विवरण 34

तालिका 3.19 अयोध्या में प्रति वर्ष कृषि उत्पादन 35

तालिका 3.20 वाणिज्यिक क्षेत्रों की सूची 36

तालिका 3.21 अयोध्या विकास क्षेत्र में विद्यमान होटल एवं रेस्टोरेंट की सूची 37

तालिका 3.22 अयोध्या विकास क्षेत्र में विद्यमान उद्योगों का विवरण 39

तालिका 3.23 अयोध्या नगरीय क्षेत्र में वर्तमान जलापूर्ति स्थिति 40

तालिका 3.24 अयोध्या नगरीय क्षेत्र में वर्तमान जलापूर्ति मात्रा........40
तालिका 3.25 अयोध्या नगरीय क्षेत्र में स्थित ओवरहेड टैंकों का विवरण........40
तालिका 3.26 नवाबगंज एवं भदरसा नगरीय क्षेत्र में वर्तमान जलापूर्ति का विवरण........41
तालिका 3.27 नवाबगंज एवं भदरसा नगर में वर्तमान भंडारण सुविधाओं का विवरण........41
तालिका 3.28 अयोध्या विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में वर्तमान सीवरेज सुविधाओं का विवरण........42
तालिका 3.29 ठोस अपशिष्ट के संग्रह हेतु वाहनों के प्रकार........44
तालिका 3.30 विद्युत् स्टेशनों का विवरण........44
तालिका 3.31 विद्युत् कनेक्शनों का विवरण........44
तालिका 3.32 अयोध्या विकास क्षेत्र के मुख्य नगरीय मार्गों का विवरण........45
तालिका 3.33 पंजीकृत वाहनों का विवरण........48
तालिका 3.34 ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे........49
तालिका 3.35 अयोध्या नगर में विद्यमान पार्कों का विवरण........55
तालिका 3.36 अयोध्या नगर में विद्यमान मनोरंजन सुविधाओं का विवरण........56
तालिका 4.1 पर्यटकों की संख्या........57
तालिका 4.2 पर्यटकों का वर्षवार विवरण........66
तालिका 4.3 पर्यटकों का प्रक्षेपण........66
तालिका 5.1 अयोध्या में सरयू जल की गुणवत्ता........69
तालिका 5.2 अयोध्या में वायु प्रदूषण........69
तालिका 7.1 अयोध्या के विकास क्षेत्र में वर्तमान भू–उपयोगों का विवरण (वर्ष–2020)........83
तालिका 9.1 विज़न........86
तालिका 10.1 अयोध्या के विस्तारित विकास क्षेत्र का श्रेणिवार जनसंख्या वितरण........89
तालिका 10.2 जनसंख्या प्रक्षेपण महायोजना 2031 (भाग–ख)........90
तालिका 10.3 जनसंख्या प्रक्षेपण महायोजना–2031 भाग (क)........93
तालिका 10.4 महायोजना–2031 के लिए अनुमानित क्षेत्रफल........94
तालिका 10.5 आवासीय शॉर्टेज की गणना........94
तालिका 10.6 आवासीय मांग की गणना........94
तालिका 10.7 वर्ष 2031 तक अनुमानित परिवार की संख्या एवं आवासीय इकाइयों की संख्या........95
तालिका 10.8 विभिन्न आय वर्गों के लिए अतिरिक्त आवासीय भूमि की आवश्यकता की गणना........96
तालिका 10.9 व्यावसायिक सुविधाओं हेतु भावी आवश्यकता........96

तालिका 10.10 औद्योगिक विकास हेतु भावी आवश्यकता 97
तालिका 10.11 अयोध्या महायोजना 2031 में सार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रक्षेपण 97
तालिका 10.12 अयोध्या महायोजना 2031 में मनोरंजनात्मक सुविधाओं हेतु प्रक्षेपण 98
तालिका 10.13 अयोध्या महायोजना 2031में भौतिक अवसंरचना हेतु भावी आवश्यकता 99
तालिका 11.1 अयोध्या विकास क्षेत्र में वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्गों का विवरण 133
तालिका 11.2 प्रस्तावित भू–उपयोग अयोध्या महायोजना–2031 143
तालिका 11.3 इकनॉमिक लेयर भू–उपयोग 146
तालिका 12.1 अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध 163
तालिका 12.2 प्रमुख भू–उपयोग जोन्स एवं संकेतन 164

मानचित्रों की सूची

मानचित्र 1.1 क्षेत्रीय सम्बद्धता 4

मानचित्र 2.1 अयोध्या विकास क्षेत्र मानचित्र 11

मानचित्र 2.2 पंजीकृत परियोजनाएं 12

मानचित्र 3.1 ट्रैफिक का घनत्व एवं दिशा 52

मानचित्र 5.1 अयोध्या महायोजना–2031 का कंटूर मानचित्र 74

मानचित्र 5.2 अयोध्या महायोजना–2031 का संभरण (**Watershed**) मानचित्र 75

मानचित्र 5.3 अयोध्या महायोजना–2031 का ब्लू लेयर मानचित्र 76

मानचित्र 5.4 अयोध्या महायोजना–2031 का ग्रीन लेयर मानचित्र 77

मानचित्र 6.1 आवास एवं विकास परिषद की भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, अयोधय ग्रीन फील्ड टाउनशिप व पूरब प्रथम योजना में संशोधनः– 80

मानचित्र 6.2 दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के निकट, मार्ग के संरेखण में संशोधन 81

मानचित्र 6.3 ग्राम मलिकपुर में नहर के निकट, मार्ग के संरेखण में संशोधन 82

मानचित्र 7.1 वर्तमान भू –उपयोग मानचित्र 84

मानचित्र 11.1 अयोध्या महायोजना–2031 का रोड नेटवर्क मानचित्र 141

मानचित्र 11.2 अयोध्या महायोजना–2031 का उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ लेयर मानचित्र 142

मानचित्र 11.3 अयोध्या महायोजना–2031 का जोन मानचित्र 147

मानचित्र 11.4 अयोध्या महायोजना–2031 का प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र 148

मानचित्र 11.5 अयोध्या महायोजना–2031 का इकोनॉमिक लेयर मानचित्र 149

अध्याय 1: उद्‌भव एवं विकास

1.1 स्थिति

अयोध्या, सरयू नदी के तट पर बसी एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है, तथा यह प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली के रूप में हिन्दू धर्मावलम्बियों के आस्था का केंद्र है।

अयोध्या नगर की देश व प्रदेश के मुख्य नगरों तथा प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग से पर्याप्त संबद्धता है । राष्ट्रीय राजमार्ग–27 नगर से होकर गुजरता है। उद्योगों में चीनी तिलहन प्रसंस्करण शामिल है, और यह कृषि उपज का एक व्यापार केंद्र है। अयोध्या धार्मिक स्थल के रूप में उभरकर अब देश के आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचानी जाने लगी है ।

अयोध्या प्राचीन समय में कोसल राज्य की राजधानी एवं प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की पृष्ठभूमि का केंद्र थी। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली होने के कारण अयोध्या को मोक्षदायिनी एवं हिन्दुओं की प्रमुख तीर्थस्थली के रूप में माना जाता है।

चित्र 1.1 अयोध्या नगर की स्थिति

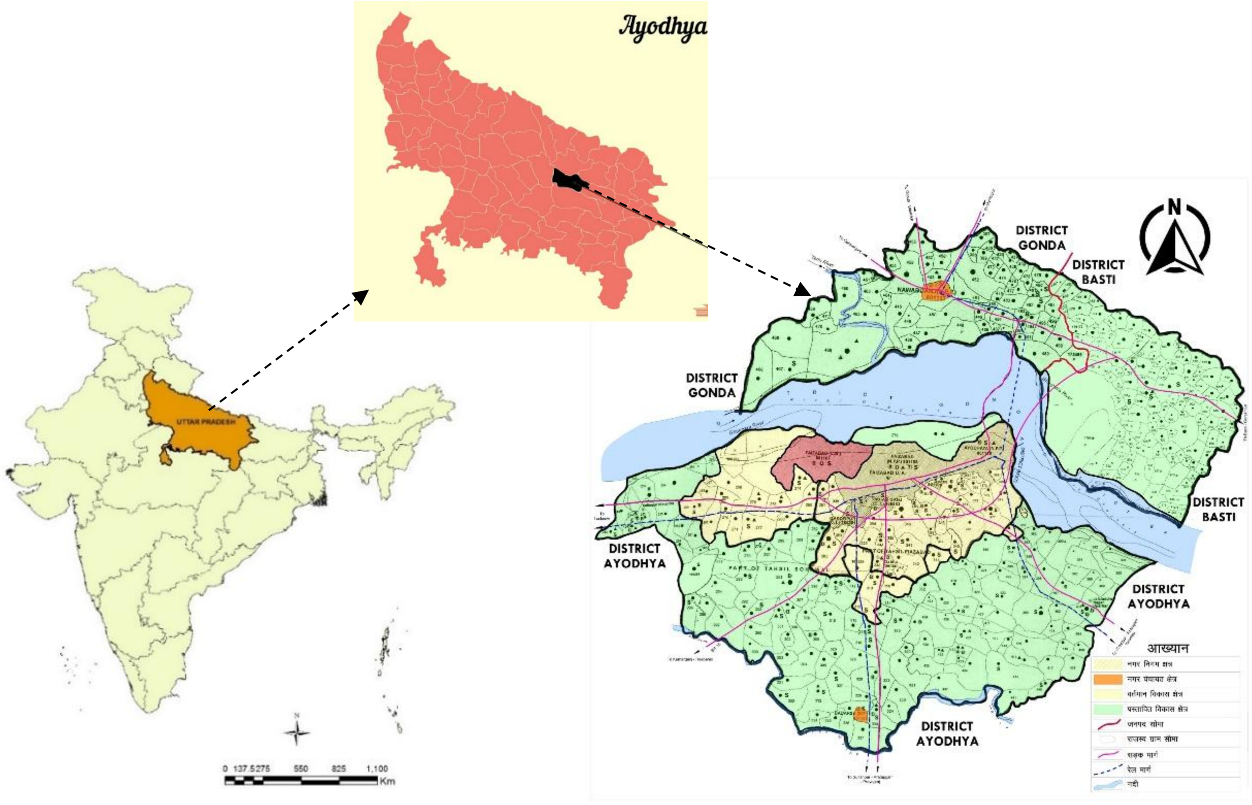

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं क्रमिक विकास

अयोध्या, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले का एक नगर और जिले का मुख्यालय है। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे 'अयोध्या' का नाम दिया जिसका अर्थ होता है अ–युध्य अर्थात् जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। इसे 'कोसल जनपद' भी कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी/रघुवंशी/अर्कवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान् श्री राम ने अवतार लिया। हिन्दुओं की मान्यता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्मस्थान पर एक भव्य मन्दिर विराजमान था ।

ऐतिहासिक रूप से अयोध्या भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है और इसका विवरण प्राचीन हिंदू साहित्य में भी देखा जा सकता है। अयोध्या कोशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। कहा जाता है कि कोशल वंश में लगभग 125 राजा शामिल थे, जिनमें से 90 ने महाभारत के अंत से पहले तक शासन किया था।

बौद्ध काल (5वीं–6वीं शताब्दी ईसा पूर्व) में श्रावस्ती इस राज्य का प्रमुख शहर बन गया। विद्वान आम तौर पर सहमत हैं कि अयोध्या साकेत शहर के समान है, जहां कहा जाता है कि बुद्ध ने एक समय निवास किया था । बौद्ध केंद्र के रूप में इसके महत्व का अंदाजा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी बौद्ध भिक्षु फैक्सियन के इस बयान से लगाया जा सकता है कि वहां 100 मठ थे (फैक्सियन का तात्पर्य शायद सटीक संख्या से नहीं था, बल्कि कुछ मठ होने से था) ।

पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं कि वर्तमान अयोध्या की साइट 5 वीं या 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक एक शहरी बस्ती के रूप में विकसित हो गई थी। साइट को प्राचीन साकेता शहर के स्थान के रूप में पहचाना जाता है, जो संभवतः दो महत्वपूर्ण सड़कों, श्रावस्ती–प्रतिष्ठान उत्तर–दक्षिण सड़क और राजगृह–वाराणसी–श्रावस्ती–तक्षशिला पूर्व–पश्चिम सड़क के जंक्शन पर स्थित एक बाजार के रूप में उभरा। इस अवधि के दौरान, शहर वाणिज्यिक राजधानी और तीर्थ स्थान बन गया। गुप्त काल के दौरान, साकेत को इक्ष्वांकु वंश की राजधानी अयोध्या के पौराणिक शहर के रूप में मान्यता दी गई थी।

वर्ष 1226 ईसा पूर्व में नवाबों ने कई खूबसूरत इमारतों के साथ अयोध्या की शोभा बढ़ाई, उनमें से गुलाब बाड़ी, मोती महल और बहू बेगम का मकबरा उल्लेखनीय हैं। गुलाब बाड़ी वास्तुकला की एक सुंदर इमारत है, जो एक दीवार से घिरे बगीचे में खड़ी है, दो बड़े प्रवेश द्वारों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ये इमारतें अपनी समेकित स्थापत्य शैली के लिए विशेष रूप से दिलचस्प हैं। शुजा–उद–दौला की पत्नी प्रसिद्ध बहू बेगम थीं, जिन्होंने 1743 में नवाब से शादी की थी और उनका निवास मोती–महल था। जवाहरबाग में मोती महल के पास उनका मकबरा है, जहां उन्हें 1816 में उनकी मृत्यु के बाद दफनाया गया था। इसे अवध में अपनी तरह की बेहतरीन इमारतों में से एक माना जाता है, जिसे उनके मुख्य सलाहकार द्वारा तीन लाख रुपये की लागत से बनाया गया था। दरब अली खान बेगम के मकबरे के ऊपर से शहर का नजारा देखा जा सकता है। बहू बेगम मर्यादा धारण करने वाली महान विशिष्ठ और पदवी महिला थीं। अयोध्या की अधिकांश इस्लामी इमारतों का श्रेय उन्हीं को जाता है। 1816 में बहू बेगम की मृत्यु की तारीख से अवध के विलय तक, अयोध्या शहर धीरे–धीरे क्षय में गिर गया। नवाब आसफ–उद–दौला द्वारा राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित करने के साथ ही अयोध्या की महिमा पर ग्रहण लग गया। अयोध्या बीज से तेल निकालने, चीनी रिफाइनरियों और मिलों का स्थान है। प्राचीन काल में

अयोध्या में बस्तियाँ रामकोट, वशिष्ठ कुंड, चक्र तीर्थ और निर्मोचन घाट क्षेत्र तक सीमित थीं। हालाँकि, मुस्लिम सम्राटों के शासनकाल के दौरान, अयोध्या का विकास गोलाघाट, लक्ष्मण किला, स्वर्गद्वार, तुलसी चौराहा, हनुमान गढ़ी और कटरा तक बढ़ा।

ब्रिटिश काल में अयोध्या को रामगंज, श्रृंगार हाट, अयोध्या रेलवे स्टेशन, प्रमोद वन, तुलसी बाग, छोटी छावनी आदि तक विकसित किया गया था।

आजादी के बाद भी अयोध्या में कोई बड़ा विकास नहीं देखा गया। अयोध्या में विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी और स्थिर गति से विकसित हुई। रामचरित मानस, जानकी महल, श्री राम चिकित्सालय, साकेत महाविद्यालय, वाल्मीकि भवन, साकेत पथिक निवास जैसे क्षेत्रों में विकास देखा गया और 1965 में सरयू नदी पर पुल का विकास किया गया।

1.3 क्षेत्रीय स्थिति एवं संपर्क

अयोध्या मण्डल के विभिन्न नगरो में अयोध्या नगर एक महत्वपूर्ण नगर है। अयोध्या नगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और देश की राजधानी दिल्ली से क्रमशः 135, 200, 170, 134 एवं 636 किमी0 की दूरी पर गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर एवं आजगढ़ के मध्य स्थित है। रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। 600 एकड़ भूमि अधिग्रहित करके यहां एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। अयोध्या लखनऊ से लगभग 135 कि0मी0, वाराणसी से 200 कि0मी0, प्रयागराज से 170 कि0मी0, गोरखपुर से 134 कि0मी0 और दिल्ली से लगभग 636 कि0मी0 दूर है।

अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन अयोध्या विकास क्षेत्र का प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जो अयोध्या नगर को देश के विभिन्न प्रमुख नगरों से जोड़ता है.। आचार्य नरेंद्र देव नगर स्टेशन अयोध्या पहुँचने का दूसरा विकल्प है। यह छोटा सा स्टेशन शहर के बीचों–बीच 'चौक के पास' स्थित है।

1.4 भौगोलिक स्थिति

अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग–27 अयोध्या नगर से होकर गुजरता है। अयोध्या का तलरूप कछारी मिट्टी, रेत, बजरी से बना है। पहाड़ पठार और अन्य भोगोलिक उभार नहीं है क्योंकि यह सरयू के मैदान में है। नगर की सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। अयोध्या 93 मीटर की ऊंचाई पर है। पीने योग्य पानी 30 मीटर गहराई पर उपलब्ध है। अच्छी मिट्टी 1.5 मीटर से 2.0 मीटर गहराई पर उपलब्ध है जिसमें एसबीसी लगभग 19 टन/वर्गमीटर है। शहर के तीन जलाशयों में बारिश का पानी जमा होता है। सरयू नदी हर दशक में अपना मार्ग बदलती है, जिससे जलमग्न क्षेत्र की स्थिति बदलती रहती है । नदी बारहमासी है, साल भर पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है।

मानचित्र 1.1 क्षेत्रीय सम्बद्धता

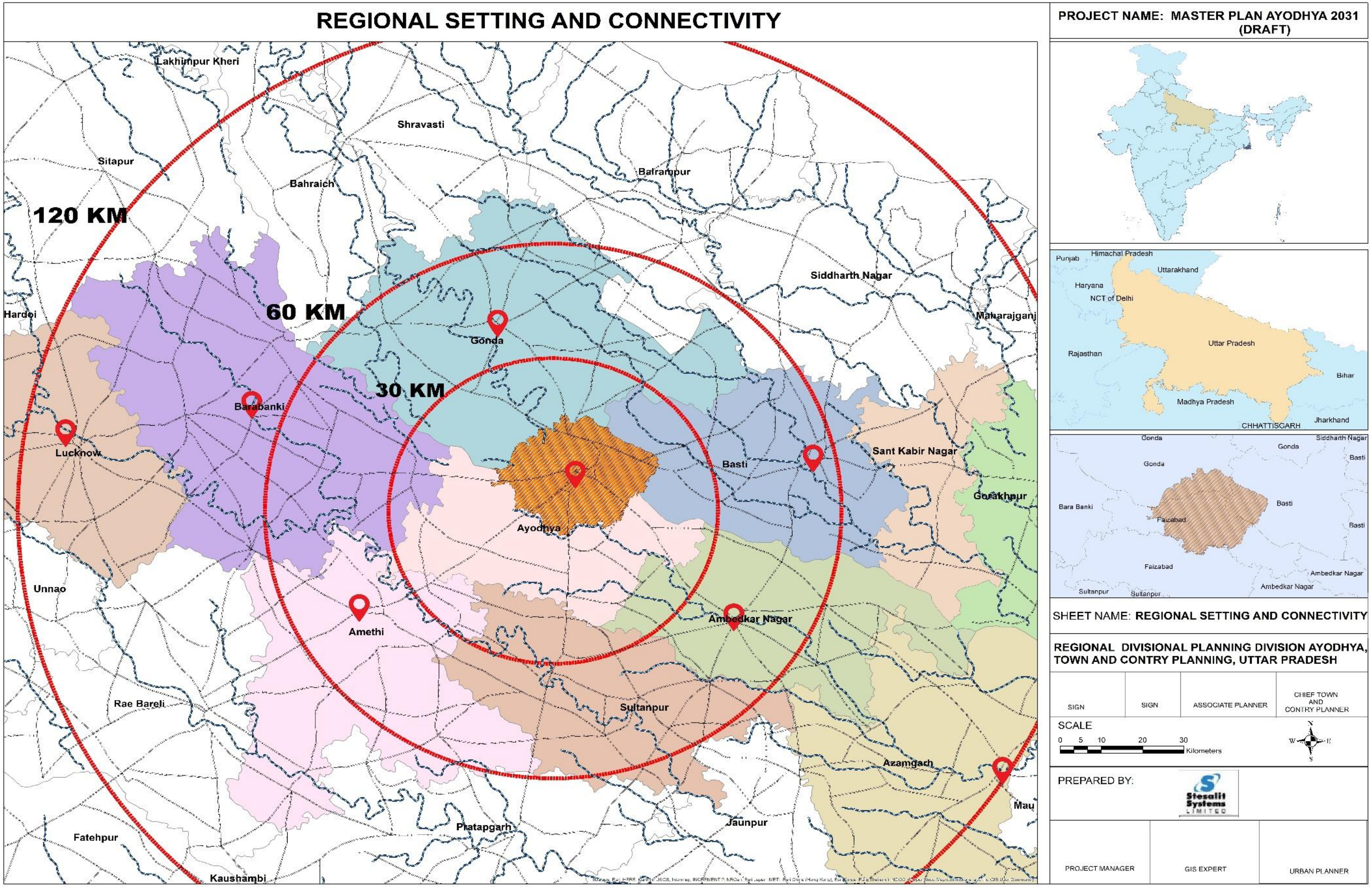

1.5 जलवायु

अयोध्या में शीतोष्ण मानसूनी जलवायु का प्रभाव पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक वर्षा ऋतु , जुलाई से अक्टूबर तथा शीत ऋतु नवम्बर से फरवरी तक रहती है, ग्रीष्म ऋतु लंबी, शुष्क और गर्म होती है, जो मार्च के अंत से जून के मध्य तक चलती है, औसत दैनिक तापमान 32 सेल्सियस के आस–पास होता है। इसके बाद मानसून का मौसम आता है जो अक्टूबर तक रहता है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1,067 मिमी (42.0 इंच) होती है। तापमान 28 सेल्सियस के आसपास रहती है। सर्दी नवंबर की शुरुआत में शुरू होती है और जनवरी के अंत तक चलती है, इसके बाद फरवरी और मार्च की शुरुआत में एक छोटा वसंतकाल होता है। औसत तापमान कम होता है, 16 सेल्सियस के करीब, लेकिन रातें ठंडी हो सकती है, जो मध्य भारत की विशिष्टता है।

तालिका 1.1 जलवायु

क्रमांक	नगर का नाम	वर्षा (मिमी में)	तापमान (सेंटीग्रेड में)	
			अधिकतम	न्यूनतम
1	अयोध्या विकास क्षेत्र	903.5	46	7

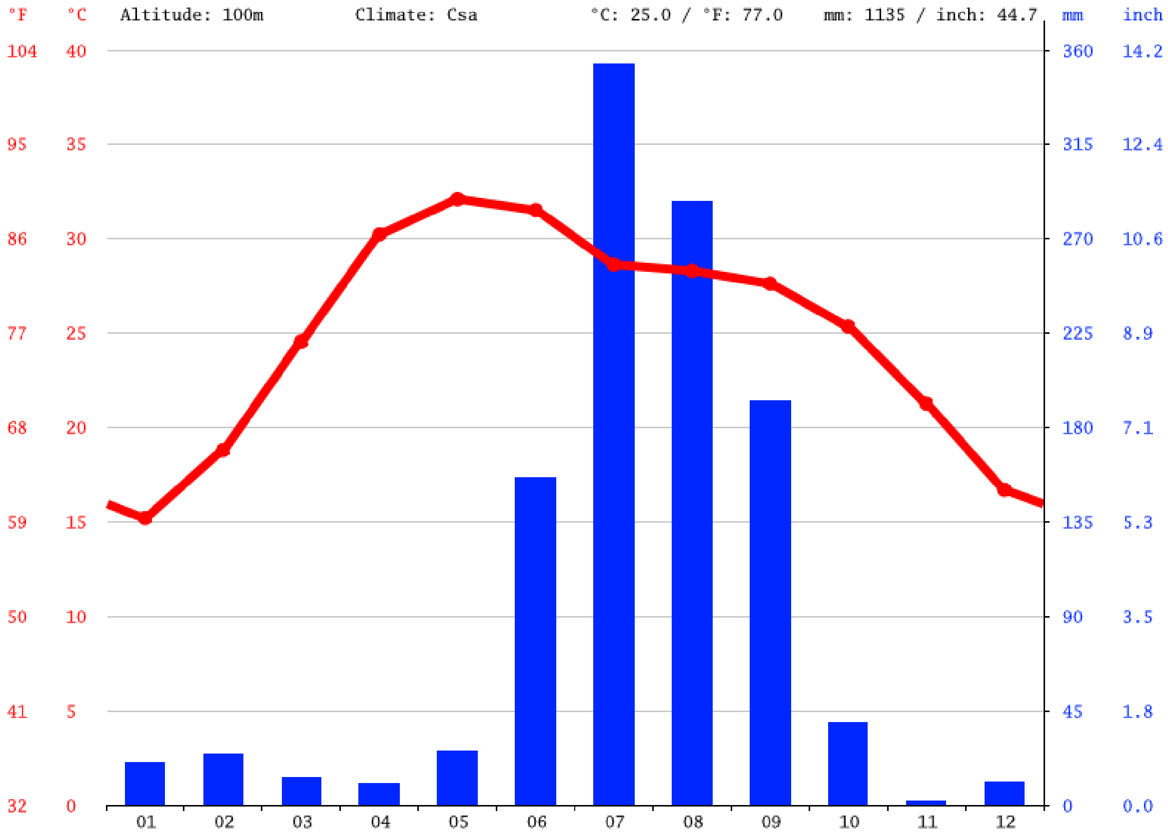

1.6 मेला एवं त्योहार

1.6.1 राम लीला

माना जाता है कि राम लीला अर्थात भगवान राम की कथा का मंचन महान संत तुलसीदास द्वारा शुरू किया गया था। उनके द्वारा लिखित रामचरितमानस राम लीला के मंचन का आधार है। कुछ स्थानों पर, राम लीला सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में विजयदशमी पर्व और भगवान राम के जन्मदिन राम नवमी के साथ भी सम्पन्न होती है।

रामलीला आज भी 7 से 31 दिनों की कथा के साथ प्रस्तुत की जाती है। राम लीला का मंचन उत्सव का वातावरण पैदा करता है और धार्मिक संस्कारों के अनु पालन को संभव बनाता है। यह पोशाक, गहने, मास्क, मुकुट जैसे शिल्पों का समृद्ध प्रदर्शन दिखलाती है। इस त्योहार के दौरान 1.5 लाख से 2.0 लाख लोग शहर में आते हैं ।

राम लीला की चार मुख्य शैलियाँ हैंः मूलकथा से जुड़ी झाँकी या झाँकी प्रतियोगिता की प्रधानता वाली शैली; बहु–स्थानीय मंचन वाली संवाद–आधारित शैली; ऑपरेटिव शैली जो क्षेत्र के लोक संगीत नाट्य के संगीत तत्वों से समृद्ध होती है और मंडली पेशेवर नाट्य मंडलियों द्वारा मंचित प्रदर्शन।

अयोध्या मंडली रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। प्रदर्शन संवाद आधारित होता है और मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रदर्शन को गीतों और कथक नृत्यों और आकर्षक सजावट से उच्च स्तरीय बनाया जाता है।

1.6.2 राम नवमी मेला

अयोध्या में अप्रैल के महीने में राम नवमी महोत्सव का आयोजन होता है। कनक भवन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान की पूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस त्योहार के दौरान 1.0 लाख से 2.0 लाख लोग शहर में आते हैं ।

1.6.3 श्रावण झूला मेला

यह मेला देवताओं की क्रीड़ाप्रियता का उत्सव है। श्रावण की दूसरे पक्ष के तीसरे दिन, देवताओं (विशेषकर राम, लक्ष्मण और सीता की) की छवियों को मंदिरों में झूलों में सजाया जाता है। उन्हें मणि पर्वत पर भी ले जाया जाता है, जहां मूर्तियों को पेड़ों की शाखाओं से लटके झूलों में झुलाया जाता है। बाद में सभी देवी–देवताओं को मंदिरों में वापस ले जाया जाता है। यह मेला श्रावण मास के अंत तक चलता है। इस त्योहार के दौरान 15 दिनों में 4 लाख से 5 लाख लोग शहर में आते हैं ।

1.6.4 परिक्रमा

अयोध्या भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थानों में से एक है जहां हिंदू तीर्थयात्रियों द्वारा चौदह कोसी एवं पंच कोसी परिक्रमा की जाती है। ये महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की परिक्रमाएं हैं और अलग–अलग अवधि की हैं, सबसे छोटी अंतरग्रही परिक्रमा होती है जिसे एक दिन के भीतर पूरा करना होता है। सरयू में डुबकी लगाने के बाद, भक्त नागेश्वरनाथ मंदिर से परिक्रमा शुरू करते हैं और राम घाट, सीता कुंड, मणिपर्वत और ब्रह्म कुंड से होते हुए अंत में कनक भवन में समाप्त करते हैं।

चौदह कोसी परिकर्मा वर्ष में एक बार अभयनवमी के अवसार पर की जाती है। यह 28 मील के चक्रवार पथ में 24 घंटे क भीतर सम्पन्न की जाती है। इस दिन लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं।

चौरासी कोसी परिक्रमा पथ, पथ का प्रमुख भाग अयोध्या विकास क्षेत्र के बाहर पड़ता है। यह 168 मील है और इसे करने में 15 से 20 दिन लगते हैं।

अध्याय 2: महायोजना की आवश्यकता

2.1 विकास क्षेत्र

अयोध्या नगर के अनियोजित विकास को नियंत्रित करने एवं सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने सर्वप्रथम फैजाबाद नगर पालिका परिषद तथा अयोध्या नगर पालिका परिषद का क्षेत्र एवं उससे संलग्न 65 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए आवास विभाग के शासनादेश संख्या 2816/37–3–45 एन. के. वि./78 लखनऊ, दिनांक 17.12.1979 द्वारा फैजाबाद–अयोध्या विनियमित क्षेत्र घोषित किया ।

अयोध्या नगर की प्रथम महायोजना–2001 को शासनादेश संख्या 5638/37–3–84–47एन.के.वी. /81 द्वारा दिनांक 05.12.1984 को स्वीकृत किया गया ।

अधिसूचना सं0 4490/11–5–85–99–डी0ए0–78 दिनांक 02/11/1985 द्वारा नगर पालिका परिषद फैजाबाद एवं नगर पालिका परिषद अयोध्या के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तथा 65 ग्रामों को सम्मिलित करते हुये अयोध्या–फैजाबाद विकास क्षेत्र का गठन किया गया जिसका क्षेत्रफल 133.67 वर्ग किमी था।

शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 430/आठ–10–20–15 ई/2011 दिनांक 15 दिसंबर 2020 व शासनादेश संख्या 710/आठ–10–25–15ई0/2011 दिनांक 29.08.2025 द्वारा अयोध्या विकास क्षेत्र में नगर निगम अयोध्या, नगर पंचायत क्षेत्र भरतकुंड–भदरसा जिला–अयोध्या, नगर पालिका परिषद क्षेत्र नवाबगंज जिला–गोण्डा तथा 353 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 766.39 (जी0.आई0.एस0.के अनुसार) वर्ग किलो मीटर है।

पूर्व अधिसूचित विकास क्षेत्र 133.67 वर्ग किलो मीटर की जी0.आई0.एस0. आधारित महायोजना–2031 को भाग–क के रूप में शासनादेश संख्या 2999/8–3099/499/2021 द्वारा दिनांक 08.12.2022 को स्वीकृत किया गया तथा शेष 632.72 वर्ग किलो मीटर विकास क्षेत्र की जी.आई.एस. आधारित महायोजना भाग–ख के रूप में तैयार किये जाने हेतु शासन स्तर से निर्देश दिये गये। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पूर्व स्वीकृत अयोध्या महायोजना–2031 भाग–क एवं कंसलटेंट द्वारा तैयार की गयी अयोध्या महायोजना–2031 भाग–ख को संयुक्त कर अयोध्या महायोजना–2031 के रूप में 87वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19.06.2025 के क्रम में शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है।

2.2 नगरीय विकास

नगर का अधिकतर विस्तार अयोध्या–आजमगढ़, अयोध्या–प्रयागराज, अयोध्या–रायबरेली और अयोध्या–लखनऊ जैसे मुख्य मार्गों के किनारे हुआ है। शहर से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ और गोरखपुर को इस नगर से जोड़ता है। नगर के अंदर विकास की संतृप्तता के कारण इस नगर का विकास अन्य नगरों से सम्बद्ध मुख्य मार्गों के किनारे हो रहा है। इन क्षेत्रों में विकास की संभावनायें सर्वाधिक हैं । दशकवार विकास की दिशा निम्नवत् है :–

2.2.1 अयोध्या– अम्बेडकर नगर मार्ग

इस सड़क के साथ विकास गतिविधियां इस सड़क पर स्थित हवाई अड्डे के कारण औसत हैं। पुराने विकास को छोड़कर, प्रतिबंधों के कारण नए विकास को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

2.2.2 अयोध्या–प्रयागराज मार्ग

हायर सेकेंडरी स्कूल, चीनी मिल, कार्ड बोर्ड फैक्ट्री और कृषि फार्म आदि की उपस्थिति के कारण इस सड़क के किनारे शहर का विकास हुआ है।

2.2.3 अयोध्या–रायबरेली मार्ग

कृषि उत्पादन बाजार, औद्योगिक क्षेत्र के कारण इस सड़क के किनारे विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं।

2.2.4 अयोध्या–लखनऊ मार्ग

इस सड़क के साथ किनारे सर्वाधिक विकास हो रहा है और औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास प्रमुखतः इसी सड़क के किनारे हुआ है ।

राम मन्दिर के निर्माण के दृष्टिगत अयोध्या एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, इसलिए नए अयोध्या के लिए प्रभावी योजना बनाना आज की जरूरत है। प्राधिकरण क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, आतिथ्य और होटल प्रबंधन संस्थान, स्टार होटल, कला और शिल्प केंद्र, कन्वेंशन सेंटर, पुनर्वास केंद्र के विकास के लिए अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता है, जिस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया। विकास क्षेत्र के विस्तार उपरान्त अयोध्या–गोरखपुर मार्ग, अयोध्या–नवाबगंज मार्ग, अयोध्या–अम्बेडकर नगर मार्ग पर व्यावसायिक एवं आवासीय गतिविद्याएँ विकसित हो रही है।

2.3 अयोध्या महायोजना–2001 एवं महायोजना–2031

अयोध्या नगर के सुनियोजित विकास के लिए उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2816/37–3–45एन.के.वी/78 लखनऊ दिनांक 17 दिसंबर, 1979 द्वारा फैजाबाद नगर पालिका परिषद तथा अयोध्या नगर पालिका परिषद का क्षेत्र एवं उससे संलग्न 65 राजस्व गांवों को सम्मिलित करते हुये अयोध्या विनियमित क्षेत्र घोषित किया था। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 के अधीन उपरोक्त अयोध्या विनियमित क्षेत्र को अधिसूचना संख्या 4490/11–5–85– 99 डी.ए./78 लखनऊ, दिनांक 02 नवंबर, 1985 द्वारा अयोध्या विकास क्षेत्र घोषित किया गया।

अयोध्या नगर की प्रथम महायोजना–2001 को शासनादेश संख्या 5638/37–3–84–47एन.के.वी./81 लखनऊ दिनांक 05.12.1984 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। अमृत योजनान्तर्गत अयोध्या विकास क्षेत्र की पुनरीक्षित महायोजना 2031(भाग –क) के रूप में शासन द्वारा स्वीकृत की गयी जो वर्तमान में प्रभावी है तथा विस्तारित क्षेत्र की जी0.आई0.एस0. आधारित महायोजना(भाग–ख) के रूप में तैयार किये जाने हेतु शासन स्तर से निर्देश दिये गये। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पूर्व स्वीकृत अयोध्या महायोजना–2031 भाग–क एवं कंसलटेंट द्वारा तैयार की गयी अयोध्या महायोजना–2031

चित्र 2.1 अयोध्या विकास क्षेत्र

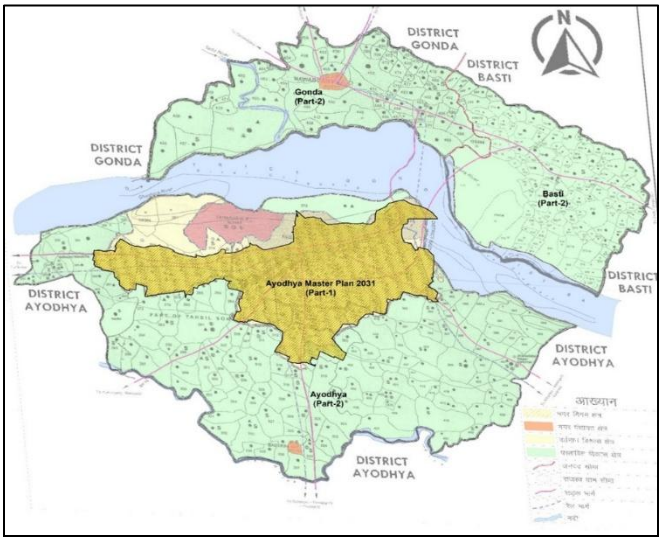

भाग–ख को संयुक्त कर अयोध्या महायोजना–2031 के रूप में शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है।

2.4 विस्तारित क्षेत्र की महायोजना तैयार किये जाने की आवश्यक्यता

सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगर का धार्मिक पर्यटन हेतु महत्वपूर्ण स्थान है। राम मंदिर निर्माण एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण प्रारंभ होने के फलस्वरूप अयोध्या नगर भविष्य में विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित होने की क्षमता रखता है। अयोध्या विकास क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्र में राम मन्दिर के निर्माण के पश्चात इन्वेस्टर समिट एवं पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तावित है, जिनको पृथक से मानचित्र तैयार मानचित्र संख्या 2.2 पर दर्शया गया है। तदक्रम में भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 आधारित अयोध्या महायोजना–2031 (भाग–ख) नगर एवं ग्राम नियोंजन विभाग उत्तर प्रदेश एवं अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के निर्देशन में कन्सल्टेन्ट के माध्यम से तैयार कराने का निर्णय लिया गया।

दीर्घकालीन महायोजना का उद्देश्य नगरीय क्षेत्र के समग्र विकास हेतु भावी जनसंख्या एवं नगरीय क्रियाओं के लिए नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि का यथासम्भव सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयोग करने के दृष्टिकोण से एक विस्तृत भू–उपयोग योजना, नीतियॉ एवं विकास कार्यक्रम तैयार करना है। उक्त सामान्य एवं व्यापक स्तरीय उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अयोध्या महायोजना–2031 के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है।

- वर्तमान में हो रहे अनियोजित निर्माणों को नियोजित कर भावी विकास को सुनियोजित दिशा प्रदान करना।
- अयोध्या नगर तथा उससे सटे वाह्य क्षेत्र में हो रहे अनियोजित एवं अनियंत्रित निर्माण को नियंत्रित कर भावी विकास हेतु नियोजित दिशा प्रदान करना।
- विस्तारित विकास क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न भू–उपयोगों के लिए पर्याप्त भूमि के क्षेत्रफल को निर्धारित कर विभिन्न भू–उपयोगों के क्रियात्मक संबंधों के आधार पर नगर के भावी भौतिक विकास के स्वरूप के अनुसार नगर में विभिन्न भू–उपयोगों के युक्तिसंगत प्रस्ताव करना।
- विस्तारित विकास क्षेत्र के आन्तरिक विकसित/विकासशील एवं वाह्य अर्द्धविकसित/अविकसित क्षेत्र के मध्य यातायात के सुगम एवं निर्बाध संचालन हेतु मार्ग संरचना विकसित करना
- अयोध्या के सन्तुलित विकास हेतु विभिन्न आय–वर्गों के लिए आवासीय व विभिन्न क्षेत्र के सामुदायिक सुविधाओं, उपयोगिताओं व सेवाओं का प्राविधान करना।
- विस्तारित विकास क्षेत्र में विद्यमान ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, नदी, एवं जलाशयों आदि को संरक्षित करना तथा नागरिकों को संतुलित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु पार्क एवं खुले स्थलों का समुचित प्रस्ताव करना।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास नीतियों के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु समुचित प्राविधानों का प्रस्ताव करना।
- अयोध्या को विश्वस्तरीय धार्मिक नगर के रूप में विकसित किये जाने तथा अयोध्या विजन–2047 के उद्देशो के दृष्टिगत प्रस्ताव तैयार करना।

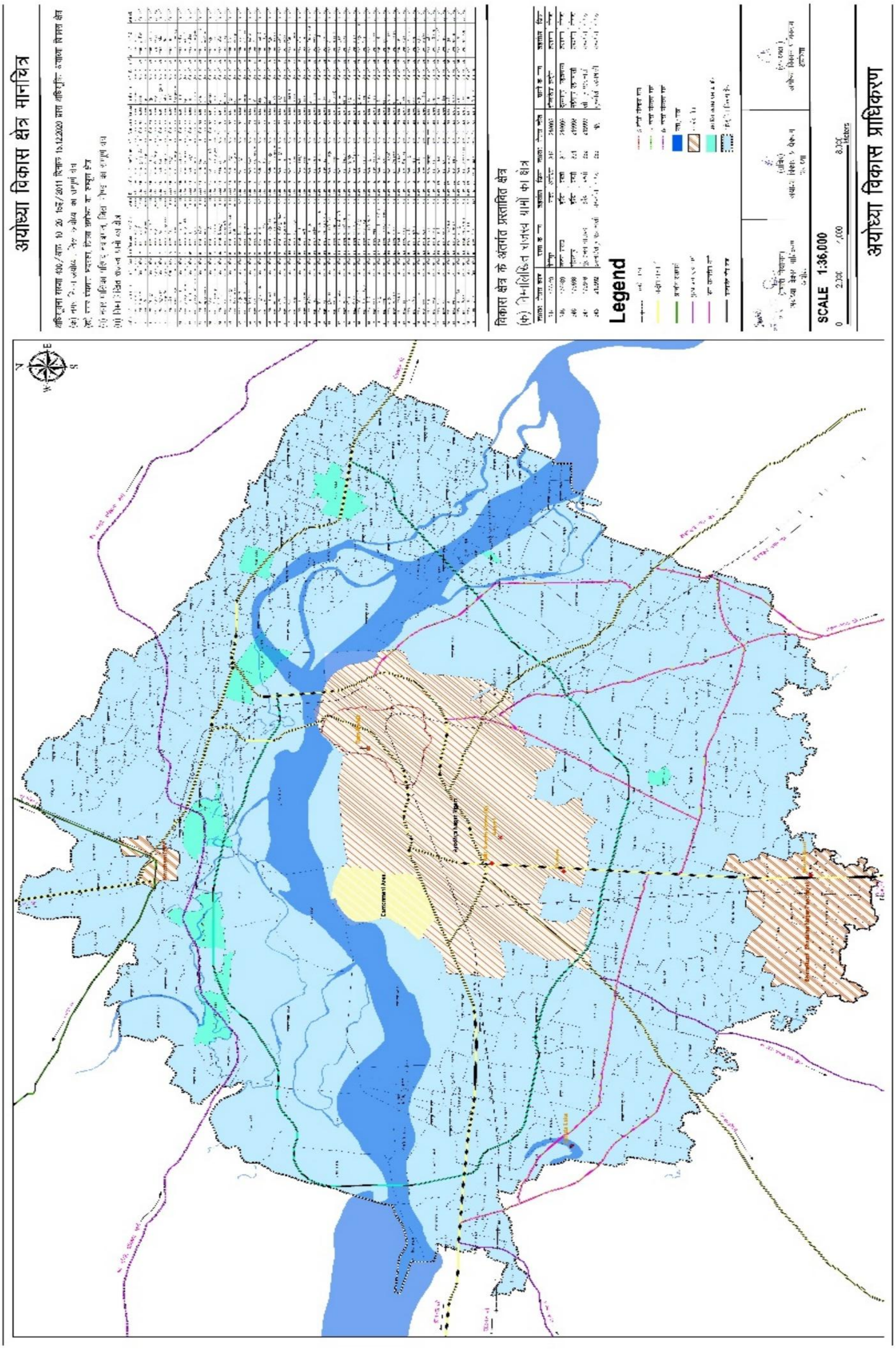

मानचित्र 2.1 अयोध्या विकास क्षेत्र मानचित्र

मानचित्र 2.2 पंजीकृत परियोजनाएं

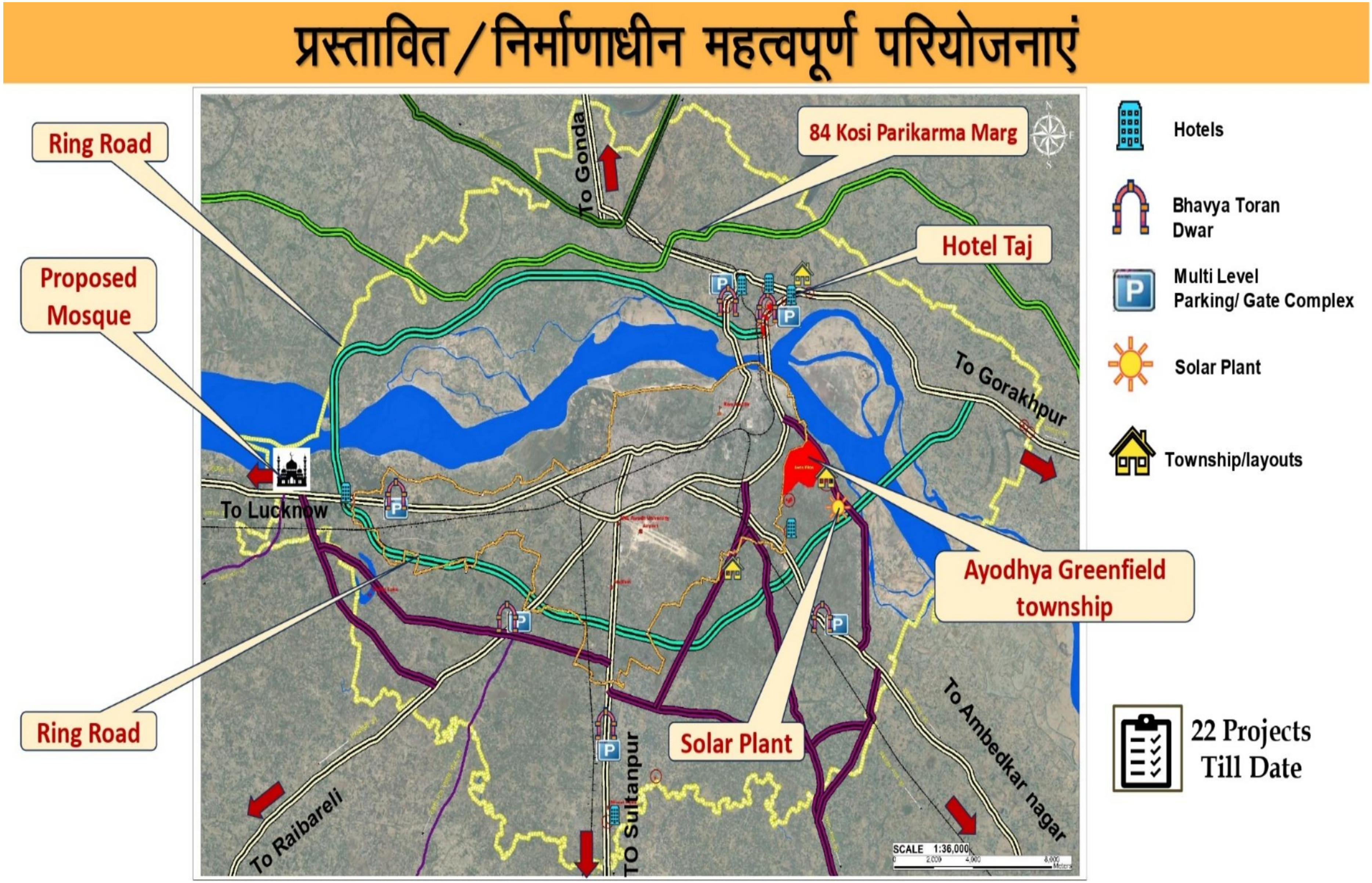

अध्याय 3: वर्तमान अध्ययन

3.1 जनसंख्या

किसी भी क्षेत्र की महायोजना (भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की संतुलित रूप रेखा) तैयार करने के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। नियोजन अवधि के अन्तर्गत जनसंख्या के आकार एवं विशिष्टताओं का सही अनुमान लगाने के लिए वर्तमान जनसंख्या का अध्ययन मुख्य आधार होता है। इस अध्ययन के आधार पर ही नगरीय क्षेत्र का भावी आकार एवं विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि एवं अन्य सुविधाओं आदि की आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में पूर्व स्वीकृत अयोध्या महायोजना–2031 भाग–क एवं कंसलटेंट द्वारा तैयार की गयी अयोध्या महायोजना–2031 भाग–ख को संयुक्त जनसंखया से सम्बन्धित विस्तृत अध्ययन किया गया है तथा योजना काल में नगर के भावी आकार एवं आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है।

तालिका 3.1 अयोध्या के विकास क्षेत्र की जनसंखया जनगणना 2011 के अनुसार

अयोध्या विकास क्षेत्र की जनसंख्या				
क्र. सं.	**क्षेत्रफल**	**1991**	**2001**	**2011**
1	अयोध्या नगर निगम	221481	281267	325535
2	नगर पंचायत भरतकुंड भदरसा*	21469	30862	36423
3	नगर पालिका परिषद नवाबगंज	13750	16096	17314
4	खिरौनी (सुचित्तागंज) नगर पंचायत (3 राजस्व ग्राम)	5296	6732	8343
5	ग्रामीण क्षेत्र	333804	402263	485990
	कुल जनसंख्या	**5,95,800**	**7,37,220**	**8,73,605**

*****_विस्तारित नगर पंचायत क्षेत्र के अनुसार जनसँख्या_
स्रोतः जनपद जनगणना हस्तपुस्तिका 2011

महायोजना अयोध्या–2031 में अयोध्या, बस्ती और गोंडा जिलों के कुल 353 राजस्व ग्रामों को विकास क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिसमे अयोध्या नगर निगम (अयोध्या नगर पालिका, फैजाबाद नगर पालिका एवं 44 राजस्व ग्राम), भरतकुंड–भदरसा नगर पंचायत, नवाबगंज नगर पालिका परिषद एवं नवसृजित खिरौनी (सुचित्तागंज) नगर पंचायत के तीन राजस्व ग्राम भी सम्मिलित हैं। भावी जनसंख्या वृद्धि एवं नगर विकास की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्र एवं राजस्व ग्रामों को नियोजन की दृष्टि से अयोध्या महायोजना 2031 में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2011 में नगरीय क्षेत्र (यथा अयोध्या नगर निगम, नगर पंचायत भरतकुंड भदरसा, नगर पालिका परिषद नवाबगंज एवं नवसृजित खिरौनी (सुचित्तागंज) नगर पंचायत के तीन राजस्व ग्राम) की कुल जनसंख्या 3,87,615 है एवं नगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए अयोध्या के विकास क्षेत्र की 2011 में कुल जनसंख्या 4,85,990 है। नवसृजित

खिरौनी सुचित्तागंज नगर पंचायत क्षेत्र की अधिसूचना के अनुसार मुख्य नगरीय क्षेत्र खिरौनी अधिसूचित विकास क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित है, जिस कारण उक्त नगरीय क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन महायोजना प्रतिवेदन मे सम्मिलित नहीं किया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र की जनसंख्या में दशकीय आधार पर 17.40 प्रतिशत की औसत वृद्धि हो रही है, जैसा कि ग्राफ में दर्शाया गया है।

चित्र 3.1 अयोध्या विकास क्षेत्र की दशकवार जनसंख्या वृद्धि (1991–2011)

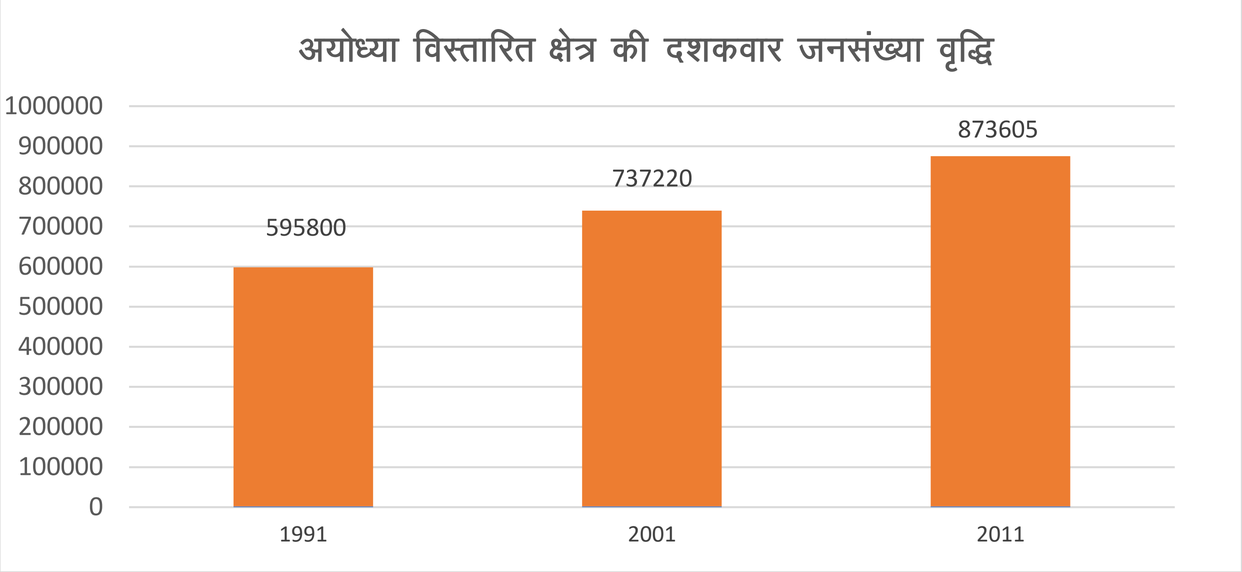

वर्ष 1991–2001 के दशक में अयोध्या नगर निगम की जनसंख्या वृद्धि दर 26.99 प्रतिशत रही, जबकी वर्ष 2001–2011 के दशक में नगर की जनसंख्या वृद्धि दर 15.74 प्रतिशत हो गयी। वहीं नवाबगंज नगर पालिका परिषद् एवं भरतकुंड–भदरसा नगर पंचायत नगर की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.62 व 43.75 प्रतिशत रही, जबकी वर्ष 2001–2011 के दशक में नगर की जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः 9.90 व 18.02 प्रतिशत हो गयी, जिसका मुख्य कारण नगर में मूल भूत सुविधाओं तथा रोजगार के अवसर का ना होना है। नगर की जनसँख्या वृद्धि का विवरण तालिका 3.2 में दर्शित किया गया है।

तालिका 3.2 नगरीय क्षेत्र की जनसँख्या वृद्धि का विवरण

	अयोध्या नगर निगम			नगर पालिका परिषद नवाबगंज			नगर पंचायत भरतकुंड भदरसा		
	1991	**2001**	**2011**	**1991**	**2001**	**2011**	**1991**	**2001**	**2011**
जनसंख्या	221481	281267	325535	16184	19683	21632	21469	30862	36423
वृद्धि दर		**26.99%**	**15.74%**		**21.62%**	**9.90%**		**43.75%**	**18.02%**

स्रोतः जनपद जनगणना हस्तपुस्तिका 2011

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार अयोध्या नगर निगम में कुल 60 वार्ड हैं जिनकी कुल वार्डवार जनसंख्या 3,25,535 है। वार्ड संख्या 8 की जनसंख्या सबसे अधिक है जबकि वार्ड संख्या 24 की जनसंख्या सबसे कम है। अयोध्या नगर निगम का वार्डवार जनसंख्या वितरण नीचे दी गई तालिका 3.3 में दिखाया गया है।

तालिका 3.3 अयोध्या नगर निगम का वार्डवार जनसंख्या वितरण

वार्ड संख्या	कुल घरों की संख्या	कुल जनसंख्या
1	1067	5336
2	1053	5263
3	987	4935
4	1599	7996
5	1285	6423
6	1392	6960
7	1039	5195
8	1908	9540
9	1061	5303
10	1084	5419
11	837	4183
12	958	4790
13	981	4906
14	1064	5319
15	1085	5425
16	1397	6985
17	967	4833
18	1211	6055
19	1151	5754
20	952	4759
21	1141	5705
22	930	4649
23	1055	5275
24	789	3946
25	984	4918
26	960	4798
27	1396	6982
28	952	4761
29	926	4629
30	1024	5120
31	1075	5375

वार्ड संख्या	कुल घरों की संख्या	कुल जनसंख्या
32	921	4603
33	1156	5780
34	1171	5854
35	1076	5379
36	960	4798
37	991	4955
38	994	4968
39	923	4614
40	1099	5496
41	935	4673
42	1101	5505
43	1175	5873
44	956	4781
45	1234	6168
46	1212	6058
47	927	4637
48	1027	5135
49	1155	5774
50	1212	6062
51	1090	5452
52	1236	6179
53	997	4986
54	1114	5568
55	1113	5563
56	1099	5496
57	976	4881
58	1108	5538
59	916	4578
60	929	4644
कुल	**65107**	**325535**

स्रोतः अयोध्या नगर निगम।

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार नवाबगंज नगर पालिका परिषद् में कुल 25 वार्ड हैं जिनकी कुल जनसंख्या 17,314 है और कुल घरों की संख्या 2774 है। वार्ड संख्या 15 की जनसंख्या सबसे अधिक 201 है जबकि वार्ड 18 की जनसंख्या सबसे कम 50 है। नवाबगंज नगर पालिका परिषद का वार्डवार जनसंख्या वितरण नीचे दी गई तालिका 3.4 में दिखाया गया है।

तालिका 3.4 नवाबगंज नगर पालिका परिषद का वार्डवार जनसंख्या वितरण

वार्ड संख्या	कुल घरों की संख्या	कुल जनसंख्या
1	102	634
2	170	1091
3	131	874
4	110	776
5	136	789
6	96	553
7	93	564
8	129	772
9	82	474
10	149	918
11	176	1034
12	105	635
13	102	640
14	63	382
15	201	1169
16	111	814
17	123	770
18	50	295
19	98	612
20	53	342
21	118	656
22	115	801
23	112	707
24	65	489
25	84	523
कुल	**2774**	**17,314**

स्रोतः जनगणना हस्तपुस्तिका।

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार भदरसा नगर पंचायत में कुल 11 वार्ड हैं जिनकी कुल जनसंख्या 13,154 है और कुल घरों की संख्या 1919 है। वार्ड संख्या 03 की जनसंख्या सबसे अधिक 1544 है जबकि वार्ड 04 की जनसंख्या सबसे कम 972 है। भदरसा नगर पंचायत का वार्डवार जनसंख्या वितरण नीचे दी गई तालिका 3.5 में दिखाया गया है।

तालिका 3.5 भदरसा नगर पंचायत का वार्डवार जनसंख्या वितरण

वार्ड संख्या	कुल घरों की संख्या	कुल जनसंख्या
1	179	1331
2	193	1159
3	217	1544
4	169	972
5	166	1040
6	195	1286
7	186	1325
8	178	1219
9	149	1215
10	122	996
11	165	1067
कुल	**1,919**	**13,154**

स्रोतः जनगणना हस्तपुस्तिका।

जनसंख्या के विभिन्न गुणात्मक पहलुओं यथा लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व आदि जनसंख्या अध्ययन के प्रमुख घटक हैं। इन्हीं के आधार पर महायोजना तैयार करने हेतु नगरीय क्षेत्र के लिए विभिन्न सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सकता है तथा श्रम–शक्ति एवं नगर के भावी आर्थिक आधार की रूपरेखा के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

3.1.1 जनसंख्या घनत्व

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 58.85 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है, जो 2001 में 51.78 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था। वहीं वर्ष 2011 की जनगणनानुसार नवाबगंज एवं भदरसा नगरीय क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व क्रमशः 60.71 व 65.59 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है, जो वर्ष 2001 में क्रमशः 56.44 व 56. 76 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. एवं उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी है।

3.2 लिंगानुपात

पुरूषों की जनसंख्या की अपेक्षा नगरीय केन्द्रों में स्त्रियों की जनसंख्या प्रायः कम होती है। अयोध्या नगर निगम का लिंगानुपात वर्ष 2001 में 864 था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 897 हो गया। वहीं नवाबगंज एवं भदरसा नगर का लिंगानुपात वर्ष 2001 में क्रमशः 914 व 970 था जो वर्ष 2011 में बढ़कर क्रमशः 927 व 972 हो गया। जबकि वर्ष 2011 में अयोध्या जनपद का लिंगानुपात 962 एवं अयोध्या के नगरीय क्षेत्र का लिंगानुपात 886 है। वहीं वर्ष 2011 में गोण्डा जनपद का लिंगानुपात 921 एवं गोण्डा के नगरीय क्षेत्र का लिंगानुपात 906 है। जनपद में लिंगानुपात अधिक होने का प्रमुख कारण जनपद से पुरुषों का खाड़ी देशों एवं बड़े शहरों यथा मुम्बई, दिल्ली आदि की ओर प्रव्रजन (माइग्रेशन) है। वर्ष 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 एवं उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। अयोध्या के विकास क्षेत्र का लिंगानुपात नीचे दी गई तालिका 3.6 में दिखाया गया है।

तालिका 3.6 लिंगानुपात

क्र0सं0	वर्ष	क्षेत्र	जनसंख्या	पुरूष	महिला	लिंगानुपात
1	2	3	4	5	6	7
1.	2001	अयोध्या नगर निगम	281267	150896	130371	864
2.		नवाबगंज नगरीय क्षेत्र	16096	8411	7685	914
3.		भदरसा नगरीय क्षेत्र	30862	15664	15198	970
4.		ग्रामीण क्षेत्र	408995	212347	196648	926
5.	2011	अयोध्या नगर निगम	325535	171619	153916	897
6.		नवाबगंज नगरीय क्षेत्र	17314	8986	8328	927
7.		भदरसा नगरीय क्षेत्र	36423	18473	17950	972
8.		ग्रामीण क्षेत्र	494333	251101	240243	957

स्रोतः जनगनणा हस्तपुस्तिका।

3.3 साक्षरता दर

अयोध्या नगर निगम का साक्षरता दर वर्ष 2001 में 63.91 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 71. 12 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2001 में अयोध्या नगर निगम में पुरूष का साक्षरता दर 59.05 एवं महिला साक्षरता दर 40.95 था जो वर्ष 2011 में 55.97 एवं 44.03 प्रतिशत हो गया। वहीं नवाबगंज एवं भदरसा नगर का साक्षरता दर वर्ष 2001 में क्रमशः 63.62 व 44.86 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर क्रमशः 70. 82 व 59.80 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2001 में नवाबगंज एवं भदरसा नगर में पुरूष का साक्षरता दर क्रमशः 57.17 व 62.06 एवं महिला साक्षरता दर 42.83 व 37.94 था जो वर्ष 2011 में बढ़कर पुरूष का क्रमशः 54. 88 व 56.89 एवं महिला साक्षरता दर 45.12 व 43.10 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2011 में अयोध्या जनपद का साक्षरता दर 58.72 प्रतिशत एवं अयोध्या के नगरीय क्षेत्र का साक्षरता दर 71 प्रतिशत है। वहीं वर्ष 2011 में गोण्डा जनपद का साक्षरता दर 48.92 प्रतिशतएवं गोण्डा के नगरीय क्षेत्र का साक्षरता दर 67.03 प्रतिशत है। भारत की साक्षरता वर्ष 2011 में 73.00 प्रतिशत एवं उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.60 प्रतिशत है। अयोध्या विकास क्षेत्र का साक्षरता दर नीचे दी गई तालिका 3.7 में दिखाया गया है।

तालिका 3.7 साक्षरता दर

क्र स.	वर्ष	क्षेत्र	जनसंख्या	साक्षर	साक्षरता दर	पुरूष	पुरूष साक्षरता दर	महिला	महिला साक्षरता दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2001	अयोध्या नगर निगम	281267	179766	63.91	106158	59.05	73608	40.95
2		नवाबगंज नगरीय क्षेत्र	16096	10240	63.62	5854	57.17	4386	42.83

क्र स.	वर्ष	क्षेत्र	जनसंख्या	साक्षर	साक्षरता दर	पुरूष	पुरूष साक्षरता दर	महिला	महिला साक्षरता दर
3		भदरसा नगरीय क्षेत्र	30862	13845	44.86	8593	62.06	5252	37.94
4		ग्रामीण क्षेत्र	408995	176598	43.18	113992	64.55	62606	35.45
5	2011	अयोध्या नगर निगम	325535	231519	71.12	129575	55.97	101944	44.03
6		नवाबगंज नगरीय क्षेत्र	17314	12262	70.82	6729	54.88	5533	45.12
7		भदरसा नगरीय क्षेत्र	36423	21784	59.80	12395	56.89	9389	43.10
8		ग्रामीण क्षेत्र	494333	281766	56.99	164613	58.42	117153	41.58

स्रोतः जनगणना हस्तपुस्तिका।

3.4 कार्यशील जनसंख्या

अयोध्या नगर निगम में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 81229 कामगार कार्यरत थे जो वर्ष 2011 में 102721 हो गये। इस दशक के अन्तराल में कामगारों की संख्या में 26.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 15.74 प्रतिशत थी। वहीं नवाबगंज एवं भदरसा नगर में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 3855 व 12758 कामगार कार्यरत थे जो वर्ष 2011 में बढ़कर क्रमशः 4766 व 11700 हो गये।

वर्ष 2011 में अयोध्या नगर निगम में कुल कामगारों की संख्या में प्राथमिक क्षेत्र में 5.69 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 14.52 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र में 79.79 प्रतिशत कामगार कार्यरत थे। नवाबगंज नगर में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कामगारों की संख्या में प्राथमिक क्षेत्र में 5.73 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 34.14 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र में 60.13 प्रतिशत कामगार कार्यरत थे। वहीं भदरसा नगर में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कामगारों की संख्या में प्राथमिक क्षेत्र में 21.84 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 35.93 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र में 42.23 प्रतिशत कामगार कार्यरत थे।

उक्त से स्पष्ट है कि नगर में कृषक/कृषि कामगारों में कमी आयी है एवं व्यावसायिक कामगरों में तीव्र वृद्धि हुई है। औद्योगिक कामगारों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि की तुलना में कम होना इस तथ्य का सकेत है कि नगर में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

3.4.1 भागीदारी दर

किसी भी नगर का आर्थिक विकास उसकी कार्यशील जनसंख्या की भागीदारी पर निर्भर करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अयोध्या, नवाबगंज एवं भदरसा नगर की क्रमशः 31.55, 27.53 एवं 32. 12 प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक क्रियाओं में शामिल है। अयोध्या नगर निगम में कुल कार्यशील जनसंख्या 102721 है जिसमें पुरुष कार्यशील जनसंख्या 82671 एवं महिला कार्यशील जनसंख्या 20050 है। वहीं नवाबगंज एवं भदरसा नगर में कुल कार्यशील जनसंख्या क्रमशः 4,766 व 11700 है। नवाबगंज एवं भदरसा

नगर में पुरुष कार्यशील जनसंख्या क्रमशः 4,127 व 8,684 है। वहीं नवाबगंज एवं भदरसा नगर में महिला कार्यशील जनसंख्या क्रमशः 639 व 3,016 है।

तालिका 3.8 कार्यबल भागीदारी

क्र0सं0	वर्ष	नगर का नाम	कुल कामगार			गैर कामगार		
			व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2001	अयोध्या नगर	81229	67512	13717	200038	83384	116654
2		नवाबगंज नगर	3855	3475	380	12241	4936	7305
3		भदरसा नगर	12758	7876	4882	18104	7788	10316
4	2011	अयोध्या नगर	102721	82671	20050	222891	88957	133934
5		नवाबगंज नगर	4766	4127	639	12548	4859	7689
6		भदरसा नगर	11700	8684	3016	24723	9789	14934

स्रोतः जनगणना हस्तपुस्तिका 2011

चित्र 3.2 कार्यबल अयोध्या नगर निगम

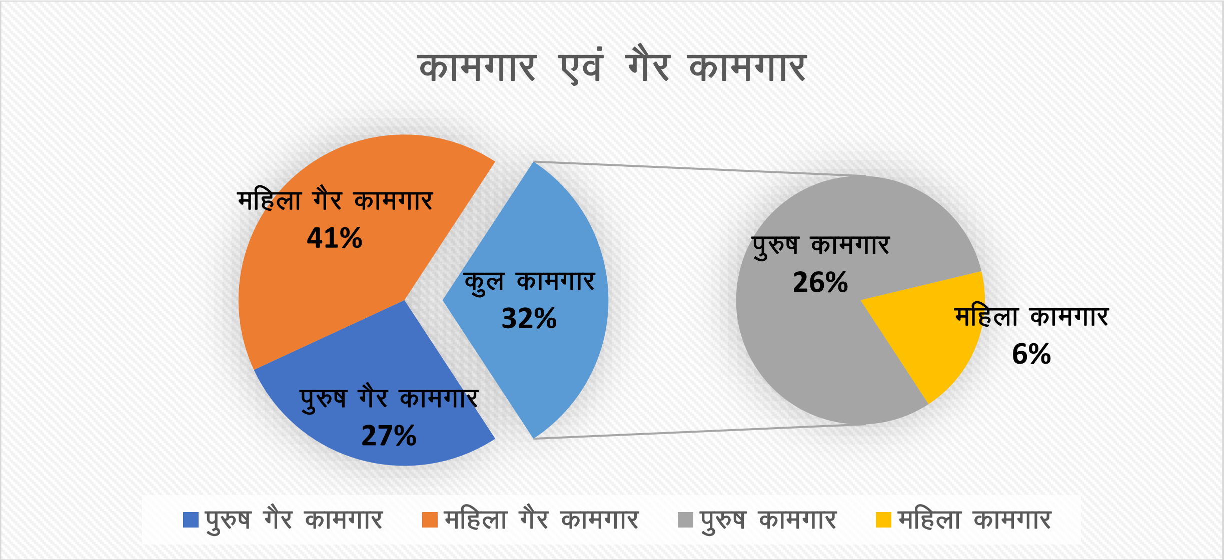

चित्र 3.3 कार्यबल नवाबगंज नगर पालिका परिषद

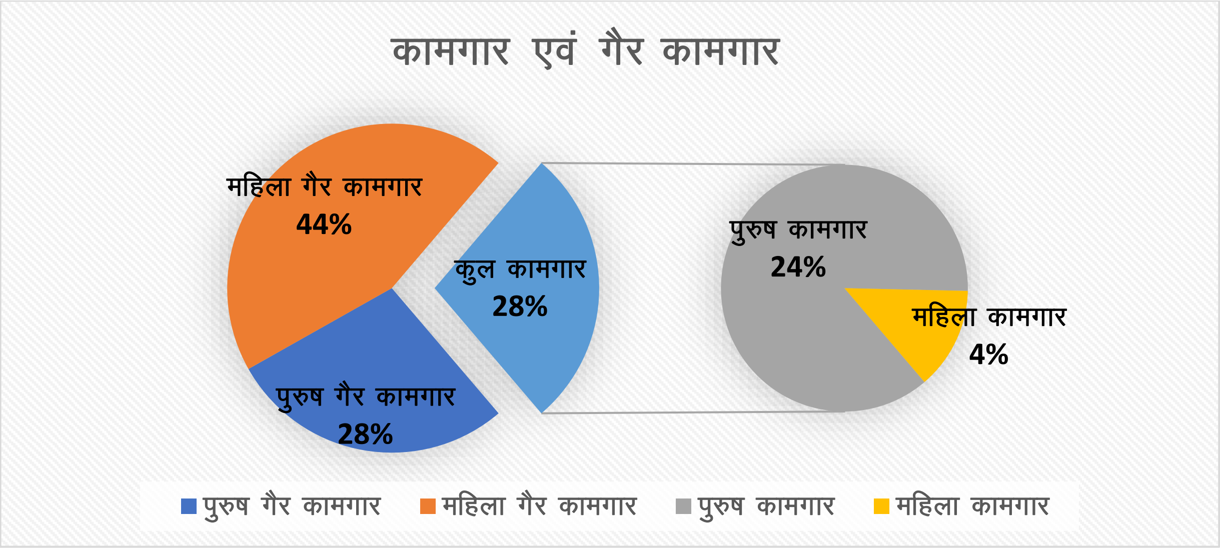

चित्र 3.4 कार्यबल भदरसा नगर पंचायत

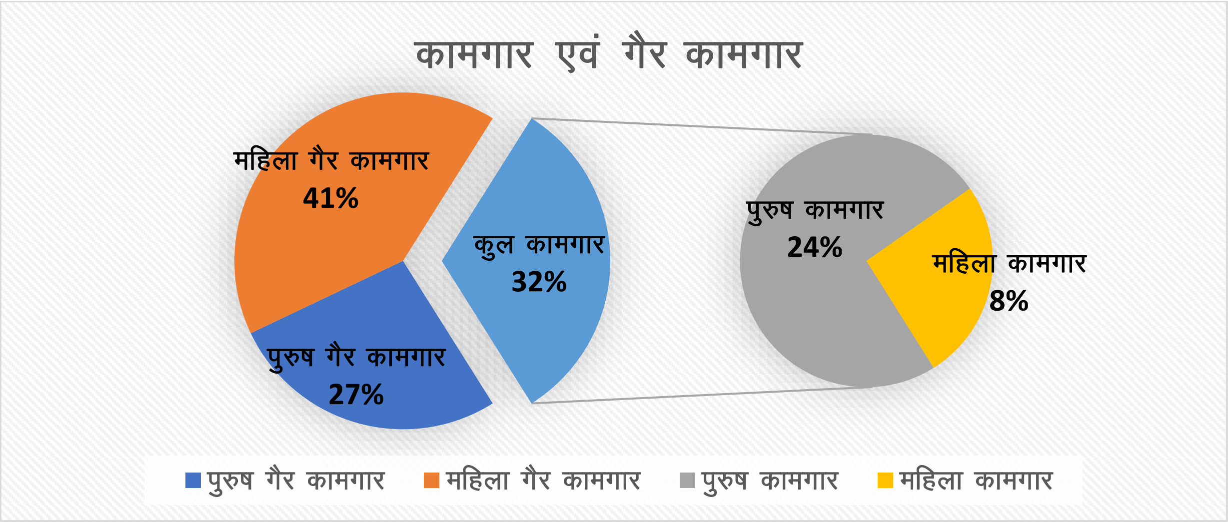

3.5 कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, कामगारों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः—

1 मुख्य कामगार
2 सीमांत कामगार
3 गैर कामगार

मुख्य कामगार के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो वर्ष के दौरान 183 दिनों (या छह महीने) या उससे अधिक के लिए किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में लगे हुए हैं। सीमांत श्रमिक वे हैं जिन्होंने गणना से पहले के वर्ष में किसी समय काम किया था, लेकिन वर्ष के एक बड़े हिस्से में कोई काम नहीं किया। अर्थात, जिन्होंने 183 दिनों (या छह महीने) से कम समय तक काम किया और

काम के लिए अन्य स्थान पर प्रवास भी किया। गैर–श्रमिक वे हैं जिन्होंने गणना की तारीख से पहले के वर्ष में कभी भी कोई काम नहीं किया था। इन श्रेणियों को फिर चार उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:–

1 कृषक
2 कृषि मजदूर
3 घरेलू उद्योग के श्रमिक
4 अन्य श्रमिक

तालिका 3.9 कार्यबल श्रेणी

क्र0सं0	नगर का नाम	मुख्य कामगार			सीमांत कामगार		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	अयोध्या नगर	76594	65638	10956	26127	17033	9094
2	नवाबगंज नगर	3988	3613	375	778	514	264
3	भदरसा नगर	8075	6479	1596	3625	2205	1420

स्रोतः जनगणना हस्तपुस्तिका 2011

उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि अयोध्या नगर की कुल कार्यशील जनसंख्या का 74.57 प्रतिशत मुख्य कामगार हैं एवं 25.43 प्रतिशत सीमांत कामगार हैं। मुख्य कामगार जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी मात्र 14.30 प्रतिशत एवं सीमांत कामगार की जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी 34.81 प्रतिशत है।

उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि नवाबगंज नगर की कुल कार्यशील जनसंख्या का 83.68 प्रतिशत मुख्य कामगार हैं एवं 16.32 प्रतिशत सीमांत कामगार हैं। मुख्य कामगार जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी मात्र 9.40 प्रतिशत एवं सीमांत कामगार की जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी 33.93 प्रतिशत है।

भदरसा नगर की कुल कार्यशील जनसंख्या का 69.02 प्रतिशत मुख्य कामगार हैं एवं 30.98 प्रतिशत सीमांत कामगार हैं। मुख्य कामगार जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी मात्र 19.76 प्रतिशत एवं सीमांत कामगार की जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी 39.17 प्रतिशत है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि मुख्य कामगार के सापेक्ष सीमांत कामगारों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है ।

चित्र 3.5 मुख्य एवं सीमांत कामगार

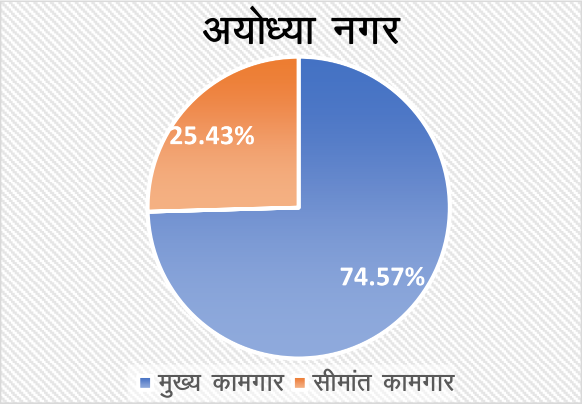

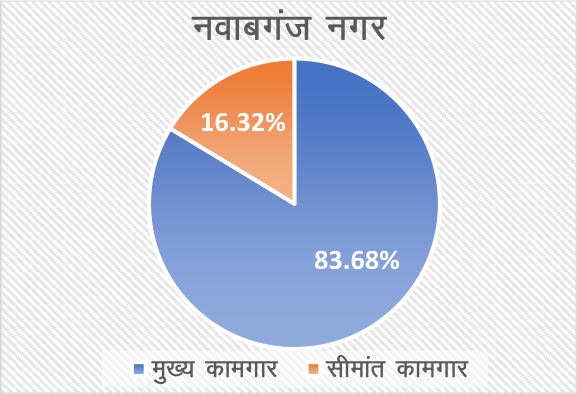

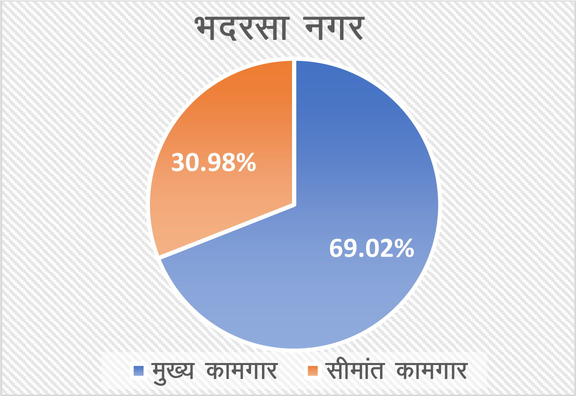

चित्र 3.6 मुख्य एवं सीमांत कामगारों में पुरुषों व महिलाओं की भागीदारी

अयोध्या नगर

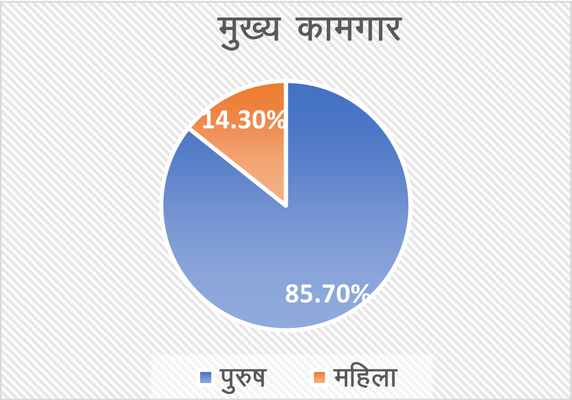

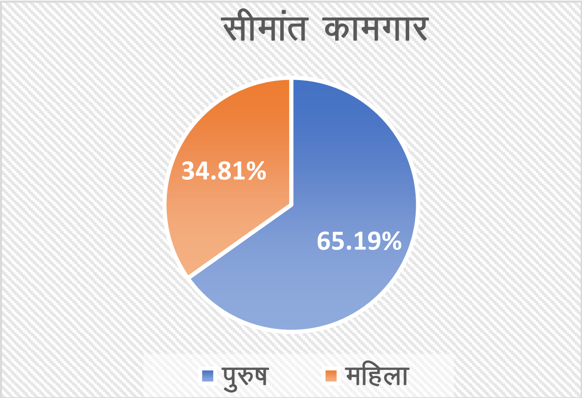

नवाबगंज नगर

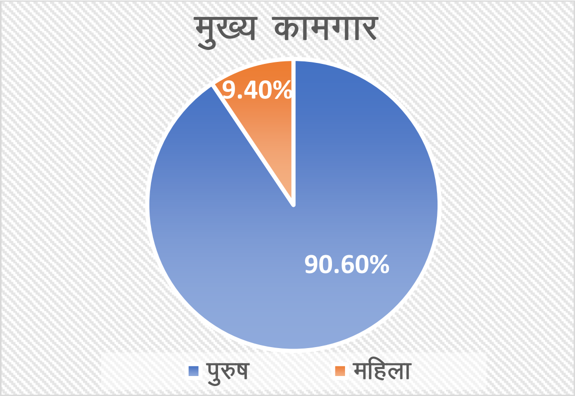

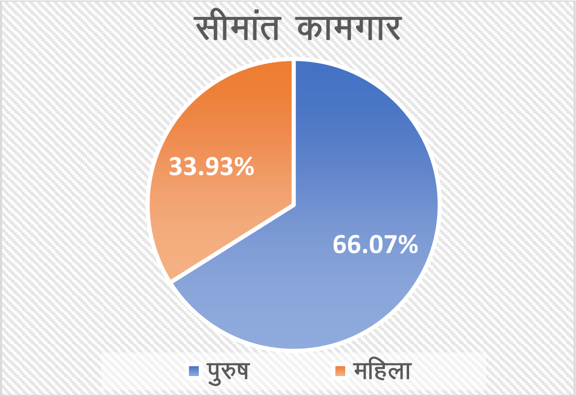

भदरसा नगर

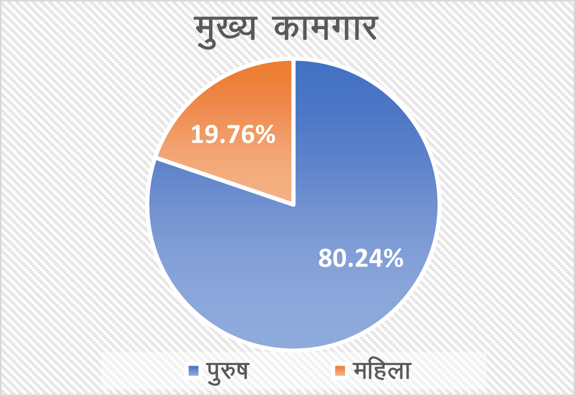

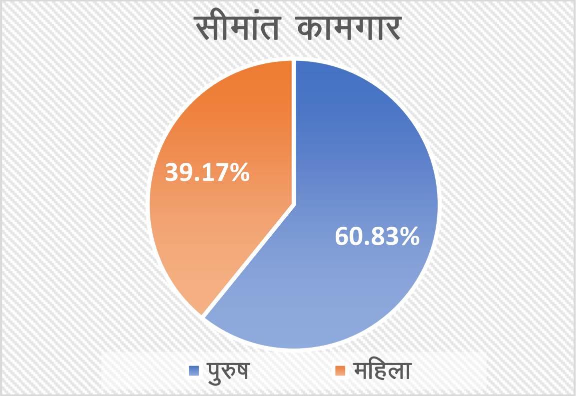

3.6 कार्यशील जनसंख्या का श्रेणीवार विवरण

कृषकः– जनगणना के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो सरकारी भूमि अथवा निजी भूमि अथवा किसी संस्था की भूमि पर सहभागिता अथवा मुद्रा विनिमय अथवा किसी अन्य आर्थिक लाभ हेतु कृषि क्रिया में संलग्न हैं को कृषक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। कृषक द्वारा खेती में प्रभावी प्रबंधन पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाता है।

कृषि मजदूरः– वह व्यक्ति जो पैसे या वस्तु या वेतन के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर काम करता है. उसे कृषि मजदूर माना जाता है। उसे कृषि में कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता है, बल्कि वह मजदूरी के लिए ही दूसरे व्यक्ति की जमीन पर कार्य करता है। कृषि मजदूर को उस जमीन पर पट्टे या अनुबंध संबंधी कोई अधिकार नहीं होता जिस पर वह काम करता है।

घरेलू उद्योग श्रमिकः– घरेलू उद्योग को परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास स्थान पर या गाँव के अंदर और शहरी क्षेत्र में केवल उस आवास के परिसर के भीतर संचालित उद्योग के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां परिवार रहता है। घरेलू उद्योग में श्रमिकों की बड़ी संख्या में परिवार के सदस्य होते हैं। उद्योग पंजीकृत कारखाने के पैमाने पर नहीं संचालित किया जाता है, क्योंकि पंजीकृत कारखाने में बिजली के साथ–साथ अधिकतम 10 व्यक्ति या बिना बिजली के अधिकतम 20 व्यक्ति कार्य करते हैं एवं भारतीय कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी घरेलू उद्योग का मुख्य मानदंड परिवार के एक या अधिक सदस्यों की भागीदारी है। यदि उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में घर

पर स्थित नहीं है, तब भी परिवार के सदस्यों के ही काम करने की अधिक संभावना होती है. भले ही उद्योग गाँव की सीमा के भीतर कहीं भी स्थित हो। शहरी क्षेत्रों में घरेलू उद्योग उस घर के परिसर तक ही सीमित होना चाहिए।

अन्य कामगारः– ऊपर परिभाषित कृषकों, कृषि मजदुरों अथवा घरेलू उद्योगों के कामगारों के अलावा दूसरे कामगार, अन्य कामगार कहलाते हैं। सरकारी कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने के कर्मचारी, बागान श्रमिक, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य में संलगन व्यक्ति पुजारी, मनोरंजन कलाकार आदि इसके उदाहरण स्वरूप लिए जा सकते हैं।

3.6.1 मुख्य कामगार

अयोध्या नगर में मुख्य कामगार 74.57 प्रतिशत हैं, जिसमे 76594 व्यक्ति सम्मिलित हैं । मुख्य कामगार जनसंख्या में 82.76 प्रतिशत जनसंख्या अन्य कामगार ,तदोपरांत क्रमशः घरेलू उद्योग कामगार (5.61 प्रतिशत), कृषि मजदूर (5.72 प्रतिशत) एवं कृषक (5.91 प्रतिशत) हैं ।

नवाबगंज नगर में मुख्य कामगार 83.68 प्रतिशत हैं, जिसमे 3988 व्यक्ति सम्मिलित हैं । मुख्य कामगार जनसंख्या में 62.91 प्रतिशत जनसंख्या अन्य कामगार ,तदोपरांत क्रमशः घरेलू उद्योग कामगार (14.17 प्रतिशत), कृषि मजदूर (17.13 प्रतिशत) एवं कृषक (5.79 प्रतिशत) हैं ।

भदरसा नगर में मुख्य कामगार 69.02 प्रतिशत हैं, जिसमे 8075 व्यक्ति सम्मिलित हैं । मुख्य कामगार जनसंख्या में 39.48 प्रतिशत जनसंख्या अन्य कामगार ,तदोपरांत क्रमशः घरेलू उद्योग कामगार (8.40 प्रतिशत), कृषि मजदूर (26.80 प्रतिशत) एवं कृषक (25.33 प्रतिशत) हैं ।

तालिका 3.10 मुख्य कामगार का श्रेणीवार विवरण

क्रमांक	नगर का नाम	मुख्य कामगार				
		कृषक	कृषि मजदूर	घरेलू उद्योग कामगार	अन्य कामगार	योग
1	अयोध्या नगर	4530	4384	4294	63386	76594
	प्रतिशत	5.91	5.72	5.61	82.76	
2	नवाबगंज नगर	231	683	565	2509	3988
	प्रतिशत	5.79	17.13	14.17	62.91	
3	भदरसा नगर	2045	2164	678	3188	8075
	प्रतिशत	25.33	26.80	8.40	39.48	

स्रोतः जनपद जनगणना हस्तपुस्तिका 2011

चित्र 3.7 मुख्य कामगार का श्रेणीवार विवरण

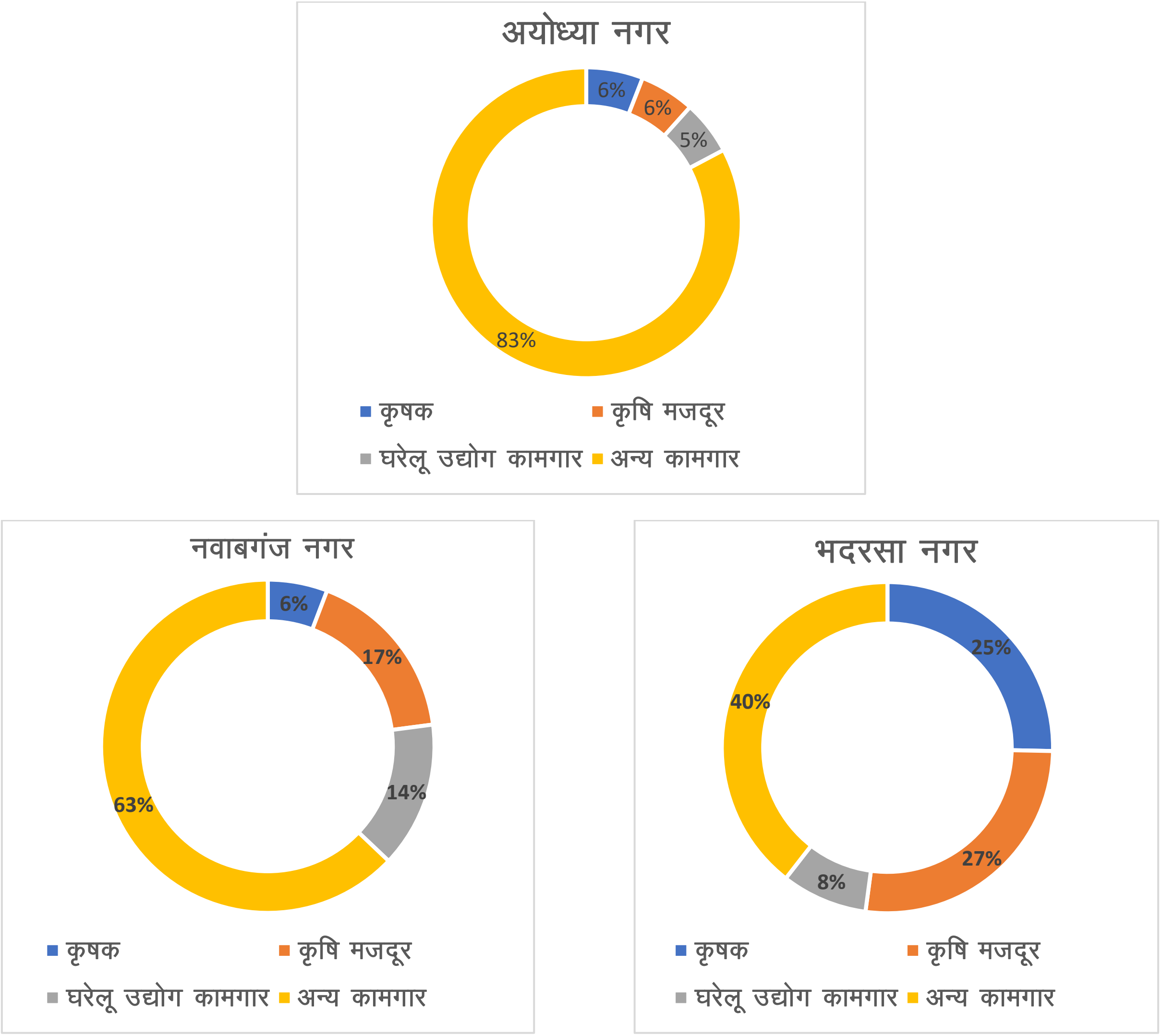

3.6.2 सीमांत कामगार

अयोध्या नगर में सीमांत कामगार 25.43 प्रतिशत है, जिसमे 26127 व्यक्ति सम्मिलित हैं। सीमांत कामगार जनसंख्या में 71.10 प्रतिशत जनसंख्या अन्य कामगार ,तदोपरांत क्रमशः घरेलू उद्योग कामगार (6.45 प्रतिशत), कृषि मजदूर (17.44 प्रतिशत) एवं कृषक (5.02 प्रतिशत) हैं ।

नवाबगंज नगर में सीमांत कामगार 16.32 प्रतिशत है, जिसमे 778 व्यक्ति सम्मिलित हैं। सीमांत कामगार जनसंख्या में 45.89 प्रतिशत जनसंख्या अन्य कामगार ,तदोपरांत क्रमशः घरेलू उद्योग कामगार (30.21 प्रतिशत), कृषि मजदूर (18.51 प्रतिशत) एवं कृषक (5.40 प्रतिशत) हैं ।

भदरसा नगर में सीमांत कामगार 30.98 प्रतिशत है, जिसमे 3625 व्यक्ति सम्मिलित हैं। सीमांत कामगार जनसंख्या में 48.36 प्रतिशत जनसंख्या अन्य कामगार ,तदोपरांत क्रमशः घरेलू उद्योग कामगार (7.56 प्रतिशत), कृषि मजदूर (30.01 प्रतिशत) एवं कृषक (14.07 प्रतिशत) हैं ।

तालिका 3.11 सीमांत कामगार का श्रेणीवार विवरण

क्रमांक	नगर का नाम	सीमांत कामगार				
		कृषक	कृषि मजदूर	घरेलू उद्योग कामगार	अन्य कामगार	योग
1	अयोध्या नगर	1311	4556	1684	18576	**26127**
	प्रतिशत	5.02	17.44	6.45	71.10	
2	नवाबगंज नगर	42	144	235	357	**778**
	प्रतिशत	5.40	18.51	30.21	45.89	
3	भदरसा नगर	510	1088	274	1753	**3625**
	प्रतिशत	14.07	30.01	7.56	48.36	

स्रोतः जनपद जनगणना हस्तपुस्तिका 2011

3.7 पारिवारिक संरचना

3.7.1 परिचय

आवास मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आवास की समस्या केवल नगरीय क्षेत्र में ही सीमित नहीं है परन्तु दिन–प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी गम्भीर होती जा रही है। संख्यात्मक दृष्टि से आवासीय भवनों की कमी के साथ–साथ भवनों की गुणात्मक स्थिति भी इस समस्या का एक प्रमुख अंग है।

अयोध्या विकास क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र भी अन्य नगरों की भाँति आवासीय समस्याओं से अछूता नहीं है। आवासीय भवनों का निर्माण कार्य बढ़ती हुई जनसंख्या की माँग को पूरा कर पाने में असमर्थ है। इसके साथ ही नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य किये जा रहे हैं वे प्रभावी नियोजन के अभाव में हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में सामाजिक सुविधाओं का अभाव है। गलियों की चौड़ाई सामान्तया कम है। इस सब के कारण वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नगरीकरण क्षेत्र के बाहर भी कृषि भू–उपयोग में वृहद स्तर पर अनाधिकृत आवासीय निर्माण हुआ है।

3.7.2 परिवार एवं आवासीय इकाइयाँ

अयोध्या नगर में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सकल जनघनत्व 51.78 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था जो कि वर्ष 2011 बढ़कर में 58.85 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार अयोध्या के नगरीय क्षेत्र में औसत परिवार में सदस्यों की संख्या 5.80 है।

नवाबगंज नगर में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सकल जनघनत्व 56.44 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था जो कि वर्ष 2011 बढ़कर में 60.71 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र एवं नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्रामों में औसत परिवार में सदस्यों की संख्या 6.20 है।

वहीं भदरसा नगर में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सकल जनघनत्व 56.76 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था जो कि वर्ष 2011 बढ़कर में 65.59 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार भदरसा नगर क्षेत्र में औसत परिवार में सदस्यों की संख्या 6.3 है एवं नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्रामों में औसत परिवार में सदस्यों की संख्या 6.1 है।

तालिका 3.12 उपलब्ध आवासीय इकाइयां एवं परिवारों का आकार वर्ष 2011

क्र.सं.	विवरण	कुल जनसंख्या	परिवारों की संख्या	उपलब्ध आवासीय इकाई	औसत परिवारों का आकार
1	अयोध्या नगर निगम क्षेत्र	325535	55764	55764	5.8
2	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्राम	58257	9555	9555	6.1
		383792	**65319**	**65319**	**6.0**
3	नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र	17314	2774	2774	6.2
4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्राम	29163	4689	4689	6.2
	योग	**50795**	**8192**	**8192**	**6.2**
5	भदरसा नगर पंचायत क्षेत्र	36423	5766	5766	6.3
6	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्राम	24148	3947	3947	6.1
	योग	**60571**	**9713**	**9713**	**6.2**

स्रोतः जनपद जनगणना हस्तपुस्तिका 2011

3.7.3 आवास की कमी का आकलन

अयोध्या विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के लिए आवास की कमी की गणना अस्वीकार्य आवासीय इकाइयों में रहने वाले परिवारों की संख्या को एक साथ रखकर की गई है, जिसमें अप्रचलन कारक, अस्वीकार्य सामाजिक और भौतिक परिस्थितियों में रहने वाले और बेघर परिवार शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, अयोध्या विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के लिए आवास की कमी की गणना निम्नलिखित घटकों के आधार पर की गई है:

1. **अप्रचलन कारक** (Obsolescence Factor)
   - मकान की जर्जर स्थिति
   - घरों की अस्थायी संरचना
2. **भीड़भाड़ कारक** (Congestion factor)
   - एक या अधिक विवाहित जोड़ों वाले परिवार जिनके पास कोई विशेष कमरा नहीं है
3. **बेघर होना** (Houselessness)
   - बिना किसी घर के रहने वाले परिवार

अप्रचलन कारक (Obsolescence Factor)

जनगणना 2011 के अनुसार, जिन घरों में क्षय या टूट–फूट के लक्षण दिखाई देते हैं और जिन्हें बड़ी मरम्मत की आवश्यकता होती है या जो घर सड़ जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं जिन्हें बहाल या मरम्मत किया जा सकता है, उन्हें 'जीर्ण' माना जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में कुल घरों का लगभग 8.63% जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है, यानी लगभग 4813 घर। नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में कुल घरों का लगभग 5.50% जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है, यानी लगभग 153 घर। वहीं भदरसा नगरीय क्षेत्र में कुल घरों का लगभग 9.70% जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है, यानी लगभग 559 घर।

तालिका 3.13 स्थिति के आधार पर मकान (जनगणना, 2011)

विवरण	जनगणना अनुसार कुल आवास	अच्छा	रहने योग्य	जीर्ण–शीर्ण
अयोध्या नगर निगम क्षेत्र	55764	28155	22796	4813
प्रतिशत	100	50.49	40.88	8.63
नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र	2774	1689	932	153
प्रतिशत	100	60.90	33.60	5.50
भदरसा नगर पंचायत क्षेत्र	5766	3177	2030	559
प्रतिशत	100	55.10	35.20	9.70

स्रोतः– जनपद जनगणना हस्तपुस्तिका 2011

जनगणना के अनुसार अस्थाई ढाँचे वे घर होते हैं जिनकी दीवार और छत अस्थाई सामग्री से बनी होती है। दीवार घास, छप्पर, बांस आदि, प्लास्टिक, पॉलिथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट या लकड़ी से बनाई जा सकती है। शहरी क्षेत्र में अस्थायी संरचनाएं आमतौर पर अनौपचारिक बस्तियों का संकेत देती हैं। ये बस्तियाँ शहर में नए प्रवासियों द्वारा झुग्गी–झोपड़ियों और अवैध बस्तियों के रूप में विकसित होती हैं। इसलिए, अप्रचलन का निर्धारण करने में इस प्रकार की संरचनाओं पर भी विचार किया गया है। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में कुल घरों में से 10% अस्थायी प्रकृति के हैं यानी लगभग 5576 घर। नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में कुल घरों में से 7.0% अस्थायी प्रकृति के हैं यानी लगभग 194 घर। वहीं भदरसा नगरीय क्षेत्र में कुल घरों में से 10% अस्थायी प्रकृति के हैं यानी लगभग 576 घर।

भीड़भाड़ कारक (Congestion factor)

भीड़भाड़ कारक(Congestion factor) का उपयोग उन घरों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो भौतिक और सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य रूप से 'भीड़ की स्थिति' में रह रहे हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों से भीड़भाड़ कारक की गणना करने के लिए प्रति परिवार विवाहित जोड़ों की संख्या के मुकाबले आवास की कमी पर विचार किया गया है। यह गणना की गई कि अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में लगभग 2230 आवासीय इकाइ, नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में लगभग 449 आवासीय इकाइ में एवं भदरसा नगरीय क्षेत्र में लगभग 932 आवासीय इकाइयों में विवाहित जोड़ों के लिए विशेष कमरे नहीं हैं।

बेघर हालत में परिवार **(Houselessness)**

बेघर लोग आवास की आवश्यकता वाली आबादी का मूल हैं। वे परिवार जो इमारतों या जनगणना घरों में नहीं रहते हैं, लेकिन सड़क के किनारे खुले में, फुटपाथ पर, फ्लाईओवर और सीढ़ियों के नीचे, या पूजा स्थलों, मंडपों, रेलवे प्लेटफार्मों आदि में खुले में रहते हैं, उन्हें बेघर परिवार माना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में 1098, नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में 84 एवं भदरसा नगरीय क्षेत्र में 14 बेघर परिवार हैं।

तालिका 3.14 स्थिति के आधार पर अयोध्या नगरीय क्षेत्र में भीड़भाड़ कारक (Congestion factor) की गणना

प्रति परिवार विवाहित जोड़ों की संख्या और आवास कक्षों की संख्या **Households by number of married couples per household and number of dwelling rooms**								
एक घर में विवाहित जोड़ों की संख्या **(Number of married couples in a household)**	परिवारों की कुल संख्या **(Total number of households)**	आवास कक्षों की संख्या **(Number of Dwelling Rooms)**						
		कोई विशेष कमरा नहीं **(No exclusive room)**	एक कमरा **(One room)**	दो कमरे **(Two room)**	तीन कमरे **(Three rooms)**	चार कमरे **(Four rooms)**	पाँच कमरे **(Five rooms)**	छह कमरे और ऊपर **(Six rooms and above)**
कुल	55764	2342	14694	15848	8671	7221	2855	4132
कोई नहीं (None)	2342	98	617	666	364	303	120	174
1	14694	617	3872	4176	2285	1903	752	1089
2	15848	666	4176	4504	2464	2052	811	1174
3	8671	364	2285	2464	1348	1123	444	643
4	7221	303	1903	2052	1123	935	370	535
5+	6987	293	1841	1986	1087	905	358	518
कुल भीड़ (Total Congestion)		**22941**						

तालिका 3.15 स्थिति के आधार पर भदरसा नगरीय क्षेत्र में भीड़भाड़ कारक (Congestion factor) की गणना

प्रति परिवार विवाहित जोड़ों की संख्या और आवास कक्षों की संख्या **Households by number of married couples per household and number of dwelling rooms**								
एक घर में विवाहित जोड़ों की संख्या **(Number of married couples in a household)**	परिवारों की कुल संख्या **(Total number of households)**	आवास कक्षों की संख्या **(Number of Dwelling Rooms)**						
		कोई विशेष कमरा नहीं **(No exclusive room)**	एक कमरा **(One room)**	दो कमरे **(Two room)**	तीन कमरे **(Three rooms)**	चार कमरे **(Four rooms)**	पाँच कमरे **(Five rooms)**	छह कमरे और ऊपर **(Six rooms and above)**
कुल	5766	265	1545	1805	1136	536	259	219
कोई नहीं (None)	628	29	168	197	124	58	28	24
1	3454	159	926	1081	680	321	155	131

प्रति परिवार विवाहित जोड़ों की संख्या और आवास कक्षों की संख्या Households by number of married couples per household and number of dwelling rooms								
एक घर में विवाहित जोड़ों की संख्या (Number of married couples in a household)	परिवारों की कुल संख्या (Total number of households)	आवास कक्षों की संख्या (Number of Dwelling Rooms)						
		कोई विशेष कमरा नहीं (No exclusive room)	एक कमरा (One room)	दो कमरे (Two room)	तीन कमरे (Three rooms)	चार कमरे (Four rooms)	पाँच कमरे (Five rooms)	छह कमरे और ऊपर (Six rooms and above)
2	1061	49	284	332	209	99	48	40
3	415	19	111	130	82	39	19	16
4	156	7	42	49	31	14	7	6
5+	52	2	14	16	10	5	2	2
कुल भीड़ (Total Congestion)		932						

स्रोतः— जनपद जनगणना हस्तपुस्तिका 2011

तालिका 3.16 स्थिति के आधार पर नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में भीड़भाड़ कारक (Congestion factor) की गणना

प्रति परिवार विवाहित जोड़ों की संख्या और आवास कक्षों की संख्या Households by number of married couples per household and number of dwelling rooms								
एक घर में विवाहित जोड़ों की संख्या (Number of married couples in a household)	परिवारों की कुल संख्या (Total number of households)	आवास कक्षों की संख्या (Number of Dwelling Rooms)						
		कोई विशेष कमरा नहीं (No exclusive room)	एक कमरा (One room)	दो कमरे (Two room)	तीन कमरे (Three rooms)	चार कमरे (Four rooms)	पाँच कमरे (Five rooms)	छह कमरे और ऊपर (Six rooms and above)
कुल	2774	128	743	868	546	258	125	105
कोई नहीं (None)	302	14	81	95	60	28	14	11
1	1662	76	445	520	327	155	75	63
2	510	23	137	160	101	47	23	19
3	200	9	54	63	39	19	9	8
4	75	3	20	23	15	7	3	3
5+	25	1	7	8	5	2	1	1
कुल भीड़ (Total Congestion)		449						

कुल आवास की कमी

2011 तक कुल आवासो की कमी की गणना करने के लिए, हमने अप्रचलन कारक पर विचार किया है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार जीर्ण—शीर्ण घर और अस्थायी घर, भीड़भाड़ कारक और बेघर कारक शामिल हैं। अयोध्या विस्तारित विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में जनगणना 2011 के अनुसार कुल 11,153 आवासो की कमी है।

तालिका 3.17 जनगणना 2011 के आधार पर आवास की अनुमानित कमी

	अप्रचलन कारक (Obsolescence factor)	भीड़भाड़ कारक (Congestion factor)	बेघर परिवार (Houseless households)	कुल
अयोध्या नगर निगम	5576	2230	1098	8904
नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र	194	449	84	727
भदरसा नगर पंचायत क्षेत्र	576	932	14	1522

स्रोतः– जनपद जनगणना हस्तपुस्तिका 2011

3.8 आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण

3.8.1 परिचय

किसी भी नगर का भौतिक विकास उस नगर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है तथा नगर का आर्थिक आधार उसकी विविध क्रियाओं की उत्पादन क्षमता एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र के स्वरूप आदि पर निर्भर करता है। नगर की आर्थिक क्रियाओं में किसी प्रकार की वृद्धि, कमी या संरचना में परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से नगर के विकास को प्रभावित करता है। अतः किसी भी नगरीय क्षेत्र की महायोजना बनाने से पहले नगर की अर्थव्यवस्था के स्वरूप तथा उसकी प्रकृति का अध्ययन करना आवश्यक है। अयोध्या विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र विभिन्न प्रशासनिक क्रियायों का केन्द्र होने के साथ–साथ सर्वप्रमुख व्यावसायिक/ औद्योगिक केन्द्र का भी कार्य करता है। नगरीय तथा क्षेत्रीय जनता की व्यापारिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का सर्वप्रमुख केन्द्र होने के कारण नगर का आर्थिक आधार मुख्यतः अन्य सेवाएँ तथा व्यापार एवं वाणिज्य पर निर्भर करता है।

3.8.2 श्रमशक्ति

अयोध्या नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 81,229 कामगार कार्यरत थे जो वर्ष 2011 में 1,02,721 हो गये। इस दशक के अन्तराल में कामगारों की संख्या में 26.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 15.74 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 में कुल कामगारों की संख्या में प्राथमिक क्षेत्र में 5.69 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 14.52 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र में 79.79 प्रतिशत कामगार कार्यरत थे।

नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 3,855 कामगार कार्यरत थे जो वर्ष 2011 में 4,766 हो गये। इस दशक के अन्तराल में कामगारों की संख्या में 23.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 7.57 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 में कुल कामगारों की संख्या में प्राथमिक क्षेत्र में 5.73 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 34.14 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र में 60.13 प्रतिशत कामगार कार्यरत थे।

भदरसा नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 12,758 कामगार कार्यरत थे जो वर्ष 2011 में 11,700 हो गये। इस दशक के अन्तराल में कामगारों की संख्या में 9.04 प्रतिशत का हास हुआ, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 15.26 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 में कुल कामगारों की संख्या में प्राथमिक क्षेत्र में 21.84 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 35.93 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र में 42.23 प्रतिशत कामगार कार्यरत थे। उक्त से स्पष्ट है कि अयोध्या विस्तारित विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में कृषक/कृषि कामगरों तथा औद्योगिक कामगारों में कमी आयी है एवं व्यावसायिक कामगारों में तीव्र वृद्धि हुई है।

तालिका 3.18 श्रमशक्ति का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	क्षेत्र	जनसंख्या	कामगारों की संख्या	प्रतिशत	प्राथमिक श्रेणी कार्मिकों की संख्या	प्रतिशत	द्वितीयक श्रेणी कार्मिकों की संख्या	प्रतिशत	तृतीयक श्रेणी कार्मिकों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2001	अयोध्या नगर निगम	281267	81229	28.88 %	6807	8.38 %	11418	14.06 %	63004	77.56 %
2		नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र	16096	3855	23.95 %	253	6.56 %	658	17.07 %	2944	76.37 %
3		भदरसा नगर पंचायत क्षेत्र	30862	12758	41.34 %	3835	30.06 %	5033	39.45 %	3890	30.49 %
4	2011	अयोध्या नगर निगम	325535	102721	31.55 %	5841	5.69 %	14918	14.52 %	81962	79.79 %
5		नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र	17314	4766	27.53 %	273	5.73 %	1627	34.14 %	2866	60.13 %
6		भदरसा नगर पंचायत क्षेत्र	36423	11700	32.12 %	2555	21.84 %	4204	35.93 %	4941	42.23 %

स्रोतः जनगणना हस्त पुस्तिकाएं।

3.9 व्यापार एवं वाणिज्य

3.9.1 परिचय

नगर की व्यापार एवं वाणिज्य सम्बन्धी क्रियायें उसके आर्थिक विकास का मेरूदण्ड होती है। अयोध्या विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में स्थित व्यापारिक क्षेत्रों से न केवल नगर की जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति होती है, वरन् इसके चतुर्दिक फैले विस्तृत क्षेत्रों की जनसंख्या की व्यवसायिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति में नगरीय क्षेत्रो की प्रमुख भूमिका है। प्रारम्भिक समय से ही नगरीय क्षेत्रो की आर्थिक क्रियाओं में वाणिज्यिक क्रियाओं का उल्लेखनीय स्थान बना हुआ है।

3.9.2 वाणिज्यिक क्षेत्र एवं व्यापारिक दुकानें

अयोध्या विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रो के भौतिक विस्तार के साथ नगर के मुख्य मार्गों के किनारे–किनारे व्यवसायिक क्रियाकलापों का विकास मुख्यतः पट्टिका रूप में हुआ है। अयोध्या विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रो में सारे व्यवसायिक क्षेत्र आवासीय क्षेत्रों से सटे हुए तथा आवासीय क्षेत्रों में ही मार्गों के किनारे स्थित है। नगरीय क्षेत्रो में स्थित व्यापारिक आवश्यकताओं की दृष्टि से लगभग सभी मार्ग सकरे, भीड़–भाड़युक्त और विभिन्न स्थलों पर स्थायी एवं अस्थाई दुकानों द्वारा किये गये अतिक्रमण से ग्रसित है। इन सघन क्षेत्रों में मार्गों की चौड़ाई 5 से 8 मीटर के मध्य है और ये मार्ग बैलगाड़ी, रिक्शा हांथठेला एवं पैदल यातायात के साथ–साथ यातायात के विभिन्न स्वचालित वाहनों द्वारा भी प्रयुक्त होते है। इतना ही नहीं क्रय–विक्रय की वस्तुओं के वाहनों से उतारने एवं चढ़ाने का कार्य भी इन्ही मार्गा की पटरियों पर होने से मार्गावरोध की स्थिति भी सदैव बनी रहती है। इन क्षेत्रों में वाहनो के पार्किंग हेतु उपयुक्त स्थलों

का पूर्णतया अभाव है, जिसके फलस्वरूप वाहनों के मार्गों पर ही खड़े रहने से मार्गा पर यातायात अवरोध की स्थिति अत्यधिक जटिल हो जाती है।

नगर के प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र जो नगर के प्राचीन भाग में केंद्रित है। यहाँ थोक एवं फुटकर व्यावसायिक क्रियाएँ स्थानीय एवं अंतर क्षेत्रीय स्तर पर सम्पन्न होती हैं। इन क्षेत्रों में यातायात का भार इस क्षेत्र की क्षमता से अधिक है तथा स्थानाभाव के कारण व्यावसायिक क्रियाकलाप तंग गलियों में तथा भवनों की ऊपरी मंजिल तक में होता है। जबकि प्रभावी नियोजन की दृष्टि से व्यावसायिक क्रियाओं का नये आवासीय क्षेत्रों एवं नये बसाव की ओर उन्मुख क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उक्त सीबीडी (केन्द्रीय व्यावसायिक क्षेत्र) में लोडिंग–अनलोडिंग एवं वाहन पार्किंग की समस्या अत्यंत गम्भीर है।

नव विकसित क्षेत्रों में भी व्यावसायिक विकास तीव्र गति से हुआ है। परन्तु ये विकास अनियोजित ढंग से आवासीय क्षेत्रों में मार्गों के किनारे फैल रहा है। वर्तमान भू–उपयोग वर्ष 2023 में 185.55 हे0 क्षेत्र पर व्यावसायिक क्रिया–कलापों का फैलाव था जो कुल विकसित क्षेत्र का 4.28 प्रतिशत है।

3.9.3 ए.पी.एम.सी. बाजार

उत्तर प्रदेश में कृषि बाजार यूपीएपीएमसी अधिनियमों के तहत स्थापित और विनियमित हैं। हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिचौलियों को खत्म करने और खेत से उपभोक्ता तय पहल को बढ़ावा देने के लिए एक संशोधन किया है। इसमें किसान सीधे अपनी उपज को उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे।

वर्तमान में अयोध्या जनपद में दो एपीएमसी बाजार हैं, जिनमे से एक अयोध्या नगर में 39.30 एकड़ का एवं एक रुदौली में 8.00 एकड़ का है। प्राथमिक सर्वेक्षण से यह भी देखा गया कि अयोध्या कृषि उत्पादन में समृद्ध है, अयोध्या में प्रति वर्ष कृषि उत्पादन का विवरण तालिका संख्या 3.19 में दर्शाया गया है:–

तालिका 3.19 अयोध्या में प्रति वर्ष कृषि उत्पादन

कुल कृषि–वस्तु उत्पादन	मात्रा (क्विंटल में)	मूल्य (रुपये में)
2015–2016	2412663	215,39,09,100
2016–2017	2661290	222,05,82,950
2017–2018	2746310	313,38,24,316
2018–2019	2494966	319,00,84,000
2019–2020	2616387	294,39,95,060

स्रोत: अयोध्या महायोजना–2031 (भाग क)

उत्तर प्रदेश सरकार ने 46 फलों और सब्जियों को अनाधिसूचित किया है; किसान सीधे अपनी वस्तुओं को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बेच सकते हैं। 46 वस्तुओं के व्यापारियों को मंडी शुल्क अदा करने से मुक्त किया गया है। कोविड 19 के बाद मंडियों में भीड़भाड़ से बचने के लिए यू.पी.ए.पी.एम.सी. अधिनियम में यह नया सुधार किया गया है। उत्तर प्रदेश में सुधारों को लागू करने और कृषि विपणन व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य है।

शहर में थोक व्यापार में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं:–

1. 'खुदरा व्यापार' या अन्य 'थोक व्यापार'।

2. 'निर्माण', 'विनिर्माण', 'परिवहन', 'खान पान स्थल', 'आवास', 'अस्पताल', 'स्कूल', 'सरकारी और सार्वजनिक संगठन" में लगे औद्योगिक इकायियों को माल की सप्लाई ।

3. मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए माल की सप्लाई, कार्यालय उपयोगी मशीनें और उपकरण, अस्पतालों में उपयोग की जाने वाली सुविधाएं, सौंदर्य सैलून, रेस्तरां और होटल, और औद्योगिक मशीनरी (कृषि मशीनों या उपकरणों को छोड़कर), साथ ही साथ निर्माण सामग्री (लकड़ी, सीमेंट, शीट ग्लास, छत की टाइलें, आदि)

4. 'विनिर्माण' में लगी किसी कंपनी द्वारा उत्पादित स्वयं के माल का अपने प्रबंधन के तहत एक अलग स्थान पर थोक व्यापार है। (मुख्य रूप से प्रबंधन मामलों के समग्र नियंत्रण में लगे प्रतिष्ठानों को बाहर रखा गया है।)

5. अन्य प्रतिष्ठानों की ओर से माल की बिक्री, या माल की बिक्री के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करना ।

खुदरा व्यापार में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में लगे प्रतिष्ठान शामिल हैं:–

(1) लोगों को या घरेलू उपभोग के लिए माल की बिक्री।

(2) औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को कम मात्रा में माल की बिक्री। 'खुदरा व्यापार'को आमतौर पर बेचे जाने वालें मुख्य सामान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

चित्र 3.8 खाद्य प्रसंस्करण मंडी

तालिका 3.20 वाणिज्यिक क्षेत्रों की सूची

संख्या	वाणिज्यिक क्षेत्र	दुकानों की संख्या
1	राज्य बस स्टेशन	28
2	जमुनिया बाग	22

संख्या	वाणिज्यिक क्षेत्र	दुकानों की संख्या
3	पुष्पराज के पास	19
4	महिला अस्पताल के पास	36
5	अंगूरी बाग	19
6	मछली बाज़ार	5
7	मुकरजी टोपी	123
8	फैन मंडी चौक	19
9	पानी टैंक चौक	22
10	चौक घंटाघर	14
11	नजूल भूमि	7
12	नगरपालिका भूमि	7
	कुल	**321**

स्रोतः अयोध्या महायोजना–2031 (भाग क)

3.9.4 होटल और रेस्टोरेंट

होटल पर्यटन उत्पाद का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। वे अपने द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के मानकों के माध्यम से समग्र पर्यटन अनुभव में योगदान करते हैं। होटलों में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं के समकालीन मानक प्रदान करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने परिचालन होटलों के वर्गीकरण के लिए एक स्वैच्छिक योजना तैयार की है जो निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होगीः स्टार श्रेणी के होटल, 5 सितारा डीलक्स, 5 सितारा, 4 सितारा, 3 सितारा, 2 सितारा और 1 सितारा विरासत श्रेणी होटल, हेरिटेज ग्रैंड, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज बेसिक।

तालिका 3.21 अयोध्या विकास क्षेत्र में विद्यमान होटल एवं रेस्टोरेंट की सूची

क्रमांक	पता	आवास नाम का पता	आवास का प्रकार	कमरा
1	प्रोफेसर कॉलोनी, अयोध्या	होटल साकेत, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की एक इकाई	होटल	21
2	राम कथा पार्क , अयोध्या	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की एक इकाई राही यात्रा निवास अयोध्या।	होटल	12
3	वैदेही नगर, अयोध्या	होटल कोहिनूर पैलेस	होटल	18
4	स्टेशन रोड, अयोध्या	होटल कृष्णा पैलेस	होटल	91
5	साकेतपुरी योजना, बाईपास चौराहा, देवकाली, अयोध्या के पास	ताराजी रिज़ॉर्ट होटल और रेस्तरां	होटल	38

क्रमांक	पता	आवास नाम का पता	आवास का प्रकार	कमरा
6	अशोक सिंघल जी (रामघाट) हाल्ट रेलवे स्टेशन, नायघाट, अयोध्या के पास	रामप्रस्थ होटल और रिसॉर्ट्स	होटल	25
7	मोतीबाग, सुभाष नगर, अयोध्या	आभा होटल	होटल	40
8	महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) देवकाली रोड, इलाहाबाद बैंक के पास	ए पी महल	बिस्तर और नाश्ता / होमस्टे	5
9	दंत धवन कुंड, अहिराना मार्ग, हनुमान गढ़ी मंदिर, न्यू कॉलोनी, अयोध्या के पास	श्री लॉज होटल	गेस्ट हाउस	10
10	माखापुर, अयोध्या	तिरुपति होटल	होटल	70
11	शंकर गढ़ मार्केट देवकाली बाईपास, अकबरपुर अयोध्या रोड	विंध्यावासिनी गेस्ट हाउस	गेस्ट हाउस	26
12	बस स्टैंड, सिविल लाइन, अयोध्या के पास	शाने अवध होटल प्रा. लिमिटेड	होटल	128
13	नाका बाईपास चौराहा , दीशा कोचिंग, अयोध्या के पास	गुरुदेव पैलेस होटल और लॉन	होटल	20
14	मानस भवन के पास, अयोध्या बाईपास, अयोध्या के पास	सूर्य पैलेस अयोध्या धाम	गेस्ट हाउस	42
15	श्रींगारहाट, अयोध्या	श्री राम पाथिक निवास धर्मशाला	अन्य	20
16	वज़ीर गंज जाप्ती, जनौरा, फैजाबाद	श्रीराम गेस्ट हाउस	गेस्ट हाउस	14
17	परिक्रम मार्ग, अयोध्या	आर जी होटल और रिसॉर्ट्स	होटल	12

स्रोतः अयोध्या महायोजना–2031 (भाग क)

3.10 उद्योग

नगरीय विकास को ठोस आर्थिक आधार प्रदान करने में उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगर में अर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन मिलता है। उद्योगों के विकास से नगर में व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक, याताय ात एवं अन्य सेवाओं सम्बन्धी क्रियाओं

में स्वतः आनुपातिक विकास होता है और नगर का आर्थिक आधार व्यापक एवं सुदृढ़ होता है। उद्योगों को बढ़ाने में तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण का विशेष योगदान होता है, जिसके परिणामस्वरूप आवासीय भवनों में स्थित गृह उद्योग धीरे–धीरे मध्यम एवं बड़े उद्योगों में परिवर्तित हो जाते है।

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में उद्योग से सम्बन्धित आर्थिक क्रियाओं में संलग्न कार्मिकों की कुल संख्या 11418 रही जो वर्ष 2001 में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या 81229 का 14.06 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 में यह संख्या बढ़कर कुल कार्यशील जनसंख्या (102721) का 14.52 प्रतिशत (14918) हो गयी। इससे स्पष्ट होता है कि नगर में औद्यौगिक क्रियाओं में कार्यरत कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में उद्योग से सम्बन्धित आर्थिक क्रियाओं में संलग्न कार्मिकों की कुल संख्या 658 रही जो वर्ष 2001 में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या 3855 का 17.07 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 में यह संख्या बढ़कर कुल कार्यशील जनसंख्या (4766) का 34.14 प्रतिशत (1627) हो गयी। इससे स्पष्ट होता है कि नगर में औद्यौगिक क्रियाओं में कार्यरत कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

भदरसा नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार उद्योग से सम्बन्धित आर्थिक क्रियाओं में संलग्न कार्मिकों की कुल संख्या 2298 रही जो वर्ष 2001 में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या 4575 का 50.23 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 में यह संख्या घटकर कुल कार्यशील जनसंख्या (3694) का 38.71 प्रतिशत (1430) हो गयी। इससे स्पष्ट होता है कि नगर में औद्यौगिक क्रियाओं में कार्यरत कार्मिकों की संख्या में ह्रास हुआ है।

तालिका 3.22 अयोध्या विकास क्षेत्र में विद्यमान उद्योगों का विवरण

क्र0म0	उद्योगों के प्रकार	इकाइयों की संख्या		श्रमिकों की संख्या	
		विनिर्माण	सेवा	विनिर्माण	सेवा
1	वृहद	0	0	0	0
2	मध्यम	2	11	100	2176
3	लघु	215	668	4230	6231
4	सूक्ष्म	3312	12076	40556	6042
5	खतरनाक उद्योग	0	0	0	0
	कुल	**3529**	**12755**	**44886**	**14449**

स्रोतः ज़िला उद्योग केन्द्र

3.10.1 निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अयोध्या विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रो में उद्योग दिन–ब–दिन कम होते जा रहे हैं। नगर में नई लघु और मध्यम स्तर की उद्योगों के विकास की क्षमता है। इस प्रकार अयोध्या विकास क्षेत्र में उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए रणनीतियों और नीतियों को तैयार करने की आवश्यकता है।

3.11 भौतिक अवसंरचना

3.11.1 जलापूर्ति

वर्तमान में अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जलापूर्ति की उपलब्धता लगभग 39.55 एमएलडी है और 3,25,535(अयोध्या) की आबादी के लिए मानकों के अनुसार पानी की आपूर्ति की आवश्यकता 49. 68 एमएलडी है। इस प्रकार जलापूर्ति 10.13 एमएलडी का अंतर है। नगरों में नल वाले जल कनेक्शन की संख्या 41718 है और वितरण प्रणाली की लंबाई 254 कि0मी0 है। कुल 14 जलापूर्ति टैंकर उपलब्ध हैं और 1939 इंडियन मार्क्–2 हैंड पंप हैं। अयोध्या नगर में कुल 12 ओवेरहेड टैंक है ।

तालिका 3.23 अयोध्या नगरीय क्षेत्र में वर्तमान जलापूर्ति स्थिति

	नल का जल		हैंड पंप	कुआं / बोरवेल	टैंक / तालाब	नदियों / नहर	अन्य
	उपचारित स्रोत	अनुपचारित स्रोत					
1	NIL	39.55 MLD	1939	NIL	14	1	NIL

स्रोतः जलकल विभाग अयोध्या

तालिका 3.24 अयोध्या नगरीय क्षेत्र में वर्तमान जलापूर्ति मात्रा

क्रमांक	पानी की आपूर्ति की मात्रा	प्रति दिन आपूर्ति का समय / घंटा	कनेक्शन की संख्या	आच्छादित क्षेत्र	मीटरींग प्राप्त
1	39.55 MLD	8 घंटे/दिन	41718	–	–

स्रोतः जलकल विभाग अयोध्या

तालिका 3.25 अयोध्या नगरीय क्षेत्र में स्थित ओवरहेड टैंकों का विवरण

क्रमांक	क्षेत्र	क्षमता
1	जलकल कॉलोनी कैंपस	2000 Kilo litre
2	रीडगंज	1000 Kilo litre
3	अश्विनी पुरम	2500 Kilo litre
4	अंगूरी बाग	2000 Kilo litre
5	सुरसरी कॉलोनी	25000 Kilo litre
6	टेढ़ी बाज़ार	250 Kilo litre
7	जलकल परिसर	750 Kilo litre
8	नलकुप संख्या–06	1200 Kilo litre
9	अशर्फी भवन	1200 Kilo litre
10	राजदद्वार	2200 Kilo litre
11	झुनकी घाट	250 Kilo litre
12	काशीराम कॉलोनी	750 Kilo litre

स्रोतः जलकल विभाग अयोध्या

जनगणना 2011 के अनुसार नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में लगभग 24% घरों में एवं भदरसा नगरीय क्षेत्र में लगभग 14.2% घरों में उपचारित जल स्रोत से नल का पानी प्राप्त होता है। अयोध्या विस्तारित विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रो में अधिकांश वार्ड में 0 से 30% घरों में नल के पानी का कनेक्शन है। अयोध्या विस्तारित विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रो में जल का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है जिसके लिए ट्यूबवेल, हैण्डपम्प तथा कुओं का प्रयोग किया जाता है। भूमिगत जल यहाँ पर लगभग 60 फीट गहराई पर है। वर्तमान में नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में जल की उपलब्धता लगभग 1.20 एमएलडी (मिलियन लीटर डेली) है

और 17,314 (जनसंख्या, 2011) की आबादी के जल की आपूर्ति की आवश्यकता 2.68 एमएलडी है (प्रति व्यक्ति प्रति दिन 135 एलपीसीडी+15 प्रतिशत अनकाउण्टेड वाटर (सी.पी.एच.इ.इ.ओ. गाइडलाइन्स, भारत सरकार) मानकों के अनुसार)। इस प्रकार 1.48 एमएलडी जलापूर्ति का अंतर है। शहर में 1319 पानी के कनेक्शन हैं और पाइपलाइन वितरण प्रणाली की लंबाई 24 किलोमीटर है। 2 ओवरहेड टैंकों के माध्यम से कुल 1.20 एमएलडी उपचारित पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, पेयजल 20 कुओं, 4 नलकूपों और 24 कि0मी0 के पानी की पाइपलाइन नेटवर्क से प्राप्त किया जाता है।

वहीं भदरसा नगरीय क्षेत्र में जल की उपलब्धता लगभग 1.08 एमएलडी (मिलियन लीटर डेली) है और 13,154 (जनसंख्या, 2011) की आबादी के जल की आपूर्ति की आवश्यकता 2.04 एमएलडी है (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 एलपीसीडी+15 प्रतिशत अनकाउण्टेड वाटर (सी.पी.एच.इ.इ.ओ. गाइडलाइन्स, भारत सरकार) मानकों के अनुसार)। इस प्रकार 0.96 एमएलडी जलापूर्ति का अंतर है। शहर में 600 पानी के कनेक्शन हैं और पाइपलाइन वितरण प्रणाली की लंबाई 18 किलोमीटर है। 1 ओवरहेड टैंक के माध्यम से कुल 1.08 एमएलडी उपचारित पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, पेयजल 3 नलकूप और 18 कि0मी0 के पानी की पाइपलाइन नेटवर्क से प्राप्त किया जाता है। कुल प्रक्षेपित जनसँख्या हेतु महायोजना क्षेत्र में वर्ष 2031 तक यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुसार 200.08 एमएलडी जलापूर्ति की आवश्यकता होगी। इस दृष्टि से वर्तमान जलापूर्ति वर्तमान जनसंख्या के मात्र आंशिक भाग को जलापूर्ति देने में सक्षम है।

तालिका 3.26 नवाबगंज एवं भदरसा नगरीय क्षेत्र में वर्तमान जलापूर्ति का विवरण

क्र. सं.	नल का पानी (Tap water)			हैंडपंप (Hand Pump)	वेल/ट्यूबवेल (Well/Tube well)	टैंक/ तालाब (Tanks/ Ponds)	नदी/ नहर (River/ Canal)	अन्य (Others)
	क्षेत्र	उपचारित स्रोत (Treated Source)	अनुपचारित स्रोत (Untreated source)					
1	नवाबगंज	1.20 MLD	शून्य	4	20	शून्य	शून्य	शून्य
2	भदरसा	1.08 MLD	शून्य	3	3	शून्य	शून्य	शून्य

स्रोत– नवाबगंज एवं भदरसा नगर पालिका परिषद

- ***भंडारण और पम्पिंग व्यवस्था***

वर्तमान भंडारण में नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में 2 ओवरहेड टैकों की उपलब्धता के साथ 600 किलो लीटर पानी शामिल है। वहीं भदरसा नगरीय क्षेत्र में 1 ओवरहेड टैकों की उपलब्धता के साथ 270 किलो लीटर पानी शामिल है।

तालिका 3.27 नवाबगंज एवं भदरसा नगर में वर्तमान भंडारण सुविधाओं का विवरण

ओवरहेड टैंक की क्षमता (किलो लीटर में)	ओवरहेड टैंकों की संख्या	स्थान
450	1	नवाबगंज नगरीय क्षेत्र
150	1	
270	1	भदरसा नगरीय क्षेत्र

स्रोत– नवाबगंज एवं भदरसा नगर पालिका परिषद

3.11.2 सीवरेज एवं ड्रेनेज

जनगणना 2011 के अनुसार अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत 38.95 प्रतिशत नाले खुले नाले हैं और केवल 53.56 प्रतिशत बंद नाले हैं। लगभग 7.49 प्रतिशत शहर किसी भी प्रकार के जल निकासी नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। अयोध्या नगर निगम के अनुसार नगर में लगभग 31.64 एमएलडी सीवरेज उत्पन्न करता है, जिसका उत्सर्जन अंडर ग्राउण्ड नालों के माध्यम से सीधे ट्रीटमंट प्लांट में जाता है। अयोध्या नगरीय क्षेत्र में 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है।

जनगणना 2011 के अनुसार, भदरसा नगरीय क्षेत्र में 71.80 प्रतिशत नाले खुले नाले हैं और केवल 23.10 प्रतिशत बंद नाले हैं। लगभग 5.10 प्रतिशत शहर किसी भी प्रकार के जल निकासी नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। भदरसा नगर पंचायत के अनुसार नगर में लगभग 0.86 एमएलडी सीवरेज उत्पन्न करता है, जिसका उत्सर्जन खुले एवं अंडर ग्राउण्ड नालों के माध्यम से सीधे बिना किसी ट्रीटमंट के नदी में होता है। भदरसा नगरीय क्षेत्र में एक भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। जिसकी नितान्त आवश्यकता है।

भदरसा नगरीय क्षेत्र में, अधिकांश घरों में शौचालय की सुविधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यह पाया गया कि भदरसा नगरीय क्षेत्र में 51.10 प्रतिशत परिवार के परिसर में शौचालय की सुविधा है।

जनगणना 2011 के अनुसार, नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में 57.50 प्रतिशत नाले खुले नाले हैं और केवल 32.00 प्रतिशत बंद नाले हैं। लगभग 10.50 प्रतिशत शहर किसी भी प्रकार के जल निकासी नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। नवाबगंज नगर पालिका के अनुसार नगर में लगभग 0.98 एमएलडी सीवरेज उत्पन्न करता है, जिसका उत्सर्जन खुले एवं अंडर ग्राउण्ड नालों के माध्यम से सीधे बिना किसी ट्रीटमंट के नदी में होता है। नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में एक भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। जिसकी नितान्त आवश्यकता है। कुल प्रक्षेपित जनसँख्या हेतु महायोजना क्षेत्र में वर्ष 2031 तक यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुसार 160. 64 एमएलडी जलापूर्ति की आवश्यकता होगी।

नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में, अधिकांश घरों में शौचालय की सुविधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यह पाया गया कि नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में 71.60 प्रतिशत परिवार के परिसर में शौचालय की सुविधा है।

तालिका 3.28 अयोध्या विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में वर्तमान सीवरेज सुविधाओं का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	जनित सीवेज की मात्रा	ट्रीटेड सीवेज की मात्रा	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की संख्या	निपटान (Disposal)	
					उपचरित	अनुपचारित
1	अयोध्या नगर निगम क्षेत्र	31.64 एम0एल0डी0	31.64 एम0एल0डी0	2	नदी	Nil
2	नवाबगंज नगरीय क्षेत्र	0.98 एम0एल0डी0	Nil	Nil	Nil	नदी
3	भदरसा नगरीय क्षेत्र	0.86 एम0एल0डी0	Nil	Nil	Nil	नदी

स्रोत– जल निगम अयोध्या

3.11.3 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय

सामुदायिक शौचालय एक साझा सुविधा है जो निवासियों के एक समूह या पूरी बस्ती को प्रदान की जाती है। सामुदायिक शौचालय मुख्य रूप से अनौपचारिक बस्तियों/झुग्गी बस्तियों में उपयोग किए जाते हैं, जहां घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने में स्थान/भूमि की कमी होती है। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 52 सार्वजनिक शौचालय विद्यमान है। 2011 की जनगणना के अनुसार, नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में केवल 4.3 प्रतिशत परिवार और भदरसा नगरीय क्षेत्र में 1.7 प्रतिशत परिवार सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं। नवाबगंज एवं भदरसा नगर पालिका के अनुसार, नगर में क्रमशः 14 एवं 10 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय है। प्रति उपयोगकर्ता 10 रुपये का उपयोगकर्ता शुल्क लिया जाता है। सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव की लागत पर औसत वार्षिक व्यय लगभग 1 लाख है।

3.11.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर का जो सालिड वेस्ट पैदा होता है उसके एकत्रीकरण व निस्तारण का कार्य नगरपालिका/नगर निगम के अधीन है। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 162.25 टन प्रति दिन सालिड वेस्ट उत्पन्न होता है। नवाबगंज नगरपालिका के अनुसार नगर में लगभग 3.71 टन प्रति दिन सालिड वेस्ट उत्पन्न होता है। नगर में उत्पन्न वेस्ट के पृथक्करण (Segregation) का कार्य नहीं किया जाता है। नवाबगंज नगरपालिका द्वारा 103 कर्मचारी और 68 वाहन कूड़ा निस्तारण ग्राउंड में कचरा इकट्ठा करने और परिवहन के लिए तैनात हैं। नगरपालिका कचरा इकट्ठा करने और परिवहन के लिए 36 साइकिल वैन, 3 मिनी टिपर, 1 टिपर ट्रक, 4 डंपर, 1 कॉम्पेक्टर, 2 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 4 अन्य वाहनों का उपयोग करता है। 1 हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग विशेष रूप से निर्माण और विध्वंस कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए किया जाता है। नवाबगंज नगरपालिका में कोई सैनिटरी लैंडफिल साइट नहीं है, और वर्तमान में खुले क्षेत्र में 1.23 एकड़ क्षेत्र में कचरे का खुले तौर पर निपटान किया जाता है। शहर में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट की नितान्त आवश्यकता है। है। नवाबगंज नगर में एक एम0 आर0 एफ0 सेन्टर प्रस्तावित है।

भदरसा नगर पंचायत के अनुसार नगर में लगभग 2.34 टन प्रति दिन सालिड वेस्ट उत्पन्न होता है। नगर में उत्पन्न वेस्ट के पृथक्करण (Segregation) का कार्य नहीं किया जाता है। भदरसा नगर पंचायत द्वारा 63 कर्मचारी और 25 वाहन कूड़ा निस्तारण ग्राउंड में कचरा इकट्ठा करने और परिवहन के लिए तैनात हैं। नगर पंचायत कचरा इकट्ठा करने और परिवहन के लिए 26 साइकिल वैन, 1 मिनी टिपर, 1 टिपर ट्रक, 2 डंपर, 1 कॉम्पेक्टर, 1 जेसीबी, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 अन्य वाहनों का उपयोग करता है। भदरसा नगर पंचायत में कोई सैनिटरी लैंडफिल साइट नहीं है, और वर्तमान में खुले क्षेत्र में कचरे का खुले तौर पर निपटान किया जाता है। शहर में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट की नितान्त आवश्यकता है। है। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट के संग्रह के लिए तैनात वाहनों का विवरण तालिका संख्या 3.29 में दर्शाया गया हैः—

तालिका 3.29 ठोस अपशिष्ट के संग्रह हेतु वाहनों के प्रकार

क्रमांक	वाहनों का प्रकार	संख्या
1	लोडर	3
2	डम्पर	5
3	ट्रैक्टर	9
4	टाटा एस	16
5	जेसीबी बैक हो लोडर	3
6	मिनी रोबोट लोडर	1
7	सीवर अनुभाग मशीन	2
8	मिनी हाइड्रोलिक लोडर	1
9	टाटा जेटिंग पंप	2
10	डम्पर खुशी	1

स्रोत– नगर निगम अयोध्या

3.11.5 विद्युत आपूर्ति

अयोध्या के विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो रहा है। वर्तमान में अयोध्या विकास क्षेत्र के अंतर्गत सोहावल में 220 KV, दर्शननगर में 132 KV, मलिकपुर में 220 KV एवं रामपुर हलवारा माँझा में 40 MW का सोलर पॉवर प्लांट का विद्युत स्टेशन स्थित है। नगरीय क्षेत्र में वर्तमान विद्युत् मांग एवं आपूर्ति तथा बिजली कनेक्शनों की संख्या का विवरण तालिका 3.31संख्या में दर्शाया गया है।

तालिका 3.30 विद्युत् स्टेशनों का विवरण

शक्ति का स्रोत	दूरी (कि0मी0)	कुल बिजली की मांग (MW)	कुल विद्युत आपूर्ति (MW)	कुल खपत (MW)
132 KV Darshannagar & 220 KV Sohawal	15 KM	44.62	44.62	33.197

स्त्रोतः– विद्युत विभाग अयोध्या

तालिका 3.31 विद्युत् कनेक्शनों का विवरण

प्रकार	आवासीय	व्यावसायिक	औद्योगिक	कृषि	अन्य
कनेक्शन की संख्या	51844	9860	188	52	410
बिजली की खपत	15343985 KWH	2541529 KWH	144440 KWH	4675 KWH	2100829 KWH

स्त्रोतः– विद्युत विभाग अयोध्या

3.11.6 यातायात एवं परिवहन

किसी नगर के भौतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिये एक प्रभावपूर्ण यातायात एवं परिवहन प्रणाली का होना अत्यन्त आवश्यक है । यातायात मार्ग का नगर मे वही स्थान है ,जो शरीर मे रक्त की धमनियों का है। नगर के विभिन्न स्थानो एवं क्रियाओं मे सहज तथा लाभकारी सम्बद्धता के लिये यह आवश्यक है कि इनके मध्य यातायात के सहज आवागमन मे कम से कम अवरोधक स्थितियों एवं सम्भावनाएं रहे। अयोध्या विस्तारित विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रो मे मार्गो का नियोजित एवं श्रेणीबद्ध विकास न होने के कारण अधिकांश मार्ग संकरे तथा वर्तमान यातायात भार की दृष्टि से अनुपयुक्त है।

नगर का भौतिक विकास नगर में उपलब्ध यातायात के साधनों पर निर्भर करता है। वर्तमान में (वर्ष 2023) यातायात भू–उपयोग के अंतर्गत 704.85 हे0 जो विकसित क्षेत्र का 16.27 प्रतिशत है। अयोध्या नगर में 2 बस स्टैण्ड स्थित है, जिसका एक वर्कशॉप प्रयागराज मार्ग पर स्थित है। नगर में बस/ट्रक अवसान केन्द्रों के अभाव के कारण नगर के प्रमुख मार्गों के किनारे अव्यवस्थित रूप से वाहन खड़े होते हैं। जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उक्त के अन्तर्गत रेलवे की 105.93 हे0 भूमि स्थित है।

3.11.6.1 यातायात समस्याएँ

अयोध्या विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रो में यातायात सम्बन्धी समस्याएं मुख्यतः अनियोजित व अनियंत्रित विकास का परिणाम है। इनकी गंभीरता मार्गों पर मिश्रित बाहनों के एक साथ चलने, आवश्यक पार्किंग स्थलों का पूर्णतः अभाव, विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों के नगर के घने बसे क्षेत्रों के मध्य स्थित होने तथा मुख्य मार्गों पर मुख्यतः व्यापारिक क्रियाओं के अतिक्रमणों के परिणामस्वरूप मार्गों की प्रभावी चौड़ाई के कम होने के कारण यातायात समस्याएं और भी विकराल हो जाती है।

तालिका 3.32 अयोध्या विकास क्षेत्र के मुख्य नगरीय मार्गों का विवरण

क्र.सं.	मार्गों का नाम	विद्यमान चौ0 मार्गाधिकार सहित
1	अयोध्या–सुल्तानपुर मार्ग (एन0एच0)	28–38 मी0
2	अयोध्या–अम्बेडकरनगर मार्ग (एन0एच0)	22–32 मी0
3	अयोध्या–राय बरेली मार्ग (एन0एच0)	32–40 मी0
4	अयोध्या–लखनऊ–गोरखपुर मार्ग (एन0एच0)	36–60 मी0
5	अयोध्या–नवाबगंज–गोण्डा मार्ग (एन0एच0)	16–36 मी0
6	नवाबगंज–मनकापुर मार्ग (प्रस्तावित बाईपास से नगरीकरण क्षेत्र के बाहर)(एस0एच0)	12–20 मी0
7	नवाबगंज–मनकापुर मार्ग (प्रस्तावित बाईपास से नगरीकरण क्षेत्र के अन्दर) (एस0एच0)	12–20 मी0
8	नवाबगंज–तरबगंज मार्ग (एस0एच0)	09–26 मी0
9	अयोध्या–लखनऊ मार्ग से देवरही बाजार मार्ग (एम0डी0आर0)	15–22 मी0
10	अयोध्या–लखनऊ मार्ग से रायबरेली मार्ग वाया सोहावल (ओ0डी0आर0)	09–18 मी0
11	रायबरेली–मसौधा मार्ग (ओ0डी0आर0)	10–18 मी0
12	रायबरेली–रेवतीगंज मार्ग (एम0डी0आर0)	15–22 मी0
13	दर्शन नगर–भरतकुंड मार्ग (ओ0डी0आर0)	15–24 मी0
14	अम्बेडकरनगर–तरुण माया मार्ग (ओ0डी0आर0)	12–20 मी0
15	सुल्तानपुर मार्ग से तरुण माया मार्ग (ओ0डी0आर0)	16–28 मी0
16	रसूलाबाद–दर्शन नगर मार्ग (ओ0डी0आर0)	12–20 मी0
17	अयोध्या धाम से दशरथ समाधि के निकट तक(ओ0डी0आर0)	12–20 मी0
18	दशरथ समाधि से अम्बेडकरनगर मार्ग	12–20 मी0
19	अयोध्या–गोरखपुर मार्ग से विक्रमजोत मार्ग (ओ0डी0आर0)	15–18 मी0
20	नवाबगंज से देमुहाघाट मार्ग (ओ0डी0आर0)	12–20 मी0

क्र.सं.	मार्गों का नाम	विद्यमान चौ0 मार्गाधिकार सहित
21	हेड पोस्ट ऑफिस चौराहे से जय प्रकाश नारायण चौराहा (रिकाबगंज), चौक घंटाघर , गुलाब बाड़ी रीडगंज चौराहे तक	18–20 मी0
22	जय प्रकाश नारायण (रिकाबगंज) चौराहे से महर्षि कश्यप (नियावाँ) चौराहा , अग्रसेन (गुदड़ी बाजार) चौराहा , वाल्मीकि चौराहा , बेनीगंज , बृहस्पति कुण्ड चौराहा , अयोध्या पोस्ट ऑफिस तिराहा होते हुये लता मंगेशकर चौराहे तक	18–20 मी0
23	फैजाबाद गुलाब बाड़ी चौराहे से रीडगंज होते हुये देवकाली तक	8–24 मी0
24	फैजाबाद चौक घंटाघर से भामा शाह (फतेहगंज) चौराहा तक	12–16 मी0
25	गद्दोपुर (इन्डस्ट्रीयल स्टेट) से सरदार भागत सिंह चौराहा (जिलाधिकारी निवास चौराहा), कमिशनर कार्यालय चौराहा होते हुये कैंटोनमेंट तक	16–20 मी0
26	चौक घंटाघर से धारा रोड	12–22 मी0
27	नियावाँ चौराहे से जमथरा चुंगी तक	8–12 मी0
28	गो प्रतार (गुप्तार घाट) घाट से जमथरा, धारा रोड, अफीम कोठी, 14 कोसी/5 कोसी परिक्रमा मार्ग होते हुये अयोध्या राजघाट तक	10–16 मी0
29	नाका (हनुमानगढ़ी चौराहा) से जनौरा होते हुये फतेहगंज–देवकाली मार्ग पर प्रस्तावित सार्वजनिक सुविधाओं भू–उपयोग के दक्षिण–पश्चिम कोने तक	8–20 मी0
30	(नाका हनुमानगढ़ी–जनौरा–देवकाली) मार्ग पर प्रस्तावित सार्वजनिक सुविधा भू–उपयोग से दक्षिण की ओर बाईपास तक (लगभग 64 मीटर)	12–20 मी0
31	सप्लाइ ऑफिस तिराहे से पुष्परज चौराहा होते हुए रिकाबगंज रोड तक	18–24 मी0
32	विद्याकुण्ड के दक्षिण किनारे के पास तिराहे से रानोपाली मंदिर तिराहा रेलवे क्रॉसिंग पार कर टेढ़ी बाजार चौराहे से वशिष्ठ कुण्ड, राजघाट व अशर्फी भवन के सामने से अयोध्या पोस्ट ऑफिस तिराहे तक	10–14 मी0
33	विद्याकुण्ड तिराहे से उत्तर की ओर रेलवे क्रॉसिंग तक	6–10 मी0
34	जिलाधिकारी निवास चौराहा से मोदहा रेलवे क्रॉसिंग, नाका (हनुमानगढ़ी चौराहा) तक जनौरा होते हुये (चिकित्सालय) के पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग तक	18–22 मी0
35	अब्बूसराय ग्राम के पूर्वी किनारे पर बाईपास रोड पर स्थित तिराहे से सहादतगंज हनुमानगढ़ी व पहलवानवीर तिराहे से हवाई कोठी चुंगी तक	8–10 मी0
36	जिलाधिकारी निवास के फाटक के सामने तिराहे से जी0आई0सी के पीछे रेलवे क्रॉसिंग पार कर मकबरा गेट तिराहे तक	12–16 मी0
37	आयुक्त निवास तिराहे से सुरसर कालोनी चौराहे, मोदहा रेलवे क्रॉसिंग से दक्षिण सीधे बाईपास तक	10–16 मी0

क्र.सं.	मार्गों का नाम	विद्यमान चौ0 मार्गाधिकार सहित
38	मोदहा रेलवे क्रॉसिंग से दक्षिण की ओर बाईपास जाने वाले मार्ग पर प्रस्तावित तिराहे से निकाल कर पूर्व की ओर नवीन मंडी स्थल के उत्तर से रायबरेली रोड तक	10–16 मी0
39	नवीन मंडी स्थल के पश्चिम में बाई पास से निकल कर उपरोक्त मार्ग पर तिराहे तक (लगभग 400 मीटर)	8–10 मी0
40	मालगोदाम चुंगी से पुष्पराज टाकीज चौराहे तक	12–14 मी0
41	जय प्रकाश नारायण (रिकाबगंज) चौराहे से कसाबबाड़ा तिराहे तक	12–14 मी0
42	नियावाँ–जमथरा मार्ग के बालकराम कालोनी चौराहे से हसनु कटरा होते हुये दिल्ली दरवाजा तक	6–10 मी0
43	अंगूरीबाग कालोनी के पश्चिम से दिल्ली दरवाजा रोड को पार कर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग तक	8–10 मी0
44	फैजाबाद कोतवाली तीनदरे के पश्चिम से शुरू होकर दक्षिण तरफ आचार्य नरेंद्रदेव रेलवे स्टेशन के पश्चिम रेलवे लाइन तक	5–6 मी0
45	कोहिनूर पैलेस के सामने से गुलाब बाड़ी के पूर्व होते हुये (अग्रसेन चौक–बेनीगंज) मार्ग पर साहबगंज तक	10–14 मी0
46	देवकाली – बेनीगंज रोड के मध्य से बछड़ा–सुल्तानपुर मार्ग तक	8–12 मी0
47	(फैजाबाद –सुल्तानपुर) रोड पर बहु बेगम मकबरा के उत्तर पश्चिम कोने से निकल कर लालबाग स्थित तिराहे तक	6–8 मी0
48	बहु बेगम मकबरा के पूर्व–उत्तर तिराहे से पूर्व–दक्षिण तिराहे तक	8–12 मी0
49	लालबाग रेलवे क्रॉसिंग (लालबाग पानी टंकी) से निकाल कर दक्षिण–पूर्व की दिशा में लक्ष्मी सागर कुण्ड होते हुये 30 मीटर चौड़े मार्ग तक	6–8 मी0
50	फतेहगंज–देवकाली रोड पर वजीरगंज के समीप तिराहे से निकलकर चमारन टोला होते हुये जनौर ग्राम के उत्तर में स्थित 24 मीटर मार्ग के तिराहे तक	6–10 मी0
51	फैजाबाद–सुल्तानपुर मार्ग (राजमार्ग–9) पर नाका (पेट्रोल पम्प के उत्तर) से निकलकर पूर्व की ओर लगभग 600 मीटर पर स्थित 24 मीटर रोड के तिराहे तक	6–8 मी0
52	जनौर ग्राम में बाईपास के उत्तर में पार्क एवं खुले भू–उपयोग के दक्षिण–पश्चिम तिराहे से पूर्व की ओर लगभग 880 मीटर पर 30 मीटर मार्ग तक	8–12 मी0
53	जनौर ग्राम में बाईपास के उत्तर में पार्क एवं खुले भू–उपयोग के दक्षिण–पूर्व तिराहे से उत्तर की तरफ 30 मीटर चौड़े मार्ग तक	8–12 मी0

3.11.6.2 वाहन यातायात (Vehicular Traffic)

दशकीय आंकड़ों के अनुसार अयोध्या नगर में पंजीकृत वाहनों की संख्या में वर्ष 2016 से 2019 के बीच 44.45% वृद्धि हुई है। जिसमें वार्षिक औसत वृद्धि दर 13.57% है। वर्षवार पंजीकृत वाहनों की संख्या

का विवरण तालिका 3.33 में दर्शाया गया है। निम्लिखित तालिका से यह ज्ञात होता है कि निजी वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई हो रही है, जो ज्यादातर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की कमी का परिणाम है।

तालिका 3.33 पंजीकृत वाहनों का विवरण

अनुक्रमांक	वाहनों के प्रकार	वाहनों की संख्या			
		2016	2017	2018	2019
1	ट्रैक्टर	837	1154	1278	1457
2	बस	107	108	110	93
3	एम्बुलेंस	4	2	4	1
4	जोड़ा हुआ वाहन	2	25	4	1
5	कैम्पर वैन / ट्रेलर	8	12	1	–
6	नकद वैन	–	–	19	3
7	निर्माण उपकरण वाहन	–	–	11	11
8	क्रेन वाहन	1	–	1	–
9	अर्थ मूविंग उपकरण	12	21	27	48
10	शैक्षणिक संस्थान बस	–	–	92	42
11	ईदृरिक्शा (पी)	218	881	848	540
12	गाड़ी के साथ ईदृरिक्शा (जी)	8	17	11	13
13	खोदक मशीन (वाणिज्यिक)	–	–	3	–
14	माल वाहक	757	1448	1711	1128
15	अमान्य सवारी डिब्बा	9	17	30	11
16	मैक्सी कैब	113	142	148	131
17	एम–साइकिल/स्कूटर	28789	36464	38854	40727
18	एम–साइकिल/स्कूटर–साइड कार के साथ	–	–	–	–
19	मोपेड वाहन	539	270	1318	1090
20	मोटर कैब	40	60	38	28
21	मोटर कार	1670	2151	2236	2175
22	मोटर चालित साइकिल	–	1	1	5
23	ओमनी बस	2	2	3	21
24	निजी सेवा वाहन	–	–	1	–
25	तीन पहिया (माल)	77	113	142	141
26	तीन पहिया (यात्री)	262	139	388	672
27	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	–	4	3	–
28	ट्रैक्टर–ट्राली (वाणिज्यिक)	–	–	1	–
29	ट्रेलर (वाणिज्यिक)	8	2	1	–
	कुल वाहन	**33463**	**43033**	**47286**	**48338**

स्रोतः अयोध्या महायोजना–2031 भाग–क के अनुसार

3.11.6.3 यातायात सर्वेक्षण

यातायात सर्वेक्षण वर्तमान यातायात समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है, जिसके लिए सड़क विकास और सार्वजनिक परिवहन सुधार सहित कई उपायों की आवश्यकता होती है। यातायात सर्वेक्षण पद्धति का निर्णय उपरोक्त सभी उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। शहरी विस्तार और भू–उपयोग परिवर्तन यातायात

की आवाजाही को प्रभावित करता हैं। सर्वेक्षण पद्धति का निर्णय सर्वेक्षण क्षेत्र के शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

- ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे (Origin & Destination Survey)
- ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे (Traffic Volume Survey)

ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे (Traffic Volume Survey)

नगर के महत्वपूर्ण जंक्शनों पर यातायात सर्वेक्षण किया गया ,जिसका विवरण तालिका संख्या 3.34 में दर्शाया गया है। यातायात सर्वेक्षण हेतु चयनित मार्ग निम्नवत है:–

- रिकाबगंज से नियावां रोड
- नियावां से अयोध्या को जाने वाला मार्ग
- राम की पैड़ी से हनुमान गढ़ी को जाने वाला मार्ग
- फतेहगंज से चौकको जाने वाला मार्ग

तालिका 3.34 ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे

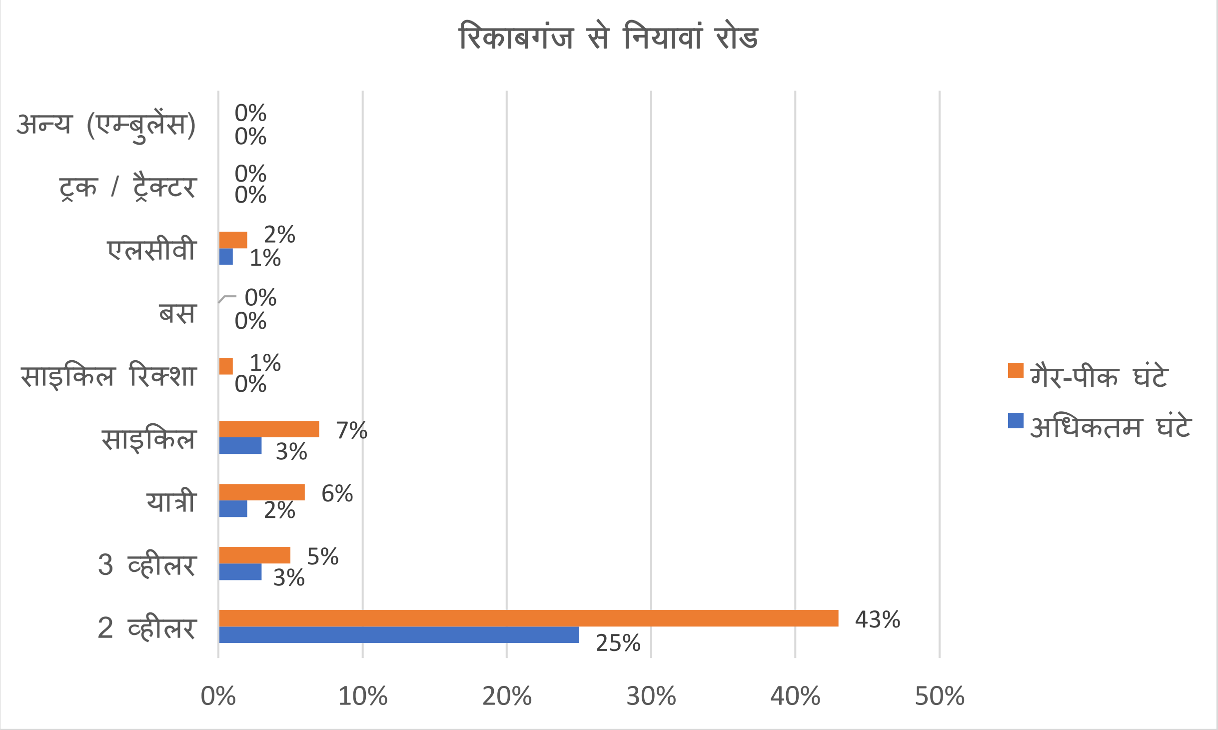

स्रोतः अयोध्या महायोजना–2031 भाग–क के अनुसार

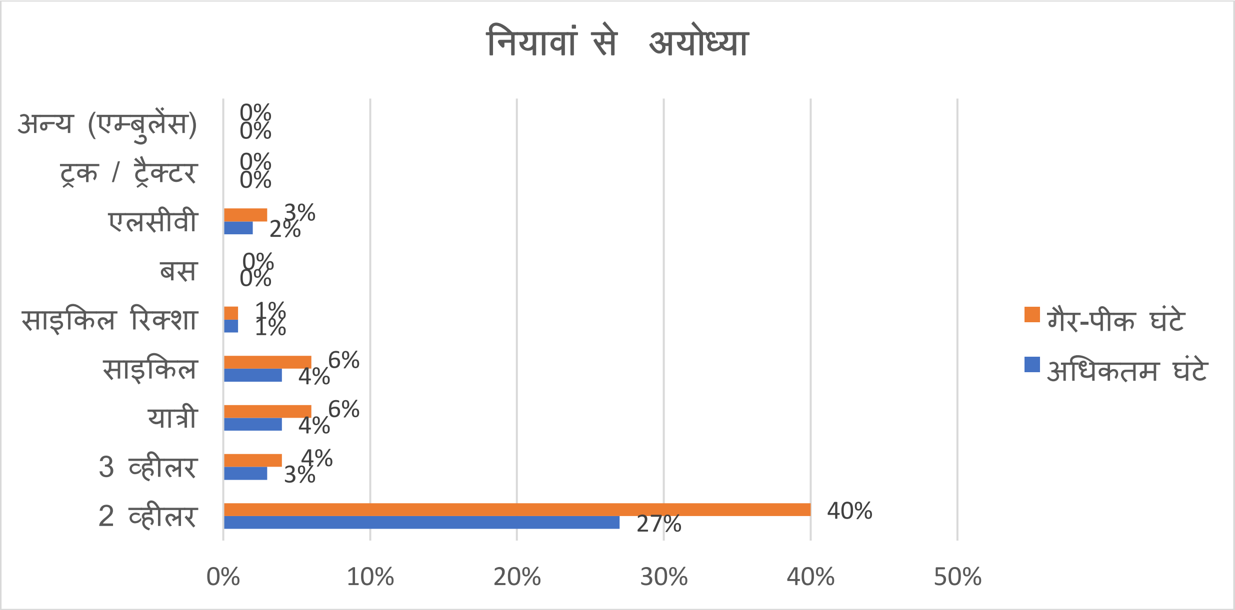

स्रोतः अयोध्या महायोजना–2031 भाग–क के अनुसार

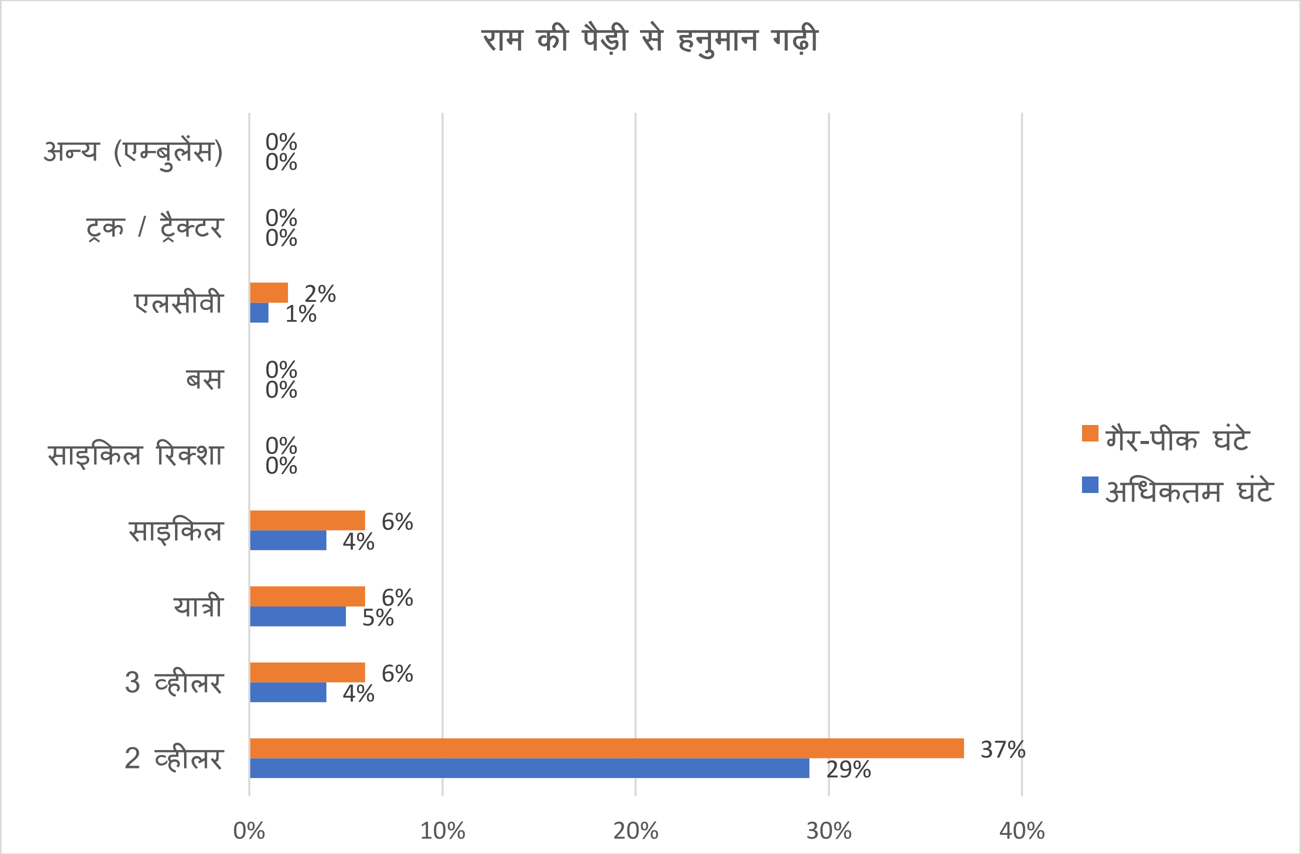

स्रोतः अयोध्या महायोजना–2031 भाग–क के अनुसार

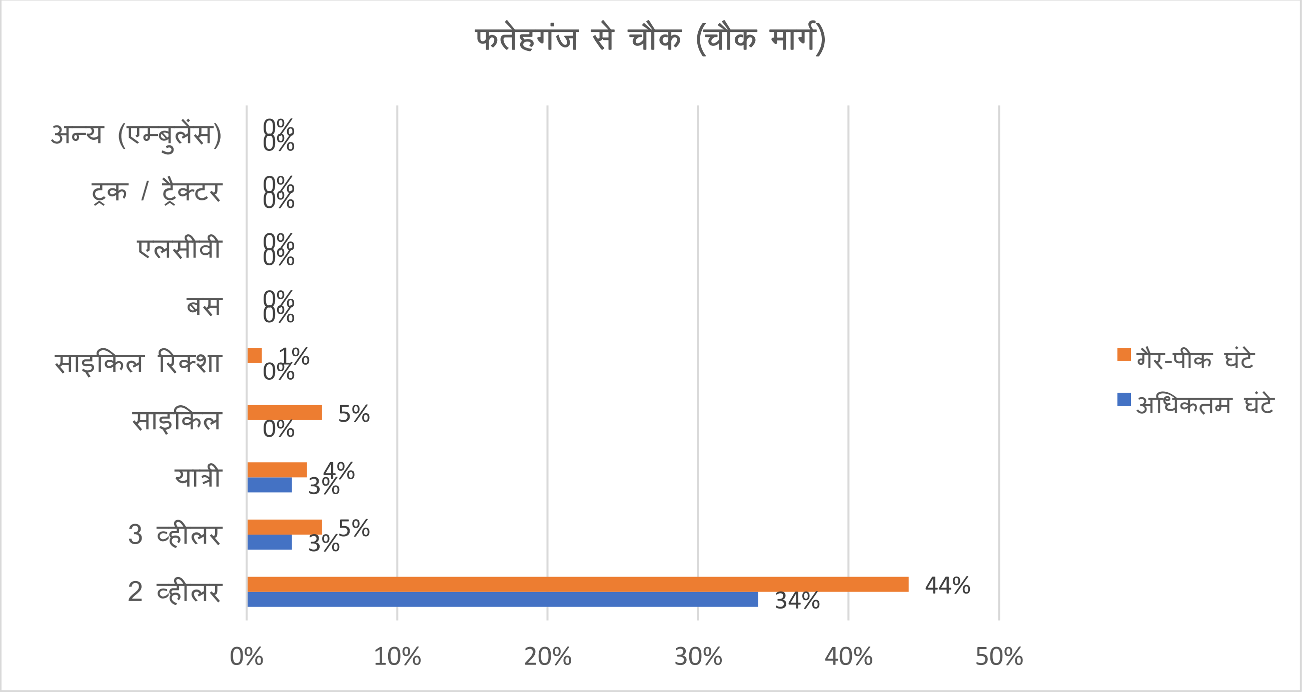

स्रोतः अयोध्या महायोजना–2031 भाग–क के अनुसार

ट्रैफिक सर्वे से पता चला कि रिकाबगंज से नियावां रोड, नियावां रोड से अयोध्या, राम की पैड़ी से हनुमान गढ़ी, महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) से चौक, सहादतगंज बाईपास से बस अड्डा, बेनीगंज से हनुमान गढ़ी और मकबरा रोड से नाका चुंगी जैसी सड़कों पर सबसे ज्यादा जाम लगता है। इन सड़कों का ज्यादातर इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होता है और यह लोगों को उनके कार्यस्थलों से जोड़ती हैं। सड़कों और रेलमार्गों के बीच क्रॉस जंक्शन ट्रैफिक जाम का प्रमुख कारण हैं। ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए अयोध्या विकास क्षेत्र ने पांच महत्वपूर्ण सड़कों पर ओवर ब्रिज का प्रस्ताव दिया है, जो निम्नवत है :–

- मोदाहा चौराहा
- महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) चौराहा,
- दर्शन नगर के पास चार लेन का पुल,
- बड़ी बुआ चौराहा
- सूर्य कुंड चौराहा

मानचित्र 3.1 ट्रैफिक का घनत्व एवं दिशा

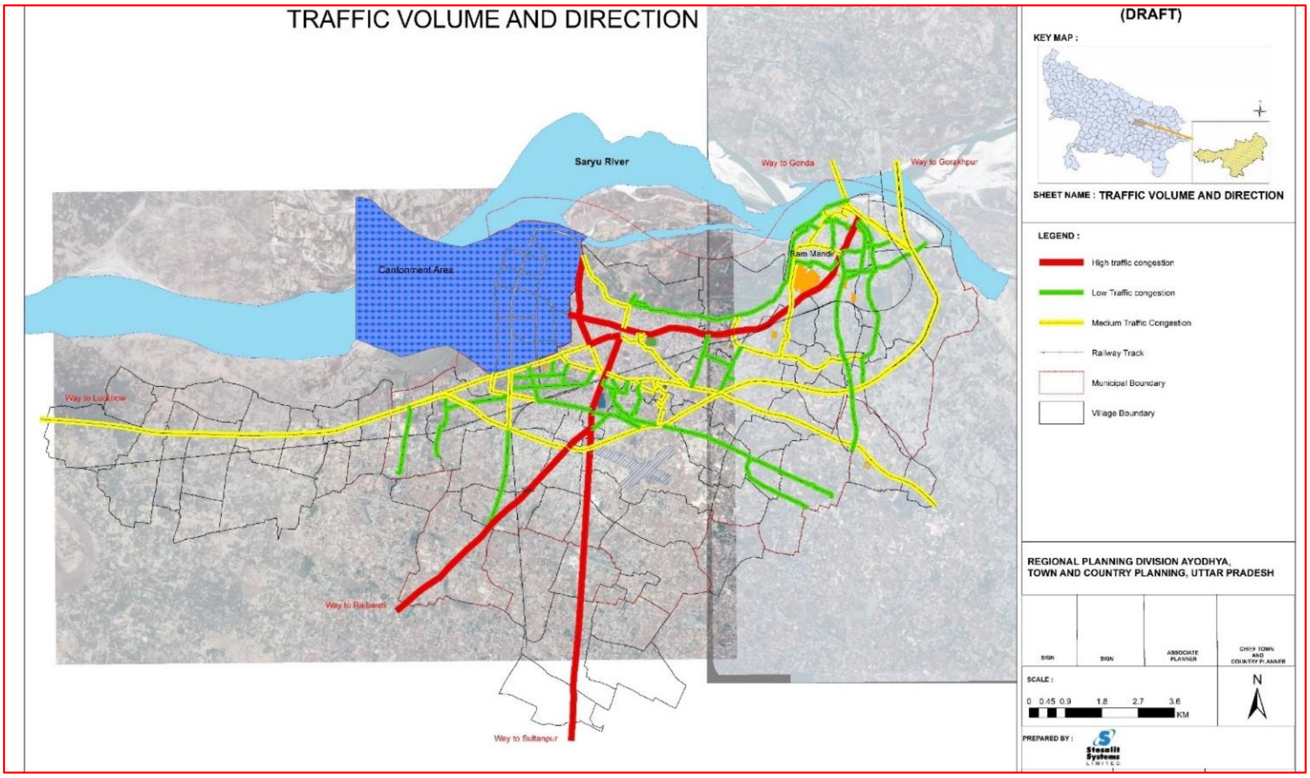

ओरिजिन एवं डेस्टिनेशन सर्वे (Origin & Destination Survey)

नगर के प्रमुख एंट्री–एग्जिट पॉइंट

नगर में दो प्रमुख एंट्री–एग्जिट बिंदु हैः–

- कटी तिराहा
- कोल्ड स्टोरेज चौराहा

सर्वेक्षण अनुसार यह ज्ञात होता है की नगर में एंट्री और एग्जिट करने वाले लगभग 73 प्रतिशत वाहन का ओरिजिन और डेस्टिनेशन पॉइंट नगर के बाहर स्थित है। ऐसे वाहनों की आवाजाही से नगर के यातायात व्यवस्था के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ता है जिससे यातायात संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती है। वर्तमान यातायात समस्याओं और सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि नगर में एक बाईपास की परम आवश्यकता है जो इस प्रकार के यातायात को नगर में प्रवेश करने से रोके।

चित्र 3.9 नवाबगंज नगर का ओ0डी0 सर्वे

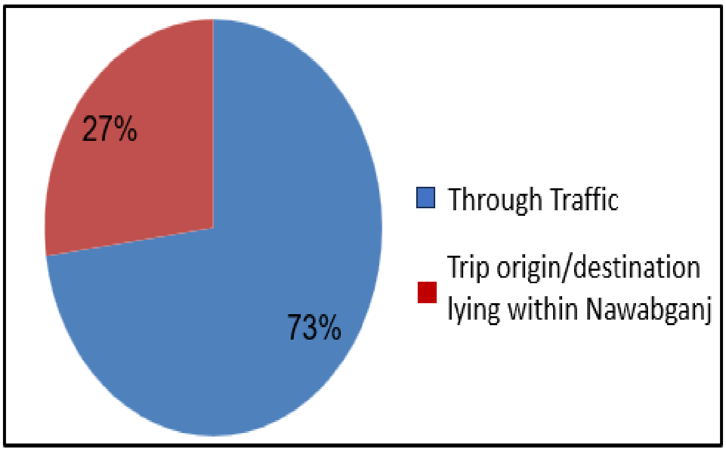

चित्र 3.10 नवाबगंज नगर में दो प्रमुख एंट्री–एग्जिट बिंदु

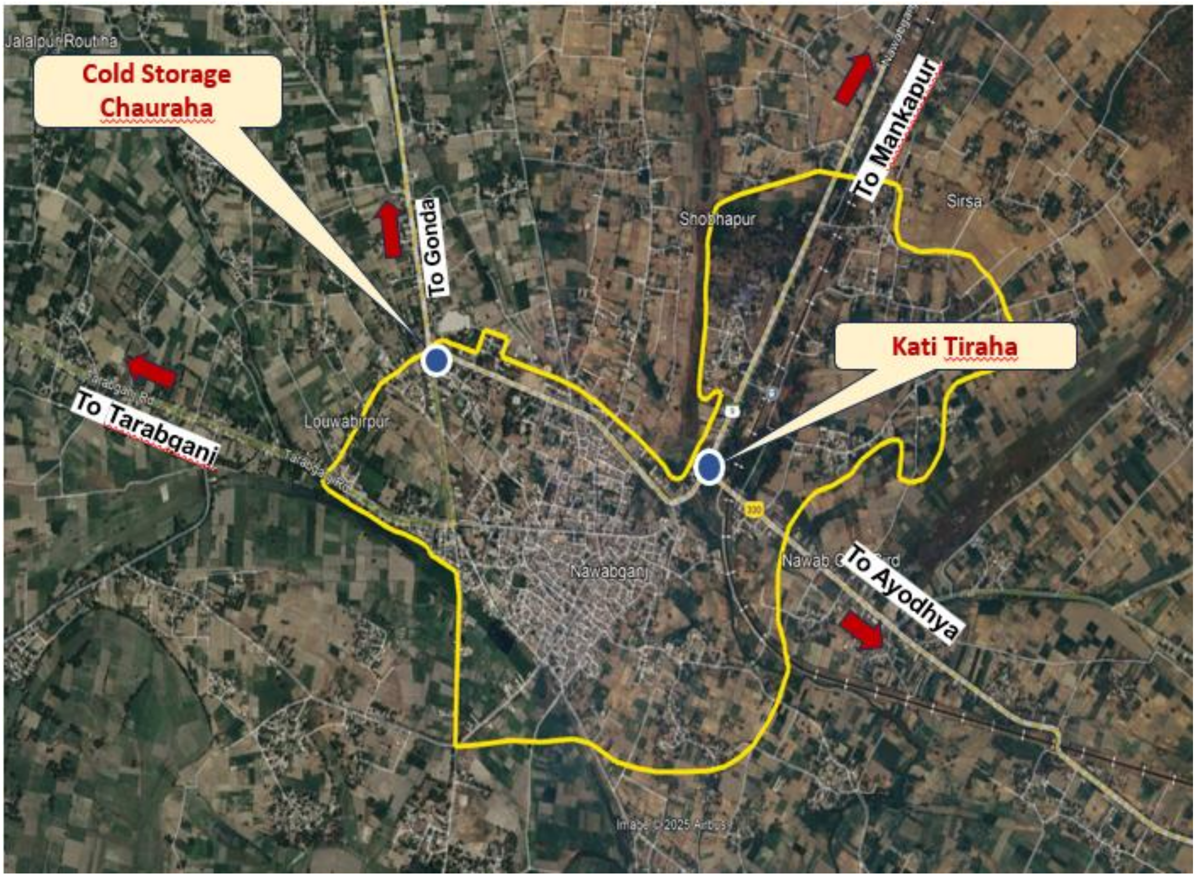

3.11.7 सामाजिक आधारभूत संरचना

नगरीय जीवन के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त आवश्यक सुविधाओं एवं सेवाओं का उपलब्ध होना आवश्यक है। साथ ही नगर में उक्त सुविधाओं एवं सेवाओं का समान वितरण होना अत्यंत आवश्यक होता है। सामाजिक आधारभूत संरचना का तात्पर्य उन सुविधाओं से होता है जो समूहगत आधार पर उपलब्ध होती हैं और नगर निवासियों के सामूहिक कल्याण, प्रगति एवं विकास के उद्देश्य से कार्यरत होती हैं। इन सुविधाओं एवं सेवाओं के अंतर्गत मुख्य यथा–शैक्षिक, चिकित्सा, सामुदायिक सुविधाऐं, डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन आदि सेवाएँ होती हैं जो सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण नगरीय जीवन के लिए आवश्यक ही नहीं वरन् अपरिहार्य हैं।

नगर में सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत सर्वेक्षण अनुसार वर्ष 2023 में 558.62 हे0 भू–क्षेत्र आता है जो नगर के कुल विकसित क्षेत्रफल का 12.89 प्रतिशत है। जिनमें शिक्षण संस्थाएँ, चिकित्सालय, तकनीकी शैक्षिक संस्थाएँ, राजकीय पुस्तकालय, डाकघर/तारघर, अग्निशमन एवं पुलिस स्टेशन एवं पुलिस लाइन आदि सम्मिलित हैं।

3.11.8 राजकीय/अर्द्ध–राजकीय कार्यालय

अयोध्या के विकास क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय, राज्य एवं अर्द्ध–राजकीय कार्यालय मुख्यतः सहादतगंज मार्ग (राम पथ मार्ग) पर सिविल लाइन्स क्षेत्र, गोण्डा मार्ग, अम्बेडकरनगर मार्ग, सुल्तानपुर मार्ग एवं लखनऊ मार्ग पर स्थित है। वर्तमान भू–सर्वेक्षण के अनुसार विकास क्षेत्र में कुल 24.48 हे0 भूमि प्रयुक्त है जो कुल क्षेत्रफल का 0.56 प्रतिशत है।

3.11.9 शैक्षिक सुविधाएँ

अयोध्या नगर में वर्तमान में 58 मान्टेसरी/नर्सरी स्कूल (शिक्षा विभाग द्वारा पंजीकृत), 146 प्राथमिक विद्यालय, 50 माध्यमिक विद्यालय, 16 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा 3 इण्टर कॉलेज है। उक्त के अतिरिक्त अयोध्या नगर में 3 डिग्री कॉलेज/विश्विद्यालय है, नामतः श्री परमहंस डिग्री कॉलेज, के0एस0 साकेत पी0जी0 कॉलेज तथा डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्विद्यालय, अयोध्या। नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में 3 मान्टेसरी नर्सरी स्कूल (शिक्षा विभाग द्वारा पंजीकृत), 7 प्राथमिक विद्यालय (मिश्रित), 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 3 माध्यमिक विद्यालय स्थित है। वहीं भदरसा नगरीय पंचायत 8 मान्टेसरी नर्सरी स्कूल (शिक्षा विभाग द्वारा पंजीकृत), 12 प्राथमिक विद्यालय (मिश्रित), 7 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 4 माध्यमिक विद्यालय तथा 1 महाविद्यालय स्थित है।

नगर में वर्तमान जनसंख्या के आधार पर शिक्षा सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं। इन सुविधााओं की न केवल संख्यात्मक दृष्टि से अपितु गुणात्मक दृष्टि से भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।

3.11.10 स्वास्थ्य सुविधाएँ

अयोध्या नगरीय क्षेत्र में सांख्यिकीय पत्रिका के अनुसार 8 एलोपेथिक चिकित्सालय/औषधालय, 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 परिवार कल्याण केन्द्र स्थित है। नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में एक समुदायिक स्वास्थय केन्द्र, तथा एक परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेंद्र स्थित है। वहीं भदरसा नगरीय क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय/औषधालय स्थित है। नगर में विद्यमान चिकित्सा सुविधाएँ जनसंख्या के अनुसार पर्याप्त नहीं है और न ही गुणवत्ता के अनुरूप हैं। इस दृष्टि से एक उच्चस्तरीय हॉस्पिटल की परम आवश्यकता है।

3.11.11 पुलिस सेवा/अग्निशमन सेवा

नागरिक की सुरक्षा वहाँ की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। वर्तमान में अयोध्या नगरीय क्षेत्र में 4 पुलिस स्टेशन तथा नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में 1 पुलिस स्टेशन एवं 2 पुलिस चौकी हैं। वहीं भदरसा नगरीय क्षेत्र मात्र एक पुलिस चौकी स्थित है। अयोध्या नगरीय क्षेत्र में 1 अग्निशमन केन्द्र नवाबगंज एवं भदरसा नगरीय क्षेत्र में अग्निशमन कन्द्रों का आभाव है। वर्ष 2031 तक 23 अतिरिक्त पुलिस स्टेशन, 78 पुलिस चौकी और 6 अग्निशमन केन्द्र की अतिरिक्त आवश्यकता होगी जिसके लिए 108.50 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी।

3.11.12 डाक सेवा/दूरसंचार केन्द्र

मानक के अनुसार प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर एक उप डाकघर एवं 5 लाख की जनसंख्या पर एक प्रधान डाकघर एवं तारघर प्रस्तावित किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में नवाबगंज नगरीय क्षेत्र में 2 एवं भदरसा नगरीय क्षेत्र में एक उप डाकघर स्थित हैं।

3.11.13 मनोरंजनात्मक सुविधाएँ

मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए खुले स्थलों, पार्कों एवं क्रीडा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मनोरंजन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। सुव्यवस्थित एवं उपयुक्त पार्क एवं खुले स्थल नगर के पर्यावरण को प्रदूषित होने से तो बचाते ही हैं साथ ही नगर निवासियों को खुला वातावरण भी मिलता है।

नगर में उपलब्ध खुले क्षेत्र वर्तमान एवं भावी जनसंख्या की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। मानक के अनुरूप कुल भू–क्षेत्र का 12 से 16 प्रतिशत भाग पर्यावरण की दृष्टि से पार्क/खुला क्षेत्र/स्टेडियम के रूप में होना आवश्यक है। अयोध्या विस्तारित विकास क्षेत्र में वर्तमान भू–उपयोग के अनुसार पार्क एवं खुला क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 81.67 हे0 भूमि प्रयुक्त है जो कुल क्षेत्रफल का 1.88 प्रतिशत है। अयोध्या नगर में स्थित मनोरंजनात्मक क्रियाओं की सूची का विवरण तालिका संख्या में दर्शाया गया है।

तालिका 3.35 अयोध्या नगर में विद्यमान पार्कों का विवरण

संख्या	वार्ड नं.	पार्कों का नाम	क्षेत्र	क्षेत्र (वर्ग किमी)	पार्कों की संख्या
1	11	टी.वी. सेंटर सिविल लाइन, जिला कार्यालय क्रॉसिंग पर तिकोनिया पार्क	30x15	450	1
2	22	तहसील के पास हेमू कल्याणी पार्क	60x30	1800	1
3	22	सीनियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के विपरीत गांधी पार्क	60x40	2400	1
4	22	मुखर्जी पार्क सिविल लाइन ईदगाह के पास	25 x 20	500	1
5	52	सिविल लाइन में आचार्य नरेंद्र देव पार्क	45 x 30	1350	1
6	11	रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर फव्वारा	15 x 15	225	1
7	22	पुष्पराज चौराहा के पास शहीद फव्वारा	25 x 25	625	1
8	52	नगर निगम अयोध्या में शहीद भगत सिंह पार्क	80 x 35	2800	1
9	52	नगर निगम अयोध्या में नेताजी सुभाष पार्क	26 x 15	290	1
10	52	नगर निगम अयोध्या में पंडित दीन दयाल उपाध्याय पार्क	60 x 25	1500	1
11	52	नगर निगम अयोध्या में वेद प्रकाश अग्रवाल पार्क	45 x 25	1125	1
12	52	नगर निगम अयोध्या में तिलक पार्क	45 x 25	1125	1
13	39	नरेंद्रालय में पार्क	15 x 10	150	1
14	4	बाल्दा में डॉ. अम्बेडकर पार्क	45 x 25	1125	1
15	40	अमानीगंज लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में एल.आई.जी पार्क	60 x 25	1500	1
16	40	अमानीगंज लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में एम.आई.जी पार्क	60 x 25	1500	1
17	40	अमानीगंज विष्णुपुरी कॉलोनी के पीछे I.W.S कॉलोनी पार्क	40 x 25	1000	1
18	60	रामनगर प्रियदर्शिनी कॉलोनी पार्क	35 x 20	700	1
19	17	नयापुरवा प्राधिकरण कॉलोनी पार्क	25 x 20	500	1
20	59	अंजनीपुरम कॉलोनी पार्क	45 x 25	1125	1
21	39	अंगूरीबाग आवास विकास कॉलोनी पार्क	70 x 30	2100	3
22	35	अवधपुरी चरण –3 पार्क	60 x 30	1800	2
23	5	नील बिहार कॉलोनी सहादतअली की छावनी	45 x 25	1125	3
24	4	वैदेही नगर पार्क	60 x 30	1800	5
25	59	सरयू बिहार कॉलोनी पार्क	60 x 30	1800	1
26	20	केवटहिया मानस नगर पार्क	25 x 25	625	1

संख्या	वार्ड नं.	पार्कों का नाम	क्षेत्र	क्षेत्र (वर्ग किमी)	पार्कों की संख्या
27	32	खुर्दाबाद रोहिणी नगर कॉलोनी	60 x 30	1800	4
28	23	अवधपुरी चरण –1 कॉलोनी	60 x 30	1800	2
29	23	अवधपुरी चरण –2 कॉलोनी	60 x 30	1800	2
30	46	अश्वनीपुरम कॉलोनी पार्क	70 x 30	2100	2
31	6	काशीराम कॉलोनी	100 x 40	4000	2
32	13	राजद्वार पार्क	120 x 40	4800	1
		कुल		**47340**	**48**

तालिका 3.36 अयोध्या नगर में विद्यमान मनोरंजन सुविधाओं का विवरण

अनु क्रमांक	शहर का नाम	स्टेडियम	सिनेमा थिएटर	सभागार/सामुदायिक हॉल	सार्वजनिक पुस्तकालय	रीडिंग रूम
1	अयोध्या	1	2	3	2	3

अध्याय 4: पर्यटन प्रोफाइल

4.1 परिचय

पर्यटन एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटना है, जिसमें लोगों को व्यक्तिगत या व्यावसायिक/पेशेवर उद्देश्यों के लिए अपने सामान्य वातावरण से बाहर के देशों या स्थानों की ओर जाना सम्मिलित है । पर्यटन ऐतिहासिक महत्व के स्थानों, पर्वतीय स्थलों ,पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों आदि की यात्रा हो सकती है।

भारत जैसे विकासशील देशों में पर्यटन अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र बन गया है, जो राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान करता है और रोजगार के बड़े अवसर पैदा करता है। यह देश में सबसे तेजी से बढ़ता सेवा उद्योग बन गया है और इसके विस्तार और विविधीकरण की बड़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा, भारत का समृद्ध इतिहास और इसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण है। भारत को महान आध्यात्मिक विरासत की भूमि के रूप में जाना जाता है और पश्चिमी देशों के अधिकांश लोगों के लिए यह एक रहस्य है। अन्य देशों से साल भर भारत में लाखों पर्यटक आते रहते है।

4.2 उत्तर प्रदेश में पर्यटन

उत्तर प्रदेश विश्व स्तर पर एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां हर साल अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों और घरेलू पर्यटकों का आगमन होता रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर रहा और वर्ष 2019 में लगभग 47 लाख के रिकॉर्ड आगमन के साथ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में तीसरा स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2019 में भारत और उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटकों की संख्या का विवरण निम्नवत है :–

तालिका 4.1 पर्यटकों की संख्या

क्रमांक		घरेलू पर्यटक	विदेशी पर्यटक
1	India	2,32,19,82,663	1,09,30,355
2	Uttar Pradesh	38,23,45,587	39,86,847

स्रोत– भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को ब्रज सर्किट, रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, जैन सर्किट, अवध सर्किट, वन्यजीवन सर्किट, बुंदेलखण्ड सर्किट और विंध्य वाराणसी सर्किट जैसे सर्किटों में विभाजित किया गया है:–

1. ब्रज सर्किट

उत्तर प्रदेश में ब्रज सर्किट एक प्राचीन भूमि है, जो भगवान कृष्ण के जीवन के रूप का अभिन्न अंश है। इस सर्किट में उत्तर प्रदेश के तीन नगर आगरा, मथुरा, और वृंदावन जहां एक सद्भाव और माधुर्य अनुभूति होती हैं। ब्रज में स्मारकों और मंदिरों को देखना इतिहास में सीधे प्रवेश करना है।

2. रामायण सर्किट

उत्तर प्रदेश राज्य रामायण सर्किट अयोध्या, शृंगवेरपुरऔर चित्रकूट की स्थली होने के लिए प्रसिद्ध है। यह माना जाता है, कि ये स्थान भगवान राम के जीवन और युग गहराई से जुड़े हुए थे। श्रद्धालु वर्ष भर इस सर्किट में बड़ी संख्या में आते रहते हे जिसके कारण इस स्थलों का विकास हुआ है।

3. बौद्ध सर्किट

उत्तर प्रदेश वह स्थान है जहाँ हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत किया। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया ,अपने संदेश का प्रसार करने के लिए व्यापक यात्रा की और यहाँ महापरीनिर्वाण प्राप्त किया। इसलिए इसका नाम बौद्ध सर्किट पड़ा , सर्किट में भव्य स्तूप, प्राचीन मठ है जहाँ पवित्र बौद्ध मंत्र की अनुगूँज सुनी जा सकती है।

4. कृष्ण सर्किट

इस सर्किट में उत्तर प्रदेश के सात स्थान है, अर्थात् मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगाँव, गोवर्धन और बलदेव हैं। यह सभी स्थान भगवान कृष्ण के जीवन से गहराई से जुड़े हैं और भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न पक्षों के साक्षी रहे हैं।

5. वन्यजीव सर्किट

उत्तर प्रदेश के राज्य में तराई में सबसे ज्यादा समूह आरक्षित जैव मंडल है। इन हरे भरे क्षेत्रों में अनेक वन्य जीव रहते है। यह साहसिक और वन्य जीवन के लिए एक आदर्श गंतव्य बन गया है। जहाँ बाघ, हाथी, हिरण, मगरमच्छ, और डॉल्फिन जेसे पशुओं के साथ अति सुंदर पक्षी प्रजाति तथा घनी वनस्पतियाँ मिलती हैं।

6. जैन सर्किट

जैन धर्म भारत की एक बहुत लोकप्रिय संस्कृति है। उत्तर प्रदेश राज्य में अनेक ऐतिहासिक नाटक और पौराणिक कथा मिलती है। उत्तर प्रदेश में असंख्य जैन मठ बिखरे पड़े है जो जैन तीर्थकारों के जीवन ओर गतिविधियों के विविध पंथों से गहरा संबंध रखते है, जिनमे अहिंसा, प्रेम और ज्ञान के संदेश का सदैव प्रसार किया था। जैन वास्तुकला में भव्यता को देखने के ईछुक व्यक्तियों के लिए उतर प्रदेश में अनेक आकर्षण है।

7. अवध सर्किट

अवध सर्किट उत्तर प्रदेश का हृदय है, इस क्षेत्र की अपनी संस्कृति, भोजन, साहित्य, और आध्यात्मिकता के लिए एक वैश्विक पहचान है। यहां आधुनिकता और ऐतिहासिकता का सही संमिश्रण देखा जा सकता है,शांति ,सद्भाव और चतुराई के लिए यह क्षेत्र दुनिया भर में जाना जाता है । इस क्षेत्र में अनेक स्मारक तथा आध्यात्मिक गंतव्य है जो सभी तरह के यात्रियों के लिए उपयुक्त है।

8. बुन्देलखण्ड सर्किट

बुंदेलखंड उतर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक फैला है । यहाँ अभी भी सुगढ़ महल और किले देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र के वातावरण में ऐतिहासिक शौर्य ग्रंथों की गूंज है जो बीते समय की मूल साक्षी है। बुन्देलखण्ड सर्किट में पाँच नगरदृ बीठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा शामिल है।

9. विंध्य–वाराणसी

यह सर्किट तीन स्थलों वाराणसी, चुनार, और विंध्याचल से मिलकर बना है और इसमे प्रत्येक शहर का अपना सौंदर्य और महत्व है। वाराणसी शहर दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित यह नगर हिंदूओं, जैन और बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है। यहॉ विंध्य पर्वतमाला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ राज्यों तक फैली हैं। विंध्य–वाराणसी सर्किट क्षेत्र न केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व का है, बल्कि यह क्षेत्र खनिज संपदा से भी समृद्ध है।

4.3 अयोध्या में पर्यटन

अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित एक पौराणिक आध्यात्मिक एवं धार्मिक केंद्र है जो आगंतुकों को अपने शांत घाटों और अनगिनत मंदिरों आकर्षित करता है। अयोध्या को हिंदू विश्वास के सात पवित्र शहरों में से एक के रूप में गिना जाता है। भगवान राम के जन्मस्थान और जैन धर्म के 24 में से 5 तीर्थकारों का जन्मस्थान होने के नाते, यह भूमि पौराणिक और पवित्र हैं। महाकाव्य रामायण के अनुसार, अयोध्या इक्षवाकु राजवंश का स्थान था, जिनके वंशजों में से भगवान राम थे ,जो शासकों में अद्वितीय माने जाते हैं।

अयोध्या अन्य धर्मों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है, विशेष रूप से जैन धर्म। जीवन की चहल–पहल ,आगंतुक भक्तों का उत्साह, मंदिरों की घंटियां इत्यादि आयोध्या के आध्यात्मिक वातावरण की रचना करते हैं। अनगिनत बहु मतावलंबी मंदिर साधुओं के लिए विश्राम स्थल की उपस्थिति के साथ–साथ सभी तरीके की आराध्यों, संतों, विद्वानों आदि की उपस्थिति से यह स्थान जीवंत रहता है। इस सुंदर दिव्यता के कारण अयोध्या में एक बड़ा पर्यटन स्थल बनने की प्रबल क्षमता है, अयोध्या जिला प्रशासन का कहना है कि 1 से 2 लाख पर्यटक नव निर्मित राम मंदिर में हर दिन दर्शन करते है।

4.3.1 अयोध्या में पर्यटक आकर्षण

अयोध्या में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्मारक हैं जिनमें प्राचीन वास्तुकला की सुंदरता को देखा जा सकता है। शुजा–उद–दौला द्वारा निर्मित फोर्टय किले की बढ़िया वास्तुकला खंभों और दीवारों पर की गई अपनी जटिल संरचनाओ के लिए प्रसिद्ध है। किला वर्ष 1775 में बनाया गया था। इमारत के आसपास के सुंदर बगीचे के बीच में बनी इमारत की सुंदरता को बढ़ाते हैं। शुजा–उद–दौला के किले में तीन मकबरे हैं जो राजा शुजा–उद–दौला, उनके पिता और माँ के है। एक इमामबाड़ा और एक मस्जिद भी उसी परिसर में मौजूद हैं।

बहू बेगम का मकबरा पूरे अवध में अपनी तरह का अकेला माना जाता है। यह मकबरा सफेद संगमरमर से बना है और इसकी ऊंचाई 42 मीटर है।

अयोध्या में संग्रहालय और मंदिर अन्य पर्यटन आकर्षण हैं। चक्र हरजी विष्णु मंदिर भगवान राम के चरणों की छाप धारण करता है। एक और मंदिर राजा मंदिर है।

अयोध्या में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं । अयोध्या नगर में पर्यटकों हेतु पर्यटन के मुख्य आकर्षण केंद्र निम्नवत हैंः–

1. श्री राम जन्मभूमि

चित्र 4.1 श्री राम जन्मभूमि मंदिर

श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह भगवान विष्णु के 7 वें अवतार भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है। भगवान राम के भक्तों के लिए इस स्थान का एक अत्यंत महत्व है। यह न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है, जो भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। इस दिव्य आकर्षण की एक झलक पाने के लिए आगंतुक दुनिया भर से पूर्ण उत्साह से आते हैं।

2. दशरथ महल

दशरथ महल अयोध्या के हृदय में स्थित एक सुंदर महल है, यह वह स्थान है जहाँ भगवान राम और उनके परिवार ने अपना अधिकांश जीवन बिताया था। महल के अंदर भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता का मंदिर है। इस ऐतिहासिक स्मारक में उनकी उपस्थिति अयोध्या के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक परिदृश्य की दिव्य और पौराणिक विरासत को एक साथ लाती है।

चित्र 4.2 दशरथ महल

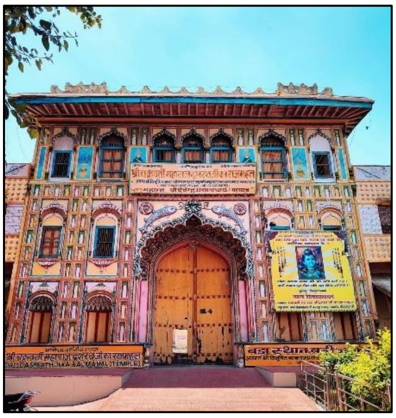

3. **रत्न सिंहासन**

4. **नयाघाट**

5. **राम कथा संग्रहालय**

6. **सुग्रीव किला**

7. **गुप्तार घाट**

8. **गुलाब बाड़ी**

9. **84 कोसी परिक्रमा**

10. **14 कोसी परिक्रमा**

11. **पंच कोसी परिक्रमा**

12. छोटी देवकाली मंदिर

इस मंदिर का संबंध रामायण की कहानियों से है और नया घाट के पास स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान राम के साथ विवाह के बाद माँ सीता अयोध्या में देवी गिरिजा की मूर्ति के साथ आई थीं। राजा दशरथ ने देवी के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाया जहां माँ सीता देवी की पूजा करती थीं। अब यह स्थानीय देवी देवकाली की प्रभावशाली मूर्ति लगी है।

13. हनुमान गढ़ी

हनुमान गढ़ी इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। किंवदंती यह है कि भगवान हनुमान अयोध्या की रक्षा के लिए यहां रहते थे। धार्मिक चीजों और बेसन लड्डू बेचने वाली दुकानों के बीच स्थित मंदिर से थोड़ी दूर पर गाड़ी पार्क करने के बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए दीवारों से गिरि 70 से अधिक सीढ़िया चढ़नी पड़ती है। गर्भगृह में भलीभाँति रंगे हुए स्तंभ ,कोष्ठक और महीन प्लास्टर की मूर्तियाँ हैं।

14. कनक भवन

चित्र 4.3 कनक भवन मंदिर

अयोध्या में कनक भवन मंदिर भगवान राम और उनकी देवी जीवन संगिनी देवी सीता को समर्पित है। इस जगह की भव्यता और गर्भगृह में स्थापित देवताओं की मूर्तियाँ भक्तों को बाध्य छोड़ दें। इस मंदिर के अतिरिक्त एक विशाल महल के रूप में बनाया गया, कनक भवन मंदिर भारत के बुंदेलखंड और राजस्थान क्षेत्रों के शानदार महलों जैसा दिखता है। मंदिर का इतिहास त्रेता युग से है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार भगवान राम की सौतेली माँ रानी कैकयी ने यह महल नई बहु देवी सीता और अपने सौतेले बेटे राम को उपहार में दिया था। बाद में, एक भव्य मंदिर बनाया गया था 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ओरछा और टिकमगढ़ के राजघराने द्वारा एक विशाल आँगन के तीन और मेहरबान द्वार दरवाजों वाले और ऊंची छतवाले एक विशाल कक्ष स्वर्ण मुकट धारी भगवान राम और देवी सीता की मूर्तियों के तीन जोड़े चांदी के कक्ष के नीचे विराजमान है। कनक भवन बुंदेला प्रभावशाली खुले हवादार स्थानों और शांत कोनों के साथ एक आरामदायक वातावरण प्रदान करता है।

15. मणि पर्वत

यह वह जगह है जहां संजीवनी बूटी के कुछ अंश उस समय गिर गए थे, जब भगवान हनुमान भगवान राम के भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूट्टी के विशाल पर्वतों को लंका ले जा रहे थे। लगभग 65 फीट ऊंची इस पहाड़ी को बाद में मणि पर्वत नाम दिया गया ।

चित्र 4.4 मणि पर्वत

Source: Primary Survey 2023

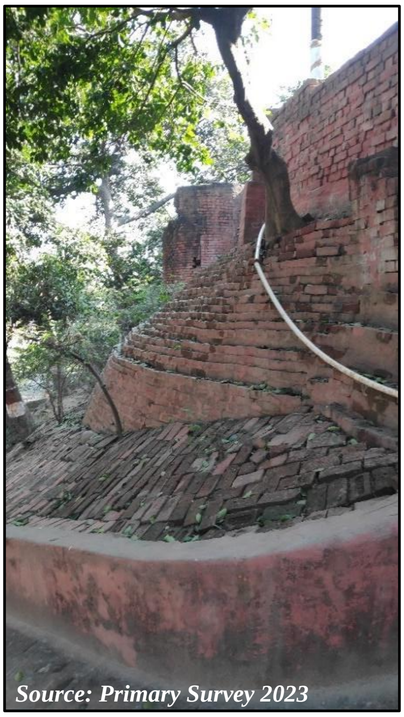
Source: Primary Survey 2023

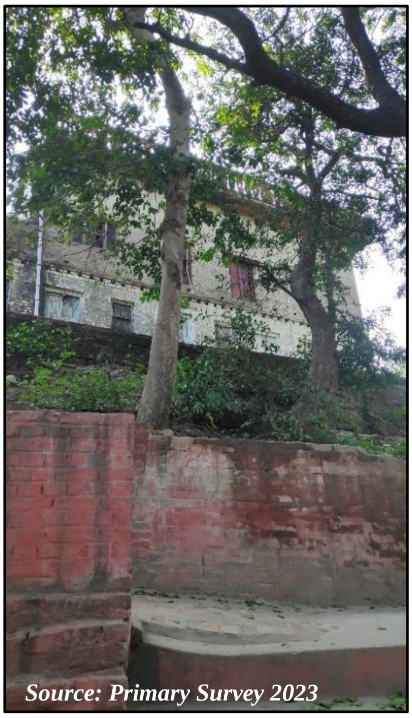
Source: Primary Survey 2023

16. नागेश्वरनाथ मंदिर

यह मंदिर अयोध्या के पीठासीन देवता, भगवान श्री नागेश्वर नाथ को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह खूबसूरत मंदिर भगवान राम के बेटे कुश द्वारा बनवाया गया था। मंदिर में मौजूद शिवालिंग काफी प्राचीन है। लोकमान्यता के अनुसार राजा कुश सरयू नदी के निकट स्नान कर रहे थे तब उनका बाजूबंध पानी में गिर गया उसे एक नाग कन्या ने उठा लिया था जो उनसे प्रेम करती थी। चूंकि वह भगवान शिव की भक्त थीं, राजा कुश ने उसके लिए मंदिर का निर्माण कराया। अयोध्या में सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित मंदिरों में से एक होने के नाते,त्रियोदशी और महाशिवरात्रि के त्यौहारों के दौरान बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं।

17. नंदीग्राम (भरत कुंड)

पवित्र कुंड अयोध्या से 15 किमी दूर है। यह वह स्थान माना जाता है जहां भरत, भगवान राम के भाई ने निर्वासन से उनकी वापसी के लिए तपस्या (गहन ध्यान) की थी और भगवान राम की तरफ से कोशल राज्य पर शासन किया था। वर्तमान में यह शांतिपूर्ण और शांत जगह है जहाँ शांति कें कुछ क्षण बिताये जा सकते हैं और शोर/शराबों से दूर ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। लोग यहाँ श्राद्ध करने और स्नान के लिए आते हैं। यहाँ बुनियादी सुविधाओं से युक्त अतिथि गृह भी है।

18. राम की पैड़ी

राम की पैड़ी सरयू नदी के तट पर घाटों की एक श्रृंखला है। नदी का किनारा एक उत्कृष्ट परिदृ श्य उपस्थित करता है। विशेष रूप से रात में बिजली की रोशनी के बीच ये घाट भक्तों के लिए चबूतरों का काम करती है जों मान्यता के आनुसार आपने पाप धोने के लिए सरयू नदी में स्नान करने आते हैं।

19. त्रेता के ठाकुर

त्रेता के ठाकुर मंदिर अयोध्या के राम घाट (नया घाट) में स्थित है। यह भगवान राम को समर्पित है, जिसे 'त्रेता के ठाकुर' के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ सम्पन किया था। लगभग 300 साल पहले, कुल्लू के राजा ने यहां एक नया मंदिर बनवाया, जिसे 'कालेराम का मंदिर' कहा जाता है। 1784 में, मराठा रानी, इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया। इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, हनुमान, सुग्रीव और पहरेदार–जय और विजया की मूर्तियां हैं जो काले बलुआ पत्थर से बनी हैं और माना जाता है कि सरयू नदी के पास स्थित मूल राम मंदिर से बरामद कि गयी है। मंदिर कार्तिक महीने में शुक्ला पक्ष की एकादशी जो साल में केवल एक बार ही खुलता है। यह दिन एक विशेष पूजा के साथ धूमधाम और आनंद से मनाया जाता है। देवी–देवताओं की पूजा अर्चना करने बड़ी संख्या में भक्त मंदिर मेँ आते हैं।

20. तुलसी स्मारक भवन

तुस्ली स्मारक भवन का निर्माण 16 वीं शताब्दी का कवि–दार्शनिक गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति में किया गया था। उन्हे अवधी भाषा में रामचरितमानस लोगों को संलेखित करने के लिए स्मरण किया जाता है ,माना जाता है कि उन्होंने हनुमान चालिसा की भी रचना की थी। भवन में अयोध्या शोध संस्थान स्थित है । अयोध्या रिसर्च सेंटर, वह संगठन ने अयोध्या और इसकी साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के ऐतिहासिक महत्व का अध्ययन और उन पर शोध किया जाता है।

यह एक पुस्तकालय है, रामायण कला और शिल्प, राम कथा का दैनिक पाठ होता है और वर्ष भर राम लीला की स्थानीय प्रदर्शनी का मंचन किया जाता है। भवन का उपयोग विभिन्न धार्मिक समारोहों और प्रार्थना सभाओं के लिए भी किया जाता है और और अनुभवी कलाकारों द्वारा कार्यक्रम चलाने के लिए सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी प्रयुक्त होता है। रामकथा संग्रहालय 1988 में संस्थान के भीतर स्थापित किया गया था रामायण युग की प्राचीन वस्तुओं के संग्रह के माध्यम से यहां का संग्रहालय अयोध्या के ऐतिहासिक परिपपेक्ष्य को समृद्ध करता है ।

चित्र 4.5 तुलसी स्मारक भवन

21. तुलसी उद्यान

तुलसी उद्यान गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित एक बगीचा है। अयोध्या के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बगीचे को पहले विक्टोरिया पार्क के रूप में जाना जाता था और केंद्र में रानी विक्टोरिया की मूर्ति थी। बाद में 1960 में इसका नाम बदलकर तुलसी उपवन किया गया और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति स्थापित की गई।

चित्र 4.6 तुलसी उद्यान

22. वाल्मीकि रामायण भवन

यह भवन वाल्मीकि रामायण के लिए प्रसिद्ध है जिसे संगमरमर पर खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है। भक्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहां आते हैं। यह मनी रामदास जी की छावनी मार्ग पर अयोध्या रेलवे स्टेशन से 3 किमी की दूरी पर स्थित है।

23. गुप्तार घाट

सरयू नदी के किनारे पर स्थित यह पवित्र घाट वह स्थान माना जाता है जहां भगवान राम ने जल समाधि ली थी। राजा दर्शन सिंह द्वारा 19 वीं शताब्दी में अनुरक्षण घाटों की शृंखला बनवाई गई थी जिसके ऊपर सीता राम मंदिर, चक्रहारी और गुप्ताहरी मंदिर और नर्सिंगह मंदिर स्थित हैं। गुप्तार घाट नगर का पर्यटन स्थल भी है।

चित्र 4.7 गुप्तार घाट

4.4 पर्यटन गतिविधियाँ

पर्यटन गतिविधि पर्यटन को प्रोत्साहित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। पर्यटन गतिविधि के लाभों में शुल्क और करों द्वारा उत्पन्न प्रत्यक्ष राजस्व और आगंतुकों के पक्ष में और संसाधनों के उपयोग के लिए किए गए अन्य स्वैच्छिक भुगतान शामिल हैं। बदले में राजस्व का उपयोग प्राकृतिक क्षेत्रों को बनाए रखने और आर्थिक विकास के प्रति योगदान के लिए किया जा सकता है। टिकाऊ पर्यटन जैविक विविधता के संरक्षण में सकारात्मक सुधार करने में मदद कर सकता है। यदि इन स्थानीय समुदायों को सीधे पर्यटक उद्यम से आय होती है तो इसके परिणामस्वरूप उनके आस–पास के संसाधनों के मूल्यांकन में वृद्धि होती है, जिसके बाद उनके आसपास के संसाधनों की अधिक सुरक्षा और संरक्षण होता है। इसके अलावा, टिकाऊ पर्यटन एक प्रमुख शैक्षणिक अवसर के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे पर्यावरण विषय ज्ञान में वृद्धि होती है। अन्य लाभों में पारंपरिक कला और शिल्प, पारंपरिक ज्ञान और नवाचारों और प्रथाओं को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है जो विविधता के सतत उपयोग में योगदान देते हैं।

अयोध्या नगर में पर्यटकों द्वारा जिन गतिविधियों का आनंद लिया जाता है उनकी सूची निम्न हैः–

1. मोक्षदायिनी यात्रा

मोक्षदायिनी यात्रा की सम्पूर्ण समय अवधि 1 दिन है। मोक्षदायिनी यात्रा में परम्परागत अखाड़ों द्वारा गलियों में भ्रमण किया जाता है साथ ही मंदिरों का भ्रमण, शांत घाटों तथा अयोध्या के अतुलनीय समाज का और आध्यात्मिक विरासत का भी दर्शन किया जाता है इसके तत्पश्चात सूर्यास्त के समय सरयू आरती हेतु जन सैलाब इसका हिस्सा बनता है ।

2. परिक्रमाएँ

धार्मिक परिक्रमाएँ हिंदू पूजा का एक आवश्यक अंग है। यहां आने वाले भगवान राम के भक्त जो परिक्रमा करते हैं वे निम्न हैः–

- **अंतर्ग्रही परिक्रमाः–**

एक दिन में पूरा होने वाली परिक्रमा सबसे छोटी, भक्तों को सरयू नदी में स्नान करके रामघाट, सीताकुंड, मणि पर्वत, ब्रह्मकुंड होते हुए अंत में कनक भवन पहुंचना होता है।

- **पंचकोसी परिक्रमाः–**

यह परिक्रमा चक्रतीर्थ से प्रारंभ होती है और नया घाट, रामघाट, सरयू बाग, होलकरा का पुरवा, दशरथ कुंड, जोगियाना, रानोपाली, जालपा नाला और महता बाग तक चलती है।

- **14 कोसी परिक्रमाः–**

परिक्रमा को अक्षय नवमी के दौरान किया जाता है और इसे 1 दिन में पूरा करना होता है।

- **84 कोसी परिक्रमाः–**

यह परिक्रमा भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थलों के दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति हेतु एक यात्रा है। यह लगभग 252 किलोमीटर (84 कोस) लंबी है और इसमें 5 से 10 दिन लग सकते हैं। यह तीर्थयात्रा मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाँव, राधा कुंड और गोकुल जैसे शहरों सहित एक विशाल

क्षेत्र को कवर करती है। भक्त विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जिनमें जप, भजन (भक्ति गीत) गाना और अनुष्ठान करना शामिल है।

3. सरयू आरती

सरयू घाट में सरयू नदी के इस सुंदर सम्मान को देखना एक रोमांच अनुभूति है। पीतल के दिए जलाये जाते हैं और लाउडस्पीकर से भजन प्रसारित किए जाते हैं इसके बाद मधुर करतल ध्वनि शंखनाद घड़ियाल की ध्वनि के बीच दीयों से आरती होती है और जोश के साथ आरती गाई जाती है।

4.5 पर्यटक प्रवाह

पर्यटन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अयोध्या जिले में आने वाले पर्यटकों (घरेलू एवं अन्तराष्ट्रीय) की संख्या वर्ष 2021 में 1,54,60,182 थी जो की बढ़कर वर्ष 2022 एवं 2023 में क्रमशः 2,39,10,479 एवं 6,30,10,176 हो गई । उपरोक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2021–22 में पर्यटकों की संख्या में 54.66 प्रतिशत तथा वर्ष 2022–23 में 163.53 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई । वर्ष 2022–23 में पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि पाई गई जिसका मुख्य कारण राम मंदिर तीर्थ स्थल के निर्माण के दृष्टिगत अयोध्या को एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना रहा। अयोध्या जिले में आने वाले पर्यटकों का वर्षवार विवरण निम्नवत है –

तालिका 4.2 पर्यटकों का वर्षवार विवरण

पर्यटक प्रवाह			
वर्ष	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	कुल
2015	15432558	19077	15451635
2016	15482456	20979	15503435
2017	17549633	23926	17573559
2018	19217571	27043	19244614
2019	20122436	26956	20149392
2020	6020181	2437	6022618
2021	15460151	31	15460182
2022	23909014	1465	23910479
2023	63001612	8564	63010176

स्रोत– भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट

4.5.1 अयोध्या की फ्लोटिंग आबादी का प्रक्षेपण

अयोध्या जिले में विगत नौ वर्षों में आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या 2,18,14,010 है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2022 में राम मंदिर के निर्माण उपरांत पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा आगामी वर्षों में भी पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि का अनुमान है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वर्ष 2031 तक अयोध्या में पर्यटकों की वार्षिक प्रक्षेपित संख्या लगभग 29.86 करोड़ अर्थात 8 लाख प्रतिदिन है। पर्यटकों की प्रक्षेपण निम्नवत है –

तालिका 4.3 पर्यटकों का प्रक्षेपण

वर्ष	पर्यटकों की संख्या
2015	15432558

वर्ष	पर्यटकों की संख्या
2016	15482456
2017	17549633
2018	19217571
2019	20122436
2020	6020181
2021	15460151
2022	23909014
2023	63001612
2024	92459090
2025	121908003
2026	151356917
2027	180805830
2028	210254744
2029	239703657
2030	269152571
2031	298601484

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2031 मे अयोध्या मे आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग 8.18 लाख प्रतिदिन प्रक्षेपित है। अयोध्या महायोजना–2031 भाग–क मे 350000 फ्लोटिंग जनसंख्या अनुमानित थी तथा महायोजना–2031 भाग–ख मे अतिरिक्त 4.68 लाख(Approx. 5 lakh) अनुमानित है ।

अध्याय 5: पर्यावरण रूपरेखा

5.1 जलीय संरचना

बारहमासी नदियों के एक आकर्षक नेटवर्क ने राज्य की संस्कृति को आकार दिया है और हजारों सालों से अपनी आबादी को प्यार करने वाली मां की तरह विकसित किया है, यही कारण है कि लोग इन नदियों के किनारे पर अपने त्योहारों को मनाते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है तथा हिन्दू शास्त्रों के अनुसार यह अत्यंत पवित्र, प्राचीन नदी है एवं इसका वर्णन वेदों के साथ–साथ रामायण इत्यादि महाकाव्यों में भी मिलता है। नगर के विस्तार और बढ़ती जनसंख्या के कारण नगर के वर्तमान संसाधनों मे लगातार छरण हो रहा है, और वर्तमान मूलभूत संरचना पर उसके अत्यधिक उपयोग से अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। भौतिक तथा सामाजिक मूलभूत संरचना के अभाव में पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। नगर का जलमल सीधे सरयू नदी मे गिरता है, जिससे नदी का पानी दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है। संगठित मूलभूत संरचना के अभाव एवं नगर की खराब पर्यावरण स्थिति के कारण ही अयोध्या नगर को नदी केंद्रित विकास सम्बंधित प्राविधानों को समावेश करते हुए नियोजित रूप से विकास किये जाने की आवश्यकता है।

चित्र 5.1 अयोध्या सरयू नदी

5.2 शहर में प्रदूषण स्तर

5.2.1 जल प्रदूषण

पर्यावरणीय मुद्दों में अनियंत्रित बस्तियां, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा तैयारी, यातायात प्रबंधन, आदि प्रदूषण में काफी प्रभाव डालती है । तेजी से शहरीकरण के कारण हरित क्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में परिवर्तित होते जा रहे हैं जिससे स्थानिक नगरीय वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं इसका मुख्य कारण कंक्रीट के बने मकानों द्वारा दिन की अवधि में अत्यधिक ऊष्मा का अवशोषण एवं रात्री के समय उनका उत्सर्जन है, जिससे नगर एक ऊष्मा द्वीप का रूप में परिवर्तित हो जाता है । उषम द्वीप ना केवल नगरीय वातावरण को क्षति पहुँचाता है वरण आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विपरीत प्रभाव डालता है।

अयोध्या विकास क्षेत्र एक धार्मिक पर्यटन नगर के रूप में विकसित हो रहा है जिसके फलस्वरूप वर्षवार पर्यटकों की संख्या एवं वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिनसे उत्सर्जित ऊष्मा का प्रभाव भी शहर के तापमान वृद्धि पर विपरीत पड़ता है ।

शहरीकरण, अपर्याप्त उपचार क्षमता, और उपचारित न किए गए अपशिष्टों का निस्तारण शहरी और बाहरी नगर–क्षेत्रों में गंभीर प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अलावा, अयोध्या में दो मलजल उपचार संयंत्र है और सभी उपचारित मलजल को नदी में निस्तारित किया जाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, अयोध्या में सरयू नदी के जल की गुणवत्ता निम्नवत है :

तालिका 5.1 अयोध्या में सरयू जल की गुणवत्ता

	तापमान		डी0ओ0		पी0एच0		बी0ओ0डी0		कोलिफॉर्म लेवल	
	न्यून तम	अधिकत म	न्यूनत म	अधिकत म	न्यूनत म	अधिकत म	न्यूनत म	अधिकत म	न्यूनत म	अधिकत म
मानक			*>4mg/l*		*6.5–8.5*		*<3mg/l*		*<5000MPN/100ml*	
	16°C	25°C	7.8	8.3	7.8	8.2	3.4	4.2	18000	38000

स्रोत : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2023

5.2.2 वायु प्रदूषण

भूमि और पानी के अलावा हवा जीवन बनाए रखने के लिए प्रमुख संसाधन हैं। तकनीकी उन्नति के चलते व्यापक वायु गुणवत्ता पर बड़ी मात्रा में आंकड़े सृजित करके भिन्नदृभिन्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को आंकने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2016 की रिपोर्ट अयोध्या में जल की गुणवत्ता की चेतावनी नीचे दी गई है औसत एस0पी0एम0 75.75 µg / m^3 है औसत एसपीएम 104 µg / m^3 से नीचे होना चाहिए।

तालिका 5.2 अयोध्या में वायु प्रदूषण

महीना	औसत प्रदूषण स्तर (µg / m^3)
फरवरी 2019	78.66
मार्च 2019	80.33
अप्रैल 2019	86.00
मई 2019	82.75
जून 2019	71.00
जुलाई 2019	78.33

महीना	औसत प्रदूषण स्तर (µg / m³)
अगस्त 2019	75.25
सितंबर 2019	85.33
अक्टूबर 2019	83.60
नवंबर 2019	136.0
दिसंबर 2019	156.0

स्त्रोतः– प्रदूषण विभाग 2020

5.3 ब्लू–ग्रीन अवसंरचना

नगरीकरण विकास से गहन रूप से संबद्ध है और प्रायः आर्थिक विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में कार्य करता है। भारत ग्रामीण समाज से शहरी समाज में संक्रमण के कगार पर है, इस लिये यह महत्वपूर्ण है कि आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना अच्छी स्थिति में हो। नगर सजीवों की तरह हैं। हमारे नगर देश के मात्र 2.5% भूमि पर स्थित हैं, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उनका योगदान लगभग 65% है।

नगरों का जलवायु परिवर्तन में भी अहम योगदान है। नगरीकरण प्रक्रियाओं को प्रभावी रूप से व्यवस्थित, विनियमित और उनकी निगरानी कर सकने की असमर्थता इस वृहत पर्यावरणीय क्षति के लिये उत्तरदायी है।

पारंपरिक अवसंरचना अभ्यासों के बदले एक गहन, विवेकपूर्ण योजना–निर्माण और प्रकृति–संचालित समाधान पाना समय की मांग है जहाँ ब्लू–ग्रीन अवसंरचना (Blue&Green Infrastructure) का उपयोग किया जाए।

ब्लू–ग्रीन अवसंरचना एक ऐसे नेटवर्क को संदर्भित करती है जो लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिये अवसंरचना, पारिस्थितिक पुनर्बहाली और शहरी अभिकल्पना के संयोजन के माध्यम से शहर एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिये 'सामग्री' (Ingredients) प्रदान करती है। ब्लू–ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राकृतिक और मानव निर्मित सुविधाओं के एक नेटवर्क को संदर्भित करता है जो विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में कई पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करता है।

ब्लू–ग्रीन में ब्लू, नदी और तालाबों जैसे जल निकायों को इंगित करता है जबकि ग्रीन, वृक्षों, उद्यानों और बागों को इंगित करता है।

- **ब्लू–ग्रीन अवसंरचना के लाभ**

पर्यावरणीय लाभ: परिवहन, जल और आवास जैसे क्षेत्रों में नील–हरित अवसंरचना का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है और इस प्रकार मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के सुधार में योगदान कर सकता है। नगर में हरित अवसंरचना को शामिल करने से न केवल मनुष्यों को बल्कि प्रकृति को भी लाभ प्राप्त होगा।

सामाजिक लाभ: भूदृश्य की अभिकल्पना और सुंदरता शहर के चरित्र की पहचान में योगदान कर सकती है। हरित सड़कें और भूदृश्य सौंदर्य और नैतिक गुणों को बढ़ाते हैं। नील–हरित अवसंरचना सार्वजनिक स्थलों पर छाया/आश्रय प्रदान कर सकती है और शहरी तापमान को कम कर सकती है। यह बाह्य गतिविधियों को बढ़ा सकती है जो अधिकाधिक सामाजिक सम्मिलनों को प्रोत्साहित करेगी।

आर्थिक लाभः नगर में नील–हरित परियोजनाओं का कार्यान्वयन नागरिकों को आर्थिक रूप से भी लाभ पहुँचा सकता है। भवन की सतहों पर कम तापमान के कारण शीतलन की मांग में कमी होगी, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की मांग घटेगी। इससे भवनों की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी क्योंकि हरित अवसंरचना इसे उच्च तापमान से बचाएगी और रखरखाव लागत को कम करने में मदद करेगी।

चित्र 5.2 ब्लू–ग्रीन अवसंरचना के घटक

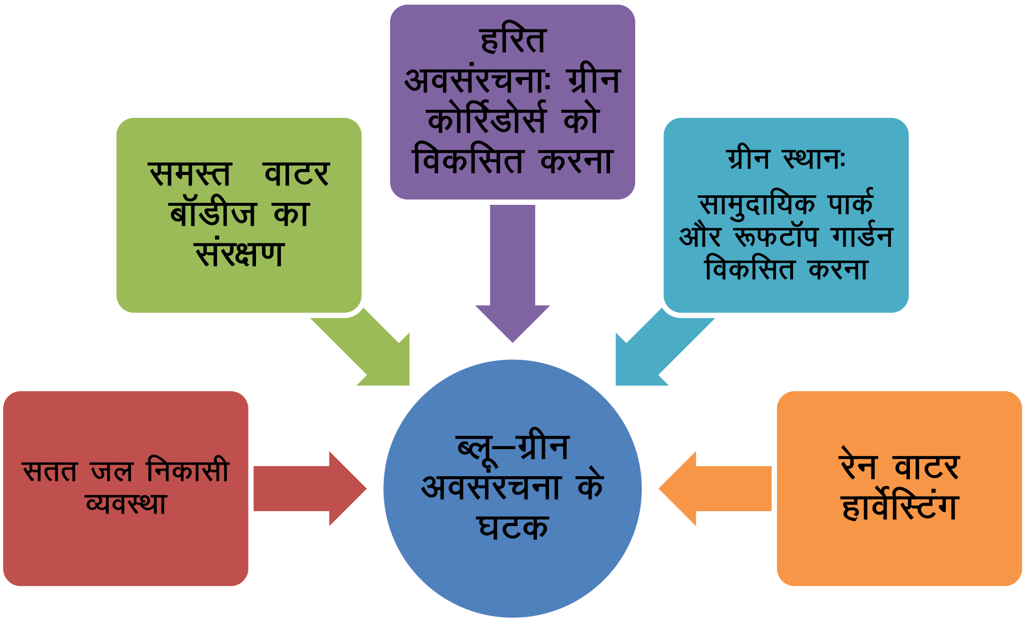

ब्लू–ग्रीन अवसंरचना के मुख्य घटक निम्न्वत हैः–

- **सतत जल निकासी व्यवस्था**

सतत जल निकासी प्रणाली जल प्रबंधन प्रथाओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य आधुनिक जल निकासी प्रणालियों को प्राकृतिक जल प्रक्रियाओं के साथ संरेखित करना है। सतत जल निकासी प्रणाली हरित अवसंरचना रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं।

सतत जल निकासी हेतु नगर का कंटूर मैपिंग की गयी है। कंटूर मानचित्र एक प्रकार का मानचित्र है जिसमें भूमि की सतह का आकार समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, इन रेखाओं के बीच की गई सापेक्ष दूरी किसी विशेष सतह के सापेक्ष ढलान को इंगित करती है। कंटूर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं जो हमें इलाके की प्रकृति का अध्ययन करने में मदद कर सकते हैं। यह स्थलों के चयन, जल निकासी बेसिन के जलग्रहण क्षेत्र को निर्धारित करने आदि के लिए उपयोगी साबित होता है।

डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डी.ई.एम) के सहयोग से नगर की कंटूर मैपिंग की गयी है। नगर की कंटूरिंग 1 मीटर के इंटरवल पर की गयी। नगर का कंटूर मानचित्र संख्या 5.1 पर दर्शाया गया है। कंटूर मैप से ज्ञात होता है की नगर की सतह समतल है।

- **जल संभरण (Watershed)**

जल संभरण (Watershed) भूमि का वह क्षेत्र होता है जिसका समस्त अपवाहित जल एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में गिरने वाला जल एक नदी या उसकी कई सहायक नदियों के माध्यम से एकत्रित होकर एक ही स्थान से होकर प्रवाहित होता है। यह सतही जल अपवाह के लिये एक स्वतंत्र जल निकासी इकाई है। एक वाटरशेड दूसरे से एक प्राकृतिक सीमा के जरिये ही अलग होता है जिसे जल विभाजक या रिज लाइन (Ridge Line) के रूप में जाना जाता है। नगर का जल संभरण (Watershed) मानचित्र संख्या 5.2 पर दर्शाया गया है।

- **अयोध्या महायोजना में ब्लू–ग्रीन अवसंरचना संबंधी प्रस्ताव**

अयोध्या के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित प्राकृतिक संसाधनों जैसे जलाशयों, जलधाराओं, तालाबों आदि को संरक्षित एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोड़ से नियोजित करने हेतु प्रस्ताव निम्नवत हैः–

- अयोध्या के विस्तारित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सरयू नदी के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए एवं भविष्य में उसके अस्तित्व को संरक्षित रखने हेतु नदी तटीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। जिसके अन्तर्गत स्थित पुराने भवनों के मरम्मत एवं मठ, मंदिर आश्रम, अनाथालय आदि के निर्माण के संबंध में अयोध्या विकास प्राधिकरण, अनुज्ञा प्रदान करने हेतु समुचित शर्तें एवं प्रतिबंध निर्धारित कर सकता है। नदी तट से आशय संबंधित राजस्व/सिंचाई विभाग के अभिलेख में अंकित तट से है।
- सरयू नदी को उपरोक्तानुसार संरक्षित रखते हुए नागरिकों को उच्च–स्तरीय मनोरंजनात्मक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सरयू नदी के किनारे स्थित क्षेत्र में नदी तटीय विकास (रिवर फ्रंट डेवलपमेंट/घाट डेवलपमेंट) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत वाटर स्पोटर्स एवं अन्य मनोरंजनात्मक क्रियायें विकसित की जा सकेगी किन्तु नदी तटीय विकास की आवश्यकता के अतिरिक्त स्थायी प्रकृति के अन्य निर्माण प्रतिबंधित होगें।
- अयोध्या विकास क्षेत्र की महायोजना 2031 में नदी के संरक्षण हेतु नदी केन्द्रित विकास सम्बन्धित गाइडलाइन्स के प्राविधानों के अनुसार नगर में खुली नालियों के माध्यम से होने वाले जल–मल के उत्सर्जन जो वर्तमान में सरयू नदी में प्रवाहित होता है, को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हेतु सीवरेज प्रणाली तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का प्रस्ताव महायोजना में किया गया है।
- अयोध्या के विकास क्षेत्र की महायोजना 2031 में नवीन क्षेत्रों में प्रत्येक नियोजन खण्ड में मानकों के अनुसार पार्क, खुले स्थल, एवं क्रीड़ास्थल, प्रस्तावित किये जाने का प्रस्ताव है।
- अयोध्या के विकास क्षेत्र की महायोजना 2031 में शासकीय समिति के सुझावानुसार प्रस्तावित रिंग रोड के दोनों ओर ऐसे स्थल जोकि पूर्णतः विकसित हो गये हैं/आबादी क्षेत्र हैं, में ग्रीन बेल्ट की प्रस्तावना नहीं की गयी है। ऐसे स्थल जोकि नगरीकरण हेतु प्रस्तावित किये गये हैं तथा अभी स्थल पर विकास नहीं है, में ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई 10 मीटर रखी गयी है। उक्त के अतिरिक्त अन्य अवषेश क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई 30 मीटर रखी गयी है ताकि नगरीय विकास एवं नगरीय

यातायात को क्षेत्रीय यातायात से पृथक रखा जा सके। नगर में प्रवाहित नालों के दोनो तरफ परिभाषित सीमा से 9–9 मीटर हरित पट्टी का प्रस्ताव है ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके। उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित सीवेरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं गार्वेज डम्पिंग स्थल तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त तालबों/पोखरों/जलाशयों के चतुर्दिक 9मी0 चौडी हरित पट्टी का भी प्रस्ताव दिया गया है।

5.4 आपदा प्रबंधन

आपदा के प्रभाव को कम करने, आपदा राहत गतिविधियों को कुशलता पूर्वक संपन्न करने, आपदाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए अयोध्या शहर में आपदा प्रबंधन योजना 2016–17 विद्यमान है। किसी भी आपदा के बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया और राहत गतिविधियों को पूरा करने के लिए राज्य आपदा प्रति कोष आयुक्त को उपलब्ध कराई जाती है जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75% और राज्य की हिस्सेदारी 25% होती है। 11वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रतिक्रिया उपाय ऐसे उपाय होते हैं जो आपदा से पहले और उसके पश्चात तुरंत किए जाते हैं और इनका उद्देश्य चोटों को सीमित करना, जीवन तथा संपत्ति के नुकसान को कम करना तथा जो आपदा से प्रभावित हो अथवा जिसके आपदा से प्रभावित होने की आशंका हो उन लोगों का आभास हो जाता है कि आपदाकारी घटना आसन है और यह तब तक जारी रहती है जब तक आपदा की समाप्ति की घोषणा नहीं हो जाती।

मानचित्र 5.1 अयोध्या महायोजना–2031 का कंटूर मानचित्र

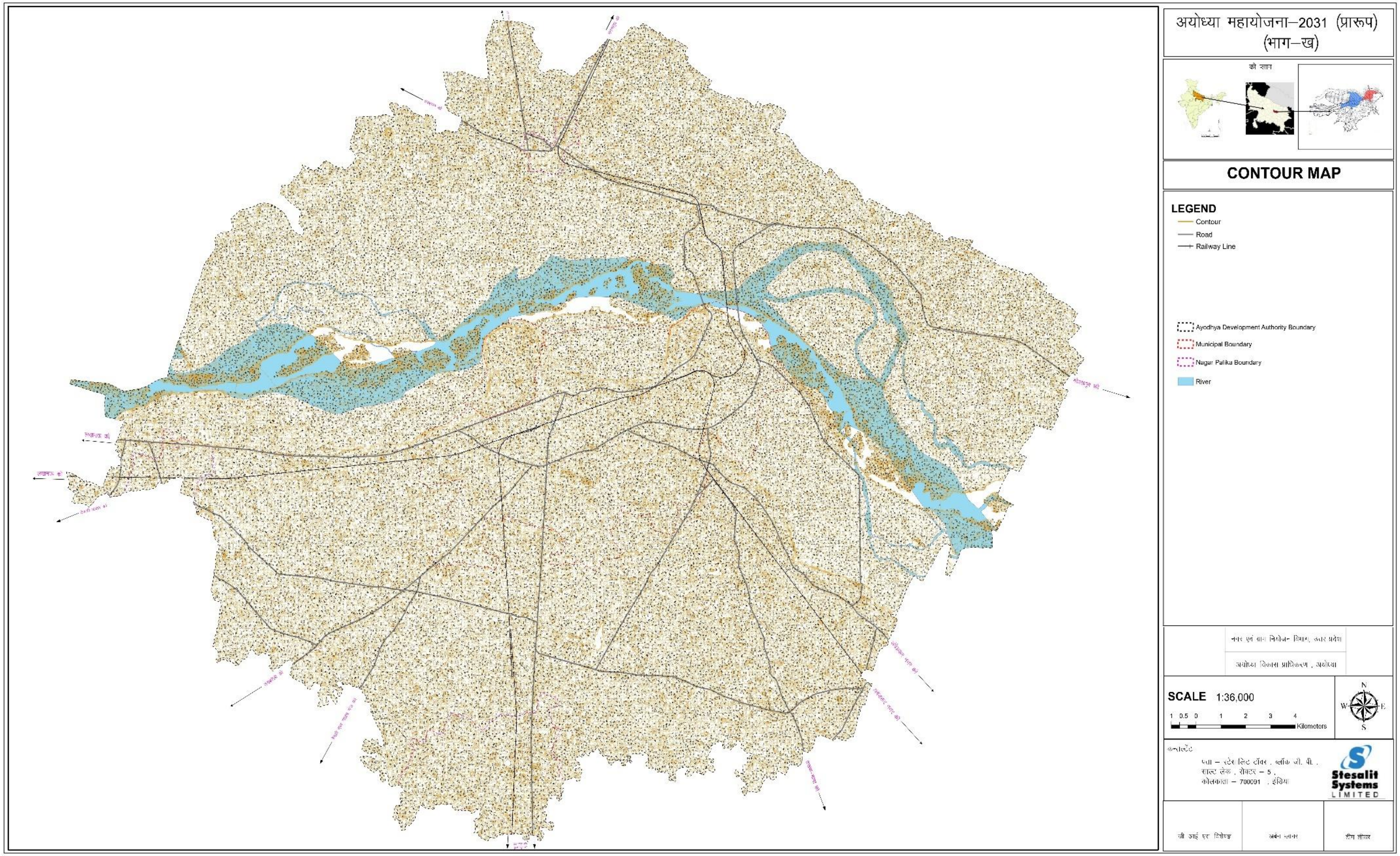

मानचित्र 5.2 अयोध्या महायोजना–2031 का संभरण (Watershed) मानचित्र

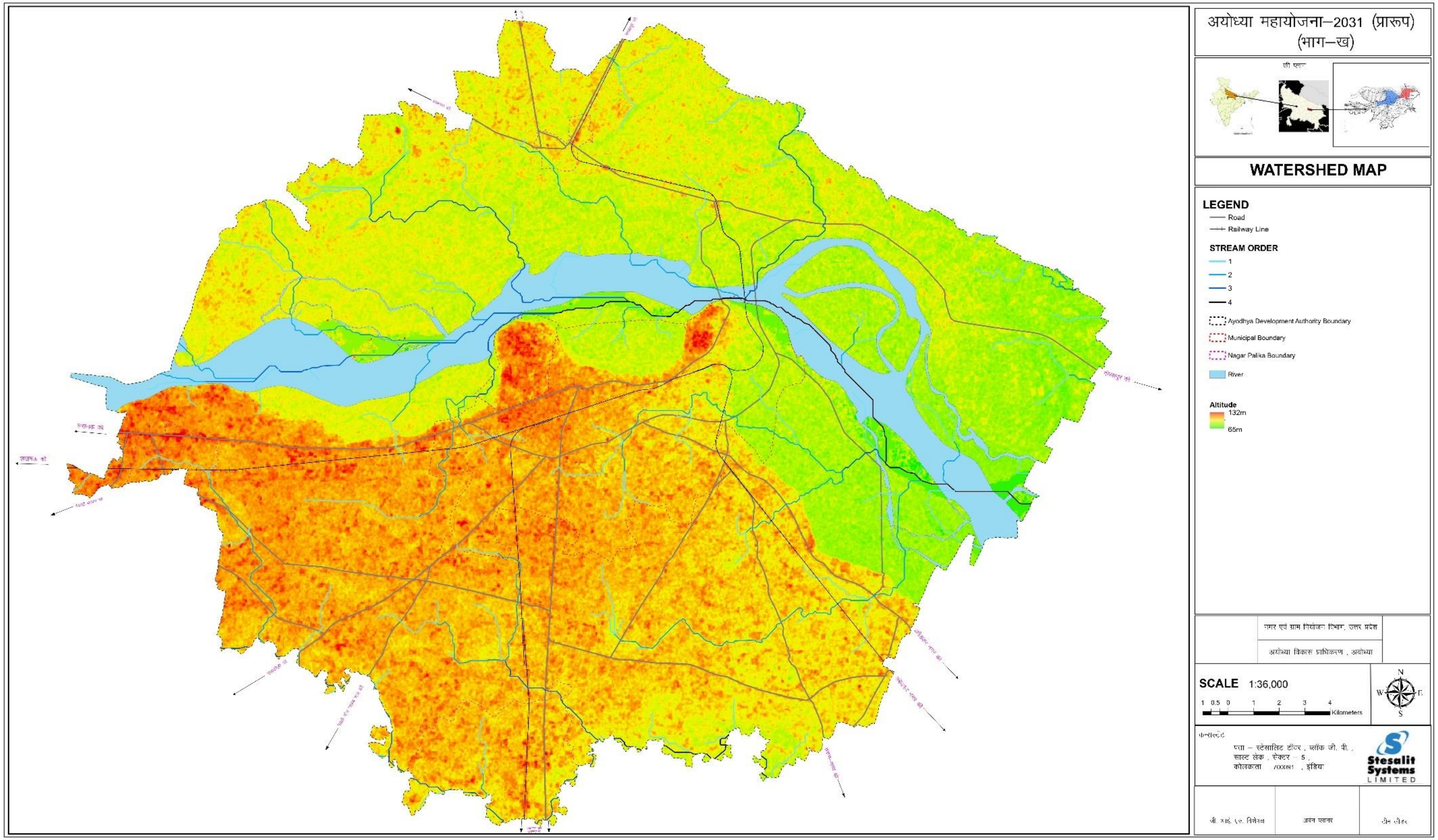

मानचित्र 5.3 अयोध्या महायोजना–2031 का ब्लू लेयर मानचित्र

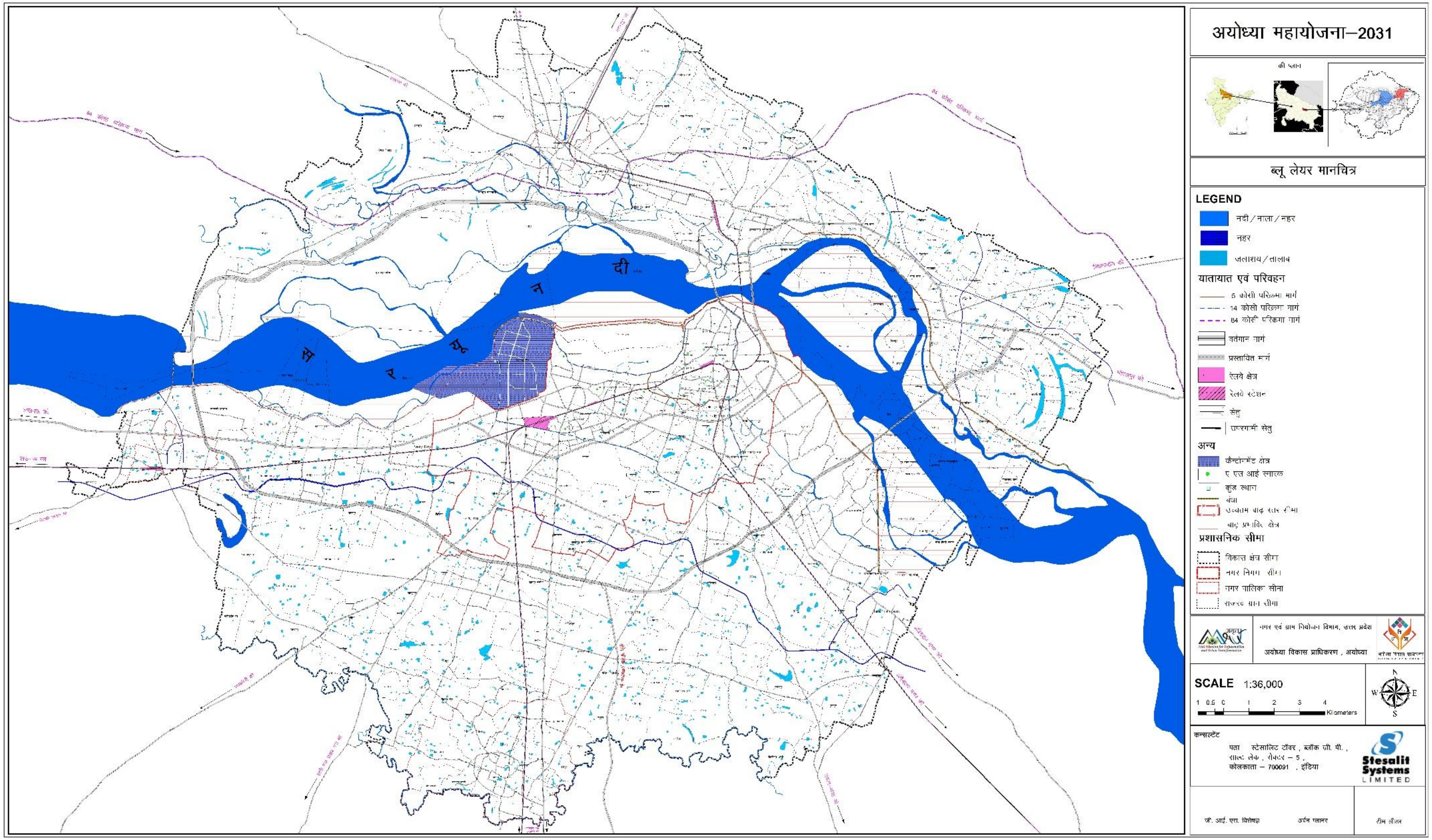

मानचित्र 5.4 अयोध्या महायोजना–2031 का ग्रीन लेयर मानचित्र

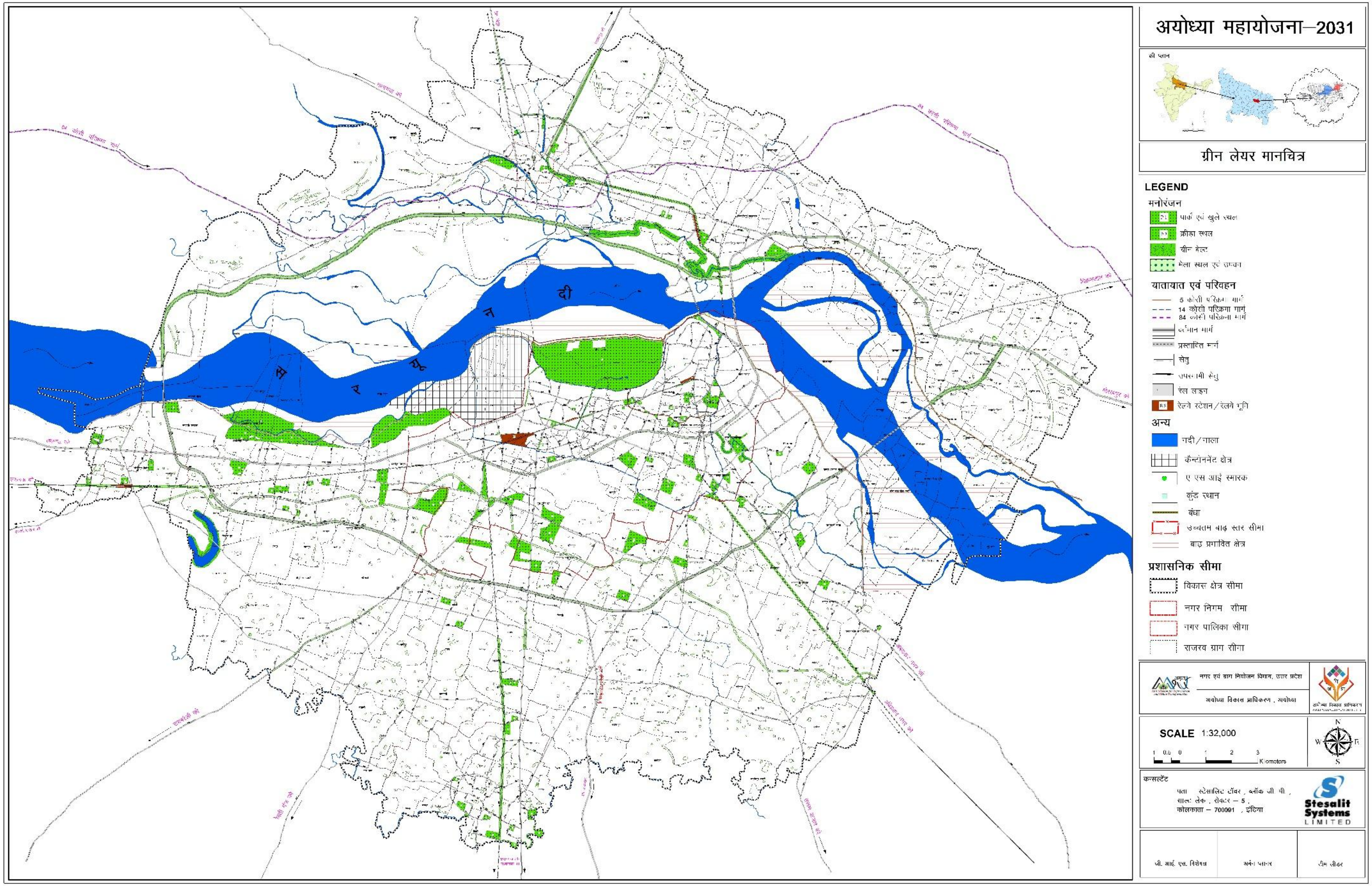

अध्याय 6: प्रभावी अयोध्या महायोजना–2031 भाग–क में किये गये संशोधन

अयोध्या नगर के सुनियोजित विकास हेतु अमृत योजना के अन्तर्गत अधिसूचित विकास क्षेत्र 133.67 वर्ग कि0मी0 की जी0.आई0.एस0. आधारित महायोजना–2031 को भाग–क के रूप में शासनादेश संख्या 2999/8–3099/499/2021 दिनांक 08.12.2022 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 430/आठ–10–20–15 ई/2011 दिनांक 15 दिसंबर 2020 के माध्यम से अयोध्या विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया। अयोध्या महायोजना भाग–क के कृषि क्षेत्र में विस्तारित क्षेत्र की निरंतरता में आने के दृष्टिगत विभिन्न नगरीय भू उपयोगों का प्रस्ताव किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रभावी अयोध्या महायोजना 2031 भाग–क में बोर्ड के निर्णय के क्रम में निम्नवत संशोधन किये गये हैः–

1. आवास एवं विकास परिषद की भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, अयोधय ग्रीन फील्ड टाउनशिप व पूरब प्रथम योजना में संशोधनः–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय, मुख्य वास्तुविद् नियोजक, वास्तु कला एव नियोजन अनुभाग, इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार निम्नवत संशोधन प्रस्तावित हैः–

- अयोध्या मास्टर प्लान–2031 में प्रस्तावित 100.00 मी0 की कनेक्टीविटी के स्थान पर नियोजन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग–27 से 45.0 मी0 की अप्रोच रोड का प्रस्ताव है।
- अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के प्राधिकरण द्वारा जारी लैण्ड यूज प्लान में एन0एच0–27 हाईवे पर पूरक प्रथम योजना के दोनों तरफ 7.5 वर्ग0मी0 की ग्रीन बेल्ट दर्शित है जबकि वह परिषद योजना क्षेत्र में प्रदर्शित नहीं है। वर्तमान में योजना क्षेत्र में एन0एच0–27 हाइवे पर तीन अन्डर पास प्रस्तावित होने के कारण नेशनल हाइवे के उक्त भाग को एलिवेटेड किया जाना प्रस्तावित है। अतः परिषद की निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना (1407.31 एकड़) व पूरक प्रथम योजना (क्षेत्रफल 450.91 एकड़) के दोनो तरफ 7.50 मी0 वाइड ग्रीन बेल्ट को हटाया जाने का प्रस्ताव है।
- वर्तमान में ग्रीन फील्ड टाउनशिप–1407.31 एकड़ के साथ पूरक प्रथम एकड़ के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलित है। जिसके फलस्वरूप योजना में प्रस्तावित महायोजना के उपयोग को एकीकृत रूप से नियोजित करते हुए 1858.22 एकड़ का भू–उपयोग प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में महायोजना के प्रस्तावित उपयोग व क्षेत्रफल में व्यवसायिक, मिश्रित उपयोग, ग्रीन बेल्ट व खुले स्थान एवं संस्थागत उपयोग के स्थानों में परिवर्तन किया गया है ताकि एकीकृत रूप से उसका लाभ योजना व अयोध्या शहर के समग्र विकास में किया जा सके।

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय, मुख्य वास्तुविद् नियोजक, वास्तु कला एव नियोजन अनुभाग, इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार परिषद की भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, अयोधय ग्रीन फील्ड टाउनशिप व पूरब प्रथम योजना के संशोधित ले–आउट को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के द्वारा किये गये अनुरोध के कम में अयोध्या महायोजना महायोजना–2031 में यथावत प्रस्तावित करते हुए आस–पास के रोड नेटवर्क को पुनः नियोजित कर प्रस्तावित किये गया हैं, जिसको मानचित्र संख्या में दर्शाया गया है।

2. दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के निकट ,मार्ग के संरेखण में संशोधन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अयोध्या महायोजना 2031 भाग ख में दर्शित मार्ग की निरंतरता में आने के दृष्टिगत अयोध्या महायोजना 2031 भाग क में दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के निकट प्रस्तावित मार्ग के स्थान पर विद्यमान 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को महायोजना में यथावत प्रस्तावित किये गया हैं, जिसको मानचित्र संख्या में दर्शाया गया है।

3. ग्राम मलिकपुर में नहर के निकट,मार्ग के संरेखण में संशोधन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा Intend to change मानचित्र में दर्शित मार्ग की निरंतरता में आने के दृष्टिगत अयोध्या महायोजना–2031 भाग–क में ग्राम मलिकपुर में नहर के निकट विद्यमान मार्ग को महायोजना–2031 भाग–क में प्रस्तावित 45 मीटर तक प्रस्तावित किया गया है, जिसको मानचित्र संख्या 6.3 में दर्शाया गया है।

उक्त के अतिरिक्त अयोध्या महायोजना 2031(भाग–क एवं भाग–ख) में राजस्व अभिलेखों में दर्ज ग्रामीण आबादी व तालाबों को यथावत प्रस्तावित किया गया है तथा प्रभावी अयोध्या महायोजना 2031 भाग–क व विस्तारित क्षेत्र हेतु तैयार की गयी महायोजना भाग–ख को संयुक्त कर अयोध्या महायोजना–2031 के रूप में तैयार किया गया है, जो शासन के अनुमोदन उपरान्त अयोध्या के सम्पूर्ण विकास क्षेत्र में प्रभावी होगी।

मानचित्र 6.1 आवास एवं विकास परिषद की भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, अयोधय ग्रीन फील्ड टाउनशिप व पूरब प्रथम योजना में संशोधनः–

प्रभावी अयोध्या महायोजना–2031 में प्रस्तावित संशोधन

Landuse as per Approved Master Plan 2031

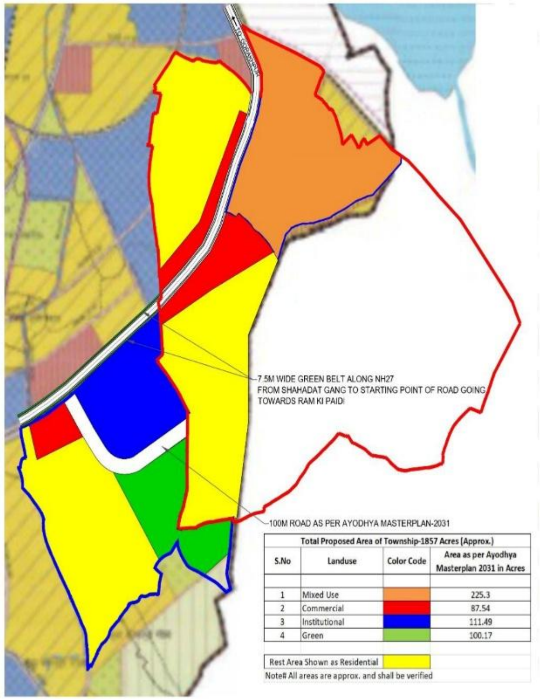

Landuse Change as per Awas Vikas Parishad Decision

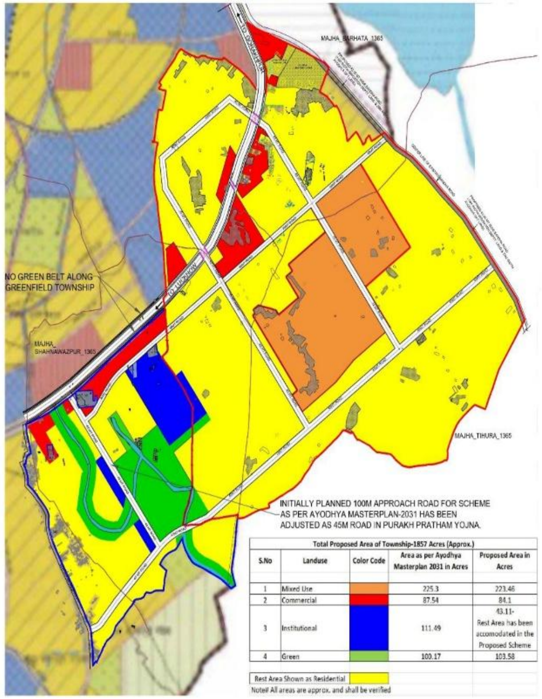

1. अयोध्या मास्टर प्लान–2031 में प्रस्तावित 100.00 मी0 की कनेक्टीविटी के स्थान पर नियोजन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग–27 से 45.00 मी0 की अप्रोच रोड का प्रस्ताव है।
2. अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के प्राधिकरण दवारा जारी लैण्ड–यूज प्लान में एन0एच0–27 हाईवे पर पूरक प्रथम योजना के दोनों तरफ 7.50 वर्ग0 मी0 की ग्रीन बेल्ट दर्शित है जबकि वह परिषद योजना क्षेत्र में प्रदर्शित नहीं है। वर्तमान में योजना क्षेत्र में एन0एच0–27 हाइवे पर तीन अन्डर पास प्रस्तावित होने के कारण नेशनल हाइवे के उक्त भाग को एलिवेटेड किया जाना प्रस्तावित है। अतः परिषद की निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना (1407.31 एकड़) व पूरक प्रथम योजना (क्षेत्रफल–450.91 एकड़) के दोनो तरफ 7.50 मी0 वाइड ग्रीन बेल्ट को हटाया जाने का प्रस्ताव है।
3. वर्तमान में ग्रीन फील्ड टाउनशिप–1407.31 एकड़ के साथ पूरक प्रथम योजना–450.91 एकड़ के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलित है। जिसके फलस्वरूप योजना में प्रस्तावित महायोजना के उपयोग को एकीकृत रूप से नियोजित करते हुए 1858.22 एकड़ का भू–उपयोग प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में महायोजना के प्रस्तावित उपयोग व क्षेत्रफल में व्यवसायिक, मिश्रित उपयोग, ग्रीन बेल्ट व खुले स्थान एवं संस्थागत उपयोग के स्थानों में परिवर्तन किया गया है ताकि एकीकृत रूप से उसका लाभ योजना व अयोध्या शहर के समग्र विकास में किया जा सके।

मानचित्र 6.2 दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के निकट, मार्ग के संरेखण में संशोधन

Landuse Changes in Proposed Draft MP-2031 as per Board Decision

Ayodhya Master Plan 2031- Part A

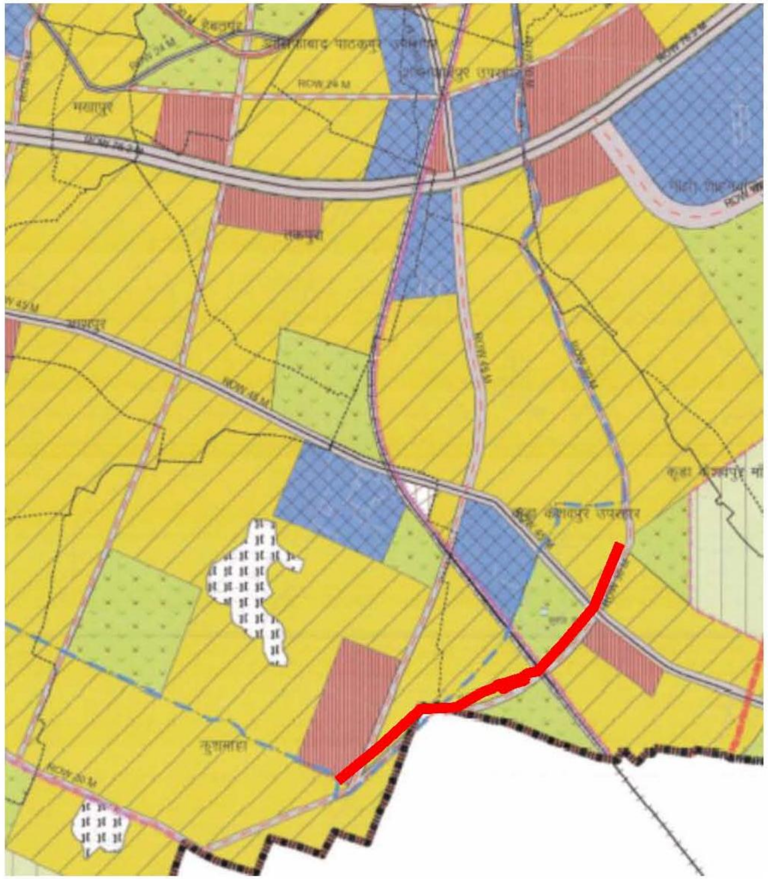

Ayodhya Master Plan 2031- Part B

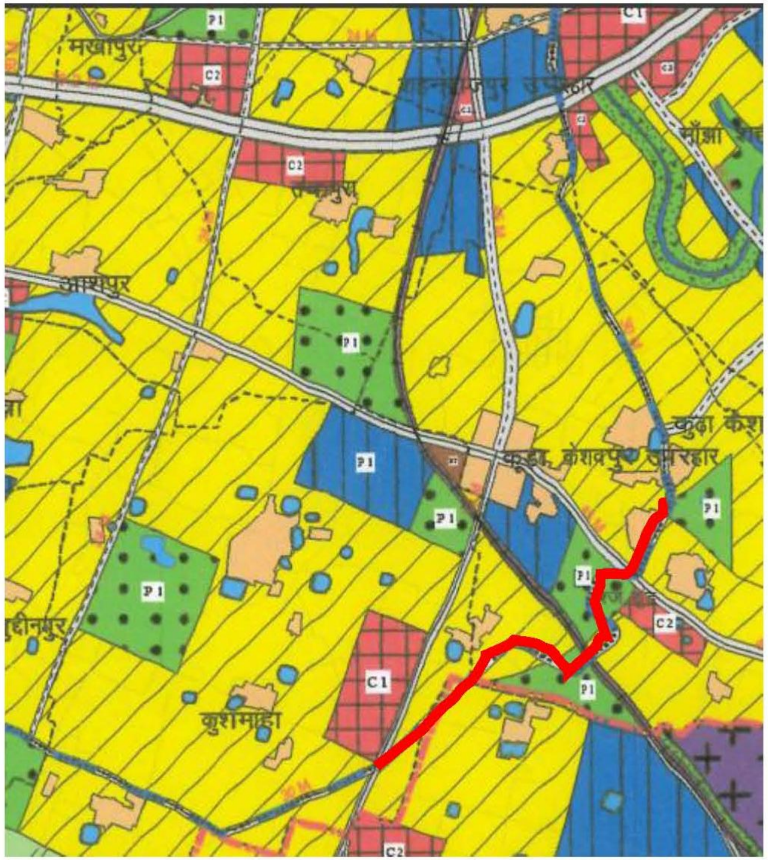

मानचित्र 6.3 ग्राम मलिकपुर में नहर के निकट, मार्ग के संरेखण में संशोधन

Landuse Changes in Proposed Draft MP-2031 as per Board Decision

Ayodhya Master Plan 2031- Part A

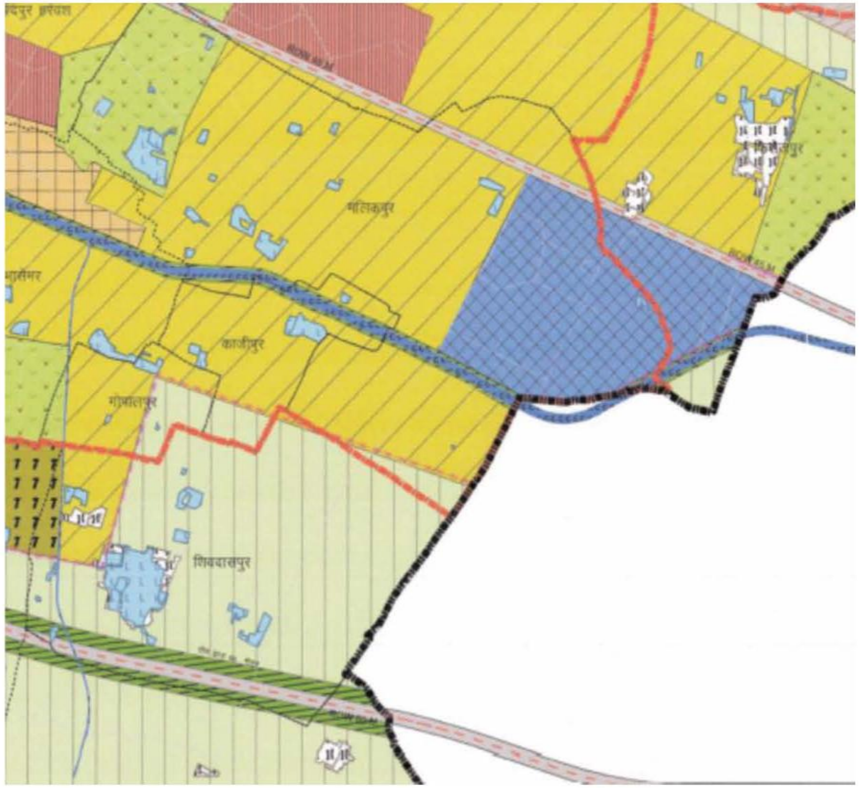

Ayodhya Master Plan 2031- Part B

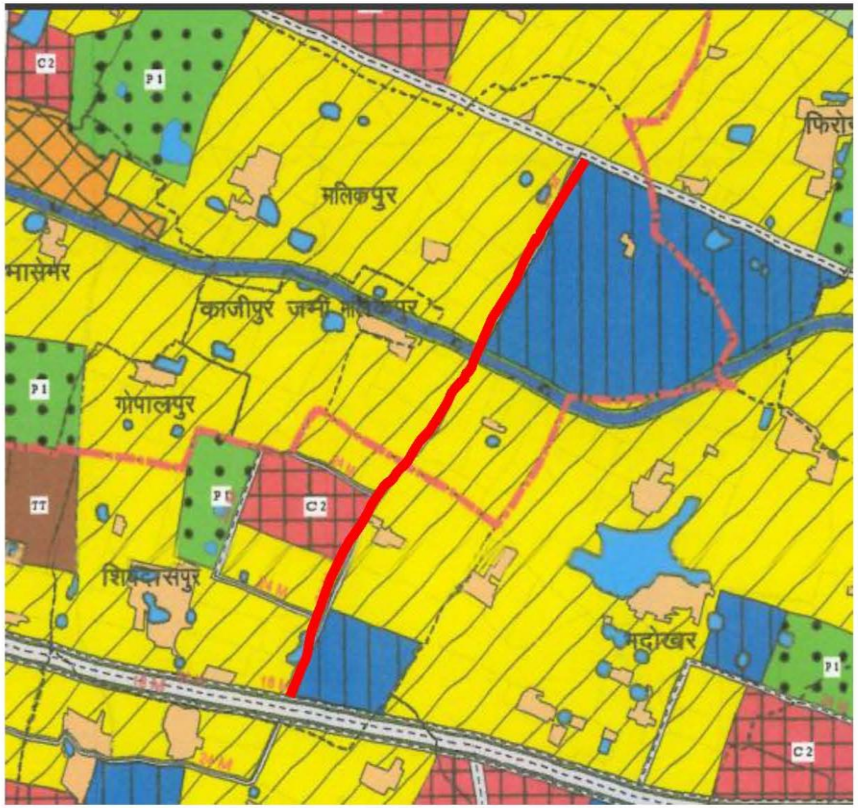

अध्याय 7: वर्तमान भू–उपयोग

7.1 वर्तमान भू–उपयोग

भू–उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार अयोध्या के विकास क्षेत्र में वर्तमान भू–उपयोगों का विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका 7.1 अयोध्या के विकास क्षेत्र में वर्तमान भू–उपयोगों का विवरण (वर्ष–2020)

क्र. सं	भू–उपयोग	अयोध्या महायोजना–2031 (भाग–क) के अनुसार क्षेत्रफल (हे0)	अयोध्या महायोजना–2031 (भाग–ख) के अनुसार क्षेत्रफल (हे0)	कुल क्षेत्रफल (हे0)	प्रतिशत
1	आवासीय	1466	839.03	2305.03	53.16
2	व्यावसायिक	124.46	61.09	185.55	4.28
3	मिश्रित भू–उपयोग	137.19	13.12	150.31	3.47
4	उद्योग	143.09	50.55	193.64	4.47
5	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं/उपयोगिताएँ	470.3	88.32	558.62	12.89
6	यातायात एवं परिवहन	580.98	123.87	704.85	16.27
7	मनोरंजन	75.9	5.77	81.67	1.88
8	अन्य	95	58.79	153.79	3.55
	कुल विकसित क्षेत्र	**3092.92**	**1240.54**	**4333.46**	**100.00**
9	कृषि भूमि	10274.59	48325.65	58600.24	–
10	नदी/नाले/जलाशय	–	13705.81	13705.81	–
	कुल अविकसित क्षेत्र	**10274.59**	**62031.46**	**72306.05**	
	कुल क्षेत्रफल	**13367.51**	**63272.00**	**76639.51**	

स्रोत–विभागीय सर्वेक्षण

नोट

- अमृत दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक श्रेणी में स्वास्थ्य सुविधाएं, शैक्षिक सुविधाएं, केंद्र और राज्य सरकार के अधीन प्रॉपर्टीज शामिल हैं।
- आवासीय श्रेणी में आवासीय और ग्रामीण आबादी क्षेत्र शामिल हैं।
- अमृत दिशा–निर्देशों के अनुसार, यातायात एवं परिवहन श्रेणी में, रेलवे संपत्ति और यातायात सम्बन्धित श्रेणी के तहत गतिविधियाँ शामिल हैं।
- अमृत दिशानिर्देशों के अनुसार, कृषि श्रेणी में कृषि और हरित क्षेत्रों के अन्तर्गत गतिविधियां शामिल हैं।
- अन्य श्रेणी में अमृत दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य के तहत गतिविधियां शामिल हैं।

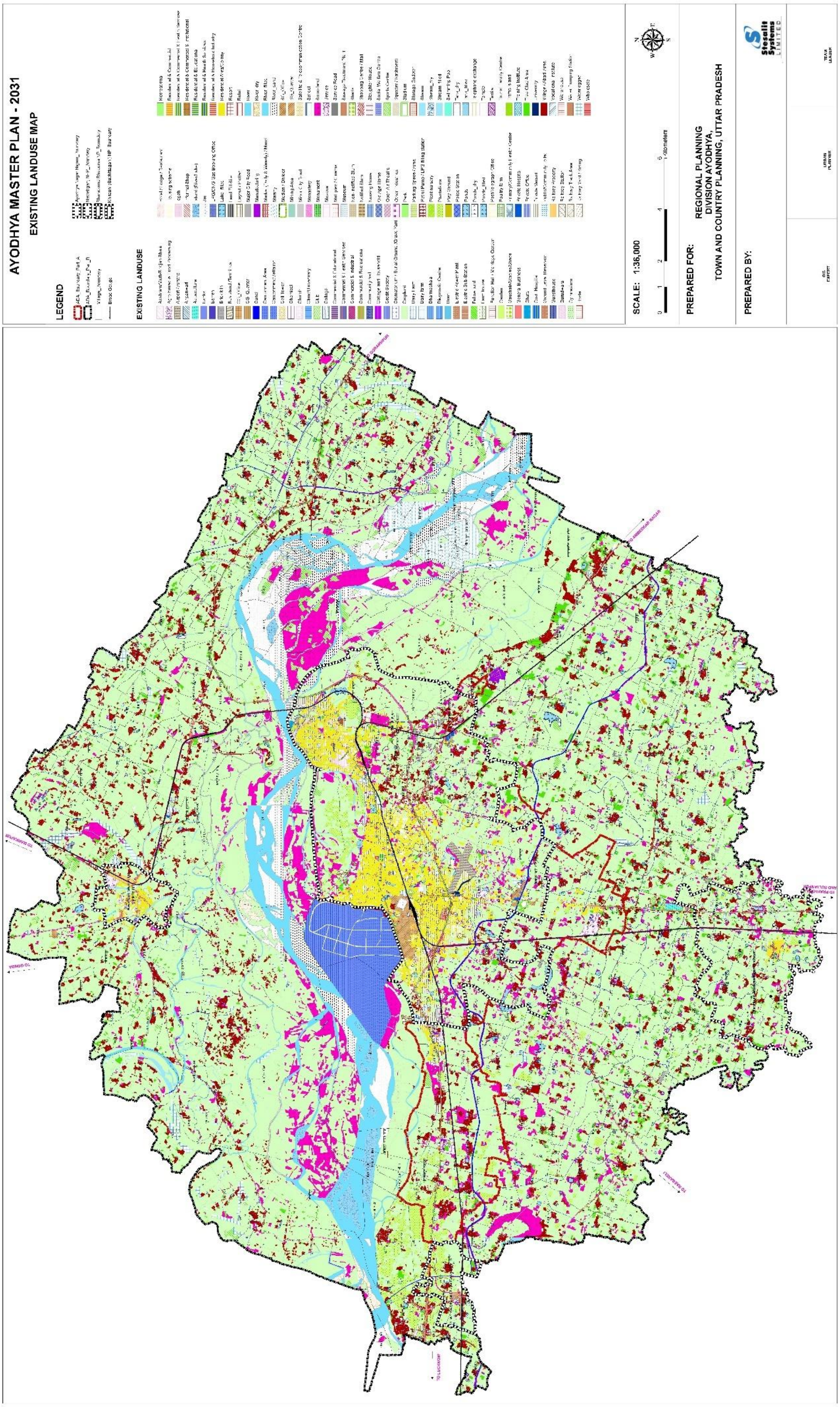

मानचित्र 7.1 वर्तमान भू –उपयोग मानचित्र

अध्याय 8: नियोजन की समस्याएं

8.1 नियोजन सम्बन्धी प्रमुख समस्याएँ

राम मन्दिर के निर्माण के दृष्टिगत अयोध्या एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, इसलिए नए अयोध्या के लिए प्रभावी योजना बनाना आज की जरूरत है। प्राधिकरण क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, आतिथ्य और होटल प्रबंधन संस्थान, स्टार होटल, कला और शिल्प केंद्र, कन्वेंशन सेंटर, पुनर्वास केंद्र के विकास के लिए अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता है, जिस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया। विकास क्षेत्र के विस्तार उपरान्त अयोध्या–गोरखपुर मार्ग, अयोध्या–नवाबगंज मार्ग, अयोध्या–अम्बेडकर नगर मार्ग पर व्यावसायिक एवं आवासीय गतिविद्याएँ विकसित हो रही है। अयोध्या के विस्तारित विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में नगर की समस्याएँ निम्नवत हैं–

- नवाबगंज एवं भदरसा नगरीय क्षेत्र के प्राचीन केन्द्रीय व्यावसायिक क्षेत्र (सी.बी.डी.) में जनसंख्या का घनत्व अति उच्च है। इस प्राचीन भाग से जनसंख्या को वाह्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित करना अति आवश्यक है।
- निर्मित क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय व्यावसायिक क्षेत्र पर से रोजगार की निर्भरता को कम करके नगर के बाह्य क्षेत्रों में रोजगार योग्य भूमि एवं अवसरों का सृजन करना।
- नगर के जीवन रेखा के रूप में प्राचीन काल से अविरल बह रही सरयू नदी की अक्षुण धारा को बनाये रखना।
- सरयू नदी के तट पर एवं उसके उच्चतम बाढ़ बिंदु क्षेत्र में हो रहे अनियंत्रित निर्माण को रोकना।
- जलाशयों, तालाबों, कूओं आदि को निरन्तर पाटा जा रहा है उन्हें रेन–वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में महायोजना में संरक्षित कर उनके अस्तित्व को बचाना।
- नगर से जल–मल का सरयू नदी में प्रवाहित होने से प्रदूषण का बढ़ना।
- नगर के प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों तथा चौराहों पर अत्यधिक व्यापारिक संकेन्द्रण के कारण जाम का लगना। उक्त के कारण चौराहो/तिराहों के सुनियोजित विकास एवं केन्द्रीय क्रियाओं का वाह्यवर्ती मार्गों की तरह विकेन्द्रीकरण तथा फ्लाईओवर बनाकर यातायात को नियंत्रित करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- नगर के प्रमुख व्यापार मार्गों पर पार्किंग के अभाव में दो पहिया एवं बड़े वाहनों के खड़े करने से जाम की समस्या जिससे यातायात का अवरुद्ध होना प्रमुख समस्या है।
- शहर में गार्बेज डम्पिंग तथा एस0टी0पी0 इत्यादि का अभाव है जिससे नगर में प्रदूषण तथा पर्यावरणीय समस्यायें गंभीर होती जा रही है।
- जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के अनुसार नगर में एवं बाह्यवर्ती क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाओं तथा चिकित्सा सुविधाओं का मानक के अनुरूप विकास न होना।
- ट्रक टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट नगर आदि के अभाव में भारी ट्रकों का सड़क के किनारे खड़े होने से यातायात में व्यवधान एवं दुर्घटना का खतरा।

अध्याय 9: महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य

9.1 विज़न

अयोध्या महायोजना 2031 (भाग–क) में अयोध्या नगर के विकास हेतु निर्धारित विजन के अनुसार अयोध्या नगर को एक धार्मिक नगरी एवं सतत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया प्रस्तावित है। अयोध्या नगर में पर्यटकों को आकर्षित करने की उच्च क्षमता है और इसके विशेष सांस्कृतिक वातावरण के कारण धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन का विकास संभव है। राम मन्दिर के निर्माण के दृष्टिगत अयोध्या एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, इसलिए नए अयोध्या के लिए प्रभावी योजना बनाना आज की जरूरत है। प्राधिकरण क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, आतिथ्य और होटल प्रबंधन संस्थान, स्टार होटल, कला और शिल्प केंद्र, कन्वेंशन सेंटर, पुनर्वास केंद्र के विकास की प्रबल संभावनाएं है। अयोध्या विकास क्षेत्र की की महायोजना 2031 के विजन को वर्तमान चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार करने के उपरान्त आकार दिया गया है। महायोजना 2031 का विजन निम्नवत है:

> ***"अयोध्या नगर को पर्यावरण के अनुकूल, जन–केंद्रित एवं एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना"***

तालिका 9.1 विज़न

सिद्धांतों की मार्गदर्शक (Guiding Principles)	लक्ष्य/उद्देश्य (Goals/Objectives)	रणनीतियाँ (Strategies)
सतत और जन केंद्रित विकास (Sustainable and People Centric Development)	व्यापक और सुव्यवस्थित गतिशीलता	• परिवहन नेटवर्क और पदानुक्रम • भूमि उपयोग–परिवहन एकीकरण • सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में वृद्धि • बैटरी चालित वाहनों/गैर–प्रदूषणकारी वाहनों को बढ़ावा देना। • नगर में बाहरी लोगों के प्रवेश को कम करने और नगर के अंदरूनी इलाकों में अवांछित यातायात को कम करने के लिए नगर के दोनों दिशाओं में रिंग के रूप में बाईपास प्रस्तावित किया गया है।

सिद्धांतों की मार्गदर्शक (Guiding Principles)	लक्ष्य / उद्देश्य (Goals/Objectives)	रणनीतियाँ (Strategies)
	अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति क्षमता को बढ़ाना	• घरेलू / वार्ड / क्षेत्रीय / नगर स्तर पर कचरे का पृथक्करण • लैंडफिल कचरे में कमी करने हेतु प्रावधान करना • लैंडफिल साइट / एम0आर0एफ0 सुविधा प्रदान करके ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान करना।
	संतुलित एकीकृत विकास	• कुशल सामाजिक और भौतिक अवसंरचना का प्रावधान करना (दिशानिर्देश के अनुसार) • प्रत्येक जोन्स में वाणिज्यिक केंद्रों का समान वितरण • स्व—व्याख्यात्मक जोनिंग विनियम
	सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता प्रणाली का प्रावधान करना	• जमीनी स्तर पर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने का प्रावधान करना • वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रावधान करना जिससे पानी की गुणवत्ता में सुधार हो सके और पानी को रीसायकल करके पुनः उपयोग किया जा सके। • अपशिष्ट जल के उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रस्तावित किया जाना।
पर्यावरण के अनुकूल (Environment Friendly)	जल निकायों का संरक्षण	• महायोजना में सभी तालाबों, नदियों और नालों का सीमांकन करना। • महायोजना स्तर पर जल निकायों के संरक्षण के लिए ग्रीन बफर्स निर्धारित करना। नगर को प्राकृतिक आपदा/बाढ़ से बचाने के लिए महायोजना में तमसा नदी के किनारे नो डेवलपमेंट जोन/बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का प्रावधान करना।
	नगर में सभी नागरिकों के लिए बड़े स्तर के खुले स्थानों और हरित क्षेत्र का प्रवधान करना	• अयोध्या महायोजना में हरित क्षेत्र और मनोरंजक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तर के पार्क, बहुउद्देशीय क्रीड़ास्थल का प्रस्ताव किया जाना है। • महायोजना स्तर पर एवेन्यू वृक्षारोपण के लिए नीतिगत प्रस्ताव करना। • संस्थागत, शासकीय एवं वन भूमि में वृक्षारोपण का प्रस्ताव करना।

सिद्धांतों की मार्गदर्शक (Guiding Principles)	लक्ष्य/उद्देश्य (Goals/Objectives)	रणनीतियाँ (Strategies)
रहने योग्य शहर (Livable City)	सबके लिए आवास	• पीपीपी (सरकारी–निजी भागीदारी) माध्यम से किफायती आवास को बढ़ावा देना। • आवासीय आवश्यकताओं की गणना करते समय सभी आय वर्ग को करने का प्रावधान करना ताकि सभी को आवास प्रदान किया जा सके और नगर से आवासों की कमी को समाप्त किया जा सके।
	आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना	• बाईपास और राजमार्गों के किनारे राजमार्गीय/संस्थागत सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करना जिससे नगरीय/क्षेत्रीय स्तर के आर्थिक अवसर को बढ़ावा मिले। • नगर के प्रमुख/चौड़े मार्गों पर मिश्रित उपयोग/बाजार स्ट्रीट का प्रावधान किया जाए जिससे आर्थिक निवेश को प्रोत्साहन मिल सके। • उच्च वृद्धि विकास को प्रतिबंधित करने और नगर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र को विकेंद्रीकृत करने के लिए नगर के निर्मित क्षेत्र में बाजार स्ट्रीट का प्रस्ताव का प्रावधान करना। • प्रत्येक जोन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नियोजन के दृष्टिकोण से प्रत्येक जोन में उप–नगर केंद्र के प्रस्ताव का प्रावधान करना जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

अध्याय 10: आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण

10.1 जनसंख्या प्रक्षेपण

किसी भी नगर की एक दीर्घकालीन वास्तविक योजना तैयार करने के लिए जनसंख्या का पूर्वानुमान किया जाना अति आवश्यक है। अयोध्या के विस्तारित विकास क्षेत्र के नगरीकरण योग्य क्षेत्र में महायोजना अवधि वर्ष–2031 तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों (जैसे आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक आदि) हेतु पर्याप्त भूमि का प्रस्ताव किया जाना है क्योंकि महायोजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया की मौलिक इकाई व्यक्ति ही है। अतः विभिन्न प्रस्तावों हेतु भूमि आरक्षित किये जाने हेतु इन क्षेत्रों की वर्ष–2031 की जनसंख्या का ऑकलन किया जाना आवश्यक है।

10.1.1 अयोध्या विस्तारित विकास क्षेत्र का जनसंख्या प्रक्षेपण

अयोध्या के विस्तारित विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2001 में 46,958 थी जो 2011 में बढ़कर 53,737 हो गयी। नगरपालिका सीमा के अतिरिक्त अयोध्या के विस्तारित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की जनसंख्या वर्ष 2001 में 3,63,656 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 4,40,208 हो गयी। वर्ष 2031 जनसंख्या प्रक्षेपण के लिए अयोध्या के विस्तारित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है–शहरीकरण योग्य सीमा के भीतर के ग्राम, राजमार्ग के किनारे आने वाले ग्राम और ग्रामीण क्षेत्र। श्रेणिवार जनसंख्या वितरण नीचे दी गई तालिका 10.1 में दिखाया गया है।

तालिका 10.1 अयोध्या के विस्तारित विकास क्षेत्र का श्रेणिवार जनसंख्या वितरण

वर्ष	नगरीय क्षेत्र	शहरीकरण योग्य सीमा के भीतर के ग्राम	राजमार्ग के किनारे आने वाले ग्राम	ग्रामीण क्षेत्र	कुल जनसंख्या
1991	40,515*	54,997	1,02,340	1,37,380	3,35,232
2001	53,690*	73,606	1,30,922	1,52,396	4,10,614
2011	62,080*	93,383	1,55,993	1,82,489	4,93,945

स्रोतः जनगणना हस्तपुस्तिका।

*****_नव सृजित खिरौनी सुचितागंज नगर पंचायत क्षेत्र सहित_

अयोध्या के विस्तारित विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2021 तक 77,953 एवं वर्ष 2031 तक 98,084 हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2021 एवं 2031 में संभावित जनसंख्या के आकलन में गणितीय विधियों के अतिरिक्त नगरीयकरण की प्रवृत्तियों एवं अन्य सम्बंधित संभावनाओं को ध्यान में रखा गया है। अयोध्या में अनुमानित फ्लोटिंग जनसंख्या 8.0 लाख है। प्रभावी अयोध्या महायोजना–2031 (भाग–क) में अनुमानित फ्लोटिंग जनसंख्या 3.0 लाख ली गयी थी। महायोजना 2031 (भांग–ख) की जनसंख्या प्रक्षेपण हेतु 5.0 लाख फ्लोटिंग जनसंख्या तथा 2.0 लाख जनसंख्या माइग्रेशन के अन्तर्गत ली गयी है। अयोध्या विकास क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्र की जनसंख्या प्रक्षेपण निम्नवत विधियों के अनुसार किया गया है:–

- **अर्थमेटिक इन्क्रीज विधि**
- **जियोमेट्रिक इन्क्रीज विधि**
- **इंक्रीमेंटल इन्क्रीज विधि**

तालिका 10.2 जनसंख्या प्रक्षेपण महायोजना 2031 (भाग–ख)

क्र. सं.	प्रक्षेपण विधि–	जनसंख्या			अर्थमेटिक विधि		ज्यामितीय विधि		इन्क्रीमेंन्टल विधि		औसत जनसंख्या	
		1991	2001	2011	2021	2031	2021	2031	2021	2031	2021	2031
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**नगरीय क्षेत्र**											
	नवाबगंज नगर पालिका परिषद	13,750	16,096	17,314	19,096	20,878	23,706	30,474	17,968	19,750	20,257	23,701
	भरतकुंड भदरसा नगर पंचायत	21,469	30,862	36,423	43,900	51,377	58,083	85,743	40,068	47,545	47,350	61,555
	खरौनी सुचितागंज नगर पंचायत	5,296	6,732	8,343	9,867	11,390	11,125	15,529	1,0042	11,565	10,345	12,828
	कुल जनसंख्या (नगरीय क्षेत्र)	40,515	53,690	62,080	72,863	83,645	92,914	1,31,746	68,078	78,860	77,952	98,084
2	**अयोध्या महायोजना 2031(भाग–ख) में सम्मिलित नगरीयकरण योग्य ग्रामों की जनसंख्या (30 राजस्व ग्राम)**	54,997	73,606	93,383	1,12576	1,31769	1,29,840	1,88,102	1,13,744	1,32,937	1,18,720	1,50,936
3	**अयोध्या महायोजना 2031(भाग–ख) में राजमार्ग के किनारे आने वाले ग्रामों की जनसंख्या (99 राजस्व ग्राम)**	1,02340	1,30,922	1,55,993	1,82,820	2,09,646	2,32,204	3,39,022	1,79,309	2,06,135	1,98,111	2,51,601
4	**ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या**	1,37,380	1,52,396	1,82,489	2,05,044	2,27,598	2,42,747	3,44,579	2,20,121	2,42,675	2,22,637	2,71,617

क्र. सं.	प्रक्षेपण विधि–	जनसंख्या			अर्थमेटिक विधि		ज्यामितीय विधि		इन्क्रीमेंन्टल विधि		औसत जनसंख्या	
		1991	2001	2011	2021	2031	2021	2031	2021	2031	2021	2031
5	कुल जनसंख्या (नगरीय क्षेत्र, नगरीयकरण योग्य राजस्व ग्राम एवं राजमार्ग के किनारे आने वाले ग्रामों)	1,97,852	2,58,218	3,11,456	**3,68,259**	**4,25,060**	**4,54,958**	**6,58,870**	**3,61,131**	**4,17,932**	**3,94,783**	**5,00,621**
6	**फ्लोटिंग जनसँख्या**											500000
7	**माइग्रेशन**											200000
8	**कुल जनसंख्या**	1,97,852	2,58,218	3,11,456							**3,94,784**	**12,00,621**
9	**कुल जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्र सहित)**	3,33,383	4,10,614	4,93,945							**6,17,420**	**14,72,238**

स्रोतः जनपद जनगणना हस्तपुस्तिका 1991, 2001 एवं 2011 के आधार पर किया गया प्रक्षेपण।

चित्र 10.1 जनसंख्या प्रक्षेपण

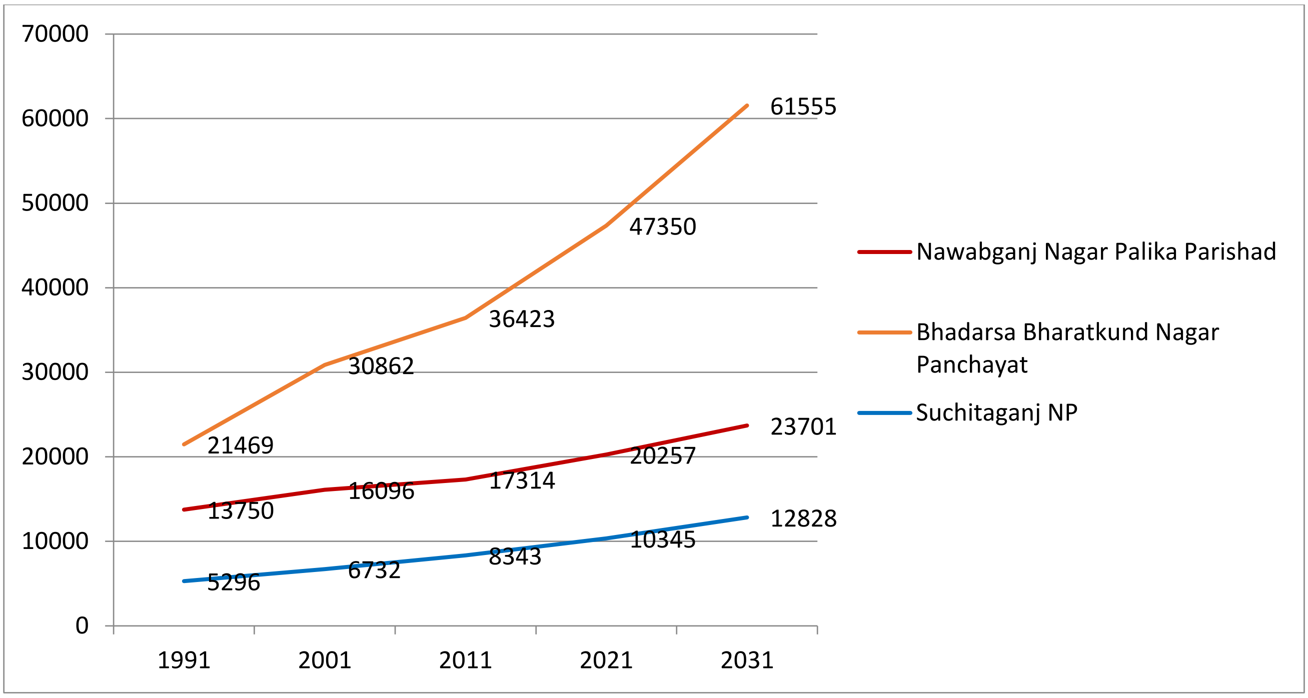

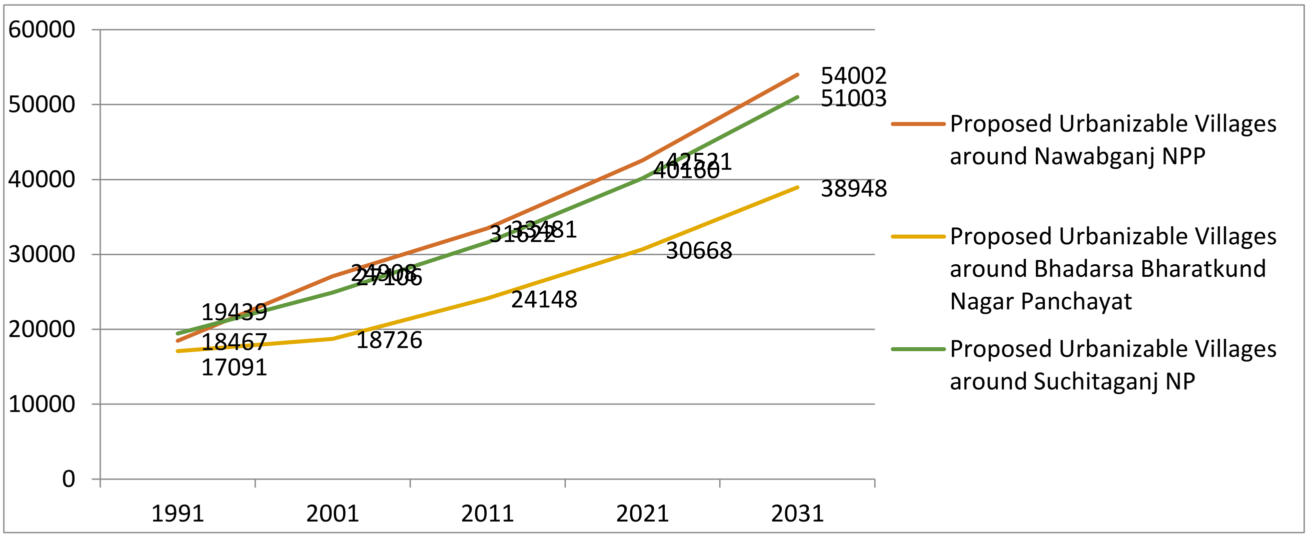

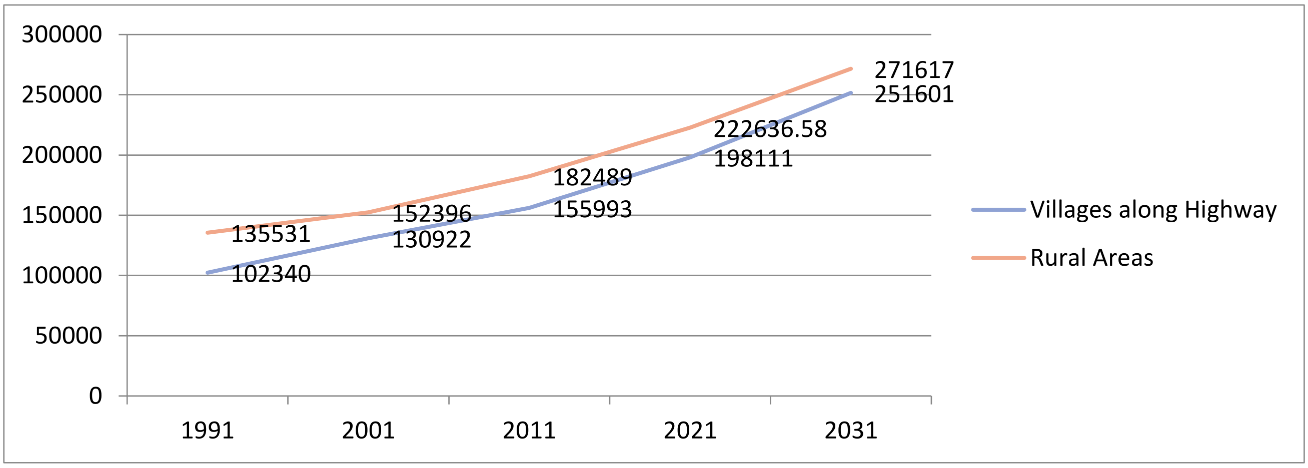

10.1.2 अयोध्या महायोजना–2031 भाग–(क) का जनसँख्या प्रक्षेपण

अयोध्या महायोजना–2031 भाग (क) के अनुसार 41 गांवों को मिलाकर अयोध्या विकास क्षेत्र की जनसंख्या प्रक्षेपण विभिन्न विधियों यथा अंकगणित वृद्धि विधि, ज्यामितीय वृद्धि विधि, वृद्धिशील वृद्धि विधि एवं ग्राफिकल विधियों का उपयोग कर के वर्ष 2031 की प्रक्षेपित जनसख्याँ का आंकलन किया गया है, जो तालिका संख्या 10.3 में दर्शाया गया है:–

तालिका 10.3 जनसंख्या प्रक्षेपण महायोजना–2031 भाग (क)

क्रमांक	विधि	जनसंख्या प्रक्षेपण अयोध्या शहरी क्षेत्र (औसत जनसंख्या)					
		1981	1991	2001	2011	2021	2031
1	अंकगणित वृद्धि विधि	1,32,373	1,65,079	1,94,122	3,31,062	3,97,292	4,63,521
2	ज्यामितीय वृद्धि विधि						
	औसत	1,32,373	1,65,079	1,94,122	3,31,062	4,55,590	6,26,959
	अधिकतम	1,32,373	1,65,079	1,94,122	3,31,062	5,64,604	9,62,894
	न्यूनतम	1,32,373	1,65,079	1,94,122	3,31,062	3,89,307	4,57,799
3	वृद्धिशील वृद्धि विधि	1,32,373	1,65,079	1,94,122	3,31,062	4,26,381	5,21,700
4	ग्राफिकल विधि	1,32,373	1,65,079	1,94,122	3,31,062	4,42,938	5,54,815
	प्रक्षेपित जनसंख्या					4,43,288	6,00,665
	24 शहरीकरण योग्य गाँव						93,541
	अस्थायी जनसंख्या						3,50,000
	प्रवासी						1,50,000
	2031 में कुल जनसंख्या						**11,94,206**

स्रोत: अयोध्या महायोजना–2031 भाग–(क)

वर्ष 2031 तक महायोजना क्षेत्र के लिए अयोध्या महायोजना–2031 भाग (क) व अयोध्या महायोजना 2031 भाग (ख) हेतु कुल प्रक्षेपित जनसँख्या 23,94,827 है, ***(नगरीय क्षेत्र, नगरीयकरण योग्य राजस्व ग्राम एवं राजमार्ग के किनारे आने वाले ग्रामों की अनुमानित जनसंख्या का योग)***। इस जनसंख्या के आधार पर महायोजना क्षेत्र के लिए सभी भावी आवश्यकताओं की गणना की जाएगी।

10.2 जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या प्रक्षेपण के अनुसार नगर की जनसंख्या वर्ष 2031 तक 10 लाख से अधिक अनुमानित है, जो कि URDPFI गाइडलाइंस के अनुसार एक बड़े नगर (Class I Town) की श्रेणी में आता है। वर्ष 2031 की जनसंख्या 23,94,827 अनुमानित की गयी है जिसके लिए URDPFI गाइडलाइंस के अनुसार 100 व्यक्ति पर हेक्टेयर के सकल घनत्व के अनुसार कुल 23948.27 हेक्टेयर क्षेत्रफल की अवश्यकता होगी।

तालिका 10.4 महायोजना–2031 के लिए अनुमानित क्षेत्रफल

क.सं.	विवरण	आँकड़े
1	जनगणना 2011 के अनुसार विकास क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या	8,73,605
2	वर्ष 2031 तक महायोजना क्षेत्र (**नगरीय क्षेत्र + नगरीयकरण योग्य** + ***राजमार्ग के किनारे आने वाले ग्रामों*** का क्षेत्र) की अनुमानित जनसंख्या	23,94,827
3	मध्य श्रेणी के नगरों के लिए URDPFI के अनुसार सकल घनत्व (व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)	100
4	कुल आवश्यक भूमि (हेक्टेयर)	**23948.27 हे0**

10.3 आवासीय प्रक्षेपण

10.3.1 अयोध्या महायोजना 2031 भाग (क)

अयोध्या महायोजना–2031 (भाग–क) के अंतर्गत विकास क्षेत्र में प्रत्येक परिवार हेतु आवास की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने हेतु आवासीय मांग की गणना की गई है, जो वर्ष 2031 हेतु प्रक्षेपित जनसंख्या पर आधारित है। आवासीय मांग की गणना हेतु परिवार के औसत सदस्यों की संख्या 6 अनुमानित है। आवासीय मांग की गणना का विवरण तालिका संख्या 10.5 में दर्शाया गया है:–

तालिका 10.5 आवासीय शॉर्टेज की गणना

शहरी क्षेत्र का आवास						
वर्ष	जनसंख्या	विद्यमान	खराब स्थिति	उपलब्ध	आवश्यकता	शॉर्टेज
1991	165079	26375	1582	24793	33016	8223
2001	194122	30703	1842	28861	38824	9963
2011	331062	38176	2290	35886	66212	30326
2021	378404	38176	5315	35886	75680	42809
2031	1194206	238841			202955	202955

तालिका 10.6 आवासीय मांग की गणना

	प्रतिशत	आवासी मांग	क्षेत्र प्रति HH (वर्ग मीटर)	इकाई	क्षेत्र प्रति HH (हेक्टेर)	आवासीय क्षेत्र (हेक्टेर)
EWS	30	60887	50	1	0.005	304.435
LIG	30	60887	100	1	0.01	608.87
MIG	20	40591	200	1	0.02	811.82
HIG	20	40591	275	1	0.0275	1116.253
Total	**100**	**202955**				**2841.378**

उपरोक्त गणना से स्पष्ट है कि नगरीय क्षेत्र में 202955 घरों की कमी और वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में 9996 घरों की कमी है। वर्ष 2031 के लिए आवास की आवश्यकता की गणना के लिए अंकगणित माध्य प्रगति पद्धति (Arithmetic Mean Method) अनुसार प्रक्षेपित के दृष्टिगत आवास की आवश्यकता की गणना की गई है। वर्ष 2031 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 202955 घरों की आवश्यकता के दृष्टिगत कुल 2841.37 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

10.3.2 अयोध्या महायोजना 2031 भाग (ख)

तालिका संख्या 10.7 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 में नगरीय क्षेत्र में कुल परिवारों की संख्या एवं इतनी ही उपलब्ध आवासीय इकाइयां हैं जिनमें 10 प्रतिशत आवासीय इकाइयां जीर्ण–शीर्ण अवस्था में रखे जाने के दृष्टिगत 3636 आवासीय इकाइयां जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होंगी। इसी प्रकार नगरीकरण हेतु प्रस्तावित कुल 129 राजस्व ग्राम में कुल परिवारों की संख्या 49876 एवं इतनी ही उपलब्ध आवासीय इकाइयां हैं जिनमें 4988 आवासीय इकाइयां (10 प्रतिशत) जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होंगी। जिन्हें पुनः स्थापित करने के लिए लगभग 8624 अतिरिक्त आवासीय भवनों की आवश्यकता होगी।

तालिका 10.7 वर्ष 2031 तक अनुमानित परिवार की संख्या एवं आवासीय इकाइयों की संख्या

क्र. सं.	विवरण	जनसंख्या वर्ष 2011	परिवारों की संख्या	उपलब्ध आवासीय इकाई	जीर्ण–शीर्ण आवासीय इकाई की संख्या	अतिरिक्त आवासीय इकाइयों की संख्या
1.	अयोध्या के विस्तारितविकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र	62,080	10209	10209	1021	3636
2.	नगरीयकरण क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्राम	2,49,376	49876	49876	4988	4988
3.	कुल जनसंख्या (1+2)	3,11,456	60,085	60,085	6009	8,624
4.	विस्तारित विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र की प्रक्षेपित जनसंख्या 2031	98,084				
5.	नगरीयकरण क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्रामों की प्रक्षेपित जनसंख्या 2031	4,02,537				
6.	कुल अनुमानित जनसंख्या 2031 (4+5)	5,00,621				
7.	2031 तक अतिरिक्त जनसंख्या एवं 5 व्यक्ति प्रति परिवार के मानक के आधार पर परिवारों की संख्या	1,89,165	37,833			37,833
8.	वर्ष 2031 तक कुल वास्तविक अतिरिक्त आवासीय इकाइयों की आवश्यकता					46,457

स्रोतः– जनपद जनगणना हस्तपुस्तिका –2011 एवं विभागीय प्रक्षेपण – स्टेस्लिट

उपर्युक्त गणना से स्पष्ट है कि वर्ष 2031 में प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र की कुल जनसंख्या में वर्ष 2011 के सापेक्ष 1,89,165 की वृद्धि होगी। उक्त जनसंख्या वृद्धि हेतु 5 व्यक्ति प्रति परिवार मानक के आधार पर 37,833 परिवारों के लिए इतनी ही अतिरिक्त आवासीय इकाइयों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार वर्ष 2031 तक अनुमानित जनसंख्या के लिए कुल 46,457 अतिरिक्त आवासीय इकाइयों की आवश्यकता होगी।

तालिका 10.8 विभिन्न आय वर्गों के लिए अतिरिक्त आवासीय भूमि की आवश्यकता की गणना

क. सं.	आय वर्ग	प्रतिशत	वर्ष 2031 तक कुल अतिरिक्त आवासीय इकाइयों की कमी	भू–क्षेत्रफल (वर्गमी.)	औसत आवासीय इकाइयों की संख्या प्रति भूखण्ड	कुल अनुमानित प्लाटेड एरिया (हे.)	कुल आवासीय क्षेत्रफल का प्रतिशत	कुल क्षेत्र0 (हे0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	दुर्बल आय वर्ग	30	13937	50	1	69.69	45	154.86
2.	निम्न आय वर्ग	30	13937	100	1	139.37	45	309.71
3.	मध्यम आय वर्ग	30	13937	200	1.5	185.83	45	412.95
4.	उच्च आय वर्ग	10	4646	300	2	69.69	45	154.87
	योग	**100**	**46457**			**464.57**		**1032.38**

स्रोतः विभागीय प्रक्षेपण–स्टेस्लिट

विभागीय विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2031 तक की प्रक्षेपित जनसंख्या हेतु विभिन्न आय वर्गों के लिए 1032.38 हे0 भूमि की आवासीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता होगी। वर्ष 2023 में किये गये भू–उपयोग सर्वेक्षण के आधार पर नगरीयकरण क्षेत्र के अन्तर्गत 839.03 हे0 में आवासीय विकास हुआ है। इस प्रकार वर्ष 2031 तक लगभग 1871.41 हे0 क्षेत्र की आवासीय उपयोग हेतु आवश्यकता होगी। अतः वर्ष 2031 तक कुल विकास क्षेत्र (भाग–क + भाग–ख) हेतु लगभग 4712.78 हे0 क्षेत्र की आवासीय उपयोग हेतु आवश्यकता होगी।

10.3.3 व्यावसायिक प्रक्षेपण

वर्ष–2031 तक प्रक्षेपित जनसंख्या के दृष्टिगत महायोजना–2031 (भाग–क + भाग–ख) में व्यावसायिक उपयोग हेतु यू.आर.डी.पी.एफ गाइडलाइन्स के अनुसार 460.45 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी। जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका 10.9 में किया गया है।

तालिका 10.9 व्यावसायिक सुविधाओं हेतु भावी आवश्यकता

क्र. सं.	व्यावसायिक सुविधाएँ	मानक		कुल भावी आवश्यकता (भाग–क+ भाग–ख)	कुल आवश्यक भूमि (हे0½
		जनसंख्या के अनुसार आवश्यकता	क्षेत्रफल मानक (हे0)		
1	सुविधाजनक दुकानें	5000 पर 1	0.15	479	71.85
2	स्थानीय दुकानें सर्विस सेंटर सहित	15000 पर 1	0.46	160	73.60
3	डिस्ट्रिक्ट सेंटर	500000 पर 1	40.00	5	200.00
4	सामुदायिक केन्द्र सर्विस सेंटर सहित	100000 पर 1	5.00	23	115.00
		कुल योग		**335**	**460.45**

स्रोतः विभागीय प्रक्षेपण–स्टेस्लिट

10.4 औद्योगिक प्रक्षेपण

अयोध्या के विकास क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों का अभाव है। नियोजित ढ़ंग से औद्योगिक विकास हेतु प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराना अति आवश्यक है ताकि नगर का आर्थिक आधार सुदृढ़ हो सके। यह अनुमान किया गया है कि वर्ष 2031 में विस्तारित विकास क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों की संख्या कुल प्रक्षेपित जनसंख्या 23.94 लाख का लगभग 33 प्रतिशत होगी। औद्योगिक प्रक्षेपण के अनुसार वर्ष 2031 तक आद्योगिक उपयोग हेतु कुल 1975.73 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी।

तालिका 10.10 औद्योगिक विकास हेतु भावी आवश्यकता

औद्योगिक प्रक्षेपण –2031				
क. सं.	विवरण	महायोजना–2031 (भाग–क)	महायोजना–2031 (भाग–ख)	कुल आवश्यक भूमि (हे0½
1	अनुमानित जनसंख्या–2031	1194206	12,00,621	1975.73हे0
2	कार्य भागीदारी दर (33%)	394088	3,96,205	
3	कार्यबल–2031(कार्य भागीदारी दर का 25%)	98522	99,051	
4	औद्योगिक श्रमिक घनत्व (100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)	985.22 हे0	990.51हे0	
6	औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता	985.22 हे0	990.51हे0	

स्रोतः विभागीय प्रक्षेपण – स्टेस्लिट

10.5 सार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रक्षेपण

वर्ष 2031 की जनसंख्या प्रक्षेपण के अनुसार URDPFI गाइडलाइन्स के अनुसार अयोध्या के विकास क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत कुल अतिरिक्त 487.25 हे0 भूमि की आवश्कयकता है।

तालिका 10.11 अयोध्या महायोजना 2031 में सार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रक्षेपण

सुविधा का नाम	जनसंख्या के अनुसार आवश्यकता	कुल भावी आवश्यकता	वर्तमान उपलब्धता	कमी	क्षेत्रफल मानक (हे0)	कुल आवश्यकभूमि (हे0)	अतिरिक्त आवश्यक भूमि (हे0)
1	2	3	4	5	6	7	8
इण्टर कालेज (प्राइमरी, नर्सरी स्कूल सहित)	10000 पर 1	239	121	118	0.40	95.60	47.20
डिग्री कालेज	80000 पर 1	30	10	20	1.00	30.00	20.00
तकनीकी संस्थान	100000 पर 1	24	2	22	4.00	96.00	88.00
स्वास्थ्य केन्द्र	15000 पर 1	160	10	150	0.08	12.80	12.00

सुविधा का नाम	जनसंख्या के अनुसार आवश्यकता	कुल भावी आवश्यकता	वर्तमान उपलब्धता	कमी	क्षेत्रफल मानक (हे0)	कुल आवश्यकभूमि (हे0)	अतिरिक्त आवश्यक भूमि (हे0)
1	2	3	4	5	6	7	8
बाल कल्याण एवं प्रसूति गृह	45000 पर 1	53	4	49	0.20	10.60	9.80
सामान्य चिकित्सालय	100000 पर 1	24	10	14	2.00	48.00	28.00
डाकघर	250000 पर 1	96	5	91	0.25	24.00	22.75
पुलिस स्टेशन	50000 पर 1	48	5	43	4.00	192.00	172.00
पुलिस चौकी	15000 पर 1	160	8	152	0.15	24.00	22.80
फायर स्टेशन	200000 पर 1	12	1	11	0.80	9.60	8.80
बारातघर/ कम्युनिटी सेन्टर	25000 पर 1	96	12	84	0.10	9.60	8.40
क्लब	25000 पर 1	96	2	94	0.25	24.00	23.50
आपदा प्रबंधन केन्द्र	प्रत्येक प्रशासनिक जोन में एक	18	0	18	1.00	18.00	18.00
अग्नि प्रशिक्षण संस्थान	नगर स्तर पर एक	3	1	2	3.00	9.00	6.00
कुल अतिरिक्त आवश्यक भूमि (हे0)							**487.25**

स्रोतः विभागीय प्रक्षेपण – स्टेस्लिट

10.6 मनोरंजनात्मक सुविधाओं हेतु प्रक्षेपण

नगर में उपलब्ध खुले क्षेत्र वर्तमान एवं भावी जनसंख्या की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। मानक के अनुरूप कुल भू–क्षेत्र का 14 से 16 प्रतिशत भाग पर्यावरण की दृष्टि से पार्क/खुला क्षेत्र/स्टेडियम के रूप में होना आवश्यक है। अयोध्या के विकास क्षेत्र में वर्तमान भू–उपयोग के अनुसार पार्क एवं खुला क्षेत्र के अंतर्गत कुल 81.67 हे0 भूमि प्रयुक्त है जो कुल क्षेत्रफल का 1.88 प्रतिशत है। अयोध्या के विकास क्षेत्र में वर्ष 2031 तक मनोरंजनात्मक सुविधाओं हेतु कुल 1224.00 हे0 भूमि की आवश्यकता है जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका 10.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.12 अयोध्या महायोजना 2031 में मनोरंजनात्मक सुविधाओं हेतु प्रक्षेपण

क्र. सं.	मनोरंजनात्मक सुविधाएँ	मानक		कुल भावी आवश्यकता	कुल आवश्यकभूमि (हे0½
		जनसंख्या के अनुसार आवश्यकता	क्षेत्रफल मानक (हे0)		
1	सामुदायिक स्तर के बहुउद्देशीय मैदान	100000 पर 1	2.00	24	48.00

क्र. सं.	मनोरंजनात्मक सुविधाएँ	मानक		कुल भावी आवश्यकता	कुल आवश्यकभूमि (हे0½
		जनसंख्या के अनुसार आवश्यकता	क्षेत्रफल मानक (हे0)		
2	जिला स्तरीय बहुउद्देशीय मैदान	500000 पर 1	4.00	5	20.00
3	नेबरहुड खेल क्षेत्र	15000 पर 1	1.50	160	240.00
4	नेबरहुड पार्क	5000 पर 1	1.00	479	479.00
5	जिला क्रीड़ा केन्द्र	100000 पर 1	8.00	24	192.00
6	सामुदायिक पार्क	100000 पर 1	5.00	24	120.00
7	डिस्ट्रिक्ट पार्क	500000 पर 1	25.00	5	125.00
			कुल योग	**362**	**1224.00**

स्रोतः विभागीय प्रक्षेपण – स्टेस्लिट

10.7 भौतिक अवसंरचना हेतु प्रक्षेपण

वर्ष 2031 तक 23,94,827 की जनसंख्या हेतु कुल पानी की आवश्यकता 39,90,97,920 एलपीसीडी (399.09 एमएलडी) है। यू0आर0डी0पी0एफ0आई0 दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2031 के लिए सीवरेज उत्पादन कुल जल आपूर्ति का 80% अर्थात 31,92,78,336 एलपीसीडी (319.27 एमएलडी) है। 2031 तक अपशिष्ट उत्पादन की गणना 0.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के मानक के आधार पर की जाती है जिसके अनुसार वर्ष 2031 तक अनुमानित उत्पादन लगभग 11,97,413.50 किलोग्राम/कैप्टा/प्रतिदिन (1197.41एमटीडी) है। भौतिक अवसंरचना हेतु प्रक्षेपण तालिका 10.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.13 अयोध्या महायोजना 2031में भौतिक अवसंरचना हेतु भावी आवश्यकता

क्र.सं.	भौतिक अवसंरचना	आवश्यकता
1	जलापूर्ति	LPCD
1.1	घरेलू उद्देश्य @135 LPCD	32,33,01,645
1.2	गैर–घरेलू उद्देश्य @ 30 LPCD	7,18,44,810
1.3	कुल आवश्यकता	**39,51,46,455**
1.4	अग्निशमन@ कुल जलापूर्ति आवश्यकता का 1 प्रतिशत	39,514,65
	कुल आवश्यकता	**39,90,97,920**
2	सीवरेज उत्पादन	LPCD
2.1	सीवरेज उत्पादन@ जलापूर्ति का 80 प्रतिशत	**31,92,78,336**
3	ठोस अपशिष्ट उत्पादन	**Kg/capita/day**
3.1	ठोस अपशिष्ट उत्पादन@0.5 किलो प्रति व्यक्ति	**11,97,413.50**

स्रोतः विभागीय प्रक्षेपण–स्टेस्लिट

अध्याय 11: भू–उपयोग प्रस्ताव

11.1 नगर के विकास/विस्तार की दिशा

अयोध्या के विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र (यथा अयोध्या नगर निगम, नवाबगंज नगर पालिका एवं भदरसा नगर पंचायत क्षेत्र) के निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान समस्याओं एवं नगरीय क्षेत्र के बाहर अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास की प्रमुख समस्याएँ के अतिरिक्त विकास क्षेत्र के मध्य से सरयू नदी के गुजरने के कारण नदी के उत्तर दिशा (गोण्डा जिला का क्षेत्र) का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समुचित बन्धा निर्माण आदि के अभाव में विकसित नहीं हो सका है।

अयोध्या के विकास क्षेत्र में सभी दिशाओं में विकास की प्रबल संभावनाएँ है। इसी के आधार पर महायोजना–2031 में अधिकांश प्रस्ताव दिये गए है। विकास क्षेत्र में विकास के लिए निम्नलिखित दिशाएँ सबसे अनुकूल हैं:

- अयोध्या नगर से गुजरने वाले मार्ग, यथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–27, अयोध्या–रायबरेली मार्ग, अयोध्या–सुल्तानपुर मार्ग तथा अयोध्या–अम्बेडकरनगर मार्ग के दोनों ओर विकास की तीव्र संभावनाएं है और इस क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है।
- अयोध्या नगर में प्रस्तावित रिंग रोड के दोनों ओर विकास की प्रबल सम्भावनाएं है। रिंग रोड के दक्षिण संरेखण के दोनों ओर 500 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र को नगरीकरण योग्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।
- विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र यथा (अयोध्या नगर निगम, नवाबगंज नगर पालिका एवं भदरसा नगर पंचायत) का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा उसके चतुर्दिक नगरीकरण योग्य क्षेत्र नियोजन की दृष्टि से उपयुक्त है तथा उसी दिशा में नगर का विकास/विस्तार हो रहा है।

11.2 महायोजना भू–उपयोग हेतु नीति निर्धारण

11.2.1 निर्मित क्षेत्र

अयोध्या महायोजना–2031 में निर्मित क्षेत्र 483.06 हे0 पर है जिसमें विभिन्न सामुदायिक सुविधाएं यथा शिक्षा, चिकित्सा तथा व्यावसायिक क्रियाएं केन्द्रित हैं। निर्मित क्षेत्र से गुजरने वाले प्रमुख मार्गो को छोड़कर अन्य सभी मार्गो की चौड़ाई कम होने के साथ–साथ उनकी भौतिक दशा अत्यन्त खराब है। सामुदायिक सुविधाओं की गुणात्मक व्यवस्था भी अपेक्षित स्तर की नहीं है। नगर के इस उच्च घनत्व क्षेत्र में खुले स्थान लगभग शून्य अथवा नगण्य हो गये हैं। अतः इन क्षेत्रों में भवनों के निर्माण पर नियंत्रण के साथ–साथ सुविधाओं एवं सेवाओं की गुणात्मक अवस्था के सुधार की आवश्यकता है। निर्मित क्षेत्र में निवास के उच्च जनसंख्या घनत्व को कम करने एवं व्यावसायिक क्रियाओं के विकेन्द्रीकरण करने के उद्देश्य से नगर के वाह्य क्षेत्रों में आवासीय, व्यावसायिक, सार्वजनिक सुविधाओं, मार्गों आदि का नियोजित रूप में प्राविधान किया गया है।

- **नीति निर्धारण**
- निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध खुले क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल 0.20 हे0 से अधिक हो, को यथावत खुले क्षेत्र के रूप में संरक्षित कर विकसित किया जायेगा जिनका उपयोग जन–उपयोगी सुविधाएं (पार्किंग, पार्क, सार्वजनिक शौचालय, पुलिस चौकी, डस्टबिन आदि) उपलब्ध कराने हेतु किया जायेगा।
- निर्मित क्षेत्र में विद्यमान थोक व्यापार को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित करते हुए इस प्रकार रिक्त होने वाले स्थलों पर सुव्यवस्थित रूप से पार्क/खुले स्थल एवं पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराये

जाने का प्रस्ताव है। समुचित पार्किंग सुविधा उपलब्ध न होने पर 9 मी0 से कम चौड़े बाजार मार्गों की समरूप प्रकृति वाले मार्गो को केवल पैदल मार्ग के रूप में उपयोग लाया जाना प्रस्तावित है।

- नगर के निर्मित क्षेत्र में विद्यमान ऐसे मार्ग जिनके दोनो ओर वर्तमान भू–उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियां क्रियाशील हैं ऐसे मार्गो पर मार्गाधिकार के दोनों ओर बाजार स्ट्रीट का प्रस्ताव किया गया है। बाजार मार्ग के अन्तर्गत विभिन्न उपयोगों/क्रियाओं की अनुमन्यता महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रावधानों के अनुसार होगी।
- किसी भी अभिकरण की योजनाओं/स्वीकृत लेआउट में महायोजना प्रस्तावों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार ले–आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगें।
- अयोध्या के विकास क्षेत्र में वेंडिंग/नॉन वेंडिंग जोन्स का विस्तृत अध्ययन जोनल प्लान बनाते समय किया जाना प्रस्तावित है। जोनल प्लान बनाने की वरियता में नगरीय क्षेत्र (यथा अयोध्या नगर निगम, नवाबगंज नगर पालिका एवं भदरसा नगर पंचायत क्षेत्र) के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों का जोनल प्लान प्राथमिकता पर तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे नगर में ससमय वेंडिंग जोन्स प्रस्तावित किया जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य जोन्स का भी जोनल प्लान ससमय तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

11.2.2 प्रस्तावित नगरीकरण योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में दर्ज ग्रामीण आबादी क्षेत्र

नगरीय विकास के विस्तार के फलस्वरूप नगर से सटे स्थित राजस्व ग्रामों की कृषि भूमि में नगरीय विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उक्त के परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी भी नगर विकास में सम्मिलित हो जाती है। अयोध्या विकास क्षेत्र में वर्ष 2031 तक भावी विकास के दृष्टिगत विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के साथ–साथ 149 राजस्व ग्रामों को नगरीकरण योग्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है जिसमें ग्रामीण आबादी भी सम्मिलित है। शेष राजस्व ग्राम प्रस्तावित नगरीकरण सीमा के बाहर अविकसित कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हैं।

- **नीति निर्धारण :-**

प्रस्तावित नगरीकरण योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में दर्ज ग्रामीण आबादी में मौलिक अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने एवं नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा शहरीकरण की प्रक्रिया अंतर्गत आने वाले ग्रामों के विकास हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गए हैं, **(परिशिष्ट–1)** जिसके अनुसार सम्बंधित अभिकरण द्वारा ग्रामों के विकास हेतु कार्यवाही की जायेगी।

11.2.3 अविकसित क्षेत्र

अयोध्या महायोजना–2031 में निर्मित क्षेत्र के अतिरिक्त प्रस्तावित भू–उपयोग क्षेत्र को अविकसित क्षेत्र माना गया है। महायोजना के अविकसित क्षेत्र के अन्तर्गत मार्गों के किनारे पट्टिका के रूप में व्यावसायिक, शैक्षिक संस्थाएं, चिकित्सा संस्थाऍ आदि विकसित हो चुके हैं अथवा तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं।

- **नीति निर्धारण :-**

- वर्तमान भू–उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार महायोजना के निर्मित क्षेत्र के बाहर मार्गों के किनारे पट्टिका के रूप में मिश्रित प्रकृति का विकास हुआ है। मिश्रित प्रकृति के विकास की प्रवृत्ति को

दृष्टिगत रखते हुए निर्मित क्षेत्र के बाहर 12 मीटर से 24 मीटर मार्गाधिकार वाले प्रस्तावित/विद्यमान मार्गो(सर्विस लेन के साथ) पर बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किया गया है।

- महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य की जायगी कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई, जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भू–उपयोग अनुमन्य किया जायगा।
- बाजार स्ट्रीट को मार्गो के दोनो ओर दर्शाते हुए पृथक से मानचित्र तैयार कर महायोजना में संलग्न किया गया है।

11.2.4 व्यावसायिक

अयोध्या महायोजना–2031 में विभिन्न जोन्स की व्यापार एवं वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यावसायिक क्रियाएं प्रस्तावित की गई है। नगरीय क्षेत्र की लगभग समस्त वाणिज्यिक क्रियाएं मुख्य मार्गों के दोनों तरफ निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हैं, जिसे बाजार स्ट्रीट के रूप में प्रस्तावित किया गया है। निर्मित क्षेत्र में व्यावसायिक क्रियाओं के विकेन्द्रीकरण करने के उद्देश्य से नगर के वाह्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरीय व्यावसायिक क्रियाओं का प्रस्ताव किया गया है।

- **नीति निर्धारण :-**

वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर दो स्तरों पर दिया जाना प्रस्तावित है। प्रथम सामान्य व्यावसायिक क्रियाएं जो लगभग प्रत्येक भू–उपयोग जोन में विद्यमान हैं तथा दूसरी थोक व्यावसायिक क्रियाएं जिनका क्षेत्र नगर के कुछ ही भागों में केन्द्रित होता है। निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित थोक व्यावसायिक क्रियाओं के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से प्रत्येक नियोजन जोन में आवश्यकतानुसार नगर केन्द्र, उप नगरीय केन्द्र एवं थोक व्यावसायिक केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है। निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत फुटकर व्यवसायिक क्रियाएं/सुविधाजनक दुकानों के भवन निर्माण उपविधि में बाजार मार्ग हेतु अपेक्षाओं के अनुसार भूखण्ड के सामने न्यूनतम खुला स्थल छोड़ना होगा।

शासनादेश संख्या 03/8–3–15–198 विविध/14 दिनांक 04.03.2015 एवं राष्ट्रीय टी0ओ0डी0 नीति 2017 के अनुरूप वर्ष 2022 में संशोधित शासनादेश संख्या 2120 /आठ–3–22–198 विविध/14 दिनांक 24.08.2022 द्वारा मिश्रित भू–उपयोग हेतु जारी न्यूनतम क्षेत्रफल, नियोजन मानकों एवं भवन उपविधि की अपेक्षाओं/प्राविधानों को पूर्ण करने की स्थित में शासनादेश के अनुसार विकास/निर्माण किया जा सकेगा।

11.2.5 उद्योग

अयोध्या महायोजना–2031 में औद्योगिक भू–उपयोग को दो श्रेणियों में प्रस्तावित किया गया हैं। पहली श्रेणी मध्यम एवं वृहद उद्योग की है और दूसरी श्रेणी लघु और सेवा उद्योग की है। अयोध्या के विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग एवं सेवा उद्योग जैसे–खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, बेकरी, कृषि आधारित यंत्र आदि उद्योगों की प्रबल संभावना है।

- **नीति निर्धारण :-**

नगर में कृषि आधारित उद्योग एवं सेवा उद्योगों के आस्थान विकसित किये जाने हेतु प्रमुख मार्गों पर प्रस्ताव किये गये है तथा हल्के एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक नियोजन जोन में

प्रस्ताव दिया गया है। नगर के आवासीय क्षेत्र में फैले कुटीर उद्योग एवं सेवा उद्योग को प्रोत्साहित किये जाने हेतु जोनिंग रेगुलेशन में प्राविधान किया गया है।

11.2.6 सार्वजनिक सुविधाएं

किसी भी नागरिक के जीवन हेतु आवश्यक सुविधाएं एवं सेवाएं इस उपयोग के अन्तर्गत आती है जिनकी पर्याप्त उपलब्धता से नगरीय जीवन स्वच्छ, शुद्ध एवं सुबिधा सम्पन्न होता है। नगरीय क्षेत्र में वर्तमान शिक्षा सुविधाएँ एवं चिकित्सा सुविधाएँ जनसंख्या के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं। नगर में उच्च तकनीकी शिक्षा/विश्वविद्यालयी शिक्षा का अभाव है।

विकास क्षेत्र में जल का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। भूमिगत जल के अतिदोहन के कारण भूमिगत जल का स्तर तीव्र गति से घट रहा है जो प्रयावरणीय दृष्टिगत से उचित नही है। नगरीय क्षेत्र यथा (अयोध्या नगर निगम, नवाबगंज नगर पालिका एवं भदरसा नगर पंचायत) में भूमिगत सीवेरज प्रणाली नहीं है। पूरे शहर के जल का उत्सर्जन खुले एवं अंडर ग्राउण्ड नालों के माध्यम से सीधे नदी में होता है। नगर का जो सालिड वेस्ट पैदा होता है उसके एकत्रीकरण व निस्तारण का कार्य नगर निगम /नगरपालिका द्वारा किया जाता है किन्तु सोलिड बेस्ट के निस्तारण हेतु उपयुक्त स्थान के अभाव में सड़क के किनारे डम्प किया जाता है। जिससे पर्यावरण दूषित होता है। अतः नगर में प्रयाप्त सार्वजनिक सुबिधाओं एवं उपयोगताओं की जनसंख्या मानकों के अनुसार उपलब्धता आवश्यक है।

- **नीति निर्धारण :-**
- अयोध्या महायोजना–2031 में सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं हेतु प्रत्येक नियोजन खण्ड में प्रस्तावित जनसंख्या हेतु नियोजन मानकों के अनुसार शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सामुदायिक सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।
- महायोजना क्षेत्र में प्रस्तावित जनसंख्या हेतु चरणबद्ध रूप से सीवरेज प्रणाली का विकास किया जाना होगा जिसके लिए पृथक रूप से एक विस्तृत कार्ययोजना विषय विशेषज्ञों के मार्ग निर्देशन में तैयार कराकर नगर निगम/नगर पालिका तथा अन्य सम्बन्धित अभिकरणों/विभागों के सहयोग से क्रियान्वित कराये जाने प्रस्ताव है। **(परिशिष्ट–2)**
- वर्तमान में नगर में खुली नालियों के माध्यम से होने वाले जल–मल के उत्सर्जन जो वर्तमान में नदी में प्रवाहित होता है, को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हेतु सीवरेज प्रणाली तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का प्रस्ताव है। **(परिशिष्ट–2)**
- नगर के सोलिड वेस्ट को संग्रहित करने तथा उसके वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हेतु अवस्थापना उच्चीकृत कराया जाना आवश्यक है जिसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना विशेषज्ञों के मार्ग निर्देशन में तैयार कराकर नगर पालिका के माध्यम से क्रियान्वित कराये जाने प्रस्ताव है।
- नगर में उत्पन्न होने वाले सोलिड वेस्ट के एकत्रीकरण एवं वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिय सोलिड वेस्ट प्रबन्धन हेतु उपयुक्त स्थल पर भूमि आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।**(परिशिष्ट–2)** सोलिड वेस्ट प्रबन्धन हेतु आरक्षित भूमि के चतुर्दिक पर्यावरणीय दृष्टि कोण से 9 मी0 हरित पट्टी तथा नियमानुसार बफर जोन (नो कन्स्ट्रक्शन जोन) का प्रस्ताव है।

11.2.7 यातायात एवं परिवहन

किसी भी नगर में उपलब्ध यातायात सुविधायें नगर के विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं और उचित तथा पर्याप्त मार्ग संरचना एवं यातायात प्रवाह नगर के समृद्धि विकास को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि ये मार्ग संरचना नगर के जीवन प्रवाह की धमनियों (रक्त प्रवाह नलिकाओं) का कार्य करते हैं। इसी उद्देश्य से अयोध्या महायोजना–2031 में एक सशक्त मार्ग प्रणाली की

संरचना की गई है। नगर के निर्मित क्षेत्र में अधिकांश मार्ग संकरें हैं। निर्मित क्षेत्र के बाहर स्थित मार्गों की चौड़ाई पर्याप्त है किन्तु मार्गों पर ठेले एवं अन्य प्रकार के अतिक्रमण के फलस्वरूप दिन में मार्गों पर आवागमन हेतु प्रयाप्त मार्गाधिकार न उपलब्ध होने के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न होती है एवं अवरोध की स्थित की सम्भावना रहती है। नगर में विशेषतः निर्मित क्षेत्र जो कि व्यावसायिक केन्द्र है, में पार्किगं सुबिधा का अभाव है। अतः नगर की महायोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु महायोजना में प्रस्तावित मार्ग संरचना एवं यातायात प्रणाली को प्रस्तावानुरूप विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

- **नीति निर्धारण**
- नगर के निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत मार्गों के संबंधित विभागों के अभिलेखानुसार अधिकतम उपलब्ध मार्गाधिकार को यथावत् संरक्षित रखा गया है, क्योंकि इस उपलब्ध चौड़ाई के अतिरिक्त नगर के सघन विकास के फलस्वरूप इन मार्गों की चौड़ाई बढ़ाना सम्भव नहीं है। अतः इसे अनुरक्षित रखने हेतु इसे अभिलेखानुसार अधिकतम उपलब्ध मार्गाधिकार पर हुए अतिक्रमण को भी हटाना होगा तथा ऐसे अतिक्रमण को कठोरता से नियंत्रित भी करना होगा।
- महायोजना में वर्तमान निर्मित मार्गों को यथा सम्भव प्रस्तावित मार्गों से सम्बद्ध किये जाने का प्रस्ताव है।
- नगर की मार्ग संरचना एवं यातायात प्रणाली को सक्षम एवं प्रभावी बनाने हेतु महायोजना में यातायात व्यवस्था एवं रोड नेटवर्क का प्रस्ताव किया गया है उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक नियोजन खण्ड में जोनल प्लान बनाते समय भावी यातायात के दृष्टिगत जोनल स्तर के विभिन्न मार्गो का प्रस्ताव किया जायेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार जोनल स्तर के अन्य मार्ग नियोजित किये जायेगें। अयोध्या महायोजना–2031 में रोड–नेटवर्क प्लान का भी प्रस्ताव किया गया है। उक्त के अतिरिक्त जोनल स्तर तक के मार्गों का विस्तृत अध्ययन जोनल प्लान बनाते समय किया जायेगा। जोनल प्लान बनाने की वरियता को महायोजना में दर्शाया गया है। अयोध्या महायोजना–2031 के नगरीय क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत पड़ने वाले जोन्स का जोनल प्लान प्राथमिकता पर तैयार किया जायगा। इसके अतिरिक्त अन्य जोन्स का भी जोनल प्लान ससमय तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
- नगरीय क्षेत्रो में पार्किंग हेतु खुले स्थलों की नगण्यता के चलते मार्गों के किनारे वाहनों की पार्किंग की वजह से लगने वाला जाम, नगर की एक जटिल समस्या है जिसके लिये सम्बन्धित अभिकरण द्वारा मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित कर प्राथमिकता पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है जिससे मार्गों पर लगने वाले जाम को कम किया जा सके तथा मार्गों के किनारे नियोजन मानकों के अनुसार पार्किंग की उचित व्यवस्था प्रदान की जा सके। महायोजना में दर्शित 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गो पर सर्विस लेन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है, जिससे के नगर में सुगम यातयात व्यवस्था प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध खुले क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल 0. 20 हे0 से अधिक है, को यथावत खुले क्षेत्र के रूप में संरक्षित कर विकसित किया जायेगा जिनका उपयोग जन–उपयोगी सुविधाएं जैसे पार्किग आदि उपलब्ध कराने हेतु किया जायेगा। पार्किग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत प्रस्ताव जोनल प्लान बनाते समय किया जायेगा।
- अयोध्या महायोजना–2031 में क्षेत्रीय यातायात के सुगम एवं तीव्र संचालन हेतु रिंग रोड का प्रस्ताव किया गया है, जिसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किये जाने का प्रस्ताव है ताकि नगरीय यातायात को क्षेत्रीय यातायात से पृथक रखा जा सके। उक्त के

अतिरिक्त प्रस्तावित रिंग रोड के दक्षिण संरेखण के दोनों ओर नियोजन मानकों के अनुसार विभिन्न भू–उपयोग यथा आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं सार्वजानिक सुविधाएँ संबंधी प्रस्ताव उपयुक्त स्थलों पर दिये गये है जिनमे टाउनशिप, स्पोर्टस/मेडीसिटी एवं शैक्षिक/चिकित्सा संबंधी परियोजनाये विकसित किया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में मार्गों के निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु प्रतिकर के स्थान पर कम्पन्सेटरी एफ0ए0आर0, टी0डीआर0 आदि नियोजन सम्बन्धी प्राविधानों का एवं स्थानीय स्तर पर वित्त का प्रबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

- मार्गों को प्रस्तावित करने से पूर्व स्थल का निरीक्षण कर अनाधिकृत निर्माण से प्रभावित स्थलों को यथा सम्भव संशोधित कर इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है ताकि भविष्य में इसके क्रियान्वयन में व्यवधान न पड़े।
- नगर में माल वाहक वाहनों की आवागमन की बढ़ती भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए नगर के वाह्य मार्गों पर तथा उचित स्थलों पर ट्रक अड्डा/ट्रान्सपोर्ट नगर का प्रस्ताव है, जो एक दूसरे से आसपास के क्षेत्र से सम्बद्ध हों।
- नगर के बढ़ते क्षेत्रीय महत्व को तथा अन्य नगरों से बढ़ते यातायात सम्पर्क को दृष्टिगत रखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु सुगम पहुँच स्थलों पर, बस अड्डा, अन्तर्राज्यीय बस अड्डा आदि का प्रस्ताव है। जो एक दूसरे से आस–पास के मार्गों से सम्बद्ध हो।
- बस/ट्रक अड्डा/ट्रान्सपोर्ट नगर क्रियाओं में इनके भू–विन्यास मानचित्र के अनुसार अनुषांगिक क्रियायें भी अनुमन्य होंगी।
- कन्जेशन/ट्रैफिक जाम एवं इलेक्ट्रिक/टेलीफोन लाईन्स में लटकते तारों की समस्या के निवारण हेतु, महायोजना में मार्गों के प्रस्तावित चौड़ीकरण के समय ड्रेनेज व यूटिलिटी डक्ट की योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। नगर में प्रमुख मार्गों का निर्माण (स्मार्ट रोड) के आधार पर किये जाने के साथ साथ फसाड डिजाइन का भी प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है।
- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराये गए कलर कोडेड जोनिंग मैप (CCZM) महायोजना प्रतिवेदन में संलग्न है। उक्त के अनुसार ही मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।

11.2.8 मनोरंजन

नगर के पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने एवं मनोरंजनात्मक क्रियाएं विकसित करने के उद्‌देश्य से अयोध्या महायोजना–2031 में 3009.70 हे0 भू–भाग पर मनोरंजन हेतु प्रस्ताव दिये गये हैं।

- **नीति निर्धारण**
- वर्तमान समय में उपलब्ध समस्त पार्कों एवं बहुद्‌देशीय खुले स्थलों को यथावत् रखते हुए प्रत्येक नियोजन खण्ड में मानकों के अनुरूप पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग हेतु भूमि आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।
- अयोध्या महायोजना–2031 में विद्यमान पार्क एवं खुले स्थलों को यथावत् रखते हुए नवीन क्षेत्रों में प्रत्येक नियोजन खण्ड में मानकों के अनुसार अतिरिक्त पार्क, खुले स्थल एवं क्रीड़ास्थल, प्रस्तावित किये जाने का प्रस्ताव है।
- उक्त के अतिरिक्त शासकीय समिति के सुझावानुसार प्रस्तावित रिंग रोड के दोनों ओर ऐसे स्थल जोकि पूर्णतः विकसित हो गये हैं/आबादी क्षेत्र हैं, में ग्रीन बेल्ट की प्रस्तावना नहीं की गयी है।

ऐसे स्थल जोकि नगरीकरण हेतु प्रस्तावित किये गये हैं तथा अभी स्थल पर विकास नहीं है, में ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई 10 मीटर रखी गयी है। उक्त के अतिरिक्त अन्य अवषेश क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई 30 मीटर रखी गयी है ताकि नगरीय विकास एवं नगरीय यातायात को क्षेत्रीय यातायात से पृथक रखा जा सके। नगर में प्रवाहित नालों के दोनो तरफ परिभाषित सीमा से 9–9 मीटर हरित पट्टी का प्रस्ताव है ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके।

- उक्त के अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों को संरक्षित किये जाने हेतु समस्त तालाबों के चतुर्दिक 9 मीटर हरित पट्टी का प्रस्ताव है।
- नगर में स्थित नदी, नालों, तालाबों, झीलों और जलाशयों को संरक्षित किये जाने हेतु तथा अमृत सरोवर के रूप में विकसित किये जाने हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना विषय विशेषज्ञों के मार्ग निर्देशन में तैयार कराकर विकास प्राधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित अभिकरणों/विभागों के सहयोग से क्रियान्वित कराया जाना प्रस्तावित है।
- अयोध्या विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित नगरीय क्षेत्र एवं राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत स्थित राजस्व अभिलेखों के अनुसार जलाशय/तालाब तथा श्मशान घाट/कब्रिस्तान आदि की भूमि को यथावत् जलाशय/तालाब तथा श्मशान घाट/कब्रिस्तान के अन्तर्गत ही रखा जाना प्रस्तावित है। महायोजना के प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र में यथा सम्भव सभी जलाशय/तालाब तथा श्मशान घाट/कब्रिस्तान को अंकित किये जाने का प्रस्ताव है परन्तु मानचित्र के मापक के अनुरूप लघु क्षेत्रफल के स्थलों को अंकित न होने के दृष्टिगत जलाशय एवं श्मशान घाट/कब्रिस्तान भूमि आदि राजस्व विभाग के अभिलेख के अनुसार ही मान्य होंगे भले ही प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र में उनके स्थान पर अन्य भू–उपयोग का प्रस्ताव हो।
- महायोजना में हरित क्षेत्रों/ग्रीन बेल्ट और जन संविधाओं के लिए आरक्षित भूमि को भू–स्वामी द्वारा शासकीय अभिकरण के पक्ष में निःशुल्क समर्पित किए जाने की दशा में उक्त भूमि के सापेक्ष संबंधित भू–स्वामियों को आवासीय उपयोग का 'ट्रसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स' तथा उक्त के अतिरिक्त अन्य भू उपयोगों के अन्तर्गत नियोजित विकास हेतु कम्पन्सेटरी एफ.ए.आर आदि जैसे प्राविधानों को शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों/गाइडलाइन्स के अनुसार विकिसत किया जाना प्रस्तावित है।
- महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सरयू नदी के किनारे नगर को बाढ़ से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/मानचित्र के अनुसार नदी के किनारे एच0एफ0एल0 लाइन/बाढ़ सुरक्षा बंधा भी प्रस्तावित हैं जिसका उपयोग तटबन्ध मार्ग के रूप में किया जा सकेगा तथा जो बाढ़ को नियन्त्रित करने में भी सहायक होगा। जिन क्षेत्रों में बंधा का प्रस्ताव अप्राप्त है उन क्षेत्रों के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में विभिन्न बैठकें आयोजित की गयी। बैठक में सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गोण्डा में सरयू एवं टेढ़ी नदी के एच0एफ0एल0 के सीमांकन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र में बंधा/एच0एफ0एल0 के निर्धारण हेतु समय–समय पर शासन को भी पत्राचार किया गया। इस क्षेत्र में विकास की उच्च सम्भावनओं के दृष्टिगत सिचाई विभाग के प्रस्तावानुसार चिन्हित किए जाने वाले बाढ़ सम्भावित क्षेत्र को छोड़ते हुए महायोजना में टेढ़ी नदी के दोनों ओर बाढ़ सम्भावित क्षेत्र को अन्तिम रूप से चिन्हित/अधिसूचित किए जाने में समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत बाढ़ सम्भावित क्षेत्र चिन्हित/ अधिसूचित होने तक टेढ़ी नदी के दोनों ओर 100 मीटर हरित पट्टी छोड़ते हुए महायोजना में उपयुक्त स्थलों पर भू–उपयोग इस शर्त के साथ प्रस्तावित किये गये है कि सिंचाई विभाग द्वारा एच0एफ0एल0

निर्धारण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत निर्धारित एच0एफ0एल0 लाइन तथा नदी के मध्य स्थित क्षेत्र का भू–उपयोग ग्रीन बेल्ट माना जायेगा तथा सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित एच0एफ0एल0 लाइन के उपरान्त ग्रीन बेल्ट से खाली स्थान पर निकटवर्ती भू–उपयोग (आवासीय) प्रभावी होगा। बाढ़ सम्भावित क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति के समय सिचाई विभाग/अन्य सम्बंधित अभिकरण/मा0 न्यायालयों के निर्देशों का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

- अयोध्या विकास क्षेत्र सीमान्तर्गत नदी किनारे मार्गों के निर्माण हेतु ग्रीन कॉरिडोर योजना के अन्तर्गत एक विस्तृत कार्ययोजना विषय विशेषज्ञों के मार्ग निर्देशन में तैयार कराकर सम्बन्धित अभिकरणों/विभागों के सहयोग से क्रियान्वित कराया जाना प्रस्तावित है।
- नदी के किनारे पर अतिक्रमण एवं गन्दगी के कारण नदी प्रदूषित हो रही है। उक्त के दृष्टिगत नदी तटीय विकास एवं नदियों के तटों को अतिक्रमण मुक्त किये जाने हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि नदी बेसिन में कोई बसावट/अतिक्रमण न हो।

11.2.9 राजमार्गीय सुविधा जोन

राजमार्गीय सुविधा महायोजना नगरीकरण सीमा के बाहर स्थित ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्यावसायिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं तथा मार्गीय सुविधाओं की पुर्ति हेतु राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय राजमार्गों व प्रस्तावित बाईपास के दानों तरफ हरित पट्टी के पश्चात 300मी0 की गहराई तक राजमार्गीय सुविधा जोन (Highway Facility Zone) भू–उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है। हाईवे फैसेलिटी जोन की श्रेणी को केवल कृषि भू–उपयोग के रूप में ही माना जाएगा। हाईवे फैसेलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ–साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12.00 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नही होगा। इस भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियाएं इस भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन में अनुमन्य क्रियाओं के अनुसार होंगी। जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली कियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू–आच्छादन, तल क्षेत्रानुपात (FAR), आदि के प्राविधानों को लागू किया जायगा। प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य की जाएगी कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई जो कि प्रश्नगत हाईवे फैसेलिटी जोन से सीधे सम्बद्ध हो, पर हाईवे फैसेलिटी जोन भू–उपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।

11.2.10 अन्य भू–उपयोग

अयोध्या विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीकरण सीमा के बाहर स्थित क्षेत्रों को अन्य भू–उपयोग के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है। अन्य भू–उपयोग के अन्तर्गत कृषि भू–उपयोग, ग्रामीण आबादी, तालाब/जलाशय, कब्रिस्तान/शमशान घाट आदि क्षेत्र सम्मिलित है।

नीति निर्धारणः–

- अयोध्या महायोजना–2031 के नगरीकरण क्षेत्र के बाहर स्थित क्षेत्रों को कृषि भू–उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस भू–उपयोग के अन्तर्गत क्रियाएं इस भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन में अनुमन्य क्रियाओं के अनुसार होगी।

- ऐसे राजस्व ग्रामों की आबादी जो प्रस्तावित नगरीकरण सीमा के बाहर स्थित हैं उनके प्राकृतिक विस्तार हेतु राजस्व अभिलेखों में दर्ज ग्रामीण आबादी के चतुर्दिक 200 मी0 की गहराई तक का क्षेत्र ग्रामीण आबादी विस्तार के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसका मानचित्र प्रतिवेदन में संलग्न है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज ग्रामीण आबादी के चतुर्दिक 200 मी0 की गहराई तक ग्रामीण आबादी विस्तार हेतु चिन्हित क्षेत्र में विभिन्न उपयोगों/क्रियाओं की अनुमन्यता महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में ग्रामीण आबादी भू–उपयोग के प्रावधानों के अनुसार होगी।
- कृषि भू–उपयोग के अंतर्गत स्थित तालाबों, झीलों और जलाशयों को संरक्षित किये जाने हेतु उनके चतुर्दिक 9 मीटर हरित पट्टी के प्रस्ताव के साथ–साथ अमृत सरोवर परियोजना के अन्तर्गत तालाबों को विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।

11.2.11 प्रतिबंधित जोन

अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि एवं उसके आस पास के क्षेत्र को धार्मिक भू–उपयोग के रूप में चिह्नित किया गया है जिसमे धार्मिक क्रियाओं से संबंधित आनुषांगिक क्रियाओं की अनुमन्यता महायोजना की जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार देय होगी । उक्त धार्मिक क्षेत्र एवं अयोध्या नगर की ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित एवं संरक्षित किए जाने हेतु श्री राम जन्म भूमि एवं उसके आस पास के क्षेत्र हेतु प्रस्तावित धार्मिक भू–उपयोग की सीमा के बाहरी क्षेत्र को निम्नलिखित प्रतिबंधित जोन के रूप में चिह्नित किया गया है:–

- **रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल जोन (RTZ)–1**

महायोजना में श्री राम जन्म भूमि तथा उसके आस पास के क्षेत्र हेतु प्रस्तावित धार्मिक भू उपयोग की सीमा के आस–पास 500 मीटर का क्षेत्र यथा रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग से रेलवे लाइन होते हुये अयोध्या रेलवे स्टेशन को छोड़ते हुये रायगंज रोड से रानी बाजार चौराहा से होते हुये तपस्वी चौराहा से वाल्मीकि भवन होते हुये मुख्य मार्ग पर राम की पैड़ी (परिक्रमा मार्ग) के दक्षिण होते हुये लक्ष्मण घाट परिक्रमा मार्ग होते हुये साकेत डिग्री कॉलेज के पीछे से होते हुये रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग तक को रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल जोन (RTZ)–1 के रूप में चिह्नित किया गया है जिसके अंतगत धार्मिक भवनों को छोड़ कर अन्य प्रस्तावित भवनों की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर तक सीमित होगी ।

- **रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल जोन (RTZ)–2**

महायोजना में रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल जोन (RTZ)–1 एवं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग यथा उदया चौराहा (पंच कोसी परिक्रमा मार्ग) होते हुये महोबरा चौराहा, तकपुरा चौराहा, मौनी बाबा, रामघाट चौराहा, हनुमान गुफा, बाइपास मार्ग, पुराना सरयू नदी पुल के किनारे (परिक्रमा मार्ग) होते हुये राजघाट परिक्रमा मार्ग से जमथरा की तरफ 500 मीटर होते हुये उदया चौराहे तक के मध्य के क्षेत्र को रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल जोन (RTZ)–2 के रूप में चिह्नित किया गया है जिसके अंतगत धार्मिक भवनों को छोड़ कर अन्य प्रस्तावित भवनों की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर (स्टिल्ट सहित अधिकतम 17.50 मीटर) तक सीमित होगी।

11.2.12 विविध

- अयोध्या महायोजना 2031 में शासन द्वारा स्वीकृत समस्त भू उपयोग परिवर्तनों को यथासंभव दर्शाया गया है, परंतु सभी को दर्शाया जाना संभव नहीं है। अतएव ऐसे भू–उपयोग परिवर्तन जो शासन द्वारा अधिसूचित किए जा चुके हैं परंतु महायोजना में दर्शाये जाने से छूट गए हैं का भू–उपयोग अधिसूचना के अनुसार ही अनुमन्य होगा। शासन द्वारा स्वीकृत किए गए भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों का विवरण निम्नवत है:–

1. आदर्श नगर, देवकाली
2. काशीराम आवासीय योजना, माँझा बरहटा
3. काशीराम आवासीय योजना, माँझा जमथरा
4. रामायणा होटल , शहनवाजपुर
5. प्रधान मंत्री आवासीय योजना, बाग बिजेसी
6. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व टेम्पल म्यूजियम, ग्राम मांझा जमथरा

- महायोजना क्षेत्र में वर्तमान में जो भी बाग विद्यमान हैं उनके स्थान पर महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग वन अधिनियम के प्राविधानों तथा संबंधित अभिकरण द्वारा जारी निर्देशों को पूर्ण करने के उपरांत ही प्रभावी होगा।
- शुजा–उद–दौला टॉम्ब (गुलाब बाड़ी), बहु बेगम का मकबरा, कुबेर पर्वत, सुग्रीव पर्वत, मणि पर्वत, हाजी इकबाल टॉम्ब, बेनी खानम टॉम्ब, गुप्तार घाट मंदिर, हवेली अवध जैसे ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण किया जाएगा तथा इन स्थलों पर किसी प्रकार का अन्य उपयोगार्थ निर्माण अनुमन्य नहीं होगा ।
- महायोजना के ऐसे भू–उपयोग जिन्हें पूर्व में प्रभावी महायोजना के भू–उपयोग से उच्चीकृत किया गया है, जैसे कि आवासीय भू–उपयोग से व्यवसायिक भू–उपयोग, सामुदायिक भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयेाग, कृषि भू–उपयोग से आवसीय/व्यवसायिक/सामुदायिक भू–उपयोग आदि पर महायोजना–2031 के प्रस्तावित भू–उपयोग के अनुसार भवन निर्माण की अनुज्ञा देते समय नगरीय उपभोग प्रभार शुल्क तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न अधिनियमों/शासनादेशों/ नीतियों इत्यादि में दी गई व्यवस्थानुसार देय शुल्क भू–स्वामी पर आरोपित किये जाएंगे।
- महायोजना में समस्त स्वीकृत तलपट मानचित्रों/अन्य उपयोगों हेतु स्वीकृत मानचित्रों के उपयोग को दर्शाया जाना संभव नहीं है। महायोजना के अंतर्गत स्वीकृत मानचित्रों के उपयोगों को यथासंभव समायोजित करने का प्रयास किया गया है। महायोजना लागू होने के पश्चात महायोजना में दर्शित भू–उपयोग स्वीकृत मानचित्र से भिन्न होने की दशा में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही माना जाएगा।

11.2.13 फसाड संबंधी दिशानिर्देश

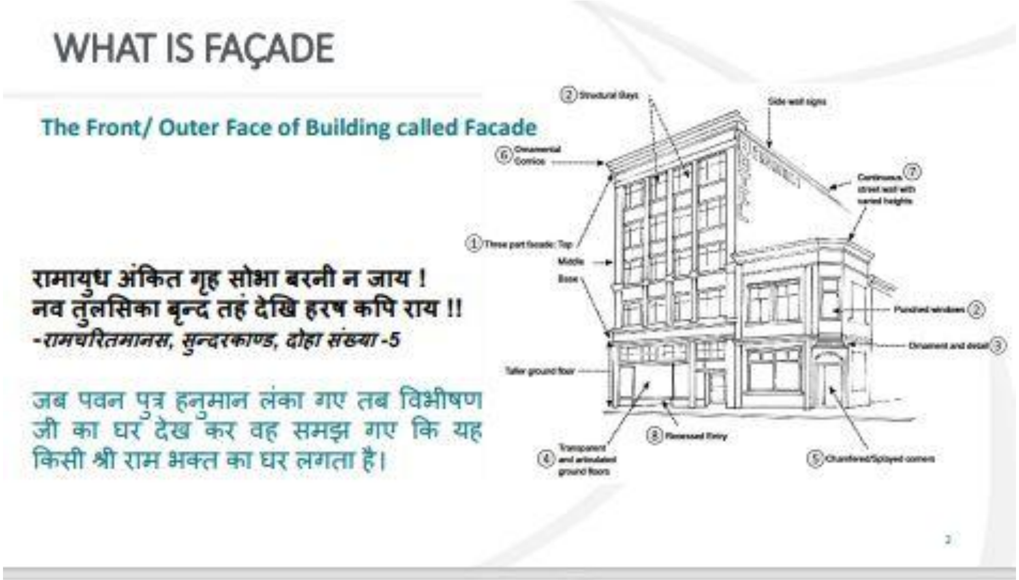

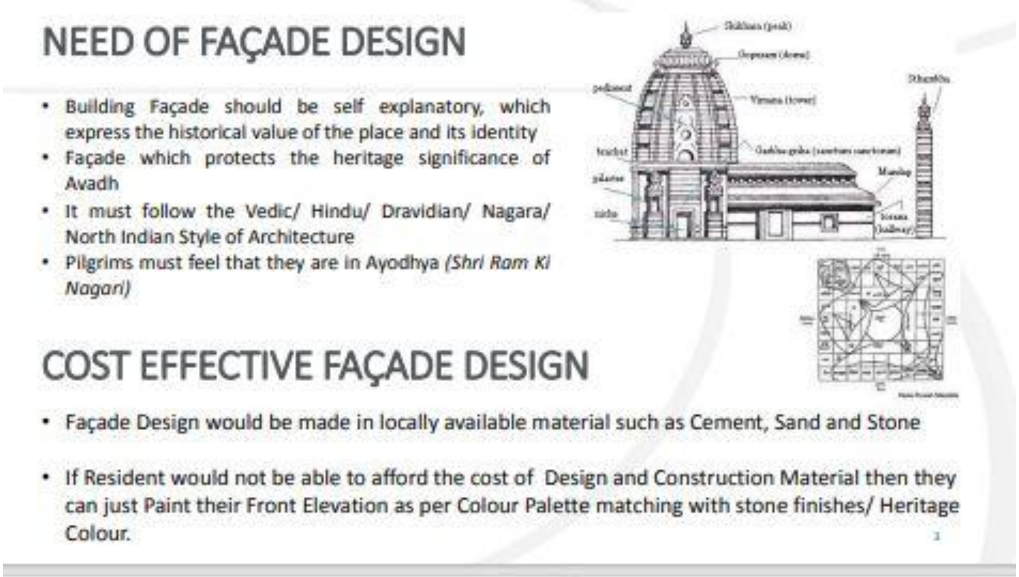

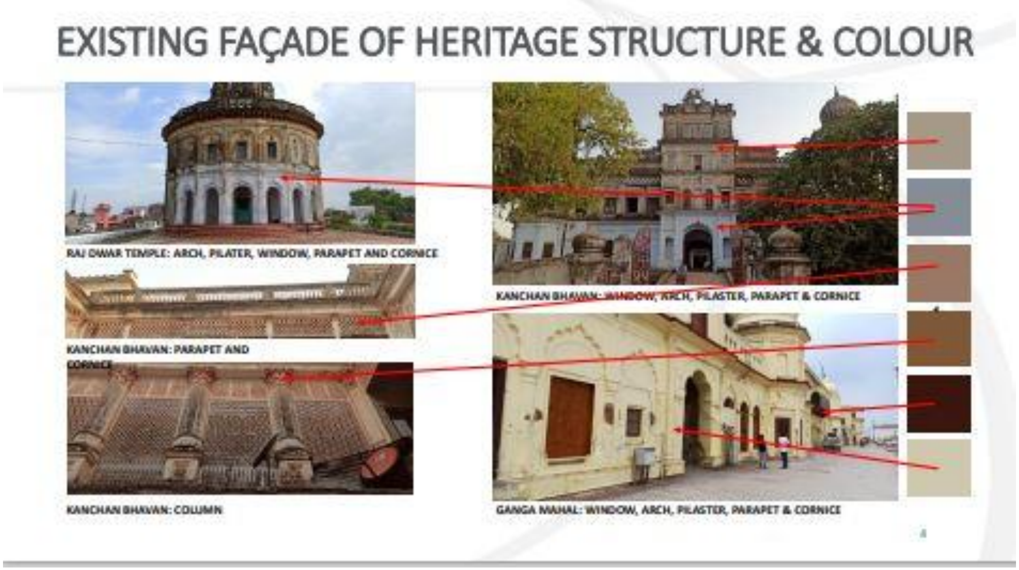

FAÇADE DESIGN : PROPOSED HERITAGE COLOUR SAMPLE
Existing
Proposed
HANUMAN GARDHI ROAD
SUGREEV KILA ROAD
RIN MOCHAN GHAT
Colour Palette
5

FAÇADE DESIGN : PROPOSED HERITAGE COLOUR SCHEME
Offices/ Institutional
Residential
Commercial
Religious
Colour Palette
6

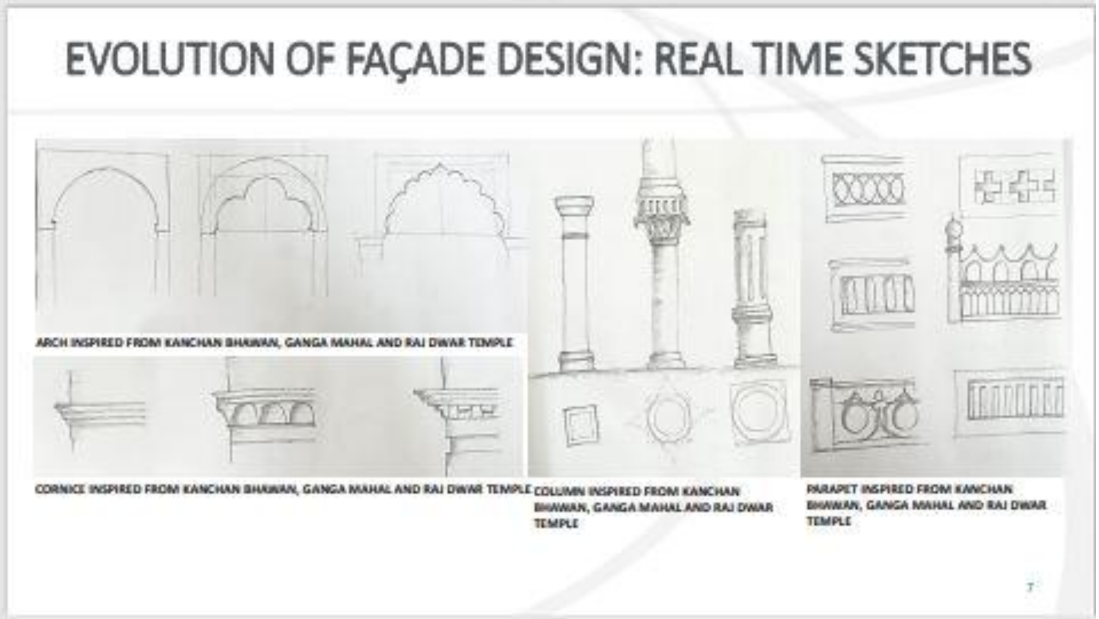
EVOLUTION OF FAÇADE DESIGN: REAL TIME SKETCHES
ARCH INSPIRED FROM KANCHAN BHAWAN, GANGA MAHAL AND RAJ DWAR TEMPLE
CORNICE INSPIRED FROM KANCHAN BHAWAN, GANGA MAHAL AND RAJ DWAR TEMPLE
COLUMN INSPIRED FROM KANCHAN BHAWAN, GANGA MAHAL AND RAJ DWAR TEMPLE
PARAPET INSPIRED FROM KANCHAN BHAWAN, GANGA MAHAL AND RAJ DWAR TEMPLE
7

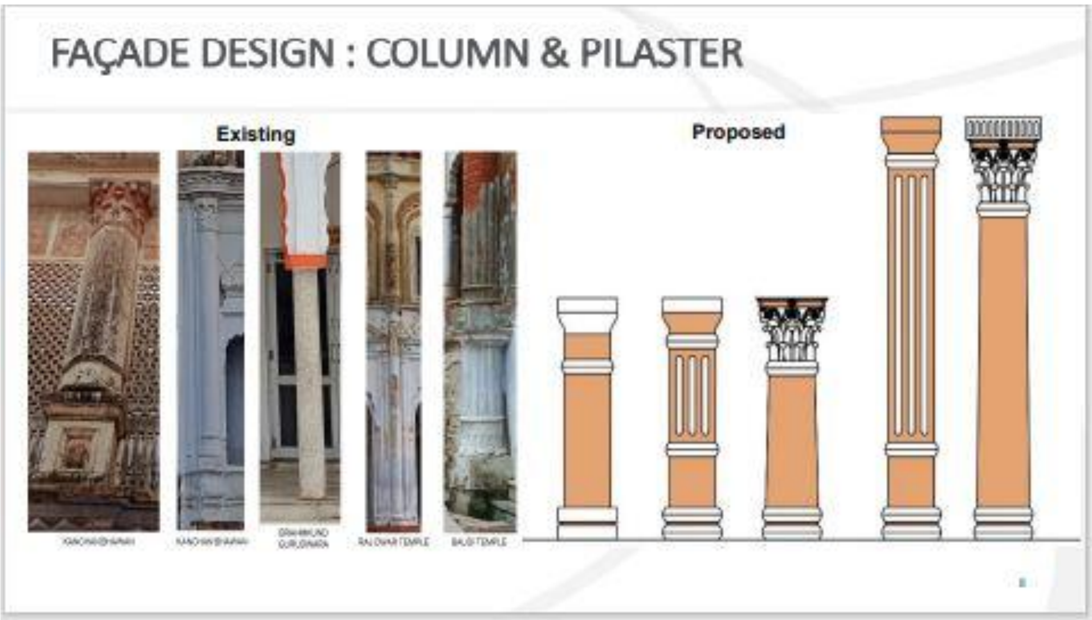
FAÇADE DESIGN : COLUMN & PILASTER
Existing
Proposed

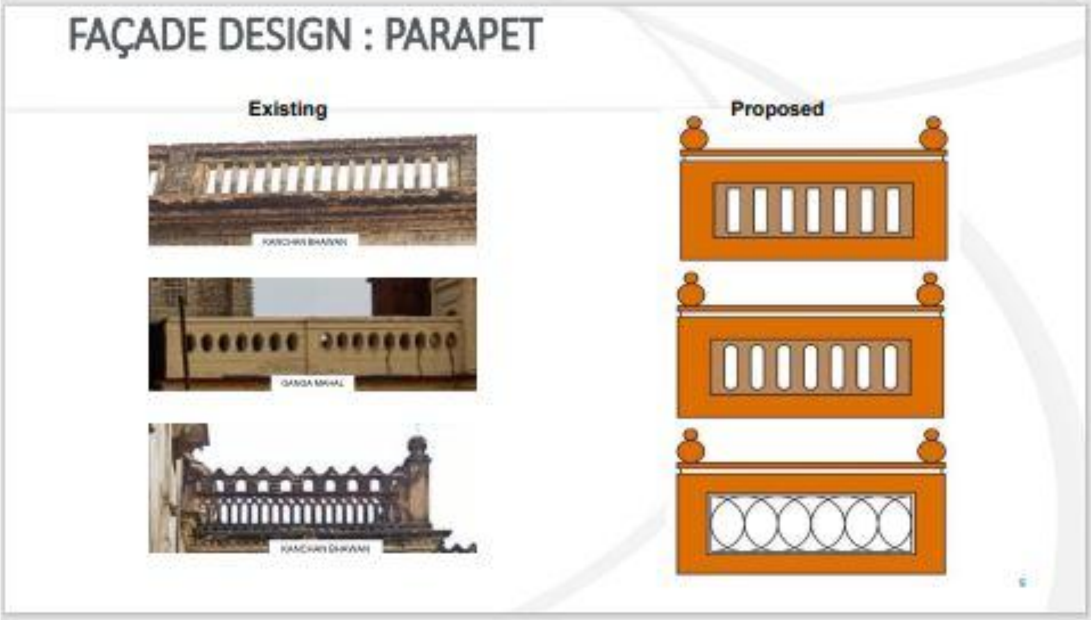
FAÇADE DESIGN : PARAPET
Existing
Proposed

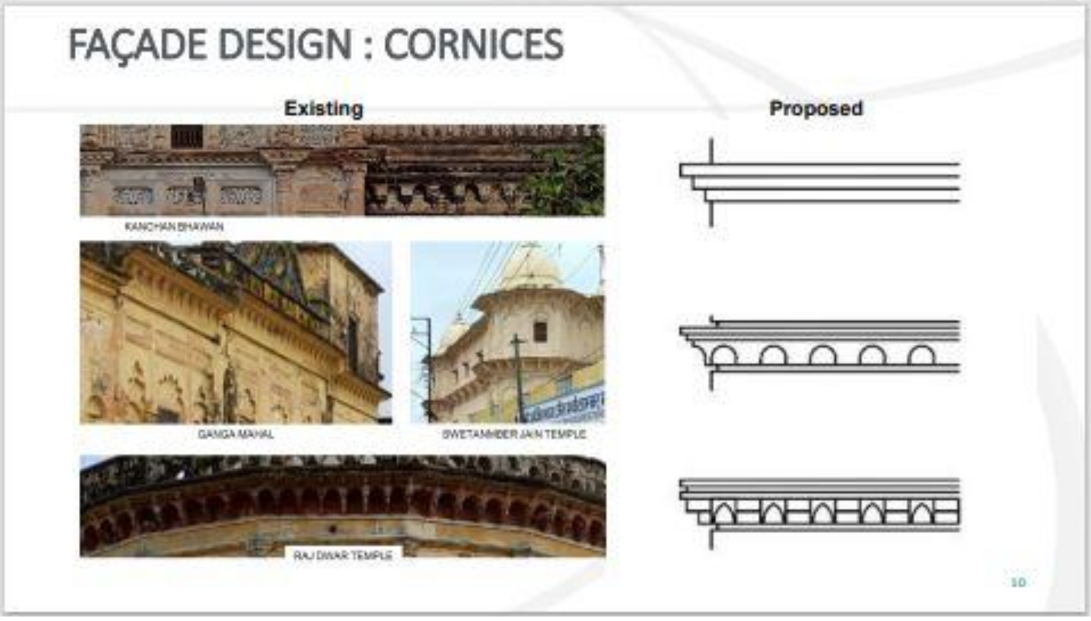
FAÇADE DESIGN : CORNICES
Existing
Proposed
KANCHAN BHAWAN
GANGA MAHAL
SWETAMBER JAIN TEMPLE
RAJ DWAR TEMPLE

FAÇADE DESIGN : WINDOWS
Existing
Proposed
KANCHAN BHAWAN
RAJ DWAR TEMPLE
UNKNOWN

FAÇADE DESIGN : DOORS & SHOP SHUTTER
Existing
Proposed

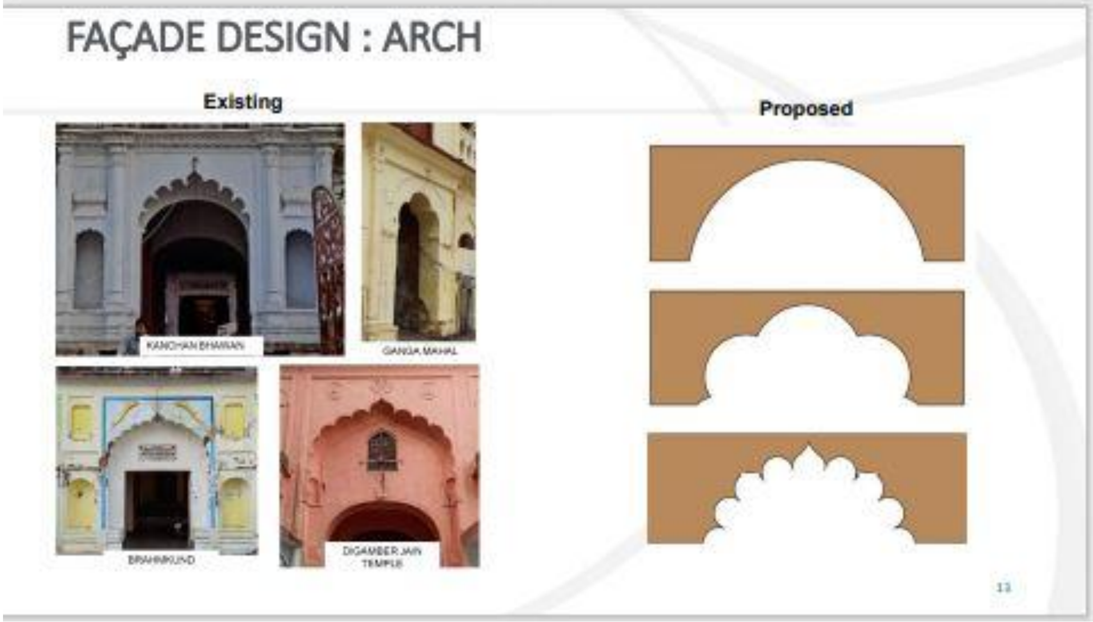
FAÇADE DESIGN : ARCH
Existing
Proposed
KANCHAN BHAWAN
GANGA MAHAL
BRAHMKUND
DIGAMBER JAIN TEMPLE

उक्त फसाड कंट्रोल गाइडलाइंस निम्नलिखित क्षेत्र/मार्गों पर प्रभावी होंगेः–

- धरम पथ–लखनऊ–गोरखपुर हाइवे (साकेत पेट्रोल पम्प) से राम की पैड़ी स्थित गोंडा पुल तक।
- राम पथ–महाराणा प्रताप (शहादतगंज) चौराहे से जय प्रकाश नारायण (रिकाबगंज) चौराहे से महर्षि कश्यप (नियावाँ) चौराहे से ब्राहस्पति कुंड (टेढ़ी बाजार) चौराहे से स्वर्गीय सुश्री लता मंगेश्कर (नया घाट) चौराहे तक ।
- महायोजना में चिह्नित निर्मित क्षेत्र के समस्त मार्गों पर।
- 14 कोसी मार्ग।
- 5 कोसी मार्ग।
- महोबरा बाजार चौराहे से ब्राहस्पति कुंड (टेढ़ी बाजार) चौराहे तक।
- महाराणा प्रताप (शहादतगंज) चौराहे से गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नदी के पुल तक।
- जय प्रकाश नारायण (रिकाबगंज) चौराहे से अग्रसेन चौक (गुदड़ी बाजार) चौराहे से धारा रोड पर अफीम कोठी तक।
- अयोध्या में चिह्नित धार्मिक भू उपयोग के अंतर्गत समस्त गलियाँ ।

11.3 शासकीय नीतियों का अनुपालन

11.3.1 रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति

जीवन एवं पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है परन्तु ग्राउण्ड वाटर स्रोत के अनियोजित ढ़ंग से मनमानी मात्रा में अति दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा शहरों की बढ़ती हुई आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था प्रदान करना संभव नही हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पेयजल के उपयोग एवं ग्राउण्ड वाटर स्रोतों के संरक्षण, मितव्ययिता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल–प्रबन्धन द्वारा संतुलन स्थापित नही किया गया तो निकट भविष्य में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न होने की आशंका है। इसलिए जल संसाधन की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल और कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाये जाने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–3348/आठ–1–10–17विविध/03टी.सी.–1, दिनांक– 05. 08.2010 **(परिशिष्ट–3)** में दिये गये प्राविधानों के अधीन अयोध्या महायोजनान्तर्गत स्थित प्राकृतिक जलाशयों, नालों एवं झीलों आदि को चिन्हित कर यथावत् प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त शासनादेश के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के जलाशयों को भी महायोजना के क्रियान्वयन के समय संरक्षित किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के जलाशयों के चारों ओर 9 मी0 चौड़ी हरित् पट्टिका भी विकसित की जायेगी। पार्कों में पक्का निर्माण (पक्के पेवमेन्ट सहित) 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाय तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथासम्भव पर्मीयेबल अथवा सेमीपर्मीयेबल परफोरेटेड ब्लाक के प्रयोग से ही बनाया जाये।
सड़कों/पार्कों तथा खुले स्थानों में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पौधों/वृक्षों की प्रजातियों का चयन किया जाय जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो ताकि ग्रीष्म ऋतु में भी हरे–भरे रह सके। यथा संभव मार्गों के किनारें ब्रिक ओन ऐज/लूज स्टोन/इण्टरलॉकिंग टाईल्स पेवमेन्ट का प्रावधान किया जाय ताकि भू–जल की रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

11.3.2 पर्यटन नीति

प्रदेश में शासन द्वारा पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु घोषित उ0प्र0 पर्यटन नीति–2022 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए नगर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण का अयोध्या महायोजना–2031 में प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु मार्गों का विकास/सौन्दर्यीकरण, पार्कों–चौराहों का विकास/सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन उद्योग के विकास हेतु भूमि आरक्षित किये जाने सम्बन्धी विस्तृत कार्य योजना/प्रस्ताव जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में समाहित किया जायेगा।

11.3.3 फिल्म नीति

शासन द्वारा घोषित उ0प्र0 फिल्म नीति में छविगृहों को उद्योग का दर्जा प्रदान करते हुये फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की सिनेमा प्रदर्शन सुविधाओं के प्राविधान किये गये है। इन प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए नगर के वर्तमान में स्थित सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्सेज निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स में व्यावसायिक क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत सिनेमा/मल्टीप्लेक्स हेतु विभिन्न भू–उपयोगों में आवश्यकतानुसार निर्माण की अनुमन्यता प्रदान की गई है।

11.3.4 औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति

शासन द्वारा घोषित औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति के अन्तर्गत निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या महायोजना–2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स मैट्रिक्स में औद्योगिक क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी/साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क/प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज को विभिन्न भू–उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्यता प्रदान की गयी है।

11.3.5 आपदा प्रबन्धन नीति

शासन द्वारा घोषित आपदा प्रबन्धन नीति के सन्दर्भ में अयोध्या नगर को प्राकृतिक आपदाओं एवं भूकम्प जैसी त्रासदी से सुरक्षित रखने की दृष्टि से महायोजना में भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं की संस्थापना के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक प्राविधान सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश संख्याः 570/9–आ–1–2001(आ0ब0) दिनांक–03 फरवरी, 2001, 772/9–आ–1–2001– भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) दिनांक–13.02.2001 एवं 3751/9–आ–1–2001–भूकम्परोधी 2001 (आ0ब0) दिनांक–20.07.2001 के अधीन निहित प्राविधानों यथा–भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन से सम्बन्धित प्राविधान तथा अन्य सुसंगत गाइड लाइन्स इत्यादि को अपनाने के उपरान्त ही विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण की अनुज्ञा दी जायेगी।

11.3.6 आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति, टाउनशिप नीति 2023

जनसामान्य को आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु इन नीतियों का प्रख्यापन किया गया है। अयोध्या विकास क्षेत्र की प्रक्षेपित जनसंख्या एवं आवश्यकता के अनुसार URDPFI गाईडलाइंस में दिए गए प्राविधानों के क्रम में अयोध्या महायोजना–2031 में 10836.63 हेक्टेयर भूमि आवासीय भू उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है ।

11.3.7 एक जिला एक उत्पाद योजना

यह योजना शहर के भीतर एम.एस.एम.ई के विकास को प्रोत्साहित करने पर जोर देती है। यह योजना मौजूदा पारंपरिक उद्योगों को बनाए रखने और उनका पोषण करने में सहायक है, यह एक विशेष उत्पाद में विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम बनाती है। अयोध्या में पीढ़ियों से पारंपरिक रूप से गुड़ बनाने की प्रक्रिया चली आ रही है। इस जनपद की कुल कृषि योग्य भूमि के 20% भाग पर गन्ने की खेती होती है। यह जनपद गुड़ और इससे जुड़े अन्य उत्पाद यथा गजक, लड्डू, चिक्की, गुड़ के लड्डू इत्यादि तैयार करता है। इन सामानों को तैयार करने में प्रयुक्त कच्चा माल गन्ना यहाँ बहुतायत से पाया जाता है। अतः इन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है इसमें शहर के लोगों के लिए और अधिक आर्थिक अवसर विकसित करने में सहायता मिलेगी। इस योजना को लागू करने से शहर के उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिलेगी और अंततः ब्रांडिंग, विपणन में सहायता और आसान ऋण के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान बनाने लिए उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

11.3.8 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

अयोध्या महायोजना–2031 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन–2016 के प्राविधानो को मानते हुए ही प्रस्ताव दिए गये है, जिसमे पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी जल–निकाय/जलाशय ,निचली ढलान वाले शेत्र में प्रस्ताव नहीं दिए गये है. ढोस अपशिस्ट डिस्पोजल साईट के निर्माण हेतु भौतिक परिक्षण उपरांत कृषि भू–उपयोग में अनुमन्य किया गया है ।

11.3.9 आईटी स्टार्ट–अप नीति

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट अप नीति में शामिल है।

1. आईटी मूलभूत संरचना का विकास
2. मानव पूंजीध्कौशल विकास
3. प्रोत्साहन
4. उद्योग सुविधा

यह नीति आईटी से संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है, मानव पूंजी विकास के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है, सर्वोत्तम वित्तीय/गैर–वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने पर केन्द्रित है और उससे भी बेहतर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बेहतर शासन पर बल देती है।

11.3.10 सौर ऊर्जा नीति

सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय रूप है और इसे गैर–नवीकरणीय स्रोतों के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। अयोध्या के लोगों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उ0.प्र0. सौर ऊर्जा नीति का उपयोग किया जा सकता है। शहर के भीतर सौर छत परियोजनाओं, सौर स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप सेट, किसी भी अन्य ऑफ ग्रिड सौर उत्पाद के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही विकास प्राधिकरण पीपीपी मोड पर सोलर पार्क स्थापित कर सकता है।

11.3.11 वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी

चूंकि उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में लगभग %8का योगदान देने वाली तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 200मिलियन से अधिक आबादी सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार है, इसलिए लॉजिस्टिक्स उद्योग ने बढ़ने के लिए राज्य में अपने पैर जमा लिये है। उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से हो रहे औद्योगीकरण राज्य में अधिक परिष्कृत लाजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे की उच्च मांग पैदा कर रहा है। जीएसटी के साथ, भारत एक एकीकृत बाजार बन गया है, और उत्तर प्रदेश में देश के विनिर्माण और भंडारण केंद्र के रूप में उभरने के लिए अनेक संभावनाएं है। जिससे राज्य में एक मजबूत वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स ढांचे का जरूरत है गया। नीति का उद्देश्य राज्य में पीछे की ओर सम्पर्क के साथ लाजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। इसमें राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा राज्य के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और सुधार शामिल है, ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। नीति का उद्देश्य प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों के हितों को बढ़ावा देने के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाना है। प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि अयोध्या में गोदाम और रसद के विकास की भी संभावना है। अतः इस नीति की सहायता से मौजूदा गोदाम को उन्नत किया जा सकता है और मांग के अनुसार नए लॉजिस्टिक हब की संभावनाशिल स्थापना की जा सकती है।

11.3.12 अन्य विषयों पर नीति निर्धारण

महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोगों, शासन द्वारा निर्गत नीतियों एवं पर्यावरणीय संरक्षण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव महायोजना में दिये गये हैं। जिन नीतिगत विषयों पर वर्तमान में प्राविधान विद्यमान हैं किन्तु जिनका नीति निर्धारण में समावेश/उल्लेख नहीं हो पाया है अथवा नीतिगत विषयों पर शासन द्वारा भविष्य में नीतिगत प्राविधान निर्गत किये जाते हैं तो शासन के निर्देशानुसार सम्बंधित अभिकरण द्वारा अंगीकार किए जाने की स्थिति में महायोजना में निर्दिष्ट नीतिगत प्राविधान उस सीमा तक संशोधित माने जाऐंगे।

11.3.13 नदी केन्द्रित विकास

प्राचीन काल से नगरों एवं नदियों का परस्पर अटूट संबंध रहा है। वाराणसी, आगरा, कानपुर, प्रयागराज आदि महानगर गंगा नदी के किनारे बसे हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण नगर यथा मथुरा, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर आदि गंगा की सहायक नदियो के किनारे बसे हैं। नदियाँ परम्परागत रूप से नगरों में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजन और आजीविका–संबंधी क्रियाओं का केंद्र रही हैं, तथापि वर्षों से नगर के आर्थिक विकास के दृष्टिगत, नगरों ने नदियों का अंधाधुंध दोहन किया है। तीव्र गति से हो रहे नगरीकरण के फलस्वरूप एवं नदियों में हो रहे अपशिष्ट जल प्रवाह के कारण नदियाँ दिन–प्रतिदिन दूषित होती जा रही है। नदियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा नदी केन्द्रित विकास सम्बन्धित दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा–निर्देशो तथा सुसंगत नियमो के आलोक में नदी संरक्षण एवं नगरीय विकास हेतु अयोध्या महायोजना–2031 में निम्न्वत प्रस्ताव किये गये है:

- सरयू नदी के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए एवं भविष्य में उसके अस्तित्व को संरक्षित रखने हेतु नदी तट से 200 मीटर क्षेत्र में नये निर्माण को निषेध किया गया है। पुराने भवनों के मरम्मत एवं मठ, मंदिर आश्रम, अनाथालय आदि के निर्माण के संबंध में सम्बंधित अभिकरण, अनुज्ञा प्रदान करने हेतु समुचित शर्तें एवं प्रतिबंध निर्धारित कर सकता है। नदी तट से आशय संबंधित राजस्व/सिंचाई विभाग के अभिलेख में अंकित तट से है।

- सरयू नदी को उपरोक्तानुसार संरक्षित रखते हुए नागरिकों को उच्च–स्तरीय मनोरंजनात्मक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए नदी तटीय विकास (रिवर फ्रंट/घाट डेवलपमेंट) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत वाटर स्पोटर्स एवं अन्य मनोरंजनात्मक क्रियायें विकसित की जा सकेगी किन्तु नदी तटीय विकास की आवश्यकता के अतिरिक्त स्थायी प्रकृति के अन्य निर्माण प्रतिबंधित होगें।
- अयोध्या महायोजना–2031 में नदी के संरक्षण हेतु नदी केन्द्रित विकास सम्बन्धित गाइडलाइन्स के प्राविधानों के अनुसार नगर में खुली नालियों के माध्यम से होने वाले जल–मल के उत्सर्जन जो वर्तमान में सरयू नदी में प्रवाहित होता है, को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हेतु सीवरेज प्रणाली तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का प्रस्ताव महायोजना में किया गया है।
- अयोध्या महायोजना–2031 में राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों/जलाशयो के संरक्षण हेतु उनके चतुर्दिक 9 मीटर की हरित पट्टी का प्रस्ताव किया गया है। नागरिको को सुविधाओं हेतु हरित पट्टी के क्षेत्र में ध्यान/योग/मनन आदि क्रियाओं के साथ–साथ प्रभात भ्रमण हेतु पाथ–वे भी विकसित किये जा सकेगें।
- नगर से प्रवाहित प्रकृतिक नालों के दोनो तरफ परिभाषित सीमा से 9–9 मीटर हरित पट्टी का प्रस्ताव किया गया है ताकि प्रकृतिक नालों के क्षेत्र में अतिक्रमण को रोका जा सके।
- अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर विकसित हुआ है जिसकी अधिकांश लंबाई सरयू नदी के तट पर पड़ती है। सरयू तट पर गुप्तार घाट से लेकर लखनऊ–गोरखपुर हाइवे तक बंधे का निर्माण किया गया है जिसपर नदी की ओर विभिन्न घाट यथा नयाघाट, तुलसीघाट, स्वर्गद्वार घाट, नागेश्वर घाट, लक्ष्मण घाट, गोला घाट, झुनकी घाट, निर्मोचन घाट, राज घाट तथा गुप्तार घाट विकसित किए गए हैं। बंधे के पश्चात शहर की ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण विद्यमान हैं। श्री राम मंदिर के निर्माण के फल स्वरूप अयोध्या में भविष्य में लगभग 8 लाख व्यक्ति प्रति दिन श्रद्धालु/इन माइग्रैनट्स का आना प्रोजेक्ट किया गया है। अयोध्या को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित किए जाने तथा भविष्य में अयोध्या में आने वाले पर्यटकों एवं जन सामान्य की सुविधाओं हेतु विभिन्न प्रकृति के निर्माणों का होना तय है। उक्त के दृष्टिगत सरयू नदी के तट के समीप विकसित होने वाले निर्माणों के रेगुलेट किए जाने हेतु सरयू नदी के किनारे राज घाट से राम घाट (नया घाट) तक चिह्नित निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत नदी के तट से 200 मीटर क्षेत्र में स्थित निजी भवनों (हेरिटेज स्थलों/भवनों को छोड़ कर) के मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन देय होगीः–
  - (क) आवेदक द्वारा भवन की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु आवेदन पत्र के साथ विद्यमान भवन का मानचित्र, स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख, भवन की लोकेशन का 'की–प्लान', साइट प्लान, भवन की वर्तमान स्थिति के सभी उपलब्ध दिशाओं से फोटोग्राफ्स(फोटोग्राफ लेने की तिथि अंकित करते हुए), स्थल पर मौजूद भवन का वर्तमान भू–आच्छादन, विद्यमान सेट–बैक, सभी तलों के प्लान, सेक्शन, एलीवेशन, आदि अन्य वांछित अभिलेखों के साथ प्राधिकरण में जमा किए जाएंगे।
  - (ख) आवेदन–पत्र के साथ आवेदक द्वारा निम्न शपथ–पत्र भी प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगाः–
    - (I) भवन के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
    - (II) सीवरेज एवं ड्रेनेज का निस्तारण सीधे सरयू नदी में नहीं किया जाएगा ।

(ग) आवेदक द्वारा उपरोक्त (क) एवं (ख) के अनुसार भवन की मरम्मत हेतु विकास प्राधिकरण को केवल दस्तावेज/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएंगी, मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य नहीं होगा। परन्तु प्राधिकरण द्वारा स्थलीय पुष्टि के उपरान्त यदि प्रस्तुत मानचित्र एवं अन्य दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है अथवा स्थल पर प्रस्तुत मानचित्र के विपरीत उल्लंघन पाया जाता , तो ऐसे निर्माण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(घ) भवन की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवेदक द्वारा प्राधिकरण को इस आशय की लिखित सूचना प्रेषित की जाएगी।

(ङ) आवेदक द्वारा भवन के मरम्मत/पुनर्निर्माण के विभिन्न चरणों (प्लिन्थ लेवल, प्रथम तल का स्लैब, द्वितीय तल का स्लैब, तृतीय तल का स्लैब, आदि) के फोटोग्राफ्स भी यथा–समय प्राधिकरण में जमा किए जाएंगे, जिनके आधार पर प्राधिकरण द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों की समय–समय पर स्थलीय पुष्टि की जाएगी।

(च) भवन की मरम्मत–पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक द्वारा उसकी सूचना प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से दी जाएगी एवं निर्मित भवन के फोटोग्राफस (सभी उपलब्ध दिशाओं से) भी जमा किए जाएंगे।

(छ) पूर्व निर्मित भवन के वाह्य स्वरूप में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि विद्यमान स्वरूप में ही मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाएगी तथा भवन का फ्रन्ट एलीवेशन फसाड गाइडलाइंस के अनुसार ही रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यमान भवन के 'फुट–प्रिन्ट', भू–आच्छादन, एफ.ए.आर. तथा भवन की ऊंचाई में कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। बल्कि पूर्व निर्मित भवन की सीमान्तर्गत ही अनुमन्य होंगे।

(ज) भवन के आन्तरिक ले–आउट में परिवर्तन (स्ट्रक्चरल परिवर्तन को छोड़कर) अनुमन्य होगा। उदाहरणस्वरूप, पुराने भवनों में सीमित तल क्षेत्रफल के बेहतर उपयोग अथवा वास्तुदोष के निराकरण हेतु आन्तरिक परिवर्तन अनुमन्य होंगे ।

(झ) भवन के वर्तमान उपयोग में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। भवन जिस उपयोग में लाया जा रहा है, वही उपयोग अनुमन्य होगा। यदि किसी भवन का उपयोग प्राधिकरण को प्रस्तुत के विपरीत अन्य उपयोग यथा– होटल/लॉज/रेस्टोरेन्ट/दुकान अथवा किसी अन्य व्यवसायिक उपयोग के लिए किया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(ञ) सरयू नदी के किनारे नदी की ओर स्थित भवनों की वास्तुकला एवं सौन्दर्य (Esthetic) का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा ।

(ट) भवन की मरम्मत, पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निम्न समिति द्वारा परीक्षण कर उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी:–

सचिव विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
नियोजन प्रभारी, विकास प्राधिकरण	सदस्य–संयोजक
प्रभारी अभियंत्रण, विकास प्राधिकरण	सदस्य

नोटः—(1) अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अधिकारियों को उक्त समिति की बैठकों में आमन्त्रित किया जा सकेगा ।

(2) विकास प्राधिकरण के सम्बन्धित तकनीकी कार्मिकों/अभियन्ताओं द्वारा स्थलीय सत्यापन, स्थल पर हो रहे मरम्मत/पुनर्निर्माण का विभिन्न चरणों में निरीक्षण तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मानचित्र के अनुरूप/विपरीत निर्माण पूर्ण होने की रिपोर्ट उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी ।

(ठ) उपरोक्तानुसार अनुमन्य मरम्मत/पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में अन्य विकास एवं निर्माण कार्य निषिद्ध होंगे ।

(ड) सरयू नदी के किनारे नदी तट से 200 मीटर क्षेत्र में किए गए अनाधिकृत निर्माणों का शमन अनुमन्य नहीं होगा ।

नदियों के संरक्षण के लिए नागरिकों को मनोरंजन क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए रिवर फ्रंट विकास प्रस्तावित है। नदी की सीमा से 30 मीटर की सीमा के भीतर रिवर फ्रन्ट विकास के अतिरिक्त और कोई भी निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। जलाशयों को अतिक्रमण से बचाना जरूरी है। जलाशयों के संरक्षण के लिए जलाशयों के चतुर्दिक 9 मीटर की हरित पट्टी को प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में रखने का प्रस्ताव है।

11.3.14 हेरिटेज

अयोध्या में ए0एस0आई0 द्वारा संरक्षित तथा राज्य संरक्षित स्मारकों का विवरण निम्नवत हैः—

ए0एस0आई0 संरक्षित स्मारक	राज्य संरक्षित स्मारक
• शुजा—उद—दौला टॉम्ब (गुलाब बाड़ी	• हवेली अवध
• बहु बेगम का मकबरा	• गुप्तर घाट मंदिर
• कुबेर पर्वत	
• सुग्रीव पर्वत	
• मणि पर्वत	
• हाजी इकबाल टॉम्ब	
• बेनी खानम टॉम्ब	

उक्त स्थलों के समीप होने वाले निर्माणों की अनुज्ञा "द एनशिण्ट मॉन्यूमेण्ट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साईटस एण्ड रिमेन्स (एमेण्मेण्ट एण्ड वैलीडेशन) एक्ट, 2010" के प्राविधानों के अनुसार दी जाएगी।

11.3.15 पर्यटक व्याख्या केंद्र (टीआईसी) और कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (CCC)

यह केंद्र देखने योग्य स्थानों के बारे में जानकारी इसका समय बजट के भीतर उपलब्ध ठहरने की सुविधा गाइडों यानी मार्गदर्शकों के नाम और उनके शुल्क स्थानीय यात्री सुविधाओं आसपास के देखने योग्य स्थानों के बारे में जानकारी की सुविधा प्रदान करेगा। वायुयान की बुकिंग ट्रेन आरक्षण भी यहां करवाया जा सकता है। पर्यटक व्याख्या केंद्र के साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर पर्यटक और नागरिकों की सुविधा के लिए प्रस्तावित है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अपराधों को नियंत्रित करेगा निरंतर ऐसा असामाजिक तत्व की निगरानी करेगा और नागरिकों को सहायता प्रदान करेगा सीसीटीवी प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे और इनकी निगरानी सी.सी.टी.वी. से की जाएगी।

1. गृह प्रवास सुविधाएंः

यह पर्यटकों के लिए आरामदायक और ठहरने की मानक सुविधाएं प्रदान करेगा और विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आवास की सुविधा को बढ़ाएगा इसके लिए नागरिकों को भागीदारी करनी होगी और अपने

घरों में ठहरने का स्थान प्रदान करना होगा शहर विभिन्न स्थानों पर आगंतुकों और तीर्थ यात्रियों के लिए इस तरह के कम लागत वाले आवास की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा।

मूल विचार विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए स्वस्थ और किफायती ठहरने का स्थान प्रदान करना है जिसमें ऐसे पर्यटकों के लिए स्थानीय परिवारों के साथ रहने का अवसर शामिल है जिसमें वे स्थानीय परिवारों के साथ स्थानीय आते थे और संस्कृति का अनुभव और स्थानीय प्रथाओं परंपराओं का परिचय पा सके और प्रामाणिक भारतीय और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकें।

इस तरह के होम स्टे यूनिट मालिकों के लिए आतिथ्य व्यापार में अल्पकालिक प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जाएंगे, जो अपने कर्मचारियों को ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा रखते हैं कुछ आवासन ऐसे होते हैं जहां आवास के मांग निरंतर होती रहती है बल्कि कुछ विशेष अवसरों पर विशेष रूप से पर्यटक ऋतु में अथवा मेले और त्योहारों के दौरान उत्पन्न होती है। इस तरह की छोटी अवधि की मांग को पूरा करने के लिए शहर उपयुक्त पहल करेगा और स्थानीय निवास स्थान पर होमस्टे को शौचालय भोजन इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ प्रोत्साहित करेगा इस अवधारणा से स्थानीय निवास पैसा कमाता है और रोजगार का अवसर भी उत्पन्न करता है। इस सुविधा की आवश्यकता सांस्कृतिक विनिमय के लिए है तथा इसमें गरीबों को भी रोजगार मिलेगा इच्छुक व्यक्ति पर्यटक व्याख्या केंद्र के साथ पंजीकरण करवा सकते हैं और पर्यटकों के लिए साफ़ सुथरे कमरे अलग रख सकते हैं इससे उनकी उन्नति होगी। इसके अलावा उन नागरिकों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे जो पर्यटकों को ठहरने की सुविधा प्रदान करने में भागीदारी करेंगे स्थानीय लोगों को अपने मकान नंबर और उनके पर्यटक आवास के लिए दिए जाने वाले कमरों की संख्या देते हुए अपना पंजीकरण करवाना होगा।

2. परिक्रमा पथ

परिक्रमा पथों का धार्मिक महत्व है। उन्हें स्वच्छता सुविधाओं से विकसित किया जाना चाहिए सस्ती लागत पर सुरक्षित पेयजल सुविधाएं पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा पथ पर शौचालय के ब्लॉक विश्राम जैसी सुविधा विकसित की जानी चाहिए लोगों के शुभ आगमन के लिए परिक्रमा पथ को चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

3. स्थानीय खाद्य क्षेत्र

पर्यटकों को अयोध्या का स्थानीय भोजन प्रदान किया जाना चाहिए। स्थानीय भोजन के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र होना चाहिए जहां पर्यटक अपने भोजन का आनंद ले सके और स्थानीय भोजन का अनुभव प्राप्त कर सकें।

4. हाट बाजार

हाट बाजार की अवधारणा एक अनूठी अवधारणा है जिसमें अयोध्या के सभी सांस्कृतिक और स्थानीय सामग्री जैसे मिट्टी के बर्तन हस्तशिल्प स्थानीय रूप से बने कपड़े स्थानीय मसाले स्थानीय रूप से उपलब्ध पौधे आदि शामिल होंगे इन हाटों को केवल महिला विक्रेताओं द्वारा संचालित किया जाना चाहिए पूरे हाट बाजार में केवल महिला विक्रेता होंगे और अपने स्थानीय माल पर्यटकों को बेच सकेंगी और इन महिला विक्रेताओं को कर भुगतान से छूट दी जा सकती है वह पूरे भुगतान को अपने साथ रख सके। यह अवधारणा पर्यटन गतिविधि के बिंदु के रूप में होगी और स्थानीय महिला कार्यबल को सशक्त बनाएगी।

5. पानी एटीएम या पानी कियोस्क

तकनीकी रूप से पानी एटीएम जो स्व–निहित स्वचालित जल वेंडिंग मशीनें हैं जो स्वच्छ पानी को स्टोर करते हैं और अक्सर भूजल का उपयोग करने वाले जल शोधन संयंत्र से जुड़े होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉनिक चिप कार्ड या सिक्का वेंडिंग मशीन में डाला जाता है तो यह शुद्ध पेयजल देता है। जल

एटीएम के कारण तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को पर्याप्त पानी मिलेगा। इसके अलावा, स्थानीय लोगों को पर्याप्त और साफ पानी मिलेगा। यदि पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है तो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। जल एटीएम समाज पर उच्च प्रभाव पैदा कर रहा है। प्लास्टिक की बोतलों का कम उपयोग अपशिष्ट को कम करता है और स्वच्छता बनाए रखता है। जो पर्यावरण अनुकूल हो जाता है। पानी कियोस्क ऐसे बिंदु हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध है। ये पारंपरिक प्रकार के हो सकते हैं जिसमें फिल्टर किए गए और ठंडा पेयजल आसानी से सभी के लिए उपलब्ध हो जाता है।

6. **ई–शौचालयः**

स्वच्छता और अधिक विशेष रूप से सार्वजनिक स्वच्छता पिछले शताब्दी में किसी भी प्रकृति के नवाचार से छेड़छाड़ की जाती है, नवाचारों के बावजूद, नवाचारों के बावजूद, हमारे जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में आक्रमण करते हैं। ईदृशौचालय स्वयं निहित, स्वयं सफाई, यूनिसेक्स, उपयोगकर्ता के अनुकूल, मानव रहित, स्वचालित, और दूरस्थ रूप से निगरानी वाले शौचालय सार्वजनिक स्थानों में स्थापित हैं। शौचालय में स्वयं सफाई और जल संरक्षण तंत्र इसे अद्वितीय बनाता है। ईदृशौचालय भारतीय शहरों और शहरी स्थानों के अनुरूप एक राजस्व उत्पन्न स्वच्छता मॉडल है। शौचालय स्टेनलेस स्टील या हल्के स्टील बाड़ों से बने होते हैं और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं। पानी को बचाने के लिए, शौचालयों को तीन मिनट के उपयोग के बाद 1.5 लीटर पानी और 4.5 लीटर के बाद 4.5 लीटर पानी के लिए प्रोग्राम किया जाता है।

7. **परिक्रमा मार्ग**

भक्त और पर्यटक दोनों अयोध्या के परिक्रमा मार्गों का दौरा करते हैं। तीन पारिक्रम मार्ग, पंचकोसी, चौदह कोसी और चौरासी कोसी मार्ग हैं। ये मार्ग तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण हो सकते हैं। अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किए जाने हेतु इन मार्गों पर रोमांचकारी गतिविधियों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। शहर में आने वाले श्रद्धालुओं हेतु सुविधाओं यथा शौचालय, विश्रामालय आदि का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।

8. **आध्यात्मिक केंद्र**

संसार में लोग जहां रहते हैं वे स्थान चाहे निजी हो या जिनके माध्यम से मनुष्य के रूप में हमारी आवश्यकताओं का संवर्धन पूर्ति होती है यह देखना काफी आसान है कि शहर किस प्रकार दैनिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं शहरों के सामाजिक जीवन पर ज्यादा ध्यान दिए जाने के विद्वान जैन जैकब जैसे समर्थक ऐसे शहरों के पक्ष में दलील देते हैं जो प्रेम और सम्मान को पूरा करते हैं। ऐसे तरीके जो निर्मित पर्यावरण आत्मबोध और आत्म अतिक्रमण की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें चिन्हित करना परिचालित करना और संभालना अत्यधिक कठिन हो जाता है। किसी व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच मनोरंजन संबंध के अतिरिक्त ऐसी अवधारणाएं हैं जो निर्मित पर्यावरण हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं एकता संगठन रचनात्मकता विशिष्टता अभिव्यक्ति कविता तथा प्राथमिकता ऐसी अवधारणा हैं जो भौतिक संस्था उतनी संस्तर से उतनी ही आसानी से संबंध होती है जिसने की शर्म और भावातीत अवस्था से संतुलन समरसता और प्रकृति को निश्चय ही रूपाकार स्थान और व्यवस्था से संबंधित किया जा सकता है आध्यात्मिक देखभाल अन्य नर्सिंग देखभाल के समान ही उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हालांकि, इसे हमेशा औपचारिक योजना की आवश्यकता नहीं होती हैय वास्तव में, यदि एक नर्स मौजूद है और रोगी के संकेतों के प्रति संवेदनशील है, तो आध्यात्मिक देखभाल अक्सर उस अद्वितीय रोगी की स्थिति के दौरान सहज और उद्देश्यपूर्ण रूप से होती है। सभी नर्सिंग देखभाल के साथ, आध्यात्मिक देखभाल आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए नर्सिंग प्रक्रिया का चिकित्सीय उपयोग आवश्यक है।

9. भव्य तोरण द्वार

अयोध्या शहर के आगंतुकों के पहुँच पर उनके स्वागत और आगंतुकों की सुविधाओं के विकास के लिए अयोध्या शहर में आने वाले छः प्रमुख मार्गों पर छः द्वार तथा उनके साथ 5 हेक्टेयर भूमि प्रत्येक द्वार के समीप चिह्नित की गई हैं । चिह्नित की गई 5 हेक्टेयर भूमि में यात्रियों की सुविधाओं हेतु पार्किंग, होटल, पर्यटन सुविधा केंद्र, भोजनालय आदि सुविधाएं विकसित किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए विस्तृत परियोजना तैयार कर विकसित किया जाएगा । प्रस्तावित महायोजना के अंतर्गत चिह्नित किए गए छः स्थानों में से एक स्थान महायोजना सीमा के अंतर्गत है तथा शेष पाँच स्थान विस्तारित विकास क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते हैं ।

11.3.16 कुंडों, मंदिरों और घाटों की पुनर्स्थापना

अयोध्या में कई कुंड हैं, यह पवित्र स्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि कुंडों का जल मंदिरो में अनुष्ठानों के लिए उपयोग में लिया जाता है। कुंड वर्षा जल संचयन संरचनाएं हैं जो वे इस क्षेत्र में एक गोलाकार भूमिगत अच्छी तरह से है। ऐसा लगता है कि एक तश्तरी आकार के कैचमेंट क्षेत्र की तरह दिखता है जो धीरेदृधीरे केंद्र की ओर ढल जाता है जहां अच्छी तरह से (कुंड) स्थित है। कुंड की गहराई और व्यास पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की आवश्यकता पर निर्भर हो सकता है। कुएं गड्ढे के किनारे नींबू और राख से ढके हुए हैं। अधिकांश गड्ढे पानी की रक्षा के लिए ढक्कन से ढके होते हैं। अयोध्या में कुण्डों को पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुंडों को संरक्षित किए जाने हेतु राजस्व अभिलेखों के अनुसार कुंड हेतु आरक्षित भूमि की सीमा से 06 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा । निम्नलिखित विधियों की सहायता से कुण्डों को पुनरुद्धार किया जाना प्रस्तावित हैः

- सीवेज मार्ग परिवर्तन एवं उनका उपचारः–जल क्षेत्र को संरक्षित किए जाने हेतु अनुपचारित एवं गंदे सीवेज नालों के मार्ग परिवर्तन के साथ साथ उनके उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना है ।
- जल निकाय की शारीरिक सफाईः– इसमें मैन्युअल या यांत्रिक साधनों के माध्यम से खरपतवारों को हटाने और ठोस कचरे को हटाने शामिल है। ऐसे मामलों में जहां पानी की होल्डिंग क्षमता बढ़ाने के लिए वांछनीय है, यांत्रिक रूप से जलीय संरचना के तलों की सफाई (De-Silting) किया जाना।
- कुंड के जल की गुणवत्ता को बढ़ाए जानाः– वायु मिश्रण पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए सतही एयर एस्टर अथवा डूबे एयर एस्टर या दोनों का मिला जुला प्रयोग किया जाता है। जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पर दूसरों को नष्ट करने के लिए किया जाता है वायु मिश्रण जल में भी विभिन्न ऊष्मा स्तरों को मिश्रित करने में सहायक होता है। जिससे सृजन होता है और सबसे नीचे वाली सतह भी वायुमंडल की हवा के संपर्क में आ जाती है। वायु मिश्रण की आवश्यकता और सीमा की गणना जल की गुणवत्ता के पैमाने को जल निकाय की गहराई परिवेश के तापमान और वायु प्रवाह दशा के आधार पर की जाती है ।
- जैव–उत्पाद (जैव–वृद्धि) :– सूक्ष्म जीवों संस्कृतियों की खुराक की एकाग्रता और आवृत्ति जल निकाय, जल गुणवत्ता मानकों, परिवेश तापमान और शैवाल विकास की सीमा के आधार पर तय की जाती है।
- जल गुणवत्ता मानकों की निरंतर निगरानी :– बहु–मानक विश्लेषण से सुसज्जित एफवा के फ्लोटिंग निगरानी स्टेशन पानी की गुणवत्ता की निर्बाध जांच के लिए नियोजित हैं।

● आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरणः—वाटरफ्रंट का विकास और सौंदर्यीकरण मनोरंजक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है और पर्यटन को बढ़ाता है ।

चित्र 11.1 वर्तमान कुण्डों की स्थानीय स्थिति

चित्र 11.2 गिरजा कुण्ड

चित्र 11.3 दंत धावन कुण्ड

1. घाटों का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण

प्रार्थना/अनुष्ठान/पवित्र नदी में स्नान/शवदाह हेतु प्रत्येक शहर में नागरिक नदी घाटों का उपयोग करते हैं । भारत के सबसे अधिक देखी गई धार्मिक स्थलों के लिए यह एक सामान्य घटना है। इस तरह की क्रिया निश्चित रूप से खट्टीमीठी है, क्योंकि सदियों के लंबे प्रवाह ने न केवल घाट विरासत में योगदान दिया, बल्कि बिगड़ने की प्रक्षेपण भी योगदान दिया। इस प्रकार घाट बहाली और सुंदरता आईडी की आवश्यकता है क्योंकि इससे शहर के सौंदर्य मूल्य में वृद्धि होगी और साथ ही यह आगंतुक के अनुभव को बढ़ाएगा ।

चित्र 11.4 वर्तमान घाट

चित्र 11.5 राम की पैड़ी का सौंदर्यीकरण

चित्र 11.6 गौप्रतार घाट (गुप्तार घाट) का सौंदर्यीकरण

2. मंदिरों का पुनरुद्धार

मंदिर पुनरुद्धार एक ऐतिहासिक इमारत की स्थिति को सही ढंग से प्रकट करने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, क्योंकि यह अतीत की विरासत है में दिखती है और अपने विरासत मूल्य का सम्मान करते हुए विभिन्न उपायों से इसे ठीक कर देती है। पुनरुद्धार की प्रक्रिया में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े संरचना को बिना किसी नये तकनीक अथवा सामाग्री का इस्तेमाल किए उसे मूल स्वरूप में वापस लाया जाता है । संरक्षण का अर्थ है ऐतिहासिक, वास्तुकला, सौंदर्य, सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने की प्रक्रिया। संरक्षण की प्रक्रिया में मंदिरों की संरचना को इतिहास, वास्तुकला एवं सौन्दर्य बोध का यथा स्थित बनाए रखना है ।

चित्र 11.7 हनुमान गढ़ी का जीर्णोद्धार

चित्र 11.8 कनक भवन का जीर्णोद्धार

10.2.26 सोलर सिटी

अयोध्या को एक विश्वस्तरीय आध्यात्मिक केंद्र एवं वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और भविष्य में शहर में पर्यटकों की संख्या में आमूलचूल वृद्धि होने की संभावना है। इस उद्देश्य के परिपेक्ष में अयोध्या शहर को एनर्जी एफिशिएन्ट बनाए जाने हेतु सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है । संबंधित विभाग द्वारा अयोध्या शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाएगा ।

11.3.17 सौंदर्यीकरण और सुधार

11.3.17.1 पुलों का सौंदर्यीकरण

भित्तिचित्र दृश्य संचार का एक रूप होता है, एक व्यक्ति या समूह द्वारा सार्वजनिक स्थान के अंकन को शामिल करने वाले आध्यात्मिक संदर्भ को चित्रित करता है। इसने नागरिकों और पर्यटकों के लिए बहुत खुशी पैदा की है। दीवार भित्तिचित्र आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के लिए एक जगह है। भित्तिकला के दृश्य भित्तिचित्रों के माध्यम से प्राचीन संस्कृति महाकथा रामायण का दिव्य दर्शन कराते हैं रामायण की कहानी प्रिंस राम के बारे में है जो अयोध्या राज्य से निर्वासित हो गए थे। वह अपनी पत्नी सीता को वापस पाने के लिए एक लंबी लड़ाई में लंका के राजा रावण को मारने

के लिए चला जाते हैं। भित्तिकला के माध्यम से रामायण की कहानी पर्यटक के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

11.3.17.2 मौजूदा पार्कों का सौंदर्यीकरण

शहरी स्थान का सौंदर्यीकरण किसी भी सूचनात्मक कार्रवाई को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप निःसंदेह शहर और नागरिक के बीच निकट संबध स्थापित होता है। सौंदर्यीकरण को सार्वजनिक लाभों के पहलुओं में से एक माना जाता है जो कार्यकारी संस्थाओं की वैध अस्तित्व और गतिविधि। आजकल, मौलिक अवधारणाओं को शहरी रिक्त स्थानों के सौंदर्यीकरण में माना जाना चाहिए जिसमें शामिल हैंरू अंतरिक्ष और शहर के रूप, सांस्कृतिक पहचान और अनुलग्नक, शहर की सुरक्षा, नागरिक स्वास्थ्य, टिकाऊ अर्थव्यवस्था, कल्याण और आराम। सौंदर्यशास्त्र मानव की धारणा और सभी जीवन स्थितियों के तहत कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विकसित करता है, और शहर मानव निर्मित और प्राकृतिक तत्वों के संयोजन के रूप में प्रकट होता है और समुदाय के बारे में सोचा जाता है। शहर का सौंदर्यीकरण सिर्फ इमारतों के प्रभाव में नहीं है, लेकिन शहरी दीवारें, सार्वजनिक स्थान और दृश्य गुण शहर के सौंदर्यीकरण को प्रभावित करते हैं।

शहरी मूर्तिकला कलात्मक रूप और अभिव्यक्ति के साथ त्रि–आयामी मूल्य को संदर्भित करता है जो इसे विभिन्न पहलुओं से देख सकता है। मूर्तियों का मुख्य कार्य स्थान और पहचान की भावना पैदा करना और अंतरिक्ष के लिए एक विशेष भावना को प्रेरित करना या अंतरिक्ष की भावना को बदाना है प्रेरित करना है। इसके अलावा यह सजाने, भवन पहचान पर या दर्शकों को एक संदेश स्थानांतरित करने पर स्थित है, कि पत्थर, ठोस, धातु, लकड़ी और फाइबर सहित सामग्री का उपयोग मूर्तिकला बनाने के लिए किया जाता है।

11.3.17.3 रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण

रेलवे स्टेशनों को दीवार चित्रकला और सुंदर मूर्तियों के साथ सुंदर बनाया जा सकता है। पेंटिंग के अलावा, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी कर रहा है और हवाई अड्डे से मेल खाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं और सेवाओं को शामिल कर स्टेशनों का आधुनिकरण किया जा रहा है।

चित्र 11.9 रामघाट हाल्ट

11.3.17.4 सड़कों और परिक्रमा मार्गों का सौंदर्यीकरण

आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए सड़कों और पारिक्रमा मार्गों को सुशोभित किया जा सकता है। पारिक्रम मार्ग में छोटे स्थान को स्थानीय लोगों के लिए आवंटित किया जा सकता है ताकि वे कुछ स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं को आगंतुकों को बेच सकें।

हालांकि, शहर की सड़कों के रखरखाव की जरूरत है और वास्तविक प्रस्तावित चौड़ाई के अनुसार चौड़ा किया जा सकता है। सड़क की चौड़ाई के लिए, अनौपचारिक क्षेत्र को अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए कुछ अन्य स्थानों या छोटे स्थान में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह प्रमुख और बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली सड़कों के साथ यातायात की भीड़ को रोकने में मदद करेगा। अनौपचारिक क्षेत्रों के प्रस्तावित स्थान उन सड़कों के साथ होना चाहिए जिनमें इन स्थानों के पास यातायात की भीड़ और खतरनाक पार्किंग से बचने के लिए पैर पथ और चोटी के घंटों के दौरान, कुछ वाहन आंदोलन प्रतिबंधित होना चाहिए। इसके अलावा, आस–पास के पार्किंग प्लॉट को उन आगंतुकों को आवंटित किया जा सकता है जहां वे पार्क कर सकते हैं और फिर इन अनौपचारिक क्षेत्रों की ओर चल सकते हैं ।

चित्र 11.10 सडकों की वर्तमान स्थिति

चित्र 11.11 परिक्रमा मार्गों की वर्तमान स्थिति

11.4 भू–उपयोग प्रस्ताव

अयोध्या महायोजना–2031 में वर्ष 2031 तक के लिए नगर के सुनियोजित एवं नियंत्रित विकास हेतु विभिन्न भू–उपयोगों के अंतर्गत कुल 23623.05 हे0 (तालिका संख्या 11.2) क्षेत्रफल का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित भू–उपयोगों का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

11.4.1 आवासीय

अयोध्या महायोजना–2031 में आवासीय क्षेत्र का प्रस्ताव भूमि के वर्तमान आवासीय विकास एवं उसके सम्भावित विकास हेतु उपलब्ध भूमि की उपयुक्तता के आधार पर किया गया है। आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 10836.63 हे0 भूमि का प्रस्ताव है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 45.87 प्रतिशत है। आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावों का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

- **निर्मित क्षेत्र :–**

नगर के वे क्षेत्र जहाँ पर अत्यंत सघन विकास हुआ है, को अयोध्या महायोजना–2031 में निर्मित क्षेत्र दर्शाया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 483.06 हे0, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 2.05 प्रतिशत है। अयोध्या नगर निगम, नवाबगंज नगर पालिका एवं भदरसा नगर पंचायत में निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्रमशः 438.97 हे0, 23.21 हे0, 20.88 हे0 है।

- **ग्रामीण आबादी :–**

नगरीय विकास के विस्तार के फलस्वरूप नगर से सटे स्थित राजस्व ग्रामों की ग्रामीण आबादी भी नगर विकास में सम्मिलित हो जाने के दृष्टिगत शहरीकरण क्षेत्र में स्थित आबादियों को ग्रामीण आबादी के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत 766.21 हे0 भूमि प्रस्तावित की गई है जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 3.24 प्रतिशत है।

- **आवासीय :–**

वर्तमान निर्मित क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र जो अर्द्ध–विकसित अवस्था में हैं तथा नगर के ऐसे क्षेत्र जहाँ आबादी का दबाव निर्मित क्षेत्र से कम है, को आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। आवासीय के अन्तर्गत कुल 9587.36 हे0 भूमि प्रस्तावित की गयी है जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 40.57 प्रतिशत है।

11.4.2 व्यावसायिक

अयोध्या के विकास क्षेत्र का मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र अयोध्या, नवाबगंज एवं भदरसा नगरीय क्षेत्र के घने आबादी वाले क्षेत्रों एवं नगर से गुजरने वाले प्रमुख मार्गो से सम्बद्ध क्षेत्रों में स्थित है। वर्तमान में स्थापित इन व्यावसायिक स्थलों में जगह के अभाव के कारण व्यावसायिक क्रिया–कलाप मार्गाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत होता है जिसके परिणामस्वरूप यातायात के सुगम संचालन में रुकावटें उत्पन्न होती हैं। नगर में विद्यमान व्यावसायिक क्रिया–कलापों को ध्यान में रखते हुए भावी नगरीय एवं क्षेत्रीय जनसंख्या की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगर केन्द्र, उप नगर केन्द्र, थोक व्यावसायिक, भण्डारागार, सामान्य व्यावसायिक एवं बाजार स्ट्रीट को सम्मिलित करते हुए अयोध्या महायोजना–2031 में कुल 1970.44 हे0 भूमि का प्रस्ताव किया गया है जो प्रस्तावित सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 8.34 प्रतिशत है। इन प्रस्तावित व्यावसायिक भू–उपयोगों का विवरण निम्नवत् हैः–

- **नगर केन्द्र :–**

अयोध्या के विकास क्षेत्र में व्यावसायिक विकास की प्रवृत्ति के दृष्टिगत उपयुक्त स्थलों पर नगर केन्द्र हेतु कुल 192.54 हे0 भू–क्षेत्र का प्रस्ताव दिया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 0.82 प्रतिशत है।

- **उप नगर केन्द्र :–**

अयोध्या के विकास क्षेत्र में मुख्य व्यावसायिक नोड एवं व्यावसायिक प्रवृत्ति को देखते हुए प्रत्येक जोन में उप नगर केन्द्रों हेतु कुल 589.99 हे0 क्षेत्रफल का प्रस्ताव दिया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 2.49 प्रतिशत है।

- **थोक व्यापारिक केन्द्र/भण्डार :–**

अयोध्या प्रमुख रूप से कृषि आधारित नगर है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन मानक के अनुसार थोक व्यापारिक केन्द्रों एवं औद्योगिक क्षेत्र के निकट भण्डार हेतु प्रस्ताव कुल 49.86 हे0 भूमि पर दिया गया है जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 0.21 प्रतिशत है।

- **सामान्य व्यावसायिक :–**

अयोध्या के विस्तारित क्षेत्र में पर्यटक के दृष्टिगत प्राप्त हो रहे प्रस्तावों को सम्मिलित करने के उदेश्य से अयोध्या–गोरखपुर(ग्राम महेशपुर से) मार्ग के दोनों ओर मिश्रित भू–उपयोग के उपरांत 150 मीटर तक का क्षेत्र, अयोध्या–गोण्डा पर गाइड बंधा से कटरा मार्ग तक मार्ग के दोनों ओर मिश्रित भू–उपयोग के उपरांत 50 मीटर एवं रिंग रोड के उत्तर दिशा में 100 मीटर गहरायी तक का क्षेत्र सामान्य व्यावसायिक भू–उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 102.15हे0 है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 0.43 प्रतिशत है।

- **बाजार स्ट्रीट :–**

वर्तमान भू–उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार नगर के निर्मित क्षेत्र में विद्यमान ऐसे मार्ग जिनके दोनो ओर वर्तमान भू–उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियां क्रियाशील हैं ऐसे मार्गों पर 15m गहराई तक बाजार स्ट्रीट के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नगर के निर्मित क्षेत्र के साथ–साथ महायोजना नगरीकरण हेतु प्रस्तावित सीमा के अन्तर्गत 12 मीटर से 24 मीटर मार्गाधिकार वाले प्रस्तावित/विद्यमान मार्गो(सर्विस लेन के साथ) पर 50 मीटर गहराई तक बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किया गया है। महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमन्यता महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रावधानों के अनुसार होगी। महायोजना में बाजार स्ट्रीट भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल लगभग 1036.91 हेक्टेयर भू–क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 4.39 प्रतिशत है।

- **मिश्रित भू उपयोग :–**

अयोध्या महायोजना–2031 में आवास विकास परिषद् द्वारा ग्रीन फील्ड टाउनशिप का प्रस्ताव है। उक्त टाउनशिप में प्रस्तावित मिश्रित भू–उपयोग के अतिरिक्त नगर के महायोजना नगरीकरण हेतु प्रस्तावित सीमा के अन्तर्गत 24 मीटर से अधिक मार्गाधिकार वाले प्रस्तावित/विद्यमान मार्गों(सर्विस लेन के साथ) पर मिश्रित भू–उपयोग प्रस्तावित किया गया है। मिश्रित भू–उपयोग को मार्गों के दोनो ओर 50 मीटर गहराई तक प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र पर दर्शाया गया है। महायोजना में प्रस्तावित मिश्रित भू–उपयोग से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमन्यता महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रावधानों के अनुसार होगी। महायोजना में मिश्रित भू–उपयोग

के अन्तर्गत कुल लगभग 1435.44 हेक्टेयर भू–क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 6.08 प्रतिशत है।

11.4.3 औद्योगिक

नगर के भावी आर्थिक आधारों में औद्योगिक क्रियाओं के महत्वपूर्ण योगदान होने की सम्भावना के आधार पर महायोजना में औद्योगिक भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल लगभग 1302.95 हेक्टेयर भू–क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 5.52 प्रतिशत है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग तथा वृहद उद्योग के अन्तर्गत प्रस्तावित भू–भाग का क्षेत्रफल क्रमशः 1057.41 एवं 245.54 हेक्टेयर है। महायोजना में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का प्रस्ताव वर्तमान उद्योगों की स्थिति तथा स्थल की उपयुक्तता के आधार पर किया गया है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों की विस्तृत योजना बनाते समय आवश्यक सुविधाओं यथा मार्ग, विद्युत उपकेन्द्र, जलापूर्ति जल–निस्तारण खुले क्षेत्र एवं भण्डारण आदि की सुविधा का प्रस्ताव किया जायेगा। औद्योगिक प्रस्ताव के अन्तर्गत भूमि की उपलब्धता, वायु की दिशा, सम्पर्क मार्ग की सुगमता आदि को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रस्ताव दिये गये हैः–

- **वृहद उद्योग :–**

इस भू–उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान उद्योगों की स्थिति तथा स्थल की उपयुक्तता के आधार पर कुल 245.54 हे0 भू–क्षेत्र का प्रस्ताव महायोजना–2031 में दिया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना का 1.04 प्रतिशत है।

- **लघु उद्योग :–**

इस भू–उपयोग के अन्तर्गत महायोजना–2031 में कुल 1057.41 हे0 भू–क्षेत्र का प्रस्ताव महायोजना–2031 में दिया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना का 4.48 प्रतिशत है।

11.4.4 कार्यालय

अयोध्या नगर जनपद मुख्यालय होने के साथ–साथ क्षेत्र का प्रमुख नगरीय केन्द्र है, जिसमें लगभग सभी केन्द्रीय/प्रान्तीय कार्यालयों के साथ–साथ अर्द्ध–सार्वजनिक एवं अन्य कार्यालय स्थित हैं। नवाबगंज एवं भदरसा नगरीय क्षेत्र में प्रमुख कार्यालय यथा नगरपालिका कार्यालय एवं अन्य कार्यालय नगर के प्रमुख मार्गो पर स्थित हैं। राजकीय उपयोग के अन्तर्गत नगर के अन्दर वर्तमान स्थापित कार्यालय परिसरों को सम्मिलित करते हुये कुल 221.01 हे0 भूमि का प्रस्ताव किया गया है जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 0.94 प्रतिशत है।

11.4.5 सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएँ

सामुदायिक सुविधायें किसी भी नगर की सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नगर की जनसंख्या वृद्धि के परिक्षेत्र में पर्याप्त सुविधाओं का विकास अत्यन्त आवश्यक होता है। जिनको दृष्टिगत रखते हुए महायोजना–2031 में वर्तमान सार्वजनिक सुविधाओं यथा शिक्षा, चिकित्सालय, तकनीकी शिक्षा, पुलिस प्रशासन क्षेत्र, डाकघर एवं तारघर तथा विविध उपयोग तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं को सम्मिलित करते हुए कुल 1989.19 हे0 भूमि का प्रस्ताव किया गया है जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 8.42 प्रतिशत है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

- **सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ :–**

अयोध्या की वर्ष 2031 की अनुमानित जनसृंख्या की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये महायोजना में शिक्षा/स्वास्थ्य/डाकघर/तारघर/अग्निशमन केन्द्र/पुलिस स्टेशन/पुलिस लाइन एवं अन्य सुविधाओं के अन्तर्गत वर्तमान भू–क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए कुल 1700.38 हे0 भू–क्षेत्र का प्रस्ताव दिया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 7.20 प्रतिशत है।

- **धार्मिक क्षेत्र :–**

अयोध्या विकास क्षेत्र में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थल यथा राम मन्दिर, राजा दशरथ का समाधि स्थल, भरत कुण्ड आदि धार्मिक क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए कुल 137.81 हे0 भू–क्षेत्र को महायोजना में धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 0.58 प्रतिशत है।

- **उपयोगितायें :–**

सामान्य जीवन के निर्वाह हेतु जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति सुविधाओं का होना अति आवश्यक है। महायोजना में वर्ष 2031 तक की प्रक्षेपित जनसंख्या की आवश्यकता के दृष्टिगत 49.89 हेक्टेयर भूमि पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, 8.32 हे0 भूमि पर वॉटर ट्रीटमेंट प्लान्ट, 5.89 हे0 क्षेत्र ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एवं विद्युत केन्द्र हेतु 56.62 हे0 भू–क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए कुल 120.72 हे0 भू–क्षेत्र का प्रस्ताव उपयोगिताओं हेतु किया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 0.51 प्रतिशत है।

11.4.6 यातायात एवं परिवहन

नगर के यातायात एवं परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाये रखने एवं विविध प्रकार की भावी आवश्यकताओं का समायोजन करने के उद्देश्य से प्रस्तावित मार्गो, बस अड्डा तथा ट्रक अड्डा का प्रस्ताव स्थल की उपयुक्तता विकास की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना 2031 में कुल 2857.69 हे0 भूमि का प्रस्ताव किया गया है जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 12.10 प्रतिशत है। यातायात एवं परिवहन संबंधी प्रस्तावों का विवरण निम्नवत् हैः–

- **मार्ग :–**

अयोध्या विकास क्षेत्र के वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्गों को सम्मिलित करते हुए महायोजना 2031 में मार्ग के अन्तर्गत 2033.45 हे0 भूमि प्रस्तावित है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 8.61 प्रतिशत है। मानचित्र संख्या 11.1 में अयोध्या महायोजना–2031 के मोबिलिटी प्लान का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 11.1 अयोध्या विकास क्षेत्र में वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्गों का विवरण

क्र. सं.	मार्गों का नाम	विद्यमान चौ0 मार्गाधिकार सहित	महायोजना–2031 में प्रस्तावित चौ0 मार्गाधिकार सहित
	वर्तमान /प्रस्तावित मार्ग		
1	अयोध्या–सुल्तानपुर मार्ग (एन0एच0)	28–38 मी0	45 मी0
2	अयोध्या–अम्बेडकरनगर मार्ग (एन0एच0)	22–32 मी0	45 मी0
3	अयोध्या–राय बरेली मार्ग (एन0एच0)	32–40 मी0	45 मी0
4	अयोध्या–लखनऊ–गोरखपुर मार्ग (एन0एच0)	36–60 मी0	76.20 मी0
5	अयोध्या–नवाबगंज–गोण्डा मार्ग (एन0एच0)	16–36 मी0	45 मी0
6	नवाबगंज–मनकापुर मार्ग (प्रस्तावित बाईपास से नगरीकरण क्षेत्र के बाहर)(एस0एच0)	12–20 मी0	36 मी0
7	नवाबगंज–मनकापुर मार्ग (प्रस्तावित बाईपास से नगरीकरण क्षेत्र के अन्दर) (एस0एच0)	12–20 मी0	30 मी0
8	नवाबगंज–तरबगंज मार्ग (एस0एच0)	09–26 मी0	30 मी0
9	अयोध्या–लखनऊ मार्ग से देवरही बाजार मार्ग (एम0डी0आर0)	15–22 मी0	24 मी0
10	अयोध्या–लखनऊ मार्ग से रायबरेली मार्ग वाया सोहावल (ओ0डी0आर0)	09–18 मी0	30 मी0

क्र. सं.	मार्गों का नाम	विद्यमान चौ0 मार्गाधिकार सहित	महायोजना–2031 में प्रस्तावित चौ0 मार्गाधिकार सहित
11	रायबरेली–मसौधा मार्ग (ओ0डी0आर0)	10–18 मी0	30 मी0
12	रायबरेली–रेवतीगंज मार्ग (एम0डी0आर0)	15–22 मी0	30 मी0
13	दर्शन नगर–भरतकुंड मार्ग (ओ0डी0आर0)	15–24 मी0	30 मी0
14	अम्बेडकरनगर–तरुण माया मार्ग (ओ0डी0आर0)	12–20 मी0	30 मी0
15	सुल्तानपुर मार्ग से तरुण माया मार्ग (ओ0डी0आर0)	16–28 मी0	30 मी0
16	रसूलाबाद–दर्शन नगर मार्ग (ओ0डी0आर0)	12–20 मी0	30 मी0
17	अयोध्या धाम से दशरथ समाधि के निकट तक(ओ0डी0आर0)	12–20 मी0	45 मी0
18	दशरथ समाधि से अम्बेडकरनगर मार्ग	12–20 मी0	30 मी0
19	अयोध्या–गोरखपुर मार्ग से विक्रमजोत मार्ग (ओ0डी0आर0)	15–18 मी0	30 मी0
20	नवाबगंज से देमुहाघाट मार्ग (ओ0डी0आर0)	12–20 मी0	30 मी0
21	हेड पोस्ट ऑफिस चौराहे से जय प्रकाश नारायण चौराहा (रिकाबगंज), चौक घंटाघर , गुलाब बाड़ी रीडगंज चौराहे तक	18–20 मी0	30 मी0
22	जय प्रकाश नारायण (रिकाबगंज) चौराहे से महर्षि कश्यप (नियावाँ) चौराहा, अग्रसेन (गुदड़ी बाजार) चौराहा, वाल्मीकि चौराहा , बेनीगंज, बृहस्पति कुण्ड चौराहा, अयोध्या पोस्ट ऑफिस तिराहा होते हुये लता मंगेशकर चौराहे तक	18–20 मी0	30 मी0
23	फैजाबाद गुलाब बाड़ी चौराहे से रीडगंज होते हुये देवकाली तक	08–24 मी0	30 मी0
24	फैजाबाद चौक घंटाघर से भामा शाह (फतेहगंज) चौराहा तक	12–16 मी0	30 मी0
25	गद्दोपुर (इन्डस्ट्रीयल स्टेट) से सरदार भागत सिंह चौराहा (जिलाधिकारी निवास चौराहा), कमिशनर कार्यालय चौराहा होते हुये कैंटोनमेंट तक	16–20 मी0	30 मी0
26	चौक घंटाघर से धारा रोड	12–22 मी0	30 मी0
27	नियावाँ चौराहे से जमथरा चुंगी तक	08–12 मी0	30 मी0
28	गो प्रतार (गुप्तार घाट) घाट से जमथरा, धारा रोड, अफीम कोठी, 14 कोसी/5 कोसी परिक्रमा मार्ग होते हुये अयोध्या राजघाट तक	10–16 मी0	30 मी0
29	नाका (हनुमानगढ़ी चौराहा) से जनौरा होते हुये फतेहगंज–देवकाली मार्ग पर प्रस्तावित सार्वजनिक सुविधाओं भू–उपयोग के दक्षिण–पश्चिम कोने तक	08–20 मी0	30 मी0
30	(नाका हनुमानगढ़ी–जनौरा–देवकाली) मार्ग पर प्रस्तावित सार्वजनिक सुविधा भू–उपयोग से दक्षिण की ओर बाईपास तक (लगभग 64 मीटर लम्बाई)	12–20 मी0	24 मी0

क्र. सं.	मार्गों का नाम	विद्यमान चौ0 मार्गाधिकार सहित	महायोजना–2031 में प्रस्तावित चौ0 मार्गाधिकार सहित
31	सप्लाइ ऑफिस तिराहे से पुष्परज चौराहा होते हुए रिकाबगंज रोड तक	18–24 मी0	30 मी0
32	विद्याकुण्ड के दक्षिण किनारे के पास तिराहे से रानोपाली मंदिर तिराहा रेलवे क्रॉसिंग पार कर टेढ़ी बाजार चौराहे से वशिष्ठ कुण्ड, राजघाट व अशर्फी भवन के सामने से अयोध्या पोस्ट ऑफिस तिराहे तक	10–14 मी0	24 मी0
33	विद्याकुण्ड तिराहे से उत्तर की ओर रेलवे क्रॉसिंग तक	06–10 मी0	30 मी0
34	जिलाधिकारी निवास चौराहा से मोदहा रेलवे क्रॉसिंग, नाका (हनुमानगढ़ी चौराहा) तक जनौरा होते हुये (चिकित्सालय) के पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग तक	18–22 मी0	24 मी0
35	अब्बूसराय ग्राम के पूर्वी किनारे पर बाईपास रोड पर स्थित तिराहे से सहादतगंज हनुमानगढ़ी व पहलवानवीर तिराहे से हवाई कोठी चुंगी तक	08–10 मी0	24 मी0
36	जिलाधिकारी निवास के फाटक के सामने तिराहे से जी0आई0सी के पीछे रेलवे क्रॉसिंग पार कर मकबरा गेट तिराहे तक	12–16 मी0	24 मी0
37	आयुक्त निवास तिराहे से सुरसर कालोनी चौराहे, मोदहा रेलवे क्रॉसिंग से दक्षिण सीधे बाईपास तक	10–16 मी0	24 मी0
38	मोदहा रेलवे क्रॉसिंग से दक्षिण की ओर बाईपास जाने वाले मार्ग पर प्रस्तावित तिराहे से निकाल कर पूर्व की ओर नवीन मंडी स्थल के उत्तर से रायबरेली रोड तक	10–16 मी0	24 मी0
39	नवीन मंडी स्थल के पश्चिम में बाई पास से निकल कर उपरोक्त मार्ग पर तिराहे तक (लगभग 400 मीटर)	08–10 मी0	24 मी0
40	मालगोदाम चुंगी से पुष्पराज टाकीज चौराहे तक	12–14 मी0	30 मी0
41	जय प्रकाश नारायण (रिकाबगंज) चौराहे से कसाबबाड़ा तिराहे तक	12–14 मी0	24 मी0
42	नियावाँ–जमथरा मार्ग के बालकराम कालोनी चौराहे से हसनु कटरा होते हुये दिल्ली दरवाजा तक	06–10 मी0	24 मी0
43	अंगूरीबाग कालोनी के पश्चिम से दिल्ली दरवाजा रोड को पार कर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग तक	08–10 मी0	24 मी0
44	फैजाबाद कोतवाली तीनदरे के पश्चिम से शुरू होकर दक्षिण तरफ आचार्य नरेंद्रदेव रेलवे स्टेशन के पश्चिम रेलवे लाइन तक	05–6 मी0	24 मी0
45	कोहिनूर पैलेस के सामने से गुलाब बाड़ी के पूर्व होते हुये (अग्रसेन चौक–बेनीगंज) मार्ग पर साहबगंज तक	10–14 मी0	24 मी0
46	देवकाली–बेनीगंज रोड के मध्य से बछड़ा–सुल्तानपुर मार्ग तक	08–12 मी0	24 मी0
47	(फैजाबाद–सुल्तानपुर) रोड पर बहु बेगम मकबरा के उत्तर पश्चिम कोने से निकल कर लालबाग स्थित तिराहे तक	06–08 मी0	24 मी0

क्र. सं.	मार्गों का नाम	विद्यमान चौ0 मार्गाधिकार सहित	महायोजना–2031 में प्रस्तावित चौ0 मार्गाधिकार सहित
48	बहु बेगम मकबरा के पूर्व–उत्तर तिराहे से पूर्व–दक्षिण तिराहे तक	08–12 मी0	24 मी0
49	लालबाग रेलवे क्रॉसिंग (लालबाग पानी टंकी) से निकाल कर दक्षिण–पूर्व की दिशा में लक्ष्मी सागर कुण्ड होते हुये 30 मीटर चौड़े मार्ग तक	06–8 मी0	24 मी0
50	फतेहगंज–देवकाली रोड पर वजीरगंज के समीप तिराहे से निकलकर चमारन टोला होते हुये जनौर ग्राम के उत्तर में स्थित 24 मीटर मार्ग के तिराहे तक	06–10 मी0	24 मी0
51	फैजाबाद–सुल्तानपुर मार्ग (राजमार्ग–9) पर नाका (पेट्रोल पम्प के उत्तर) से निकलकर पूर्व की ओर लगभग 600 मीटर पर स्थित 24 मीटर रोड के तिराहे तक	06–8 मी0	24 मी0
52	जनौर ग्राम में बाईपास के उत्तर में पार्क एवं खुले भू–उपयोग के दक्षिण–पश्चिम तिराहे से पूर्व की ओर लगभग 880 मीटर पर 30 मीटर मार्ग तक	08–12 मी0	24 मी0
53	जनौर ग्राम में बाईपास के उत्तर में पार्क एवं खुले भू–उपयोग के दक्षिण–पूर्व तिराहे से उत्तर की तरफ 30 मीटर चौड़े मार्ग तक	08–12 मी0	24 मी0

- **बस अड्डा :–**

अयोध्या विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र (यथा अयोध्या, नवाबगंज एवं भदरसा नगरीय क्षेत्र) में वर्तमान बस अड्डों कों सम्मिलित करते हुए तथा जनसंख्या की भावी यातायात की आवश्यकता को देखते हुए नवाबगंज–गोण्डा मार्ग पर, रिंग रोड के निकट अम्बेडकरनगर मार्ग पर तथा अयोध्या–सुल्तानपुर मार्ग पर एक–एक बस अड्डे का प्रस्ताव कुल 33.42 हे0 भूमि पर किया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 0.14 प्रतिशत है।

- **ट्रांसपोर्ट नगर :–**

अयोध्या विकास क्षेत्र में सामानों के लोडिंग–अनलोडिंग की वजह से लगने वाले जाम के दृष्टिगत अयोध्या महायोजना–2031 में भावी यातायात की आवश्यकता को देखते हुए नवाबगंज–गोण्डा मार्ग पर, अयोध्या–सुल्तानपुर मार्ग पर तथा अयोध्या–लखनऊ मार्ग पर एक–एक अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट नगर हेतु प्रस्ताव कुल 72.13 हे0 भूमि पर किया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 0.31 प्रतिशत है।

- **पार्किंग :–**

अयोध्या महायोजना 2031 में नगर के एंट्री पॉइन्ट पर पार्किंग हेतु प्रस्ताव कुल 34.35 हे0 भूमि पर किया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 0.15 प्रतिशत है।

- **प्रस्तावित क्रॉस सेक्शनः–**

सड़क नेटवर्क को कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति देने के लिए, अनुशंसित क्रॉस सेक्शन के अनुसार सड़क के निरंतर खिंचाव को विकसित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक परिवहन आवाजाही के लिए चिह्नित/आरक्षित दो लेन के साथ 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर, और 30 मीटर, आर.ओ.डब्ल्यू के गलियारों के लिए तीन विशिष्ट क्रॉस–सेक्शन प्रस्तावित किए गए हैं। 45 मीटर व 60 मीटर के मार्ग का क्रॉस सेक्शन एन0एच0ए0आई0 के मानकों के अनुसार रहेंगे। क्रॉस सेक्शन का विवरण नीचे दिया गया है।

चित्र 11.12 मार्गों का प्रस्तावित क्रॉस सेक्शन

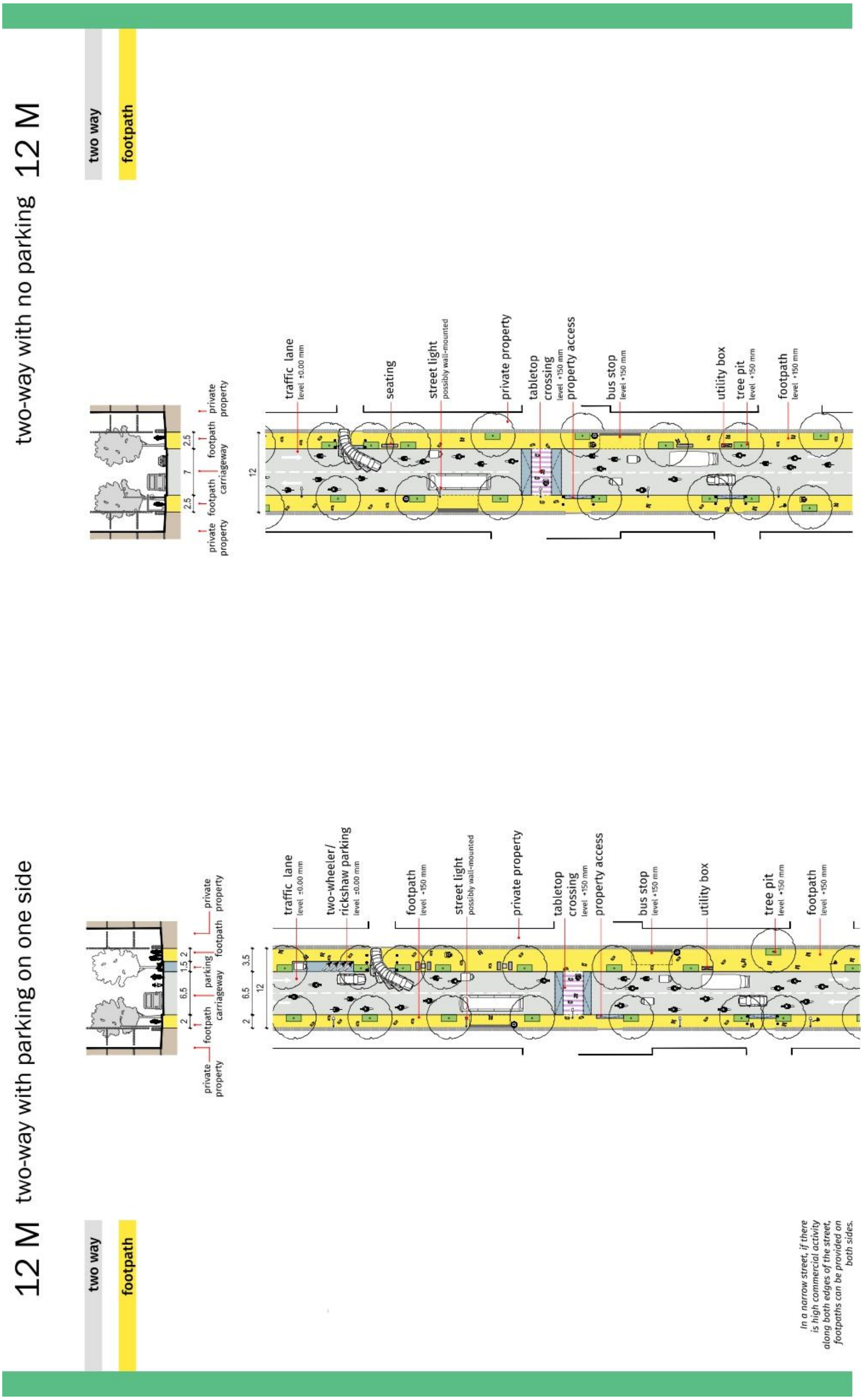

18 M two-way with parking on one side

two way

footpath

median

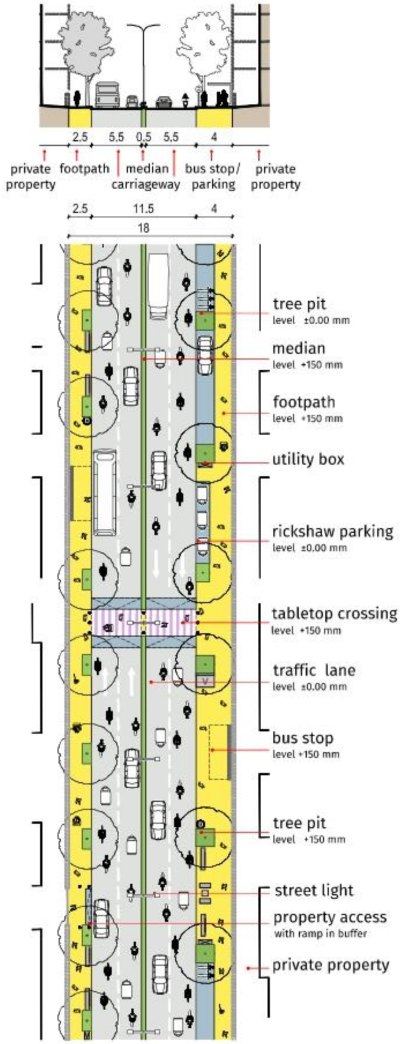

one-way with parking on both sides 18 M

one way

footpath

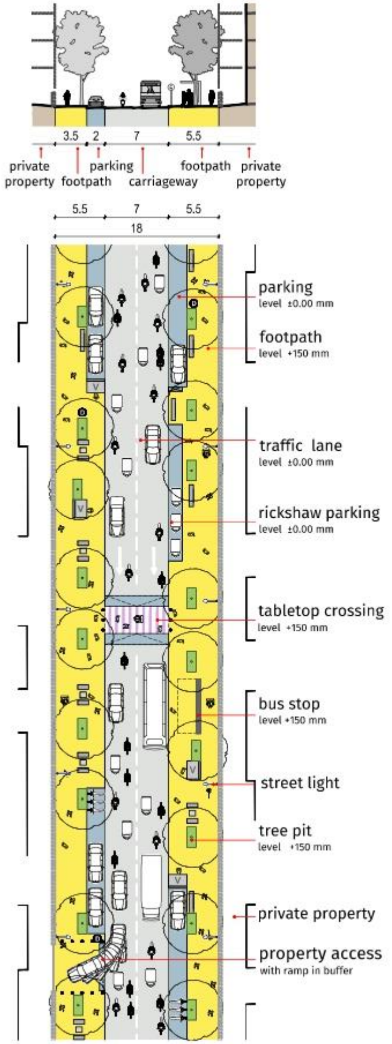

24 M with cycle track on both sides

two way
footpath
cycle track

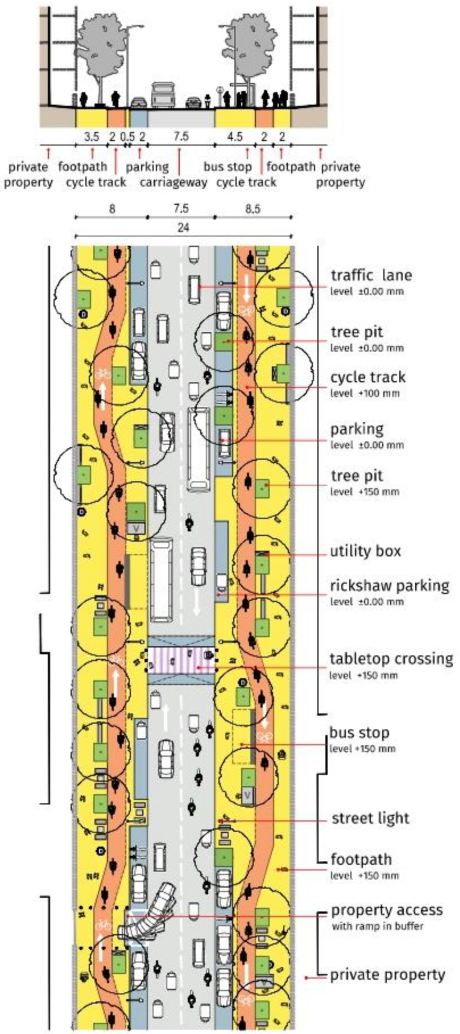

with cycle track on one side 24 M

two way
footpath
cycle track
median

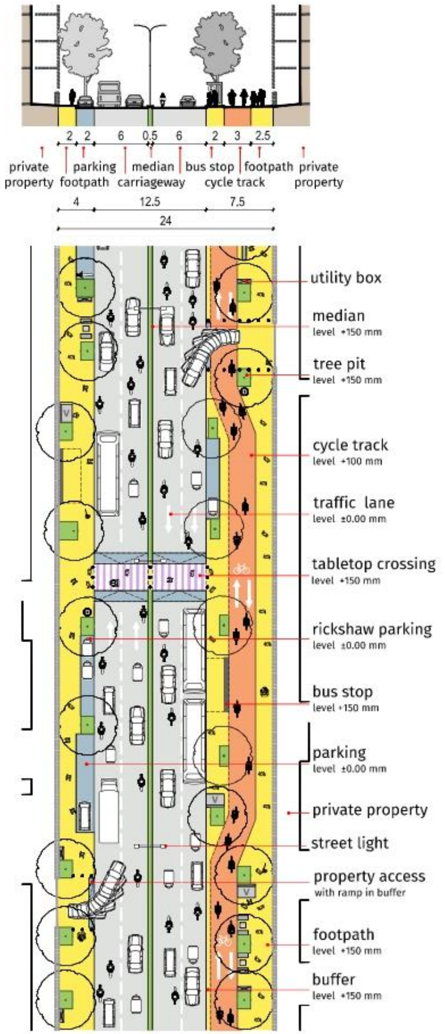

30 M with shared service lane

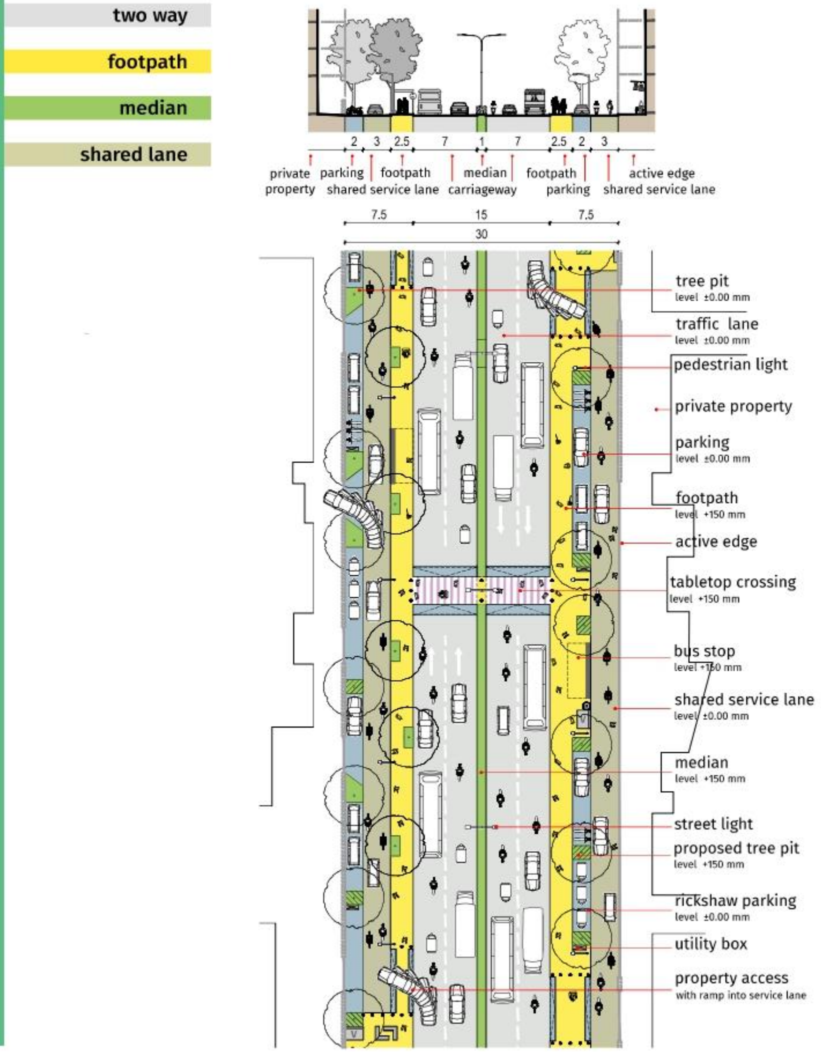

with cycle track on both sides 30 M

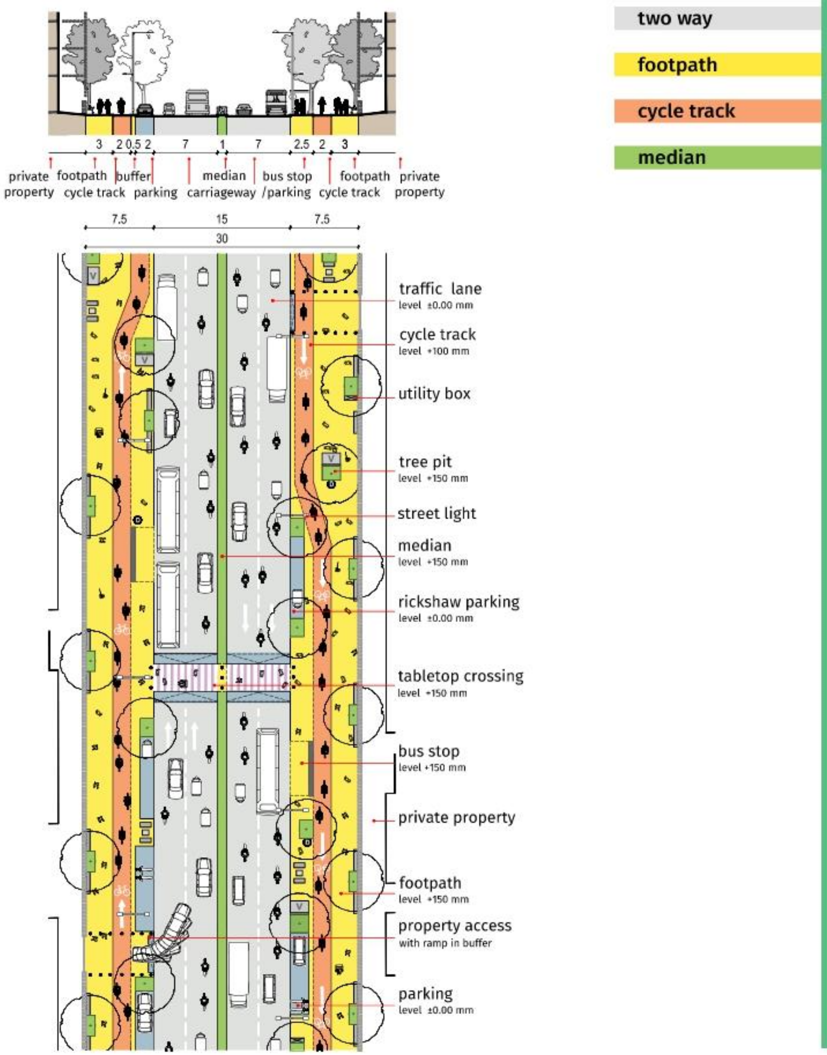

मानचित्र 11.1 अयोध्या महायोजना–2031 का रोड नेटवर्क मानचित्र

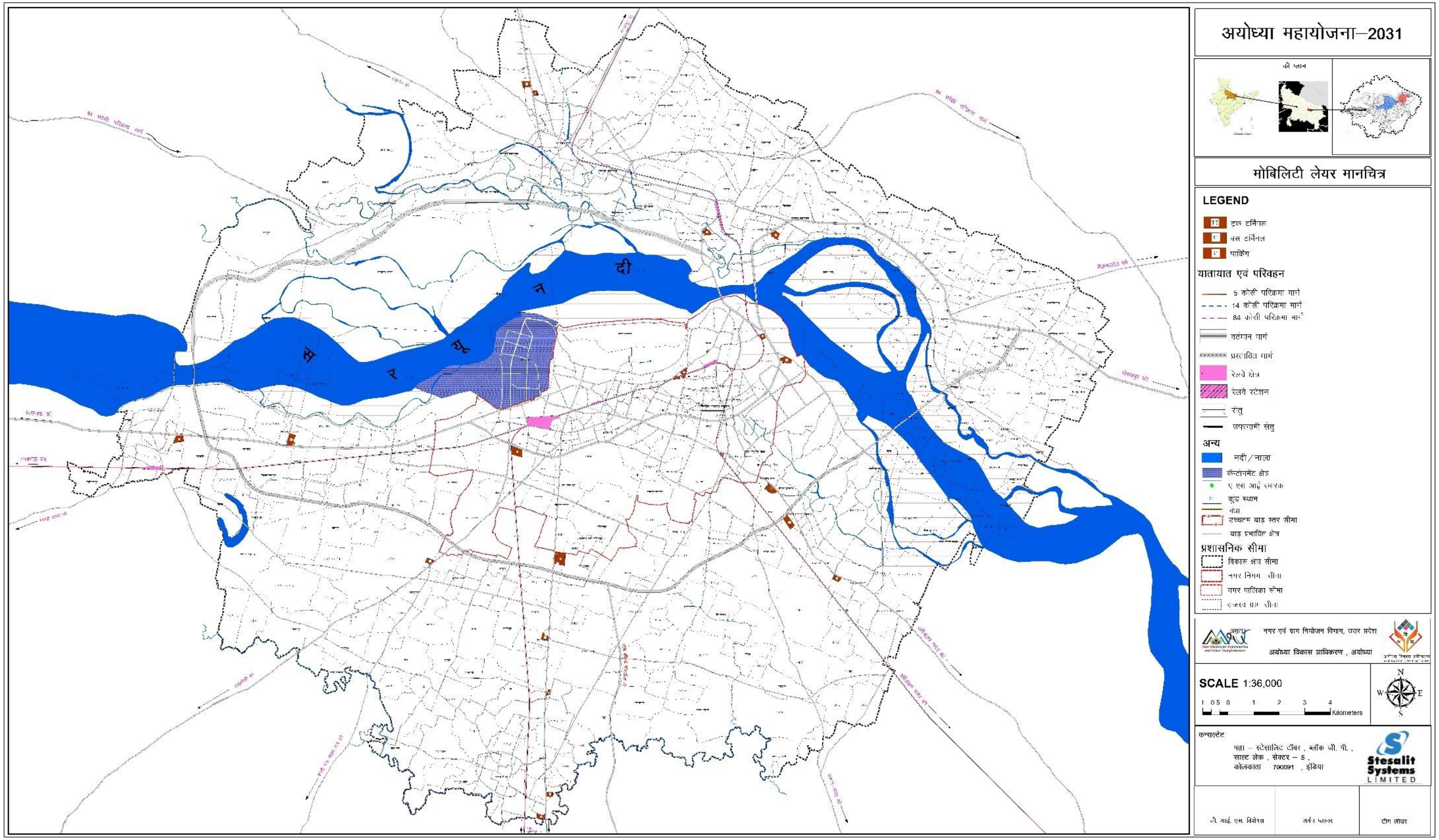

मानचित्र 11.2 अयोध्या महायोजना–2031 का उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ लेयर मानचित्र

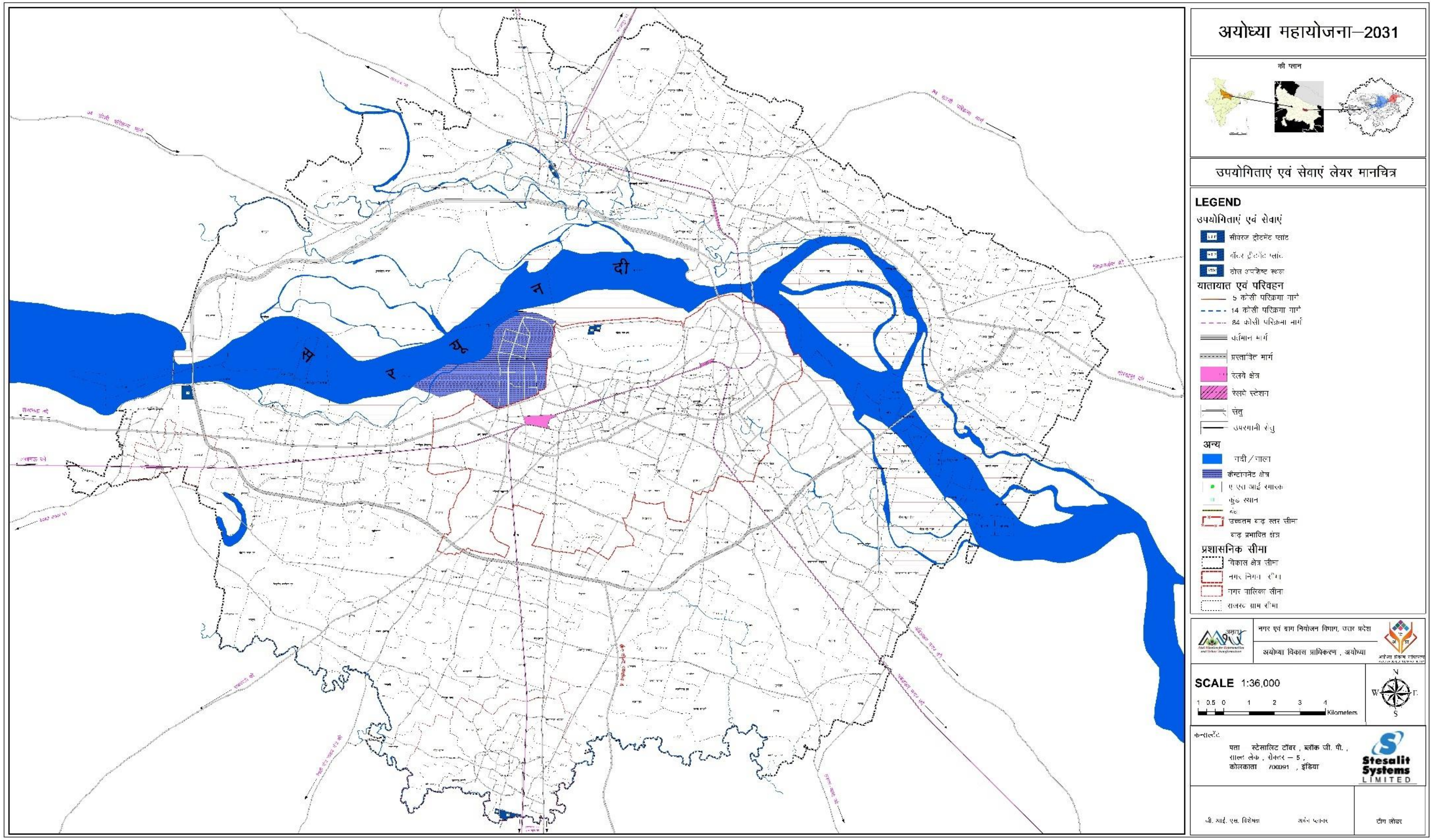

11.4.7 मनोरंजन

मनुष्य के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास के लिए पार्को, क्रीड़ा क्षेत्रों एवं मनोरंजन सुविधाओं की आवश्यकता होती है जो पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाता है। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या महायोजना–2031 में वर्तमान पार्क/खुले स्थल/हरित पट्टी को सम्मिलित करते हुए कुल 3009.70 हे0 भू–क्षेत्र का प्राविधान किया गया है जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 12.74 प्रतिशत है।

- **पार्क एवं खुले स्थल :–**

इस भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रत्येक जोन में नियोजन मानकों के अनुसार पार्क/खुले स्थल हेतु कुल 2170.30 हे0 का प्रस्ताव किया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 9.19 प्रतिशत है।

- **क्रीड़ास्थल :–**

इस भू–उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान क्रीड़ास्थलों को सम्मिलित करते हुए कुल 68.64 हे0 भू–क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 0.29 प्रतिशत है।

- **मेला स्थल एवं उपवन :–**

इस भू–उपयोग के कुल 2.08 हे0 भू–क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 0.01 प्रतिशत है।

- **हरित पट्टी :–**

अयोध्या महायोजना–2031 में प्रस्तावित बाईपास मार्गों/ रिंग रोड के दोनो तरफ हरित पट्टी का प्रस्ताव किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित सीवेरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं गार्वेज डम्पिंग स्थल तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त तालबों/पोखरों/जलाशयों के चतुर्दिक 9मी0 चौडी हरित पट्टी का भी प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही साथ बरसाती नालों के दानों तरफ परिभाषित सीमा से 9मी0 चौडी हरित पट्टी का भी प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रकार कुल 768.68 हे0 हरित पट्टी का प्रस्ताव किया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 3.25 प्रतिशत है।

11.4.8 राजमार्गीय सुविधा जोन

महायोजना नगरीकरण सीमा के बाहर स्थित ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्यावसायिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं तथा मार्गीय सुविधाओं की पुर्ति हेतु राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय राजमार्गों व प्रस्तावित बाईपास के दानों तरफ हरित पट्टी के पश्चात 300मी0 की गहराई तक राजमार्गीय सुविधा जोन (Highway Facilitiy Zone) भू–उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है। इस भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियाएं इस भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन में अनुमन्य क्रियाओं के अनुसार होंगी। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अयोध्या महायोजना–2031 में महायोजना सीमा के बाहर स्थित राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय राजमार्गों के दानों तरफ राजमार्गीय सुविधा जोन भू–उपयोग हेतु 1570.83 हे0 का प्रस्ताव किया गया है। अयोध्या महायोजना–2031 के अन्तर्गत प्रस्तावित भू–उपयोगों का विवरण तालिका संख्या 11.2 में दर्शित है:–

तालिका 11.2 प्रस्तावित भू–उपयोग अयोध्या महायोजना–2031

क्र.सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (हे0)	प्रतिशत
1	**आवासीय**	**10836.63**	**45.87**
1.1	निर्मित क्षेत्र	483.06	2.05
1.2	ग्रामीण आबादी	766.21	3.24
1.3	आवासीय	9587.36	40.58
2	**व्यावसायिक**	**1970.44**	**8.34**

क्र.सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (हे0)	प्रतिशत
2.1	नगर केन्द्र	192.54	0.82
2.2	उप नगर केन्द्र	588.99	2.49
2.3	थोक व्यापारिक केन्द्र / भण्डार	49.85	0.21
2.4	बाजार स्ट्रीट	1036.91	4.39
2.5	सामान्य व्यावसायिक	102.15	0.43
3	**मिश्रित भू उपयोग**	**1435.44**	**6.08**
4	**उद्योग**	**1302.95**	**5.52**
4.1	वृहद उद्योग	245.54	1.04
4.2	लघु उद्योग	1057.41	4.48
5	**कार्यालय**	**221.01**	**0.94**
5.1	कार्यालय	221.01	0.94
6	**सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं**	**1989.19**	**8.42**
6.1	**सुविधाएं**	**1868.47**	**7.91**
6.1.1	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ	1700.38	7.20
6.1.2	एतिहासिक स्थल	30.28	0.13
6.13	धार्मिक क्षेत्र	137.81	0.58
6.2	**उपयोगिताएं**	**120.72**	**0.51**
6.2.1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	5.89	0.02
6.2.2	विद्युत केन्द्र	56.62	0.24
6.2.3	सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट	49.89	0.21
6.2.4	वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट	8.32	0.04
7	**यातायात एवं परिवहन**	**2857.69**	**12.10**
7.1	मार्ग	2033.45	8.61
7.2	बस अड्डा	33.42	0.14
7.3	ट्रांसपोर्ट नगर	72.13	0.31
7.4	रेलवे क्षेत्र	265.53	1.12
7.5	पार्किंग	34.35	0.15
7.6	एयरपोर्ट	418.81	1.77
8	**मनोरंजन**	**3009.70**	**12.74**
8.1	पार्क एवं खुले स्थल	2170.30	9.19
8.2	क्रीड़ास्थल	68.64	0.29
8.3	हरित् पट्टी	768.68	3.25
8.4	मेला स्थल एवं उपवन	2.08	0.01
	योग	**23623.05**	**100**
9	**अन्य**	**53016.46**	
9.1	नदी / नाला / जलाशय	8456.40	–

(कृष्ण मोहन) 30/4/2026
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

क्र.सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (हे0)	प्रतिशत
9.2	कृषि	41589.15	–
9.3	राजमार्गीय सुविधा जोन	1570.83	–
9.4	ग्रामीण आबादी	1400.08	–
	कुल विकास क्षेत्र	**76639.51**	

11.5 इकोनॉमिक लेयर

किसी भी नगर का भौतिक विकास उस नगर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है तथा नगर का आर्थिक आधार उसकी विविध क्रियाओं की उत्पादन क्षमता एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र के स्वरूप आदि पर निर्भर करता है। नगर की आर्थिक क्रियाओं में किसी प्रकार की वृद्धि, कमी या संरचना में परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से नगर के विकास को प्रभावित करता है। अयोध्या विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में स्थित व्यापारिक क्षेत्रों से न केवल नगर की जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति होती है, वरन् इसके चतुर्दिक फैले विस्तृत क्षेत्रों की जनसंख्या की व्यवसायिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति में अयोध्या विस्तारित विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। नव विकसित क्षेत्रों में भी व्यावसायिक विकास तीव्र गति से हुआ है। परन्तु ये विकास अनियोजित ढंग से आवासीय क्षेत्रों में मार्गों के किनारे फैल रहा है। वर्तमान भू–उपयोग वर्ष 2023 में 185.55 हे0 क्षेत्र पर व्यावसायिक क्रिया–कलापों का फैलाव था जो कुल विकसित क्षेत्र का 4.28 प्रतिशत है।

नगरीय विकास को ठोस आर्थिक आधार प्रदान करने में उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगर में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन मिलता है। उद्योगों के विकास से नगर में व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक, यातायात एवं अन्य सेवाओं सम्बन्धी क्रियाओं में स्वतः आनुपातिक विकास होता है और नगर का आर्थिक आधार व्यापक एवं सुदृढ़ होता है। उद्योगों को बढ़ाने में तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण का विशेष योगदान होता है, जिसके परिणामस्वरूप आवासीय भवनों में स्थित गृह उद्योग धीरे–धीरे मध्यम एवं बड़े उद्योगों में परिवर्तित हो जाते है। नगरीय जीवन के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त आवश्यक सुविधाओं एवं सेवाओं का उपलब्ध होना आवश्यक है। साथ ही नगर में उक्त सुविधाओं एवं सेवाओं का समान वितरण होना अत्यंत आवश्यक होता है। सामाजिक आधारभूत संरचना का तात्पर्य उन सुविधाओं से होता है जो समूहगत आधार पर उपलब्ध होती हैं और नगर निवासियों के सामूहिक कल्याण, प्रगति एवं विकास के उद्देश्य से कार्यरत होती हैं। इन सुविधाओं एवं सेवाओं के अंतर्गत मुख्य यथा–शैक्षिक, चिकित्सा, सामुदायिक सुविधाऐं, डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन आदि सेवाएँ होती हैं जो सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण नगरीय जीवन के लिए आवश्यक ही नहीं वरन् अपरिहार्य हैं।

उक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत अयोध्या के विस्तारित विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास एवं आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से उपयुक्त स्थलों पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों हेतु महायोजना में भूमि आरक्षित की गयी है। अयोध्या महायोजना–2031 में आर्थिक गतिविधियों हेतु कुल 6698.02 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्ताव दिया गया है।

तालिका 11.3 इकनॉमिक लेयर भू–उपयोग

क्र.सं.	प्रस्ताव	क्षेत्रफल (हे0)
1	**व्यावसायिक**	**1970.44**
1.1	नगर केन्द्र	192.54
1.2	उप नगर केन्द्र	588.99
1.3	थोक व्यापारिक केन्द्र/भण्डार	49.85
1.4	बाजार स्ट्रीट	1036.91
1.5	सामान्य व्यावसायिक	102.15
2	**मिश्रित भू उपयोग**	**1435.44**
3	**उद्योग**	**1302.95**
3.1	वृहद उद्योग	245.54
3.2	लघु उद्योग	1057.41
4	**सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ**	**1989.19**
	इकोनॉमिक लेयर हेतु आरक्षित कुल भूमि	**6698.02**

इकोनॉमिक लेयर को मानचित्र संख्या 11.5 में दर्शाया गया है।

11.6 नियोजन खण्ड

अयोध्या महायोजना–2031 हेतु कुल अनुमानित जनसंख्या 23.94 लाख है। उपरोक्त जनसंख्या के आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक सुविधाएँ, पार्क/मनोरंजन, यातायात एवं उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ आदि की आवश्यकता को नियोजन–मापदण्ड के आधार पर आकलित कर, अयोध्या महायोजना–2031 को वर्तमान मार्गों के आधार पर जोन की सीमाएं निर्धारित करते हुए यथा सम्भव समान क्षेत्रफल के कुल 18 नियोजन खण्डों में विभाजित किया गया है जिसमें प्रस्तावित भू–उपयोगों के अंतर्गत कुल 23623.05 हे0 क्षेत्रफल का प्रस्ताव किया गया है।

11.7 जोनल प्लान तैयार किये जाने की वरीयता का निर्धारण

महायोजना में प्रस्तावित समस्त नगरीकरण क्षेत्र को 18 नियोजन खण्डों में विभाजित किया गया है। अयोध्या़ नगर में नगरीय विकास की दिशा तथा वर्तमान में नगरीय विकास हेतु भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत, महायोजना में प्रस्तावित नियोजन खण्डों के जोनल प्लान तैयार किये जाने की वरियता/प्राथमिकता का निर्धारण निम्नवत प्रस्तावित है:

प्रथम चरण – जोन संख्या 1,7,6,2,3,4,5
द्वितीय चरण – जोन संख्या 8,12,11,10,13,9
तृतीय चरण – जोन संख्या 14,15,16,17,18

निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित जोन का (रिडेवलपमेन्ट प्लान) पुर्नः विकास योजना स्थानीय निकाय के सहयोग से तैयार की जायेगी। मानचित्र संख्या 11.3 में अयोध्या महायोजना–2031 के जोन की बाऊंडरी को दर्शाया गया है।

मानचित्र 11.3 अयोध्या महायोजना–2031 का जोन मानचित्र

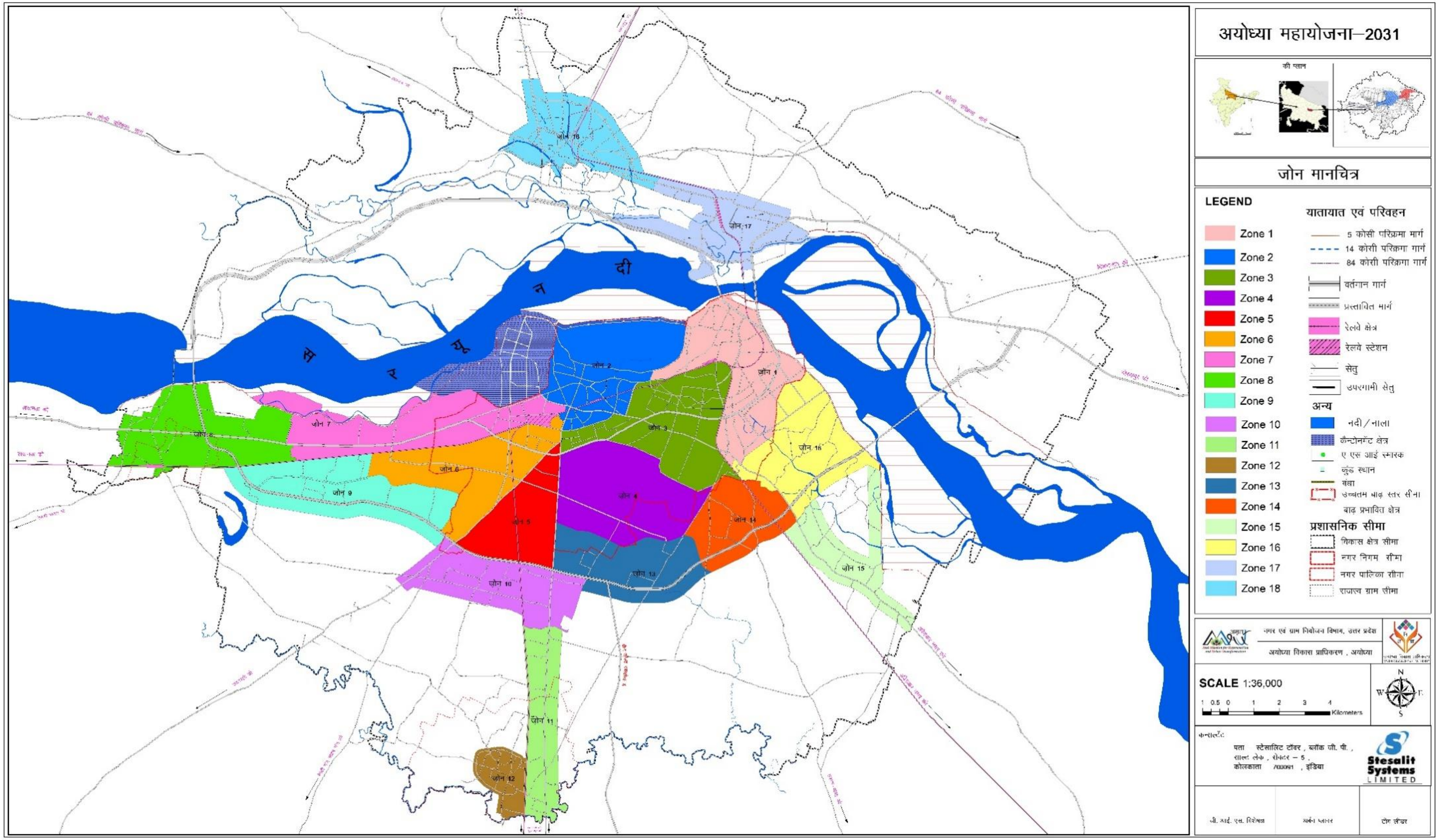

मानचित्र 11.4 अयोध्या महायोजना–2031 का प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र

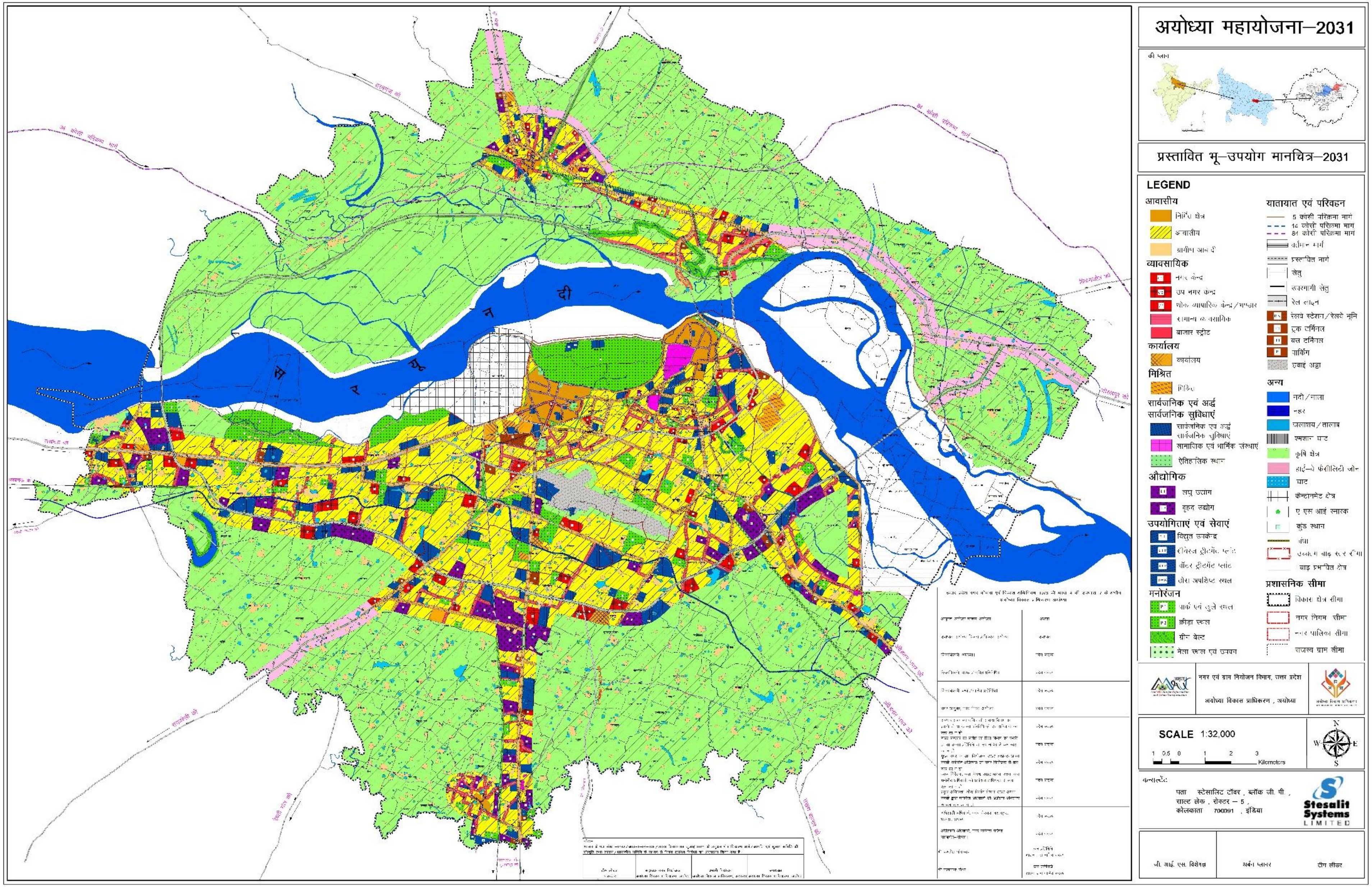

मानचित्र 11.5 अयोध्या महायोजना–2031 का इकोनॉमिक लेयर मानचित्र

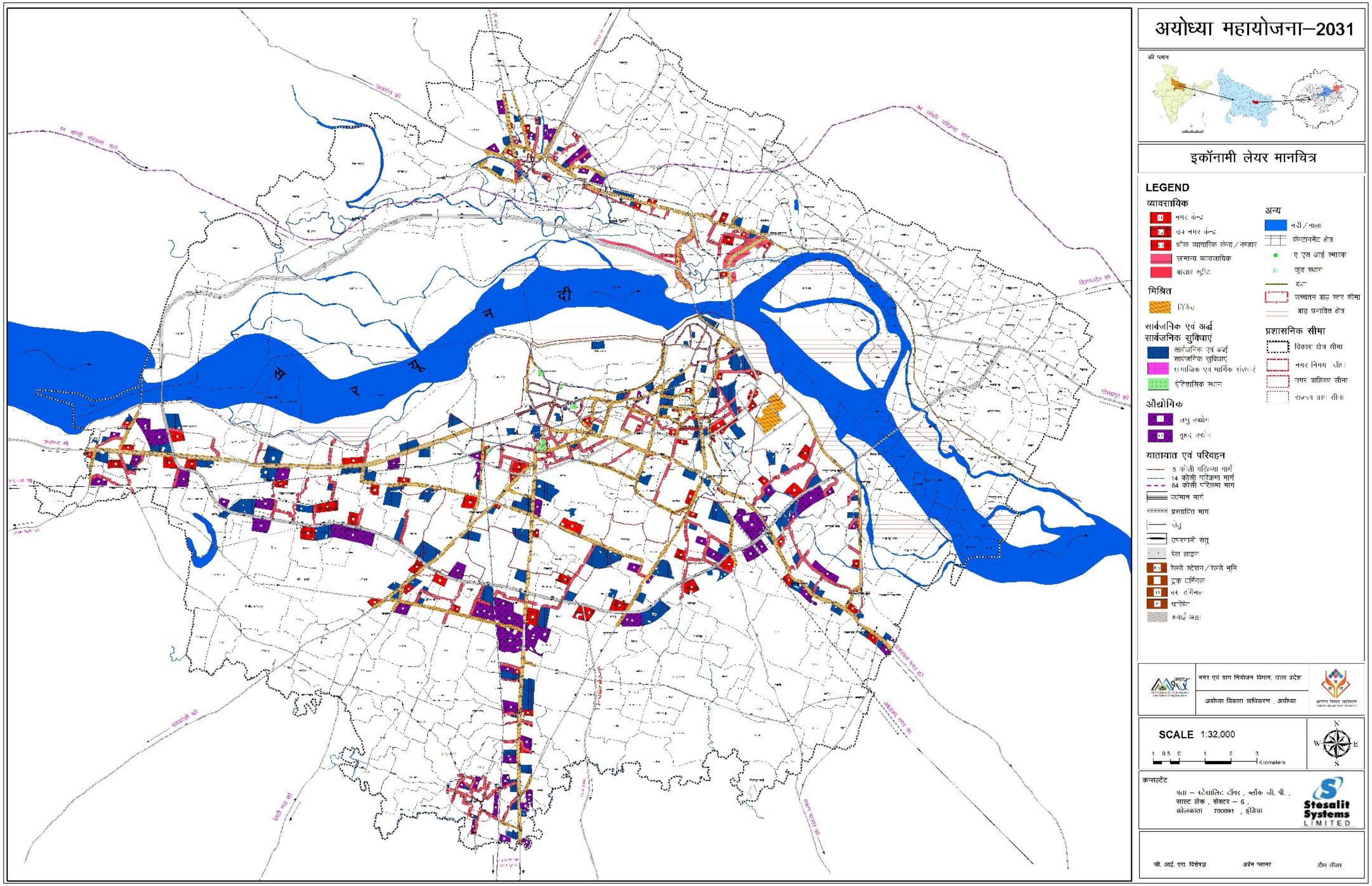

11.8 महायोजना प्रस्तावों के विकास/क्रियान्वयन हेतु वरीयता का निर्धारण

अयोध्या विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के सुनियोजित एवं संतुलित विकास हेतु महायोजना में वर्ष 2031 तक की प्रक्षेपित भावी जनसंख्या के लिए आवास, रोजगार तथा विभिन्न अवस्थापना सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु नियोजन मानकों के अनुसार विभिन्न भू–उपयोगों का आवश्यकतानुसार प्रस्ताव किया गया है।

महायोजना के प्रस्तावित भू–उपयोगों में सार्वजनिक उपयोग के भू–उपयोग यथा पार्क एवं खुले स्थल, तथा यातायात एवं परिवहन इत्यादि भू–उपयोगों के प्रस्तावों के विकास की वरियता/प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उनके समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी ताकि नगर में सुखद् पर्यावास, मौलिक अवस्थापना सुविधाओं, सुदृढ़ यातायात तथा स्वच्छ नगरीय वातावरण उपलब्ध कराने हेतु खुले स्थलों का विकास हो सके। उक्त के दृष्टिगत महायोजना के प्रस्तावों के विकास की वरियता/प्राथमिकता का निर्धारण निम्नानुसार किये जाने का प्रस्ताव है।

- **पार्क एवं खुले स्थलों का विकासः–**

महायोजना में प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करना होगा ताकि नगर में नागरिकों को खेल कूद एवं मनोरंजनात्मक वातावरण हेतु खुले स्थल उपलब्ध हो सके। महायोजना के अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र में स्थित पार्कों को नगर पालिका द्वारा विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थानीय निकायों को 12 से 14 प्रतिशत हरित क्षेत्र विकसित करने और उनके नियमित रख–रखाव करने तथा प्रतिवर्ष कम से कम एक बाल उद्यान विकसित करने के दिशा निर्देश दिये गयें हैं। **(परिशिष्ट–4)** स्थानीय निकाय द्वारा उक्त 12–14 प्रतिशत हरित क्षेत्र, महायोजना में प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग के अन्तर्गत किये जाने का प्रस्ताव है। नगर पालिका क्षेत्र के बाहर स्थित महायोजना में प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल हेतु आरक्षित क्षेत्र को सम्बन्धित अभिकरण द्वारा जोनल प्लान्स तैयार करने की वरियता के अनुसार चरणबद्ध रूप से विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।

- **यातायात मार्गों का विकासः–**

महायोजना में प्रस्तावित विभिन्न भू–उपयोगों की पारस्परिक सम्बद्धता नगरीय विकास का अभिन्न अंग है जिसे मार्गों के माध्यम से विकसित किया जाना होगा, ताकि एक सशक्त मार्ग व्यवस्था विकसित हो सके। अयोध्या महायोजना–2031 में प्रस्तावित मार्ग संरचना एवं यातायात प्रणाली को प्रस्तावानुरूप प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप से अवस्थापना विकास निधि से विकसित किए जाने की आवश्यकता है। उक्त के अतिरिक्त महायोजना में बाईपास मार्ग/ रिंग रोड का प्रस्ताव किया गया है जिसको सम्बन्धित अभिकरण द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0/उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने होगे।

- **सार्वजनिक सुविधाओं/उपयोगिताओं का विकास :**

नगर में सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं यथा अग्नि शमन केन्द्र, डाकघर, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के विकास के लिए प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित विभाग को भूमि उपलब्ध करायी जायेगी जिस पर विकास/निर्माण सम्बन्धित विभाग द्वारा कराया जाना होगा। इस प्रयोजन हेतु सम्बन्धित अभिकरण द्वारा आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण/निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में भूमि आरक्षित कर सम्बन्धित विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त नगर के नये क्षेत्रों में विकसित की जाने वाली योजनाओं में सीवर प्रणाली, ड्रेनेज प्रणाली, खुले पार्क एवं खुले स्थल तथा मार्ग संरचना इत्यादि को योजना में एकीकृत करते हुए विकसित की जायेंगी। नगर के निर्मित क्षेत्र में सीवर प्रणाली तथा ड्रेनेज प्रणाली का विकास स्थानीय निकाय द्वारा

विशेषज्ञों के माध्यम से विस्तृत योजना तैयार कराकर की जायेगी। महायोजना के प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र के जल–मल निस्तारण तथा ठोस कचरा निस्तारण हेतु आवश्यकतानुसार एस0डब्ल्यू0एम0 प्रणाली विकसित करने के लिए भूमि आरक्षित की गयी है जिसका नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में पी0पी0पी0 मोड पर विकास किये जाने का प्रस्ताव है।

- **आवासीय विकास :**

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सम्बन्धित अभिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवसीय योजनाओं में नगर में दुर्बल आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग हेतु आवसीय विकास महायोजना में प्रस्तावित आवसीय भू–उपयोग के अन्तर्गत किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2026 तक तथा उसके उपरान्त प्रत्येक पॉच वर्ष में महायोजना में प्रस्तावित आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत कम से कम एक–एक आवासीय योजना का सम्बन्धित अभिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा विकसित की जायेगी तथा सम्बन्धित अभिकरण द्वारा निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से भी उपरोक्तानुसार आवासीय योजनाएं विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

- **औद्योगिक विकास :**

महायोजना में नगर के औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के लिए औद्योगिक भू– उपयोग के अन्तर्गत लघु उद्योग तथा हल्के एवं मध्यम उद्योग स्थापित किये जाने हेतु भूमि आरक्षित की गयी है जिन पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सम्बन्धित अभिकरणों यथा जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने के लिए बल दिया जायेगा, ताकि नगर को सुदृढ़ आर्थिक आधार मिल सके।

अध्याय 12: जोनिंग रेगुलेशन्स

12.1 परिचय

12.1.1 जोनिंग के उद्देश्य

महायोजना में सामान्यतः प्रमुख भू–उपयोगों यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि, आदि को ही दर्शाया जाता है। प्रमुख भू–उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुषांगिक क्रियाएं (Activities) जिन्हें महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना सम्भव नही है, की अनुज्ञा जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई योजनाओं में भी विविध अनुषांगिक (Ancillary/Incidental) क्रियाओं/उपयोगों का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन–स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

12.1.2 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियां

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं हेतु निम्नलिखित अनुज्ञा श्रेणियां होंगी:

(i) अनुमन्य क्रियाएं: वे क्रियाएं जो संबंधित प्रमुख भू–उपयोग से संबद्ध हैं तथा सामान्यतः अनुमन्य हैं।

(ii) निषिद्ध क्रियाएं: वे क्रियाएं जिनकी संबंधित प्रमुख भू–उपयोग जोन में अनुज्ञा नहीं है।

12.1.3 समाघात शुल्क

(i) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित/विकसित योजनाओं के अंतर्गत अथवा विकास क्षेत्र में अन्यत्र, अन्य क्रियाओं की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे आवेदनों पर प्रस्तर 12.4 में निहित प्राविधानों के अधीन विचार किया जाएगा। निम्न भू–उपयोग जोन्स में उच्च उपयोग क्रियाओं की अनुज्ञा देने हेतु, आवेदक को प्रस्तर 12.5 के अनुसार ऐसी अनुज्ञा के समय "समाघात शुल्क" का भुगतान करना होगा।

(ii) समाघात शुल्क उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (समाघात शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2025 के प्राविधानों के अनुसार उद्ग्रहीत किया जाएगा।

(iii) निम्नलिखित परिस्थितियों में समाघात शुल्क देय नहीं होगा:

क) निर्मित क्षेत्र में सामान्यतः अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु,

ख) मिश्रित भू–उपयोग जोन्स में सरकारी एवं अर्ध–सरकारी एजेंसियों द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाओं/क्रियाओं हेतु,

ग) विभिन्न प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में अस्थायी (अधिकतम समय सीमा एक सप्ताह) रूप से अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं/उपयोगों हेतु,

घ) राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति, आदि के अंतर्गत शासनादेशों के अनुसार कतिपय भू–उपयोग जोन्स में जिन क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा दी गई है, उनके लिए समाघात शुल्क देय नहीं होगा।

ङ) पार्कों एवं खुले स्थानों, उद्यानों, हरित क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, संकटमय उद्योगों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी भू–उपयोगों में होटलों की अनुजा हेतु तथा आवासीय क्षेत्रों में 5 के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों की अनुज्ञा हेतु समाघात शुल्क देय नहीं होगा।

च) होटल अथवा व्यावसायिक उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग में होटल की अनुज्ञा हेतु समाघात शुल्क देय नहीं होगा।

(iv) महायोजना भू–उपयोग अथवा अनुमोदित लेआउट में परिभाषित भू–उपयोग के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं की अनुज्ञा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के उपरांत दी जाएगी।

(v) यदि उपरोक्त क्रम संख्या (iv) के अनुसार महायोजना के भू–उपयोग या अनुमोदित ले–आउट में परिभाषित भू–उपयोग के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं की अनुमति दी जाती है, तो निम्नलिखित एफ ए आर मानों में से निम्नतर अनुमन्य होगाः–

(क) मूल क्रिया/भू–उपयोग का एफ.ए.आर.

(ख) नवीन प्रस्तावित क्रिया/भू–उपयोग का एफ.ए.आर.

क्रय–योग्य एवं प्रीमियम क्रय–योग्य एफ.ए.आर. की गणना उपर्युक्त (क) व (ख) में से लागू किए गए निम्नतर एफ.ए.आर. की दर से की जाएगी।

12.2 भू–उपयोग क्रियाओं की परिभाषाएं

12.2.1	**आवासीय**	
1	**एकल इकाई**	स्वतंत्र आवासीय इकाइयों (भूखंडीय (प्लॉटेड) आवास) से युक्त परिसर ।
2	**बहु इकाईयां**	बहु–आवासीय इकाइयों से युक्त परिसर (भूखंडीय (प्लॉटेड) आवासों के प्रकरण में)।
3	**ग्रुप हाउसिंग**	दो अथवा अधिक तलोंध्मंजिलों के भवन परिसर, जिनमें प्रत्येक तलध्मंजिल पर स्वतंत्र आवासीय इकाइयां हों तथा जिसमें भूमि एवं सेवाएं, खुले स्थान तथा परिवहन साझा एवं सह–स्वामित्व के हों।
4	**संबंधित कार्मिक/ कर्मचारी/स्टाफ आवास**	ऐसे परिसर, जिनमें समान उपयोग हेतु आवासीय इकाइयां, प्रमुख उपयोग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु स्वतंत्र अथवा ग्रुप हाउसिंग के रूप में प्रदान की जाती हैं।
5	**चौकीदार/गार्ड आवास**	वह परिसर, जिसमें अनुषांगिक उप–उपयोग की सुरक्षा एवं रखरखाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।
6	**होमस्टे अथवा पेइंग गेस्ट**	पर्यटन केन्द्रित स्थानों। व्यापार केन्द्रित स्थानों पर स्थानीय नागरिकों (मेजबान) के आवासीय परिसर, जो ऐसे स्थानों पर आने वाले आगंतुकों को आतिथ्य एवं आवास के रूप में प्रदान किये जाते हैं अथवा साझा किये जाते हैं।

12.2.2 वाणिज्यिक		
1	**फुटकर (रीटेल) दुकानें**	ऐसे परिसर, जहां आवश्यक वस्तुएं सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय की जाती हैं। इसमें किराना स्टोर, सब्जी स्टोर सम्मिलित हैं।
2	**शोरूम**	वह परिसर, जहां वस्तुओं की बिक्री एवं भंडारण किया जाता है तथा उपभोक्ता हित में उन्हें प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाती है।
3	**थोक बाजार/व्यापार**	वह परिसर, जहां माल एवं वस्तुएं विक्रय की जाती हैं एवं थोक विक्रेताओं को वितरित की जाती हैं। परिसर में भंडारण एवं गोदाम तथा माल चढाने व उतारने की सुविधाएं भी सम्मिलित हैं।
4	**नीलामी बाजार**	वह स्थान, जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ केवल नीलामी के माध्यम से क्रय–विक्रय हेतु लाई जाती हैं। ऐसी जगह पर किसी भी प्रकार के भंडारण की अनुमति नहीं है तथा यह स्थान पूरी तरह से खुला होता है, जिसमें केवल एक ही ऑपरेटिंग रूम (संचालन कक्ष) हो सकता है।
5	**होटल**	ऐसे परिसर, जिनका उपयोग भोजन सहित अथवा बिना भोजन के भुगतान पर निवास हेतु किया जाता है।
6	**मोटेल**	वह परिसर, जो मुख्य सड़क के समीप स्थित हो तथा जहां यात्रियों की सुविधा हेतु आवास, भोजन–पेय तथा वाहनों की पार्किंग, आदि की व्यवस्था हो।
7	**रिजॉर्ट**	एक प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से निर्मित स्थान, जिसका उपयोग अल्प/अल्प अवधि के मनोरंजन हेतु किया जाता है। ऐसे परिसरों में रात्रि विश्राम के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं।
8	**कैंटीन**	वह परिसर, जिसका उपयोग किसी संगठन के कर्मचारियों/ग्राहकों को भोजन पकाने की सुविधा सहित भोजन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है। इसमें बैठने का स्थान हो सकता है।
9	**रेस्टोरेंट**	व्यावसायिक आधार पर भोजन परोसने हेतु प्रयुक्त परिसर, जिसमें भोजन पकाने की सुविधाएं भी सम्मिलित हैं। बैठने के स्थान कवर्ड अथवा खुले अथवा दोनों हो सकते हैं। इसमें कैफे भी सम्मिलित हैं।
10	**सिनेमा**	"सिनेमा" का तात्पर्य है वह संपूर्ण स्थान जिसे सिनेमा प्रदर्शनी के लिए लाइसेंस प्राप्त है, जिसमें डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन भी शामिल है, और इसमें वहां स्थित सभी सहायक उपकरण, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं, तथा इसमें सिंगल स्क्रीन, मिनिप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स भी सम्मिलित हैं।
11	**मिनीप्लेक्स**	"मिनीप्लेक्स" का तात्पर्य दो स्क्रीन सिनेमा से है, जिसे स्थायी भवन में सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन अथवा डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त है, जिसकी बैठने की क्षमता 250 (अथवा राज्य कर द्वारा यथानिर्धारित) से अधिक न हो।
12	**मल्टीप्लेक्स**	"मल्टीप्लेक्स" का तात्पर्य एक ही परिसर में व्यावसायिक, सांस्कृतिक तथा अन्य मनोरंजन संबंधी सुविधाओं के साथ दो अथवा दो से अधिक सिनेमा हॉल्स (अथवा राज्य कर द्वारा यथानिर्धारित) के समूह से है।

13	**पी.सी.ओ./सेलुलर मोबाइल सेवा**	वह परिसर, जहां से शुल्क का भुगतान करके स्थानीय, अंतरराज्यीय, देश–विदेश, आदि टेलीफोन अथवा सेलुलर बातचीत की व्यवस्था हो।
14	**पेट्रोल/डीजल/सी.एन. जी. फिलिंग स्टेशन**	उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हेतु परिसर, जिसमें ऑटोमोबाइल की सर्विसिंग भी सम्मिलित हो सकती है।
15	**आपातकालीन स्टॉक**	ऐसे परिसर, जहां आवश्यक वस्तुएं, जैसे– भोजन, जल एवं प्राथमिक चिकित्सा आपूर्तियां किसी संकट अथवा आपदा के दौरान उपयोग हेतु आसानी से सुलभ स्थान पर संग्रहित की जाती हैं।
16	**कबाड़खाना (जंक यार्ड)**	वह परिसर, जहां कवर्ड अथवा सेमी–कवर्ड अथवा खुला भंडारण किया जाता है, जिसमें अनुपयोगी सामान, वस्तुओं तथा सामग्रियों की बिक्री एवं खरीद सम्मिलित है।
17	**मोटर वाहन स्पेयर पार्ट्स की बिक्री हेतु दुकानें**	ये सामान्य आकार की दुकानें हैं, जो मोटर वाहों की मरम्मत हेतु पुर्जे (कार बॉडी एक्सेसरीज को छोड़कर) बेचती हैं।
18	**ऑटोमोबाइल बिक्री /खरीद, कार्यशाला, सहायक उपकरण केंद्र**	वह परिसर, जिसमें वाहनों की खरीद–बिक्री, वाहनों का शोरूम, ऑटोमोबाइल की सर्विसिंग एवं मरम्मत का कार्य किया जाता है।
19	**सर्विस अपार्टमेंट**	सर्विस अपार्टमेंट, पूर्णतः सुसज्जित एवं सभी प्रकार से परिपूर्ण अपार्टमेंट होंगे, जिनमें भोजन पकाने की सुविधा (रसोई) होगी तथा इनका उपयोग अल्पावधि प्रवास हेतु किया जाएगा।
12.2.3	**औद्योगिक**	
1	**खनन से संबंधित उद्योग**	वह परिसर, जिसमें पत्थरों एवं अन्य भूमिगत खनिजों की खुदाई तथा प्रसंस्करण किया जाता है।
2	**सॉफ्टवेयर/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क**	वह परिसर, जहां सूचना प्रौद्योगिकी में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, इस क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी के अन्य सॉफ्टवेयर, आदि का उपयोग किया जाता है।
3	**तेल डिपो**	वह परिसर जहां पेट्रोलियम उत्पादों का भंडारण किया जाता है तथा सभी संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हों।
4	**दुग्ध संग्रह केंद्र**	वह परिसर, जहां संबंधित क्षेत्र से डेयरी हेतु दुग्ध एकत्र किया जाता है।
5	**कुटीर उद्योग**	यह एक लघु पैमाने पर नॉन–हेजरड्स (अप्रवर्तक) उद्योग है, जिसे परिवार के सदस्य अपने स्वयं के उपकरणों एवं बिना किसी किराये के श्रम का उपयोग करके घर पर ही चलाते हैं।
6	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.)**	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.), वे उद्योग हैं. जिनमें भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी में ₹500 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं है। इस क्रिया में केवल गैर–खतरनाक औद्योगिक अधिष्ठान सम्मिलित किए जाएंगे, जो पर्यावरण पर कम प्रभाव डालने वाले उत्पाद बनाते हैं।
7	**उद्योग (एम.एस.एम.ई. को छोड़ कर)**	उद्योग (एम.एस.एम.ई. को छोड़ कर), वे उद्योग हैं, जिनमें भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी में ₹500 करोड़ से अधिक का निवेश है। इन औद्योगिक परिसरों में विशाल अवस्थापना, कच्चा माल, उच्च जनशक्ति आवश्यकताएं एवं बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में केवल गैर–खतरनाक

		औद्योगिक अधिष्ठान सम्मिलित किए जाएंगे, जो पर्यावरण पर कम प्रभाव डालने वाले उत्पाद बनाते हैं।
8	**संकटमय (खतरनाक) / प्रदूषणकारी उद्योग**	यह एक भवन अथवा स्थान, अथवा उसका कोई भाग है, जिसका उपयोग रेडियोधर्मी पदार्थों अथवा अत्यधिक ज्वलनशील अथवा विस्फोटक सामग्रियों अथवा उत्पादों के भंडारण, उठाई धराई (हैंडलिंग), निर्माण अथवा प्रसंस्करण हेतु किया जाता है, जो अत्यधिक ज्वलनशील एवं/अथवा विषैली गैसों/धुएं उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी होते हैं।
9	**वेयरहाउस एवं लॉजिस्टिक्स पार्क**	वह परिसर जो केवल संबंधित माल की आवश्यकता के अनुसार माल एवं वस्तुओं के भंडारण हेतु उपयोग किया जाता है। ऐसे परिसरों में जैसा भी प्रकरण हो सड़क परिवहन एवं रेल परिवहन द्वारा माल की लोडिंग तथा अनलोडिंग की सुविधाएं सम्मिलित हैं।
10	**आटा चक्की**	वह परिसर, जहां गेहूं, मसाले, सूखे खाद्य पदार्थ, आदि पीसे जाते हैं एवं दैनिक उपयोग हेतु तैयार किए जाते हैं।
11	**शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज)**	वह परिसर, जहां शीघ्र खराब होने वाले सामान को आवश्यक तापमान, आदि बनाए रखने हेतु यांत्रिक एवं विद्युत उपकरणों का उपयोग करके कवर्ड स्पेस में भंडारित किया जाता है।
12	**गैस गोदाम**	वह परिसर, जहां भोजन पकाने वाली गैस अथवा गैस सिलेंडर का भंडारण किया जाता है।
13	**स्टोर/गोदाम**	माल रखने हेतु परिसर, जिसका उपयोग सामान्यतः व्यवसायों द्वारा माल बिक्री किए जाने से पूर्व किया जाता है।
14	**सेवा उद्योग (सर्विस इंडस्ट्री)**	सेवा उद्योग भौतिक वस्तुओं के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं। वे या तो आपूर्ति श्रृंखला का भाग होते हैं, जो कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं या सीधे उपभोक्ताओं को सेवाएँ प्रदान करते हैं।
12.2.4	**कार्यालय**	
1	**सरकारी कार्यालय**	ऐसे परिसर, जो केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों हेतु उपयोग किये जाते हैं।
2	**स्थानीय निकाय कार्यालय**	ऐसे परिसर, जो स्थानीय निकायों के कार्यालयों हेतु उपयोग किये जाते हैं।
3	**अर्ध–सरकारी कार्यालय**	वह परिसर, जो किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अभिकरण, निकाय, परिषद, आदि के कार्यालयों हेतु उपयोग किया जाता है।
4	**निजी कार्यालय**	वह परिसर, जिसमें व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु किसी व्यक्ति अथवा छोटे समूह, जैसे– चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर, वास्तुकार, डिजाइनर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, टूर एवं ट्रैवल एजेंट, आदि द्वारा परामर्श सेवा प्रदान की जाती है।
5	**साइबर कैफे**	एक ऐसा स्थान, जहां नागरिक शुल्क देकर इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग करते हैं।
6	**बिजनेस पार्क**	नगर का वह क्षेत्र, जहां अनेक कार्यालय भवन स्थापित हैं, जिनका उपयोग केवल व्यावसायिक क्रियाओं हेतु किया जाता है।
7	**डाटा प्रोसेसिंग सेंटर**	ऐसा केंद्र, जहां कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना (डेटा) की प्रोसेसिंग, विश्लेषण, आदि किया जाता है, ऐसे केंद्रों में कंप्यूटर, सर्वर, इंटरनेट सर्वर स्थापित किए जाते हैं एवं उनका संचालन सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर इंजीनियर्स द्वारा किया जाता है।

8	**कॉल सेंटर**	एक केंद्र, जहां विभिन्न उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत सूचना, व्यापारिक क्रियाओं से संबंधित सूचना एवं मार्गदर्शन ई–कम्यूनिकेशन के माध्यम से दिया जाता है।
9	**बैंक**	वह परिसर, जिसमें बैंकों के कार्य एवं संचालन की व्यवस्था की जाती है।
10	**वाणिज्यिक / व्यावसायिक कार्यालय**	वह परिसर, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों हेतु उपयोग किये जाते हैं।
11	**श्रम कल्याण केंद्र**	वह परिसर, जहां कार्मिकों के कल्याण एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
12	**अनुसंधान एवं विकास केंद्र / अनुसंधान केंद्र**	वह परिसर, जहां सामान्य जनता एवं विशेष श्रेणियों हेतु अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं हों।
13	**मौसम अनुसंधान केंद्र**	वह परिसर, जहां मौसम एवं उससे संबंधित आंकड़ों के अध्ययन अनुसंधान एवं विकास हेतु सुविधाएं उपलब्ध हों।
14	**बायो–टेक पार्क**	एक औद्योगिक पार्क, जहां पूर्णरूपेण बायो प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास से संबंधित क्रियाएं संचालित की जाती हैं।
12.2.5 सामुदायिक सुविधाएं, उपयोग एवं सेवाएं		
1	**गेस्ट हाउस / निरीक्षण गृह / सर्किट हाउस**	वह परिसर, जहां सरकारी / अर्ध–सरकारी उपक्रमों, कंपनियों एवं अन्य व्यक्तियों के कर्मचारियों को अल्प अवधि के हेतु ठहराया जाता है।
2	**धर्मशाला / आश्रम**	ऐसा परिसर, जिसमें गैर–लाभकारी आधार पर अल्पकालिक अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाता है।
3	**बोर्डिंग / लॉजिंग हाउस**	ऐसे परिसर, जिनके कमरे आवासीय प्रयोजनों हेतु दीर्घकालिक किराये पर दिए जाते हो।
4	**छात्रावास / कामकाजी महिलाओं का छात्रावास**	ऐसा भवन, जिसमें छात्र अपनी शिक्षा अवधि के दौरान निश्चित शुल्क देकर रहते हैं। इसमें छात्रों के आवासीय कमरों के अतिरिक्त, छात्रों हेतु भोजन की सुविधा, कैंटीन, शौचालय, इनडोर खेल, वार्डन हाउस, आदि भी सम्मिलित हो सकते हैं।
5	**अनाथालय**	वह परिसर, जहां अनाथ बच्चों के रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
6	**रात्रि आश्रय**	ऐसा परिसर, जिसमें निःशुल्क अथवा नाममात्र के शुल्क पर रात्रि आवास उपलब्ध कराया जाता है।
7	**सुधारगृह**	वह परिसर, जहां अपराधियों को रखने एवं उनके सुधार हेतु सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
8	**दिव्यांग बच्चों हेतु गृह**	वह परिसर, जहां दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों के सुधार एवं चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसका प्रबंधन किसी एक व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा वाणिज्यिक अथवा गैर–वाणिज्यिक आधार पर किया जा सकता है।
9	**क्रेच एवं डे केयर सेंटर**	ऐसे परिसर, जहां दिन के समय शिशुओं हेतु नर्सरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। केंद्र का प्रबंधन किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा व्यावसायिक आधार पर किया जा सकता है।
10	**वरिष्ठ जन देखभाल केंद्र / वृद्धाश्रम**	ऐसे परिसर, जहां अल्प / दीर्घ अवधि हेतु. आमतौर पर वृद्ध व्यक्तियों के रहने हेतु वाणिज्यिक अथवा गैर–वाणिज्यिक व्यवस्था हो। वृद्ध व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, सामान्य स्वास्थ्य, भोजन, आदि की व्यवस्था

		भी हो सकती है, जिसे एक ही व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है।
11	**उच्चतर माध्यमिक/इंटर स्कूल**	वह परिसर, जहां कक्षा 10वीं/12वीं तक के विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक एवं खेलकूद सुविधाओं की व्यवस्था हो।
12	**महाविद्यालय (कॉलेज)**	ऐसा परिसर, जहां विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण, खेलकूद एवं अन्य संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
13	**पॉलिटेक्निक**	ऐसा परिसर, जहां तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर तक के पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सम्मिलित होंगे।
14	**मेडिकल/डेंटल कॉलेज**	वह परिसर, जहां मानव विज्ञान के अंतर्गत अध्यापन, दंत चिकित्सा, ऑपरेशन, आदि तथा रोगों के उपचार हेतु उपचार एवं अनुसंधान कार्य किया जाता है।
15	**उच्च तकनीकी संस्थान**	ऐसा परिसर, जहां तकनीकी क्षेत्रों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हों।
16	**कुटीर/उद्द्योग प्रशिक्षण**	वह परिसर, जहां घरेलू/लघु/सेवा उद्द्योगों जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, चित्रकारी, कम्प्यूटर, टूर एवं ट्रैवल्स, आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है।
17	**प्रबंधन संस्थान**	वह परिसर, जहां प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षण/प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
18	**सामान्य शिक्षा संस्थान**	वह परिसर, जहां गैर–तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है।
19	**कोचिंग संस्थान केंद्र**	वह परिसर जहाँ शिक्षण या मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, आमतौर पर बड़े समूहाँ (50 से अधिक छात्र) के लिए, जो शैक्षणिक अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य शिक्षण क्षेत्रों से संबंधित होता है।
20	**डाकघर (पोस्ट ऑफिस)**	वह परिसर, जहां जनता हेतु डाक प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो।
21	**डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय**	वह परिसर, जहां सार्वजनिक उपयोग हेतु डाक एवं दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध हों।
22	**टेलीफोन कार्यालय/केंद्र**	वह परिसर, जहां संबंधित क्षेत्र हेतु टेलीफोन प्रणाली के केंद्रीय संचालन हेतु सुविधाएं उपलब्ध है।
23	**रेडियो एवं टेलीविजन केंद्र**	वह परिसर, जहां संबंधित माध्यम से समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करने तथा प्रसारित करने की सुविधाएं उपलब्ध हों।
24	**कारागार**	ऐसे परिसर, जहां कानून के अंतर्गत अपराधियों को निरुद्ध करने, कारावास में रखने एवं सुधारने की सुविधाएं हों।
25	**पुलिस स्टेशन**	वह परिसर, जहां स्थानीय पुलिस कार्यालय हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
26	**नर्सिंग होम**	वह परिसर, जो 50 शैय्या तक की क्षमता के साथ आंतरिक रोगियों एवं बाह्य रोगियों हेतु चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है एवं जिसका प्रबंधन व्यावसायिक आधार पर किया जाता है।
27	**चिकित्सालय**	वह परिसर, जहां आंतरिक एवं बाह्य रोगियों के उपचार हेतु 50 से अधिक शैय्या वाली सामान्य अथवा विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

28	**क्लिनिक / पॉलीक्लिनिक / शैय्या–रहित चिकित्सा प्रतिष्ठान**	ऐसा परिसर, जहां चिकित्सक / चिकित्सकों के समूह द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
29	**स्वास्थ्य केंद्र / परिवार कल्याण केंद्र**	वह परिसर, जिसमें आंतरिक रोगियों एवं बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधाएं हों। स्वास्थ्य केंद्र का प्रबंधन किसी सार्वजनिक अथवा परमार्थ अथवा अन्य संगठन द्वारा अव्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केंद्र भी सम्मिलित हैं।
30	**डिस्पेंसरी**	वह परिसर, जहां चिकित्सा परामर्श सुविधाएं एवं दवाइयां उपलब्ध हों तथा जिसका प्रबंधन सार्वजनिक अथवा परमार्थ अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता हो।
31	**क्लिनिकल प्रयोगशाला / डायगनोस्टिक सेंटर**	वह परिसर, जहां रोग के लक्षणों का पता लगाने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण करने की सुविधाएं उपलब्ध हों।
32	**सभागार, सामुदायिक हॉल**	वह परिसर, जहां बैठकें, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं की व्यवस्था होती है।
33	**योग, ध्यान, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केंद्र / सत्संग भवन**	वह परिसर, जहां आत्म–साक्षात्कार, बुद्धि एवं शरीर के उच्च गुणों की प्राप्ति, आध्यात्मिक एवं धार्मिक तीर्थयात्रा, आदि से संबंधित सुविधाओं का प्राविधान हो।
34	**धार्मिक केंद्र**	वह परिसर, जिसका उपयोग पूजा एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों हेतु किया जाता है।
35	**सामाजिक–सांस्कृतिक संस्था / भवन**	ऐसे परिसर, जहां सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु सुविधाएं जनता अथवा किसी स्वैच्छिक व्यक्ति / संगठन द्वारा मुख्यतः अव्यावसायिक आधार पर प्रदाकी जाती है।
36	**सांस्कृतिक केंद्र**	वह परिसर, जहां किसी संस्था, राज्य एवं देश हेतु सांस्कृतिक सेवाओं की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
37	**बारातघर (मैरिज हॉल) / बैंक्वेट हॉल**	वह परिसर, जो विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोहों हेतु उपयोग किया जाता है।
38	**ऑडिटोरियम**	वह परिसर, जहां जैसे कि संगीत समारोह, नाटक, संगीत प्रस्तुतियाँ, समारोह, आदि विभिन्न प्रदर्शनों के आयोजन के लिए मंच एवं दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हती है।
39	**ओपन एयर थियेटर**	वह परिसर, जहां खुले क्षेत्र में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो तथा प्रदर्शन हेतु मंच, आदि की सुविधा हो।
40	**थिएटर**	वह परिसर, जहां दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो तथा प्रदर्शन के लिए सुविधाएं, आदि उपलब्ध हों।
41	**संग्रहालय**	वह परिसर जहां प्राचीन वस्तुएं, प्राकृतिक इतिहास, कला, आदि से संबंधित वस्तुओं के संग्रह एवं प्रदर्शन हेतु सुविधाएं उपलब्ध हों।
42	**आर्ट गैलरी / प्रदर्शनी केंद्र**	ऐसे परिसर, जहां चित्रकला, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, भित्ति चित्र, हस्तशिल्प अथवा किसी विशेष श्रेणी के उत्पादों की प्रदर्शनी एवं सजावट हेतु सुविधाएं प्रदान की जाती
43	**संगीत / नृत्य एवं नाटक कला प्रशिक्षण केंद्र**	वह परिसर, जहां संगीत, नृत्य एवं नाट्य कलाओं के प्रशिक्षण एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।
44	**पुस्तकालय**	ऐसा परिसर, जहां आम जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग हेतु पढ़ने एवं संदर्भ हेतु पुस्तकों के संग्रह की व्यवस्था हो।
45	**वाचनालय**	वह परिसर, जहां आम जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग हेतु समाचार–पत्र, पत्रिकाएं, आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।

46	**सूचना केन्द्र**	वह परिसर, जहां राज्य एवं देश की विभिन्न क्रियाओं की जानकारी प्रदान की जाती है।
47	**स्वास्थ्य क्लब /व्यायामशाला**	वह भवन, जिसमें प्राकृतिक रूप से अथवा यांत्रिक उपकरणों की सहायता से मानव शरीर को सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था हो।
48	**अग्निशमन केंद्र**	वह परिसर, जहां संबंधित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधाएं उपलब्ध हों।
49	**सामुदायिक कल्याण केंद्र**	ऐसा परिसर, जहां समुदाय के कल्याण एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा जो किसी सार्वजनिक अथवा परमार्थ अथवा अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता है।
50	**विद्युत शवदाहगृह**	वह परिसर, जहां विद्युत भस्मक द्वारा शवों को जलाने की सुविधा उपलब्ध हों।
51	**श्मशान**	वह परिसर, जहां शवों को जलाकर अंतिम धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने की सुविधा उपलब्ध हो।
52	**कब्रिस्तान/बरीयल ग्राउंड**	वह परिसर, जहां शवों को दफनाने की सुविधा उपलब्ध हो।
53	**मेला स्थल/मेला**	एक परिसर, जहां प्रतिभागियों के समूह हेतु प्रदर्शनी एवं सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक धार्मिक क्रियाओं हेतु सुविधाएं उपलब्ध हों।
54	**माइक्रोवेव एवं वायरलेस केंद्र**	संचार के प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त परिसर, जिसमें टावर भी सम्मिलित हैं।
55	**डंपिंग ग्राउंड**	वह परिसर, जहां नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कचरा (ठोस अपशिष्ट) एकत्र किया जाता है एवं अंतिम उपचार तक संग्रहीत किया जाता है।
56	**सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट**	वह परिसर, जहां ठोस एवं तरल अपशिष्ट को तकनीकी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हानिरहित बनाया जाता है।
57	**सार्वजनिक जनोपयोगी सुविधाओं एवं सेवाओं से संबंधित भवन/प्रतिष्ठान**	वह परिसर, जहां सार्वजनिक उपयोग हेतु जल भंडारण एवं आपूर्ति हेतु ओवरहेड/भूमिगत टैंक, पंप–हाउस, आदि, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स, सेप्टिक टैंक, सीवरेज पंपिंग स्टेशन, आदि की व्यवस्था हो। इसमें सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय एवं कड़ेदान भी सम्मिलित हैं।
58	**कम्पोस्ट प्लाट**	वह परिसर, जहां नगर के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट एवं अपशिष्ट पदार्थों को यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से उपचार के उपरांत उर्वरक में परिवर्तित किया जाता है।
59	**विद्युत उपकेंद्र**	वह परिसर, जहां विद्युत वितरण हेतु विद्युत संस्थापन, आदि स्थापित किए गए हो।
60	**जलकल (वॉटर वर्क्स)**	वह परिसर, जिसमें जलापूर्ति की व्यवस्था हो जैसे नलकूप, ओवरहेड/भूमिगत जलाशय, संबंधित कर्मचारियों हेतु आवास, संबंधित उपकरणों का रख–रखाव, आदि
61	**कचरा संग्रहण केंद्र**	वह स्थान, जहां घरेलू कचरा अल्प अवधि हेतु एकत्र किया जाता है।
62	**केंद्र सामुदायिक मार्गदर्शन**	वह केंद्र. जहां यात्रियों की सुविधा हेतु मार्ग (सड़क की स्थिति एवं दिशा) से संबंधित जानकारी एवं अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में सूचना उपलब्ध कराई जाती है।
63	**सामुदायिक सेवा केंद्र**	वह केंद्र, जहां आम लोग अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध कर सकते हैं एवं विभिन्न सरकारी एजेंसियों

		द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ लेने हेतु कार्यवाही कर सकते हैं।
64	**एटीएम कक्ष**	वह स्थान/कक्ष, जहां बैंकों द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु एटीएम स्थापित किये जाते हैं।
65	**सार्वजनिक/सामुदायिक प्रसाधन/शौचालय**	ऐसा शौचालय, जो आम जनता के उपयोग हेतु सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।
12.2.6	**यातायात एवं परिवहन**	
1	**पार्किंग स्थल**	वह परिसर जो वाहनों की पार्किंग हेतु उपयोग किया जाता है।
2	**बस स्टॉप**	वह परिसर, जिसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन एजेंसी अथवा किसी संस्था द्वारा सार्वजनिक सुविधा एवं सेवा की अल्प अवधि हेतु बसों को पार्क करने में किया जाता है।
3	**टैक्सी/टेम्पो रिक्शा स्टैंड**	ऐसे परिसर, जो व्यावसायिक/निजी आधार पर चलने वाले मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन वाहनों की पार्किंग हेतु उपयोग किए जाते हैं।
4	**मोटर ड्राइविंग स्कूल**	वह परिसर, जहां मोटर वाहन चलाने के प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
5	**ट्रांसपोर्ट नगर**	ऐसे परिसर, जिनका उपयोग ट्रकों की अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक पार्किंग हेतु किया जाता है। इसमें ट्रक एजेंसियों के कार्यालय, वाहन मरम्मत एवं सर्विसिंग, ढाबे, स्पेयर पार्ट की दुकानें एवं गोदाम, आदि भी सम्मिलित हो सकते हैं।
6	**तौल कांटा/धर्मकांटा**	वह परिसर, जहां भरे हुए अथवा खाली ट्रकों का भार लिया जाता है।
7	**बस डिपो**	वह परिसर, जो सार्वजनिक परिवहन एजेंसी अथवा किसी अन्य समान एजेंसी द्वारा बसों की पार्किंग, रखरखाव एवं मरम्मत हेतु उपयोग किया जाता है। इसमें वर्कशॉप भी सम्मिलित हो सकती है।
8	**बस टर्मिनल**	वह स्थान, जहां से सार्वजनिक सेवा बसें अपने पूर्व निर्धारित मार्ग हेतु आरम्भ एवं समाप्त होती हैं। यहाँ यात्रियों को बस में चढ़ने एवं उतरने की सुविधा होती है। यह स्थान बस प्लेटफॉर्म से लेकर यात्रियों के विश्राम करने का स्थान, बस सेवा कार्यालय, टिकट काउंटर, भोजन सेवा, सार्वजनिक शौचालय, आदि से सुसज्जित केंद्र हो सकता है।
9	**मोटर गैराज, सर्विस गैराज/वर्कशॉप**	ऐसे स्थान, जहां मोटर वाहनों की सर्विसिंग, मरम्मत, डेंटिंग, पेंटिंग, आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसे स्थानों पर उपर्युक्त कार्यों हेतु वाहनों को परिसर में पार्क किया जाता है।
10	**हैलीपैड**	वह स्थान जहां यात्री हेलीकॉप्टरों द्वारा लैंडिंग एवं टेक–ऑफ किया जाता है। इस स्थान के समीप से उचित दूरी पर केवल एक नियंत्रण/निरीक्षण कक्ष बनाया जा सकता है।
12.2.7	**पार्क, खेल के मैदान खुले स्थान, मनोरंजनात्मक**	
1	**पार्क**	ऐसे परिसर, जिनमें मनोरंजन गतिविधियों हेतु उपयुक्त व्यवस्थाएं हों, जैसे– लॉन, खुले स्थान, हरियाली, आदि। इसमें लैंडस्केपिंग, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, बाड़ लगाने, आदि की सुविधा हो सकती है।

2	**क्लब**	सभी संबद्ध सुविधाओं सहित परिसर, जिसका उपयोग लोगों के समूह द्वारा सामाजिक एवं मनोरंजक उद्देश्यों हेतु किया जाता है।
3	**क्रीड़ा–स्थल / खेल का मैदान**	आउटडोर खेलों हेतु उपयोग किया जाने वाला वह परिसर जिसमें पार्किंग सुविधाएं, सार्वजनिक शौचालय, आदि का प्राविधान है। ऐसे परिसर, जहां मनोरंजन के प्रयोजनों हेतु पार्क अथवा मैदान हों तथा इससे संबंधित अन्य सुविधाएं हों।
4	**एम्यूजमेंट पार्क**	ऐसे परिसर, जहां मनोरंजन के प्रयोजनों हेतु पार्क अथवा मैदान हों तथा इससे संबंधित अन्य सुविधाएं हों।
5	**स्टेडियम**	वह परिसर, जिसमें खिलाडियों हेतु संबंधित सुविधाओं के साथ–साथ दर्शकों के बैठने हेतु पवेलियन, भवन एवं स्टेडियम का प्राविधान हो।
6	**ट्रैफिक पार्क**	वह परिसर, जहां बच्चों को यातायात एवं सिग्नलिंग के संबंध में जानकारी एवं शिक्षा प्रदान करने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
7	**स्विमिंग पूल**	वह परिसर, जिसमें तैराकी, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था तथा सहायक सुविधाओं, जैसे कि ड्रेसिंग रूम, शौचालय, आदि जैसी का प्राविधान हो।
8	**पिकनिक स्थल / कैम्पिंग स्थल**	किसी पर्यटक / मनोरंजक केंद्र के भीतर स्थित परिसर, जिसका उपयोग मनोरंजन अथवा अवकाश के प्रयोजनों से अल्पकाल हेतु किया जाता हो।
9	**फ्लाइंग क्लब**	वह परिसर, जिसका उपयोग ग्लाइडरों एवं अन्य छोटे विमानों से प्रशिक्षण तथा मनोरंजक सवारी हेतु किया जाता हो।
10	**शूटिंग रेंज**	वह परिसर, जो विभिन्न प्रकार की पिस्तौलों / बंदूकों की शूटिंग, निशाना लगाने, आदि के प्रशिक्षण / अभ्यास हेतु उपयोग किया जाता हो।
11	**कारवां पार्क**	वह स्थान, जहां समूह में यात्रा करने वाले लोग कैम्पिंग के रूप में अल्प अवधि हेतु विश्राम करते हैं। पैदल यात्रियों का समूह होने के अतिरिक्त ये विभिन्न प्रकार के वाहनों का समूह भी हो सकता है। सार्वजनिक शौचालयों के अतिरिक्त, पर्यटक टेंट, खाने–पीने का स्थान, आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं कैम्पिंग स्थल में पूरी तरह से अस्थायी होती हैं।
12	**स्मारक**	आगंतुकों हेतु सभी सुविधाओं से युक्त वह परिसर, जहां अतीत से संबंधित संरचनाएं अथवा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की स्मृति में निर्मित मकबरा, समाधि अथवा स्मारक हो।
13	**चिड़ियाघर / संग्रहालय**	वह परिसर, जिसका उपयोग उद्यान / पार्क मछलीघर के रूप में किया जाता है, जिसमें प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु पशुओं, जीव–जंतुओं एवं पक्षियों का संग्रह तथा सभी संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हो।
12.2.8 कृषि		
1	**नर्सरी**	वह परिसर, जहां छोटे पौधों को उगाने एवं बेचने की सुविधा प्रदान की जाती हो।
2	**डेयरी फार्म**	वह परिसर, जहां डेयरी उत्पाद बनाने एवं तैयार करने की सुविधाएं हैं। इसमें पशुओं हेतु शेड की अस्थायी संरचना हो सकती हो।

3	**कुक्कुट पालन फार्म**	वह परिसर, जहां अण्डे, मांस, आदि तथा मुर्गी, बत्तख, आदि पक्षियों के उत्पादों के व्यापार की सुविधा उपलब्ध हो। इसमें पक्षियों हेतु शेड भी हो सकते हैं।
4	**फार्महाउस**	ऐसा परिसर, जहां फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर एक आवासीय भवन हो।
5	**उद्यान**	वह परिसर, जिसका उपयोग फूल–पौधे लगाने हेतु किया जाता हो।
6	**वन**	वह क्षेत्र, जिसमें प्राकृतिक अथवा मानव द्वारा लगाए गए पेड़–पौधे हों। इसमें नगर वन भी सम्मिलित हैं।
7	**कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग केंद्र**	वह परिसर, जहां कृषि में प्रयुक्त यांत्रिक/विद्युत उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, हार्वेस्टर, आदि की सर्विसिंग की जाती है।
8	**धोबी घाट**	वह परिसर, जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने एवं सुखाने हेतु किया जाता हो।
9	**मवेशी कॉलोनी**	वह परिसर जहां मवेशियों का पालन–पोषण, दुग्ध संग्रहण एवं उपचार, आदि किया जाता है। ऐसे स्थान पर पशु उपचार केंद्र, कर्मचारियों के आवास एवं अन्य सहायक क्रियाएं जैसे दैनिक उपयोग की दुकानें, सामुदायिक केंद्र, आदि का निर्माण भी किया जा सकता है।
10	**पशु वधशाला**	वह स्थान, जहां पशुओं को केवल मांसाहारी भोजन के रूप में उपयोग हेतु वध किया जाता हो तथा संबंधित प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, आदि पर कार्य भी किया जाता हो।

12.3 प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 के अन्तर्गत प्रमुख भू–उपयेाग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु कोड संख्या अंकित की गई है। विभिन्न भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसार निर्धारित अनिवार्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार हैं:–

तालिका 12.1 अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

कोड सं0	अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध	टिप्पणी
1	7 मीटर चौड़ी सड़कों पर अनुमति है	
2	18 मीटर चौड़ी सड़कों पर अनुमति है	
3	24 मीटर चौड़ी सड़कों पर अनुमति है	
4	कुल अनुमन्य एफ.ए.आर का 5% तक	
5	कुल अनुमन्य एफ.ए.आर का 10% तक	लघु उद्योगों हेतु बोर्ड द्वारा छूट दी जा सकती है
6	कुल अनुमन्य एफ.ए.आर का 25% तक	
7	कुल अनुमन्य एफ.ए.आर का 30% तक	

कोड सं0	अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध	टिप्पणी
8	ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर	
9	केवल महायोजना में अधिसूचित बाजार स्ट्रीट में	
*	ग्रामीण आबादी से न्यूनतम 300 मीटर	

12.4 प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की (Activities) अनुमन्यता

तालिका 12.2 प्रमुख भू–उपयोग जोन्स एवं संकेतन

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities) की अनुमन्यता										
संकेताक्षर										
क्रमांक	भू–उपयोग	नोटेशन	क्रमांक	भू–उपयोग	नोटेशन	क्रमांक	भू–उपयोग	नोटेशन	अनुमन्यता	संकेत
1	निर्मित	बी.यू.	6	लघु उद्योग	एस.आई.	11	पार्क एवं खुले/स्थल क्रीडा स्थल / मेला स्थल एवं उपवन	आर.सी.	अनुमन्य उपयोग	
2	आवासीय	आर.	7	वृहद उद्योग	एल.आई.	12	हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट)	जी.बी.	सशर्त अनुमन्य उपयोग	0
3	मिश्रित उपयोग	एम.यू.	8	कार्यालय	ओ.यू.	13	ग्रामीण आबादी	जी.ए.	निषिद्ध उपयोग	
4	नगर केंद्र/उपनगर केंद्र/बाजार स्ट्रीट /सामान्य व्यावसायिक	सी–1	9	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं /सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं/उपयोगिताऐं एवं सेवाएं	पी.एस.पी.	14	कृषि	ए.		
5	थोक व्यापारिक केंद्र/भण्डार	सी–2	10	ट्रक टर्मिनल/बस टर्मिनल/पार्किंग	टी.टी.	15	हाई–वे फैसेलिटी जोन	एच.एफ.		

	ज़ोनिंग रेगुलेशन्स – क्रियाएं	आर.डब्लू (एम)	बी. यू.	आर	एम्. यू	सी-1	सी-2	एस. आई	एल. आई	ओ. यू	पी. एस. पी	टी. टी	एफ	आर .सी	जी. बी	जी. ए	ए	एच. एफ
1	**आवासीय**																	
1.1(क)	एकल आवास / बहु-आवास (निर्मित क्षेत्र), होमस्टे, पेइंग गेस्ट	4				9												
1.1(ख)	एकल आवास / बहु-इकाई आवास (अनिर्मित क्षेत्र), होमस्टे, पेइंग गेस्ट	9			7	9		5	5	5								
1.2(क)	*ग्रुप हाउसिंग (निर्मित क्षेत्र)*	9																
1.2(ख)	*ग्रुप हाउसिंग (अनिर्मित क्षेत्र)*	12			8	8	8	5	5	5								
1.3	संबंधित कार्मिक/कर्मचारी/स्टाफ आवास, चौकीदार/गार्ड आवास	#				4	4	7	7	7	4	4	4	4	4		4	5
2	**व्यावसायिक**																	
2.1	**दुकानें / कंविनिएन्ट शॉपिंग / व्यावसायिक इकाइयां पी.ए.< 100 वर्गमीटर:** फुटकर (रीटेल) दुकानें, दैनिक उपयोग की दुकानें, पीसीओ/सेलुलर मोबाइल सेवा, शोरूम (मोटर वाहन के अतिरिक्त), रेस्तरां एवं कैंटीन	9																
2.2	**दुकानें / कंविनिएन्ट शॉपिंग / व्यावसायिक परिसर /वाणिज्यिक इकाइयाँ पी.ए.>100 वर्गमीटर:** मोटर वाहन शोरूम (ऑटोमोबाइल बिक्री/खरीद, कार्यशाला, सहायक उपकरण केंद्र), मोटर वाहन स्पेयर पार्ट्स, कोयला एवं लकड़ी के स्टॉक के बिक्रय हेतु दुकानें	12	3	3												3		

	ज़ोनिंग रेगुलेशन्स – क्रियाएं	आर.डब्लू (एम)	बी. यू.	आर	एम. यू	सी-1	सी-2	एस. आई	एल. आई	ओ. यू	पी. एस. पी	टी. टी	एफ	आर .सी	जी. बी	जी. ए	ए	एच. एफ
2.3	शॉपिंग सेंटर, सिनेमा/मिनीप्लेक्स	12																
2.4	शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स	18	2															
2.5	**20 कमरों तक के होटल:** बजट होटल, हेरिटेज होटल, स्थायी टेंट आवास	9																
2.6	**20 कमरों से अधिक वाले होटल:** होटल, रिसॉर्ट, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट, इको टूरिज्म रिसॉर्ट्स	12																
2.7	थोक बाजार / व्यापार / थोक व्यापार, नीलामी बाजार, कृषि उपज हेतु थोक केंद्र	12			3													
2.8(क)	**पेट्रोल पंप / फिलिंग स्टेशन:** *स्टेशन (पेट्रोल / डीजल / सीएनजी / बायो-डीजल / बायोगैस / ईवी चार्जिंग स्टेशन), किसान सेवा केंद्र, सड़क के किनारे की सुविधाएं / ढाबा (निर्मित क्षेत्र)*	12																
2.8(ख)	**पेट्रोल पंप / फिलिंग स्टेशन:** *स्टेशन (पेट्रोल / डीजल / सीएनजी / बायो-डीजल / बायोगैस / ईवी चार्जिंग स्टेशन), किसान सेवा केंद्र, सड़क के निकट की सुविधाएं / ढाबा (अनिर्मित क्षेत्र)*	18																
2.9	गैस गोदाम/ दहन, आपातकालीन स्टॉक, कबाड़घर	18															2*	2*
2.10	कोल्ड स्टोरेज, स्टोर / गोदाम	18															2	2
3	**औद्योगिक**																	

	ज़ोनिंग रेगुलेशन्स – क्रियाएं	आर.डब्लू (एम)	बी. यू.	आर	एम्. यू	सी-1	सी-2	एस. आई	एल. आई	ओ. यू	पी. एस. पी	टी. टी	एफ	आर .सी	जी. बी	जी. ए	ए	एच. एफ
3.1	उद्योग (एम.एस.एम.ई.), संकटमय/प्रदूषणकारी उद्यमों को छोड़कर सेवा/कुटीर उद्योग, बायो-डीज़ल प्लांट, आटा चक्की, दुग्ध संग्रहण केंद्र	# #															1	
3.2	कार्मिक/कर्मचारी आवास/शयनगृह (डोरमेट्री)	# #			7	7	7	7	7	7	7							
3.3	वेयरहाउस / लॉजिस्टिक पार्क	18															2	2
3.4	डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, सॉफ्टवेयर / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क; सेवा उद्योग (सर्विस इंडस्ट्री)	# #																
3.5	उद्योग (एम.एस.एम.ई. को छोड़ कर), यथा- चीनी मिल, चावल रखने के तलकक्ष, पाश्चराइजिंग संयंत्र, मांस प्रसंस्करण संयंत्र, खनन से संबंधित उद्योग, ईंट / चूना भट्ठी, कोल्हू, तेल डिपो, एलपीजी रिफिलिंग संयंत्र, कंप्रेस्ड बायो-डीजल सयंत्र, पाश्चराइजिंग संयंत्र, बिजली उत्पादन संयंत्र, (संकटमय / खतरनाक / प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़ कर)	# #															1	
3.6	संकटमय / खतरनाक / प्रदूषणकारी उद्योग																	
4	**कार्यालय उपयोग**																	
4.1	सरकारी/स्थानीय निकाय/अर्ध-सरकारी कार्यालय, निगम कार्यालय, वाणिज्यिक/व्यावसायिक कार्यालय, बिजनेस पार्क, बायोटेक पार्क, अनुसंधान एवं विकास	12		3														

	ज़ोनिंग रेगुलेशन्स – क्रियाएं	आर.डब्लू (एम)	बी. यू.	आर	एम. यू.	सी-1	सी-2	एस. आई	एल. आई	ओ. यू.	पी. एस. पी	टी. टी	एफ	आर .सी	जी. बी	जी. ए	ए	एच. एफ
	केंद्र/अनुसंधान केंद्र, श्रम कल्याण केंद्र, पीएसी/पुलिस लाइन, मौसम अनुसंधान केंद्र																	
4.2	निजी/एजेंट कार्यालय, बैंक, साइबर कैफे, कॉल सेंटर, बीपीओ	12		6														
5	**सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं**																	
5.1	**शिक्षा:** प्राथमिक शैक्षणिक संस्थान, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, चित्रकारी, कंप्यूटर प्रशिक्षण, आदि, पुस्तकालय, वाचनालय, क्रेच एवं डे केयर सेंटर तथा अन्य कौशल विकास केंद्र	9																
5.2	**शिक्षा:** उच्चतर माध्यमिक / इंटर स्कूल, संगीत / नृत्य तथा नाटक कला प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्थान/केंद्र, इनडोर खेल प्रशिक्षण केंद्र, कला गैलरी / प्रदर्शनी केंद्र, योग, ध्यान, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केंद्र / सत्संग भवन, धार्मिक केंद्र, सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थान / भवन, सांस्कृतिक केंद्र	12															2	2
5.3	**शिक्षा:** कॉलेज / डिग्री कॉलेज	18																
5.4	**शिक्षा:** पॉलिटेक्निक / इंजीनियरिंग, उच्च तकनीकी / प्रबंधन संस्थान, सामान्य / विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान, नर्सिंग संस्थान, कॉटेज / उद्योग प्रशिक्षण	18	3	3														
5.5	**शिक्षा:** विश्वविद्यालय	24																

	ज़ोनिंग रेगुलेशन्स – क्रियाएं	आर.डब्लू (एम)	बी. यू.	आर	एम. यू	सी-1	सी-2	एस. आई	एल. आई	ओ. यू	पी. एस. पी	टी. टी	एफ	आर .सी	जी. बी	जी. ए	ए	एच. एफ
5.6	**स्वास्थ्य सेवा:** शैय्या-रहित चिकित्सा प्रतिष्ठान, डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य क्लब / व्यायामशाला, पशु-चिकित्सा क्लीनिक / पॉलीक्लिनिक्स, दंत चिकित्सा क्लिनिक, नैदानिक प्रयोगशाला, मेडिकल स्टोर / फार्मेसी, वरिष्ठ देखभाल केंद्र / वृद्धाश्रम, दिव्यांग बच्चों का घर	9																
5.7	**स्वास्थ्य सेवा:** नर्सिंग होम, प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, छोटे अस्पताल (50 शैय्या), रात्रि आश्रय, अनाथालय, सुधार गृह, स्वास्थ्य केंद्र / परिवार कल्याण केंद्र	12																
5.8	**स्वास्थ्य सेवा**: चिकित्सालय(> 50 शैय्या), ट्रॉमा सेंटर, नर्सिंग संस्थान	18																
5.9	**स्वास्थ्य सेवा:** मेडिकल कॉलेज/डेंटल कॉलेज	24																
5.10	मैरिज हॉल / बैंक्वेट हॉल, मीटिंग हॉल / सामुदायिक हॉल, सार्वजनिक सुविधा केंद्र, सामुदायिक कल्याण केंद्र, सामुदायिक मार्गदर्शन केंद्र, सार्वजनिक सुविधा केंद्र, सूचना केंद्र	18/24																
5.11	ऑडिटोरियम, थिएटर, ओपन एयर थिएटर, कन्वेंशन सेंटर, संग्रहालय	18/24																

	ज़ोनिंग रेगुलेशन्स – क्रियाएं	आर.डब्लू (एम)	बी. यू.	आर	एम. यू	सी-1	सी-2	एस. आई	एल. आई	ओ. यू	पी. एस. पी	टी. टी	एफ	आर .सी	जी. बी	जी. ए	ए	एच. एफ
5.12 (क)	*प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, धर्मशाला / आश्रम, बोर्डिंग / लॉजिंग हाउस, छात्रावास, कामकाजी महिलाओं का छात्रावास, डॉरमेट्री, अतिथि गृह / निरीक्षण गृह / सर्किट हाउस (20 कमरों तक)*	9																
5.12(ख)	*प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, धर्मशाला / आश्रम, बोर्डिंग / लॉजिंग हाउस, छात्रावास, कामकाजी महिलाओं का छात्रावास, छात्रावास, अतिथि गृह / निरीक्षण गृह / सर्किट हाउस (20 कमरों से अधिक नहीं)*	12																
5.13	**सार्वजनिक जनोपयोगी सुविधाएं:** डाकघर, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, टेलीफोन कार्यालय / केंद्र, रेडियो एवं टेलीविजन केंद्र, पुलिस स्टेशन / चौकी, फायर स्टेशन, एटीएम कक्ष	एन.ए																
5.14	**सार्वजनिक उपयोगिताएँ:** विद्युत शवदाह गृह / श्मशान, कब्रिस्तान / बरीयल ग्राउन्ड	एन.ए																
5.15	कारागार	एन.ए																
5.16	**सार्वजनिक जनोपयोगी सुविधाएं:** ट्यूबवेल, ओवरहेड जलाशय, बिजली स्टेशन/सबस्टेशन, जल कार्य, माइक्रोवेव एवं वायरलेस केंद्र, सीवेज उपचार संयंत्र, डस्टबिन/कचरा संग्रह केंद्र, सार्वजनिक/सामुदायिक	एन.ए																

	ज़ोनिंग रेगुलेशन्स – क्रियाएं	आर.डब्लू (एम)	बी. यू.	आर	एम. यू	सी-1	सी-2	एस. आई	एल. आई	ओ. यू	पी. एस. पी	टी. टी	एफ	आर .सी	जी. बी	जी. ए	ए	एच. एफ
	शौचालय, सार्वजनिक जनोपयोगी सुविधाओं एवं सेवाओं से संबंधित भवन/प्रतिष्ठान																	
5.17	**सार्वजनिक जनोपयोगी सुविधाएं:** कम्पोस्ट संयंत्र, वैज्ञानिक लैंडफिल स्थल, डंपिंग ग्राउंड, एमआरएफ सुविधाएं, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा, बूचड़खाने	एन.ए																
6	**यातायात एवं परिवहन**																	
6.1	पार्किंग स्थल, टैक्सी / टेम्पो रिक्शा स्टैंड, बस स्टॉप	एन.ए																
6.2	मोटर गैराज, सर्विस गैराज/वर्कशॉप, मोटर ड्राइविंग स्कूल, वाहन स्क्रैपिंग सुविधा/स्वचालित परीक्षण स्टेशन/चालक प्रशिक्षण संस्थान	एन.ए																
6.3	ट्रांसपोर्ट नगर, बस डिपो, बस टर्मिनल, वेब्रिज/धर्मकांटा, लोडिंग-अनलोडिंग संबंधी सुविधा	एन.ए																
6.4	हवाई-अड्डा/फ्लाइंग क्लब	एन.ए																
7	**पार्क/ खुले स्थान** / क्रीड़ा-स्थल																	
7.1	पार्क, क्रीड़ा स्थल / खेल के मैदान, बहुउद्देशीय खुले स्थान, स्विमिंग पूल	एन.ए																
8	**मनोरंजनात्मक**																	
8.1	शूटिंग रेंज	एन.ए																

	ज़ोनिंग रेगुलेशन्स – क्रियाएं	आर.डब्लू (एम)	बी. यू.	आर	एम्. यू	सी-1	सी-2	एस. आई	एल. आई	ओ. यू	पी. एस. पी	टी. टी	एफ	आर .सी	जी. बी	जी. ए	ए	एच. एफ
8.2	गोल्फ़ कोर्स, क्लब	एन.ए																
8.3	हैलीपैड	एन.ए																
8.4	रेसकोर्स, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉलेज/प्रशिक्षण केंद्र, कारवां पार्क, पिकनिक स्थल/कैम्पिंग स्थल, यातायात पार्क, मनोरंजन पार्क, एक्वेरियम, चिड़ियाघर/संग्रहालय, पक्षी/वन्यजीव अभयारण्य	एन.ए																
9	**कृषि**																	
9.1	फार्महाउस, कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग केंद्र, फार्म स्टे	9																
9.2	**फार्महाउस:** बागवानी, नर्सरी, वन, उद्यान, वनस्पति उद्यान, लांड्री बे (धोबी घाट)	9																
9.3	डेयरी फार्म, चारागाह, मवेशी कॉलोनी, सुअर / मछली / पोल्ट्री फार्म / मधुमक्खी पालन, पशु प्रजनन केंद्र	9																

नोट :– शासन द्वारा जारी तथा बोर्ड द्वारा अंगीकृत भवन निर्माण उपविधि एवं जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 के अनुसार अनुमन्यता देय होगी

12.5 समाघात शुल्क

समाघात शुल्क से छूट	
गैर-व्यावसायिक एवं परमार्थ क्रियाएं/उपयोग (आयकर अधिनियम के अंतर्गत पात्र)	(1)
सेवा एवं कुटीर उद्योग (परिशिष्ट-18 देखें)	(2)
संबंधित उपयोग के प्रयोजनों हेतु ग्रुप हाउसिंग	(3)

प्रतीक	
समाघात शुल्क लागू नहीं	NA
समाघात शुल्क देय नहीं	NP
समाघात शुल्क देय	

भू-उपयोग ज़ोन (न्यूनतम से उच्चतम तक) →

	क्रियाएं/उपयोग श्रेणी	बी.यू.	ए/जी.बी/ आर.सी./ एच.एफ	पी.एस. पी	टीटी	एसआई / एलआई	आर/ जी.ए.	ओ.यू	एमयू/ सी1/ सी2
	(न्यूनतम से उच्चतम तक)		1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि, हरित पट्टी, पार्क/ क्रीड़ा स्थल	NP	NA	NP	NP	NP	NP	NP	NP
2	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	NP	0.25 (1)	NA	NP	NP	0.25 (1)	NP	NP
3	यातायात एवं परिवहन	NP	0.3	0.1	NA	NP	0.30	NP	NP
4	औद्योगिक	NP	0.4 (2)	0.25 (2)	0.25 (2)	NA	0.40	NP	NP
5	आवासीय, (ग्रामीण सहित)	NP	0.5	0.4	0.4	0.25 (3)	NA	NP	NP
6	कार्यालय उपयोग	NP	1	0.75	0.75	0.75	0.5	NA	NP
7	व्यावसायिक	NP	1.5	1.25	1.25	1	1	0.5	NA

नोट:

(i) विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु निर्धारित "समाघात शुल्क गुणांक" का मूल्य उन कोष्ठों में दिया गया है जहां समाघात शुल्क देय है।

देय समाघात शुल्क = [भूखंड का क्षेत्रफल x सर्किल रेट x गुणांक (उपर्युक्त तालिका के अनुसार) x 0.25

(ii) समाघात शुल्क का निर्धारण वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। भूमि की वर्तमान दर का तात्पर्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट से है, जहां ऐसी दर उपलब्ध नहीं है, वहां प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वर्तमान आवासीय दर, से है। परिशिष्ट-16 का संदर्भ ग्रहण करें।

समाघात शुल्क की गणना हेतु उदाहरण:

आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की अनुज्ञा हेतु:
भूखंड का क्षेत्रफल 350 वर्ग मीटर
प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
देय समाघात शुल्क: - (भूखंड का क्षेत्रफल) x (सर्किल रेट) x (गुणांक x 0.25)
अर्थात- 350 x 2000 x 0.25 x 0.25 = रु 43,750/-

अनुलग्नक– 1. दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची

1. जनरल प्राविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीडी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर／क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटोस्टेट, फैक्स, आदि
10. किताबें／मैगजीन／अखबार इत्यादि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी. सी. ओ.
13. रेडीमेड गारमेंट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग
18. घड़ी मरम्मत
19. कढ़ाई–बुनाई एवं पेन्टिंग
20. केबल टी0वी0 संचालन, वीडियों पार्लर
21. प्लम्बर शाप
22. विद्युत उपकरण
23. हार्डवेयर
24. टायर पंचर की दुकानें
25. कपडे इस्तरी करना
26. समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें

अनुलग्नक–1(क) दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची

(अधिकतम आच्छादन 15.00 वर्ग मी0)

1. जनरल प्राविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. पान, बीडी, सिगरेट
6. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
7. ब्यूटी पार्लर
8. हेयर ड्रेसिंग
9. कपड़े इस्तरी करना

नोटः– मूल क्रिया के भवन हेतु निर्धारित अग्र सेट–बैक को छोड़ने के उपरान्त ही उपरोक्त वर्णित दैनिक उपयोग की दुकानें निर्मित की जा सकेगीं।

अनुलग्नक–2 निर्मित/आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची

(5 हार्स पावर तक)

1. लाण्ड्री, ड्राई–क्लीनिंग
2. टी0वी0, रेडियों, आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
4. मोटर कार, मोटर–साइकिल, स्कूटर, साइकिल आदि की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइडिंग
6. सोना तथा चॉदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते का फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो Ÿमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग

अनुलग्नक–3 व्यावसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषण मुक्त लघु उद्योगों की सूची

(10 हार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरघा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चॉदी/तार एवं जरी का काम
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद्य यन्त्र तैयार करना
13. खेलों का सामान
14. बांस एवं बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र
18. स्टील एवं लकड़ी के साज –सज्जा सामान
19. घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना
20. रेडियों टी0वी0 बनाना
21. पेन, घड़ी, चश्में की मरम्मत
22. सर्जिकल पट्टियॉ
23. सूत कताई व बुनाई
24. रस्सियॉ बनाना
25. दरियॉ बनाना
26. कूलर तैयार करना
27. साइकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग
28. वाहनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत
29. इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण तैयार करना
30. खिलौने बनाना
31. मोमबत्ती बनाना
32. आरा मशीन के अतिरिक्त बढ़ई का कार्य
33. तेल निकालने कार्य (शोधन को छोड़कर)
34. आइसक्रीम बनाना
35. मिनरल वाटर
36. जाबिंग एवं मशीनिंग
37. लोहे के संदूक तथा सूटकेस
38. पेपर पिन तथा यू–क्लिप
39. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना
40. चश्में के Ÿम
41. समरूप प्रदूषण रहित उद्योग

आओ फिर एक बदलाव लाए
हर रोज एक पेड़ लगायें

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या